

बौद्ध और जैन आगमों में नारी-जीवन

डा० मोमलचन्द्र जैन

एम० ए० पी०एच० डी०, आचार्य (जनमानस व प्राकृत)



श्री लोपमि सारमुय

सोहनलाल जैनधर्म प्रचारक समिति
अमृतसर

स म र्प ण

पद्मेय गुलवर्य डा० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य
को
सादर



प्रकाशकीय

पाश्वनाथ विद्यालय शोध संस्थान, वाराणसी के रत्नधर स्मारक शोधछात्र डा० कोमलेश्वर जन एम० ए० पी एच० डा० का बौद्ध और जन आगमों में नारी जीवन नामक प्रस्तुत प्रबंध तोहनलाल जनधम प्रचारक समिति द्वारा प्रकाशित तीसरा शोध-ग्रन्थ है। डा० जन समिति के पाचवें सफल शोध छात्र हैं।

प्रस्तुत प्रबंध का विषय अत्यन्त रोचक है क्योंकि यह प्राचीन तथा स सम्बद्ध होता हुआ भी वर्तमान पीढ़ी की दृष्टि से नूतन नहीं है। अतः न भिन्न भिन्न काल के भिन्न भिन्न प्रभावों एवं तत्कालीन अवस्थाओं का चित्रण किया है तथा अपने प्रबंध को प्रकाशित रूप में लेखन के लिए उत्साहपूर्ण परिश्रम किया है।

समिति पाश्वनाथ विद्यालय शोध संस्थान के अद्यतन के प्रति कृतज्ञ है जिनकी देखरेख में संस्थान प्रगति कर रहा है तथा जिनके निर्देशन में शोधछात्र कार्य करते हैं। समिति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राफेसर डा० सिद्धेश्वर मट्टाचार्य के प्रति भी अपने शिष्य तब प्रस्तुत प्रबंध के लेखक का सुचारु एवं उपयोगी मार्गदर्शन देने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है।

हरजसराय जैन
मन्त्रा

प्राक्कथन

प्राचीन भारतवाय साहित्य प्रधानत तीन भाषाभा में उपलब्ध ह सस्कृत, पाणि और प्राकृत । सस्कृत में भारतीय सस्कृति की ब्राह्मण और श्रमणरूप दोनों परम्पराओं का प्रचुर साहित्य है । आधारभूत प्राचीन बौद्ध साहित्य पाणि में तथा मूलभूत प्राचीन जन साहित्य प्राकृत में उपलब्ध ह । श्रमण सस्कृति की इन दो धाराभा का अर्वाचीन साहित्य सस्कृत भाषा में भी ह । ब्राह्मण सस्कृति का आधारभूत समस्त साहित्य सस्कृत में हा है ।

ब्राह्मण-परम्परा में उपलब्ध प्राचीन सस्कृत साहित्य क आधार पर एने अनेक ग्रंथों का निर्माण हुआ ह जो भारतीय नारी के जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डालत है किन्तु श्रमण परम्परा में उपलब्ध प्राचीन प्राकृत एव पाणि साहित्य के आधार पर अभी तक एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा गया है जिसमें भारतीय नारी-जीवन के समस्त पल्लुभा पर पर्याप्त विचार किया गया हो । डा० कोमलचन्द्र जन न प्रस्तुत पुस्तक में इसी कमी की पूर्ति की है ।

बौद्ध एव जनों क मूलभूत अथवा आधारभूत प्राचीन ग्रंथ आगम कहलाते ह । इन आगमों में ममाज एव सस्कृति के विभिन्न रूपा पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हाती है । इन रूपा में नारी-जीवन का भी समावेश है जो किसी श्रमण रूपा से किसी भी दृष्टि से कम महत्त्व का नहीं है । डा० जन क विवेचन की एक विशेषता यह ह कि उन्होंने आगमों के मूल रूप तथा नारी के मूल रूप दोनों की सुरक्षा की है । प्रस्तुत विवेचन में मूल आगमों का विशुद्ध अनुसरण तो है ही नारी का मूल रूप भी पणतया सुरक्षित है । डा० जन का प्रस्तुतीकरण अथवा प्ररूपण कहीं भी व्याग्रह एव अभिनिवेश का गिकार नहीं होने पाया ह और न कहीं उसमें किसी प्रकार की विकृति अथवा विवक्यता का ही प्रवेश हुआ है ।

बौद्ध और जन आगमों के अन्तिम सकलन की पूर्वापरता की दृष्टि में रखते हुए ही प्रस्तुत ग्रंथ में स्थान-स्थान पर बौद्ध आगमों के युग अर्थात् बौद्ध-युग के बाद जन आगमों के युग अर्थात् जन-युग का चर्चा की गई ह । वस महावीर और बुद्ध रामकाशीन व अनेक दोनों की वाणी अर्थात् जन और बौद्ध आगम अस्तोगवा समकालीन ही सिद्ध हाते हैं ।

मोहनलाल जनधर्म प्रचारक समिति के तत्वावधान में पादवनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान जनविद्या के अनुसंधान में मग्न है । डा० जन न इस संस्थान के शोधकार्य के रूप में ही प्रस्तुत ग्रंथ का निर्माण किया है जिस पर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी न उन्हें पौण्ड्र डी की उपाधि से विभूषित किया है । यही एक तथ्य ग्रंथ की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है ।

पादवनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान
वाराणसी-५
२४-४-१९६७

}

मोहनलाल मेहता
अध्यक्ष

प्रस्तावना

आजकल प्राचीन भारतीय-संस्कृति का जानन के लिए भारतवामिया के अतिरिक्त अन्य देशवासी भी अत्यधिक उत्सुक हैं। इस देश का संस्कृति के कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनकी जिज्ञासा विशिष्ट विद्वानों के साथ-साथ सामान्य जनता का भी है। उन विषयों में नारी जीवन का प्रमुख स्थान है।

भारतीय संस्कृति के निर्माण में नारी-समाज ने प्रारम्भ से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नारी के कारण समय-समय पर संस्कृति का रूप भी परिवर्तित हुआ है। उस समय पुरुष के समकक्ष माना गया है तो कभी भाग खिलाने की वस्तु मात्र। अतः भारतीय-संस्कृति के पूर्ण ज्ञान के लिए नारी जीवन का ज्ञान होना आवश्यक है।

ईसा के लगभग एक हजार वर्ष बाद भारत पर मुसलमानों का आक्रमण प्रारम्भ हुआ तथा दान-दान सन्धियों के उपरान्त मनी उनका राज्य भी हो गया। यह राज्य जो कि इतिहास में मुगल साम्राज्य के नाम से विख्यात हुआ नारियाँ के विकास में अत्यधिक घातक सिद्ध हुआ। कारण जबतक राज्य में नारी के गौरव का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो गया। फलतः नारियों का सामाजिक गति विधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा वे परदे के भातः बंद हो कर दी गई। इससे नारियों की जिम्मा को गहरा आघात पहुँचा और वे एक प्रकार से अज्ञानता एवं पराधीनता के बंधन में जकड़ दी गई।

उपरोक्त भारत पर अंग्रेजों ने अपना राज्य कायम किया। यद्यपि अंग्रेजों के शासन-काल में शिक्षा का प्रसार हुआ किन्तु अंग्रेजों ने नारियों को दिया गया अत्यधिक महत्त्व के कारण इस देश की जनता ने संस्कृत पालि प्राकृत आदि भाषाओं में लिखे ग्रन्थों में बिखरा भारतीय संस्कृति को जानने या उस पर गौरवशील हान का अनुभव ही नहीं किया। फलतः अंग्रेजी राज्य के उत्कर्ष के दिनों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के किसी भी विषय पर भारतीयों द्वारा अनुसंधान कायम नहीं किया जा सका।

उक्त अंग्रेजी राज्य का उत्कर्ष अधिक दिनों तक नहीं रहा। २०वें शताब्दी के प्रारम्भ में इस देश की जनता के हृदय में भी पराधीनता से मुक्ति पान एवं भारतीय संस्कृति का जानने की उत्कण्ठ आकांक्षा उत्पन्न हुई। परिणामतः यहाँ एक ओर स्वतंत्रता आन्दोलन की बल मिली तथा दूसरी ओर प्राचीन

संस्कृति व प्रेमो भारतीया द्वाग संस्कृति व विभिन्न अगा पर अनुग धान काय
किय गय । इसमें सत्क नर्ती कि उपयुक्त विभिन्न अगों म नारा जीवन को भा
मन्त्रवपुण स्थान प्राप्त हुआ ।

भारतीय-संस्कृति मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त का जाता है—वैदिक
संस्कृति एवं धर्मण संस्कृति । धर्मण संस्कृति क उपलब्ध साहित्य की अपेक्षा
वैदिक संस्कृति का उपलब्ध साहित्य कालक्रम की दृष्टि से अधिक प्राचीन ह ।
वैदिक-संस्कृति व मूल साहित्य म ऋग्वेद, उपनिषद्, धर्मसूत्र आदि प्रमुख हैं
जिनका समय ईसा पूर्व द्वा हजार वर्ष स लेकर ईसा पूर्व धान सौ वर्ष क लग
भग माना जाता ह । धर्मण संस्कृति के आज तक द्वा रूप जावित हैं—जन संस्कृति
एव बौद्ध संस्कृति । इन दाना ही संस्कृतिया व गूल साहित्य का आगम साहित्य
क नाम से कहा जाता ह । सामा यतया इन आगमों का पूर्व सीमा ईसा पूर्व
पँचवीं स, षष्ठ पर-सामा ईसा का पाँचवीं सदा माना जाता ह जिसका विस्तृत
विवचन अग्र में किया गया है ।

वैदिक-साहित्य व आधार पर ऐसे अनक ग्रंथ लिख गय हैं जिनमें तत्कालीन
नारी जीवन का चित्र निहित ह किन्तु आगमों के आधार पर 'नारी जीवन नामक
विषय पर स्वतंत्र ग्रंथ न के बराबर लिखे गय हैं । जनागमा व आधार पर
डा० जगदीशचन्द्र जनकृन् जन आगम साहित्य में भारतीय समाज एवं डा०
जोगेन्द्र चन्द्र सिक्करकृत स्टडीज इन दि भगवती मूत्र नामक ग्रंथ लिखे गये हैं
जिनक कुछ पृष्ठों में नारी जीवन का भी बणन किया गया ह किन्तु चूँकि उक्त
ग्रंथों में तत्कालीन समाज व सभी अगा का स्पष्ट विचार किया गया है अत उनमें
नारी जीवन क ऊपर यथेष्ट प्रकाश नहीं डाला जा सका ह । हाँ बौद्धागमों क
आधार पर नारा जीवन पर दो स्वतंत्र ग्रंथ लिखे गये हैं जिनमें प्रथम विमल
वरण शा कृत 'विमेन इन बुद्धिस्ट लिटरचर एवं द्वितीय हारनर कृत 'विमेन
अण्डर प्रिमिटिव बुद्धिज्म' ह । इनमें से प्रथम ग्रंथ, जसा कि उक्त के नाम स ही
स्पष्ट हो जाता ह आगमा की अपेक्षा उत्तरवर्ती बौद्ध साहित्य पर ही अधिक
आधारित ह । द्वितीय ग्रंथ में भी आगमा क टीका साहित्य का प्रयोग तो किया
हो गया ह साथ ही उसमें बौद्ध युगीन नारी के सामाजिक जीवन को तुलना में
मिथुणी जीवन पर ही अधिक प्रकाश डाला गया ह । इसक अतिरिक्त बौद्ध एवं

- १ (a) Women in the Vedic Age
- (b) Women in the Sacred Laws
- (c) Position of Women in Hindu Civilization

जैन दोनों ही आगमों का आधार बनाकर 'नारी जीवन' पर आज तक कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया है।

उक्त अभाव को पूर्ति के लिए यह प्रयास किया गया है। प्रस्तुत प्रबंध के निर्माण में आधारभूत सामग्री ऐतिहासिक क्रम से प्राप्त मूल आगमों से ही ली गई है किंतु जहाँ-जहाँ मूल आगमों में प्राप्त उल्लेखों के स्पष्टीकरण के लिए टाका नास्तिक्य की आवश्यकता प्रतीत हुई, वहाँ उमका भा उपयोग करन में सफल नहीं किया गया है।

आगम एवं नारी—

आगमों का सरसरी दृष्टि से दखन पर जात होना है कि उनमें अधिकांश स्थलों पर नारियों के प्रति कटूवक्तियों का प्रयोग किया गया है। किंतु जब ध्यान में उन कटूवक्तियों को देखा जाता है तो जात होता है कि वे भाषना रत मिश्रुओं के प्रति सभ्यता के उद्देश्य से ही कही गई हैं। अतः इन कटूवक्तियों का निरपेक्षता से मूल्यांकन करन से यही निष्कर्ष निकलता है कि इनका सम्बन्ध सामाजिक नारियों से नहीं था। समाज में रहन वाला सदाचरण से युक्त पवित्रता स्त्रियों की आगमों में प्रणमा प्राप्त होती है। यह बात बौद्धागमों में वर्णित सात एव जनागमों में वर्णित चौदह स्त्रियों में स्त्रियों की गणना से ही स्पष्ट हो जाती है। अतः दाना संस्कृतियों के मूल आगमों के आधार से नारी के सामाजिक जीवन का चित्रण करना अत्यधिक सममानुबल एव रोचक विषय है।

दूसरी बात यह है कि आगम-कालीन नारियों का जीवन सामाजिक रीति रिवाजों से कसा हुआ था। वे किसी भी अवस्था में क्या न रहें उन्हें सामाजिक रीति रिवाजों का उचित सम्मान करना पड़ता था। उदाहरण के लिए नारी का मिश्रुणा अवस्था का ही लक्षण है। मिश्रुणियाँ विधानतः सामाजिक नारियों से भिन्न थी किंतु उन्हें उस अवस्था में भी सामाजिक नारियों के आचार विचार एवं रहन सहन का उचित सम्मान करना ही होता था। अतः यह कहना अनुचित न होगा कि आगम कालीन समाज में नारी जीवन का सामाजिक पहलू ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। प्रस्तुत प्रबंध में उक्त तथ्य को ध्यान में रखा गया है तथा नारी जीवन की प्रत्यक्ष अवस्था का चित्रण सामाजिक दृष्टि से ही किया गया है।

२ (अ) दीर्घ निकाय १।७७

(ब) जम्बूद्वीप प्रणप्ति ३।६७

क्षेत्र—

।गा वि गन्ने बना गया है प्रस्तुत प्रवचन का धन सामान्यतया बौद्ध एवं जैन आगमों तक ही सीमित है। यही यह उल्लेखनीय है कि जनागमों का भाव दरनाम्बर सम्प्रदाय द्वारा सम्मत ४५ आगमों से है। कारण आजकल जैनागमों पर ही आगमों का ध्यान किया जाता है। दश-सत्र मूल विषयों के स्पष्टीकरण के लिए टीकाकारों द्वारा बनाए गए अनेक टीकाकारों का पता है कि तुम्हारे विद्वानों ने टीकाकारों द्वारा प्रस्तुत प्रवचन निर्धारित धर्म के अन्तर्गत ही आता है। पूर्व प्रवचन का दृष्टि से अनेक अन्वयों के प्रारम्भ में धार्मिक साहित्य में उपलब्ध नारी जाया का साक्ष्य परिलक्ष्य भा प्रस्तुत किया गया है क्योंकि बिना पूर्व प्रवचन के अन्वय विषय का समुचित प्रतिगान्न करना कठिन था।

बौद्ध और जैन आगमों के सफल की व्यापारता—

।गा वि गन्ने का प्रवचन नई नई लक्षणों के साथ ही पूर्व अन्वय का प्रसार लौकिक भाषा के माध्यम से किया था। उक्त शैली महापुराणों का निर्वाण क्रमों का लक्षण ५२६ तथा ४८० वर्ष पूर्व में हुआ था। निर्वाण के बाद उनका अनुपस्थिति न उक्त धर्मों का सफल एवं लक्षण किया जा आज के लिए जगत् में जनागम एवं बौद्धागम नाम से विख्यात है। धर्म दोन प्रकार के आगमों का मूल सत्त उत्तम महापुराणों का उपदेश ही था अत आगमों में उस समय के समाज का वातावरण भी थोड़ा बहुत अलग म चित्रित है। कि तुम्हारे धर्म का कि व पूजकत्व से उच्चता का ध्यान करते हैं अनुचित होगा। कारण बौद्धागमों एवं जैनागमों का अन्तिम सफल काय बौद्ध एवं महावीर के परिनिर्वाण के क्रमों लक्षण ५०० एवं १००० वर्ष के उपरांत हुआ था। अत यह स्वयं सिद्ध है कि उक्त अन्तिम सफल काल तक आगमों में तत्कालीन समाज का चित्र अंकित था रहा है। उक्त समय की पुष्टि बौद्ध एवं जैन आगमों में प्राप्त नारी जीवन से की जा सकता है। बौद्धागमों से ज्ञान होता है कि पृथ्वी का जल मार्मिक वातावरण के कारण समाज में उत्तम नहीं माना जाता था, धर्म का विचार अन्वय में भी होता था प्रसाधन की दृष्टि से स्त्रियों का भी व धर्म अन्वयों को अधिक पसन्द करता था तथा गणिकाएँ वस्त्राओं से भिन्न थीं एवं उनका निर्धारित शुल्क प्रतिरात्रि १०० कार्यापण तक ही था। किन्तु जैनागमों से पता होता है कि समाज में पुत्रों का जन्म उत्तमकारक नहीं था व दासों का अन्वय में विवाह नहीं होता था। प्रसाधन की दृष्टि से स्त्रियों को व धर्म अन्वयों की मन्त्र देती थी तथा गणिकाएँ व वेश्या में उल्लेखनीय

भैरव नहीं था अपितु सुन्दरतम वेदों को ही गणिका की आख्या दी जाती थी एवं उसका प्रतिरात्रि का यूनतम गुण १००० (कार्यापण ?) था ।

जब प्राचीन समकालीन मन्त्रपुराणों के उपदेशों पर आधारित मूल आगमा में प्राप्त उक्त भिन्न-भिन्न तथ्यों पर ऐतिहासिक दृष्टिगत करते हैं तो स्पष्ट होता है कि उन आगमों में से बौद्धागम ईसा पूर्व ५वीं सदी में ईसा तक के समाज का विश्व उपस्थित करते हैं तथा जनागम ईसा की ५वीं सदी तक का । कारण, वे जो जन्म पर खेद एवं उसका अन्त्यायु विचार समाप्त होता गया किन्तु ईसा तक उक्त दोनों बातों का बौद्धा-बहुत अस्तित्व समाज में था । इसी प्रकार काशी के जन वंश ईसा के पतने अधिक विख्यात थे किन्तु ईसा की २री सदी में चीन देश से आये रेगमो वंश अधिक पसन्द किये जाते लगे थे । इसी प्रकार अन्य देशों भी पूर्वोक्त कालमूचक ही हैं ।

उक्त तथ्य को दृष्टि में रखते हुए प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रत्येक अध्याय में पहले बौद्धागमों के आधार पर नारी जीवन का विश्व उपस्थित किया गया है तत्पश्चात् जनागमा में प्राप्त सामग्री का उपस्थापन किया गया है । इसके अतिरिक्त इन ग्रन्थ में बौद्ध युग या बौद्ध काल तथा जन युग या जैन-काल शब्दों का भी प्रयोग किया गया है जिनका तात्पर्य तत्-तद् आगमा के उपयुक्त काल में ही है अर्थात् बौद्ध युग या बौद्ध काल से आगत ईसा पूर्व पंचवीं सदी से लेकर ईसा तक है जब कि जन युग या जन काल का भाव ईसा की ५वीं सदी तक से है ।

यहाँ इतना स्पष्ट कर देना भी आवश्यक समझना है कि उक्त दोनों आगमा में जो जिन रूप में मित्रा उम उमी रूप में रखा गया है । इसमें किसी प्रकार का अग्रह नष्ट रखा गया है । उदाहरणस्वरूप बौद्धागमा में जो भिक्षुणी जीवन का रूप मित्रा उम बौद्ध भिक्षुणी पत्र से अवश्य कहा गया है किन्तु इसका यह आशय नहीं कि उम काल में जन भिक्षुणी भव था या नहीं ; इसका इतना ही तात्पर्य है कि उम काल में जन भिक्षुणी तप का कथा रूप था यह बताने का कोई साधन नहीं है । कारण जनागमा में जो कुछ भी भिक्षुणी के विषय में मिलता है वह अधिक परिष्कृत है अतः वह बौद्धागमा में वर्णित भिक्षुणी से उत्तरवर्ती काल का ही रूप है ।

प्रस्तुत प्रवचन निम्नलिखित मूल बौद्ध एवं जैन आगमों पर आधारित है—

१ बौद्धागम^३—

(क) त्रिनयपिटक—पाराजिक पाचिसिय, महावग्ग पुलवग्ग एव परिवार ।

(ख) सुत्तपिटक—दोष निकाय मज्झिम निकाय, सयुत्त निकाय, अंगुत्तर निकाय १२ खुद्दक निकायक ५ २७ ग्रंथ —खुद्दकपाठ घम्मपद उदान इतिवृत्तक, सुत्तनिपात विमानवत्थु पेतारत्थु धेरगाथा वेगेगाथा जानक, निद्देस पटिसम्भदा मग्ग अट्ठान बुद्धवम चरियापिटक ।

(ग) अनुपिटक—मिल्हिट्ठण (मिल्हिट्ठण^४)

२ जैनागम—

(क) ११ अंग—आचारंग (आचारंग) सूयगडग (सूयकृतांग), ठाणाग (स्थानांग) समवायाग विवाहपण्णत्ति (व्याख्याप्रणत्ति—भगवती), नायाधम्मक हाआ (नायधम्मकथा) उवासगदमात्रा (उपासकदशा), अत्तगहदसाओ (अत्तकृद्गा) अणुत्तराववाइयदसाआ (अनुत्तरोपपातिकदशा) ५० वागरणाइ (प्रश्न व्याकरण) विवागसुय (विवाकधुत)

(ख) १२ उपांग—ओववाइय (ओपपातिक) राइअपसणिय (राजप्रवनीय) जावाभिग्ग पधवणा (प्रज्ञापना) सुरियपण्णत्ति (सूयप्रणत्ति) जम्बूहोवपण्णत्ति (जम्बूहोवप्रणत्ति), च दपण्णत्ति (चत्प्रणत्ति) निग्गावलियाआ (निग्गावलिका) कण्णवडमियाआ (कण्णवडमिका) पुष्पियाओ (पुष्पिका) पुष्पचूलियाओ (पुष्पचूलिका) वण्णदसाओ (वण्णदशा) ।

(ग) १० प्रकाणक—चउत्तरण (चतुत्तरण) आउत्तरपच्चक्खण (आनुर प्रत्याख्यान) भत्तपरिण्णा (भक्तप्रज्ञा) सदाग्ग (सन्तारक) त दुल्लवेयालिय (तुल्लवचारिक) दक्खिदत्थय (दक्खिदत्थय) गच्छावार (गच्छाचार) गणिविज्जा (गणिविद्या) महापच्चक्खण (महाप्रत्याख्यान) मरणसमाओ (मरणसमाधि)^५ ।

(घ) ६ ट्ठेदसूत्र—निगो (निगाथ) महानिसीट्ट (महानिशीय), ववहार

३ यद्यपि त्रिपिटक में अभिघम्मपिटक का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है किंतु उसमें नारी जावन से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध न होने से उसकी गणना उक्त ग्रंथों में नहीं की गई है ।

४ यह ग्रंथ अनुपिटक साहित्य का अन्वय है किंतु बौद्ध एव जन-युग के मध्यवर्ती काल का हान के कारण उसकी गणना उक्त ग्रंथों में की गई है ।

५ दश प्रकाणक कुछ परिवर्तनों के साथ भी गिनाये जाते हैं ।

(अवनार) दसामुयकथ (दशाश्रुतकथ), कथ (कथ अथवा वनूत्कथ)
जीयकथ (जातकथ) ।

(६) ४ मूलसूत्र—उत्तरज्ज्ञयण (उत्तराध्ययन), दमवयालिय (दशवका
लिय) आवम्भय (आवम्भयक) पिण्डनिज्जुत्ति (पिण्डनिज्जुत्ति) ।

(७) २ चूटिकासूत्र—नग्दा तथा अणुभोगार (अनुभोगदार) ।

प्रथम का विधास—

प्रस्तुत प्रथम ६ अध्यायों में विभक्त है जिसमें नारी के बाह्य जीवन से लेकर
वृद्धावस्था तक का वर्णन किया गया है । प्रथम अध्याय में पृथी की अवस्था का
चित्रण किया गया है । पृथी के जन्म पर हान वाला सामाजिक प्रतिक्रिया बचपन,
विवाहसम्बन्धी दण्डकाण का प्रभाव धार्मिक प्रवृत्ति आदि विषय प्रथम अध्याय
में वर्णित है । द्वितीय अध्याय में विवाह का वर्णन है । विवाह के विषय में
परिवर्तित दृष्टिवाण एवं उनका समाज पर प्रभाव विवाहयोग्य आयु अर्पण वर
एक कथा की विवाह योग्य बय आदि इस अध्याय के मुख्य विषय हैं । तीसरे
अध्याय में नारी के वैवाहिक-जीवन की चर्चा की गई है । चूंकि वैवाहिक-जीवन
में नारी को अनेक अवस्थाएँ आती हैं, अतः उस सरल एवं सुगम यान के लिए
उक्त अध्याय को चार उपविभागों में विभक्त किया गया है । प्रथम उपविभाग
में पुरुषधू का जीवन वर्णित है । द्वितीय उपविभाग में नारी की गृहपत्नी अवस्था
का विवरण किया गया है जिसमें पति-पत्नी के पारस्परिक कर्तव्य पत्नी के भेद
पति-पत्नी का एक-दूसरे पर प्रभुत्व आदि विषयों का वर्णन है । तीसरे उपविभाग
में अन्न की महत्ता को बताते हुए उसका प्रति दिनपाल हान की परम्परा का
उल्लेख किया गया है । अन्तिम उपविभाग में विधवा नारी के सामाजिक,
धार्मिक, एवं धार्मिक जीवन का विवरण किया गया है ।

उक्त प्रथम तीन अध्यायों में सामाजिक नारियों का जीवन वर्णित है । चतुर्थ
अध्याय में नारी के एक वर्गों का वर्णन है जो अपनी आर्थिकता का उपाजन
स्वतः करती थीं । चूंकि इस प्रकार की नारियों में परिवारिका, गणिका एवं वर्या
वर्ग प्रमुख थे । अतः इस अध्याय को तीन उपविभागों में विभक्त कर उनमें
क्रमशः उक्त तानों वर्गों का वर्णन किया है । प्रथम अध्याय में भिक्षुणा-वर्ग का

६ किसी के मत में अधिनियुक्ति भी इसमें समाविष्ट है, कोई पिण्डनिज्जुत्ति
के स्थान पर अधिनियुक्ति को मानते हैं ।

बहुआंगी का भा वनश है जिनमें मन वालि गायी तथा हम प्रयाग के लिए
वर्मा लिपि में लिखित आवश्यक अट्टकथाओं की सहायता ली ।

म।वीर प्रेम के श्री भाई वायूजाल जी पागुल एवं उनके उपपुत्र प्रिय
महावीर न मोगे मुविधाभा का शगवर मुद्रणकाय में जो सत्परता दिखाई उत्तक
लिए व धयवाद के पात्र ह । अत में उन सभा मुद्रजना एवं सज्जना का भा
धयवाद देना मेरा कर्तव्य है जि।ने प्रकट या अप्रकट रूप से मुझ ह्म काय में
सहायता दी ।

यदि मरा यन् प्रयाग इस विषय में रुचि रखन वाले पाठकों को आहृष्ट
कर संभा ता म अपन का कृतकृत्य समझना ।

कीमलचन्द्र जैन

सक्रेत-विवरण

अगुत्तर०	अगुत्तर निकाय	पाता० वि०	नाताघमकथाङ्ग (विवरण)
अनु०	अणुत्तरोववाप्यन्माओ		
अथव०	अथववमहिना	त० ज्ञा०	तत्तिरीय ब्राह्मण
अत्र०	अत्रगडमात्रा	त० म०	तत्तिरीय-संहिता
अमर०	अमरकोष	ध०	धरगाथा
आ० घ० सू०	आपस्तम्ब धमसूत्र	धेर० (हि०)	धेरगाथा (निगो अनुवा०)
आचा०	आचारागमूत्र		
उद्ध०	उद्धरण	धेरी०	धेरीगाथा
उत्तर० उत्तरा०	उत्तराध्ययनमूत्र	धराअप०	धराअपान
उदा०	उदान	दगा०	दगा मृतस्कध
उपा०	उपासकगाय	दीघ०	दीघ निकाय
श्रुत्व०	श्रुत्वमहिना	धम्म०	धम्मपद
ऐ० ब्रा०	ऐतरय-ब्राह्मण	नाम०	नाममाला
औ० सू०	औपनिष-सूत्र	नाया०	नायाधम्मकहाओ
कल्प०	कल्पमूत्र	नि० गाथा	निगोधगाथा
काम०	काममूत्र	निर्या०	निरयाव्रतियाओ
सुद्व०	सुद्वकपाठ	पा० गू० सू०	पारागर गृह्य मूत्र
गो० गू० सू०	गोमिल गृह्यमूत्र	प० स्मू०	परागर स्मृति
सुल्ल०	सुल्लवग	पाइअ०	पाइअसुद्धमहणवा
छान्ने०	छान्नेय उपनिषद	पाचि०	पाचिसिय
जम्बू०	जम्बूद्वीपप्रनप्ति	पारा०	पाराजिक
जा०	जातक (अनुवादक कावल)	पि नि०	पिण्डनिमुक्ति
जा० क०	जातकटुकथा (नानपीठ)	पत०	पवसरु
जातकटु०	जातक अटुकथा क साय (रोमनलिनि)	वृ०	बद्वकल्पभाष्य
		वृ०गा०	बृहदारण्यक उपनिषद्
जावा०	जावापुपनिषद्	बो० घ० सू०	बोधायन धमसूत्र
जी० क०	जीतकम्प	धी० स्मू०	धीगायन स्मृति

मज्झिम०	मज्झिम निकाय	संयत्त०	संयुक्त निकाय
मनु०	मनुस्मृति	सम०	समतपागात्रिका (नाटक)
म १०	महाभारत	सुम०	सुमगलविलासिनी
महाव०	महावग	सू० टी०	सूत्रकृताग टीका
रघु०	रघुवग	सू०	सूत्र
रामा०	रामायण	सूय०	सूयगड
राय०	रायपरीणवसुत्त	स्था०	स्थानांग सूत्र
व० घ० सू०	वगिए पमसूत्र	B D	Buddhist Discipline
व० स्मू०	वगिए स्मृति	I R Γ	Encyclopedia of Religion and Ethics
वव०	ववहासुत्त	P E D	Pali English Dictionary
वि० अ०	विनयट्टकथा सम तथा सादिरा (रामन लिपि)	S E D	Sanskrit English Dictionary
विमा०	विमानवधु		
विवाग०	विवागसुय		
विष्णुस्मू०	विष्णुस्मृति		
व्यासरसू	व्यासस्मृति		
दा०प्रा० गन०प्रा०	गनयथ ब्राह्मण		

प्रस्तुत ग्रन्थ मे

१ पुरी	१-३६
वैदिक-कालीन स्थिति	५
उत्तर-वदिक कालीन स्थिति	७
आगम कालीन स्थिति	११
वाक्यावस्था	१८
कुलीनता एव सदाचार	१६
माता पिता एवं पुत्रा	२१
माई-बहिन	२३
ननू मामी	२५
पतक सम्पत्ति का अधिकार	२६
धार्मिक स्थिति	२६
उत्सव	३२
वपगाठ	३२
चानुर्मासिक स्नान	३३
शिखा	३३
२ विवाह	३७-७०
वदिक कालीन स्थिति	३६
उत्तर वदिक कालीन स्थिति	४०
बौद्ध कालीन स्थिति	४२
जन-कालीन स्थिति	४४
गधव विवाह एव वरमात्रा का अभाव	४५
माता पिताओ द्वारा विहित विवाह	४९
क्रय विक्रय विवाह	५०
स्वयवर विवाह	५२
विवाह क अय प्रकार	५७
अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह	५७
विवाह का क्षत्र	५८
विवाहयोग्य वय	६०
वधु को योग्यता	६१

बन की वास्तुशास्त्र	६२
विधि विधान	६४
पुनर्विधान	६५
विधान विधान	६७
वर्तमानकाल एवं वर्तमानकाल प्रमाण	६८
विधान एवं वास्तुशास्त्र	६९

३ वैराहिस-नीचन

७१-१०८

पुनर्विधान	७३-८३
वर्तमानकाल एवं विधि	७३
उत्तर-वर्तमानकाल एवं विधि	७४
आगम-वास्तुशास्त्र म मान मनुष्य का नियंत्रण	७४
मनुष्य-कुल वास्तुशास्त्र	७९
मान मनुष्य का वास्तुशास्त्र	८१
वर्तमानकाल एवं वास्तुशास्त्र	८१
गृहपत्नी	८३ ११०
वास्तुशास्त्र वास्तुशास्त्र	८४
उत्तर-वर्तमानकाल वास्तुशास्त्र	८५
आगम वास्तुशास्त्र	८६
पति पत्नी का वास्तुशास्त्र	८७
पत्नी का भ्रम	८८
पत्नी पर पति का प्रभुत्व	८९
पति पर पत्नी का प्रभुत्व	९०
वास्तुशास्त्र वास्तुशास्त्र	९०
मपत्नीकृत सत्वा	९०
पत्नी एवं परिवार	९०
गृहपत्नी एवं समाज	९०
जननी	९०
वर्तमानकाल वास्तुशास्त्र	११० ११८
उत्तर-वर्तमानकाल वास्तुशास्त्र	११०
आगम वास्तुशास्त्र	१११
जननी की ममता	११२
मातृत्व की वास्तुशास्त्र	११३
मातृत्व	११५
	११६

मानु-मदा	११७
माता का सम्पत्ति एव प्रभुता	११७
जनना एव बोद्ध एव जैन धर्म	११७

विधवा	११८ १२८
वर्द्ध-कालीन स्थिति	११६
उत्तर वर्द्ध-कालीन स्थिति	११६
आगम कालान स्थिति	११६
सामाजिक स्थिति	१२०
मना प्रथा एव समता आगमा में अभाव	१२१
जावन धापन व माघन	१२२
पुनर्विवाह	१२६

४ धृति जीविनी १००-१६६

परिचारिका	१३१ १४५
वर्द्ध कालीन स्थिति	१३२
उत्तर-वर्द्ध कालीन स्थिति	१३३
आगम कालान स्थिति	१३३
दासी	१३४
नामी व भन्	१३५
नामी के काय	१४१
दासी व प्रति स्वामा वा व्यवहार	१४२
दासा और धर्म	१४२
दासता स मन्त्रि	१४३
दाई	१४४
मनारजन करन वाली परिचारिकाए	१४५

गणिका	१४५ १५८
स्वरूप उद्भव एव विकास	१४६
गुण	१४६
आय	१५०
वसन्	१५२
गणिका एव समाज	१५४
प्रभुता एव स्वाधीनता	१५६
धार्मिक प्रवृत्ति	१५६

चेष्टया	१५९ १६६
वदिक एव उत्तर वदिक कालीन स्थिति	१५६
आगम कालीन स्थिति	१५९
स्वरूप	१६०
गुण	१६१
आर्थिक स्थिति	१६१
सामाजिक स्थिति	१६३
धार्मिक स्थिति	१६४

५. भिक्षुणी १६७-१८९

बौद्ध एव जन युगीन भिक्षुणा वग म साम्म एव वैपम्म	१६६
वदिक एव उत्तर वदिक कालीन स्थिति	१७२
बौद्ध-कालीन स्थिति	१७२
पाव वप तव बौद्ध भिक्षुणी सघ के अभाव का कारण	१७३
बुद्ध, धम एव नारी	१७४
बौद्ध भिक्षु सघ एव नारी	१७६
बौद्ध भिक्षुणी सघ का प्रारम्भ	१७७
छाठ गुहम	१७६
बौद्ध भिक्षुणी सघ एव नारी	१८०
बौद्ध भिक्षुणी एव समाज	१८२
जन कालीन स्थिति	१८३
जन भिक्षुणा सघ की प्राचीनता	१८४
जन भिक्षु सघ एव नारी	१८६
जन भिक्षुणी का स्तर	१८६
जन भिक्षुणी सघ एव नारी	१८७
जन भिक्षुणी एव समाज	१८८

६. सामान्य-स्थिति १९१-२३३

शिक्षा	१९३ १९८
वदिक-कालीन स्थिति	१९३
उत्तर-वदिक-कालीन स्थिति	१९४
आगम-कालीन स्थिति	१९६
गाइथीय शिक्षा एवं भिक्षुणा-सघ	१९६
शिक्षा का आर्थिक प्रचलन एवं उसके साधन	१९७

प्रसाधन	१९८-२१३
प्रसाधन क साधन	१९९
वस्त्रामरण	१९९
विलपनाभरण	२०५
माल्यामरण	२०६
अङ्कारामरण	२११
परदा प्रथा	२१४-२२०
वदिक एव उत्तर-वदिक-कालीन स्थिति	२१४
आगम-कालीन स्थिति	२१६
परदा प्रथा व अभाव का कारण	२१६
व्यभिचार	२२१-२२६
आगम-काल में एक भोषण अपराध	२२१
प्राग आगम काल में एक उपपातक	२२३
व्यभिचारिणी स्त्रियाँ	२२४
धार्मिक प्रवृत्ति	२२६-२३३
वदिक कालीन स्थिति	२२७
उत्तर-वदिक-कालीन स्थिति	२२७
धार्मिक अधिकारों का हनन	२२७
अनुपनीत नारी की धार्मिक क्रियाएँ	२२८
आगम कालीन नारी की धार्मिक प्रवृत्तियाँ	२३०
धार्मिक व्यक्तियों के प्रति सम्मान	२३१
धार्मिक उत्सवों में उत्साह	२३२
७ उपसंहार	२३५-२५०
पुत्रा	२३८
विवाह	२३६
पुत्रवधू	२४१
गृहपत्नी	२४२
अमनी	२४३
द्विष्या	२४४
परिचारिका	२४५
गणिका एव वध्या	२४६
भिक्षुणी	२४७
आधार-ग्रन्थ-सूची	२५१
अनुक्रमणिका	२५७

पुत्री

वैदिक-कालीन स्थिति
उत्तर वैदिक-कालीन स्थिति
आगम-कालीन स्थिति
बाल्यावस्था
कुलीनता एवं सदाचार
माता पिता एवं पुत्री
भार्य वहीन
ननद भाभी
पैतृक सम्पत्ति का अधिकार
धार्मिक स्थिति
उत्सव
वर्षगाठ
चातुर्मासिक स्नान
शिक्षा



पुत्री नाग-जीवन को प्रथम अवस्था है। पुत्री के रूप में नारी समाज में प्रवेश करती है। अतः यह स्वाभाविक है कि समाज में वर्तमान नारी की उत्पत्ति या अवनत अवस्था में पुत्री-वर्ग सर्वाधिक प्रभावित रहे। पुत्री के जन्म पर होनेवाली सामाजिक प्रतिक्रिया मात्र ही नारी-जीवन पर पर्याप्त प्रभाव डाल देती है। पुत्री का जीवनसापन का ढंग एवं उसके प्रति किये गये सामाजिक व्यवहार नारी जीवन की सभी अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः नारी जीवन के अध्ययन के लिए पुत्री के जीवन का ज्ञान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।

वैदिक कालीन स्थिति

वैदिक-काल में पुत्री के जन्म पर होनेवाली प्रतिक्रिया की जानकारी प्राप्त नहीं होती है परन्तु ज्ञाना अवस्था ज्ञान होता है कि वेदों में पुत्र-सन्तान के लिए विशेष कामनाएँ की गई हैं।^१ वैवाहिक आशीर्वाद में नवदम्पति का जीवनभर पुत्र-पौत्रों के साथ खेलने को कहा गया है।^२ उस समय पत्नी से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह उत्तम तथा बड़े पुत्रों का जन्म देनेवाली हो। अथर्ववेद में भी वीर पुत्र की उत्पत्ति के हेतु प्राथमिक उपाय होते हैं।^३ यद्यपि वेदों में कन्या की प्राप्ति के लिए कामनाएँ दृष्टिगोचर नहीं होती हैं, किन्तु साथ ही समवे प्रतिक्रिया निन्दा के भाव का भी आभास नहीं मिलता है। अतः

१ Women in the Vedic Age, p. 2

२ द्वाळती पुत्रनप्तभिर्भोजमानो स्वगृह — ऋग्वेद १०।८५।४२

३ मुपुषा मुमगामति — व १०।८५।२५

४ मातं याति गम एतु पुमावाण इवगाथमः ।

आ वारा इ जायता पुत्रस्त दामास्य ॥

यह माना जा सकता है कि वैदिक-युग में पुरी की अवस्था दयनीय नहीं थी। प्रजासन्तान ने यह कह सकते हैं कि वैदिक युग में पुरी की दशा शावनाय नहीं थी किन्तु उत्तरी प्राप्ति उत्तम प्रिय नहीं होगी थी जिनका ही पुत्र था।^५

वैदिक सभ्यता में उपनयन पुत्र प्राप्ति की उत्कृष्ट कामना का प्रमुख कारण तत्कालीन समाज में व्याप्त सामंजस्य का अभाव था। अर्थात् लोग युद्ध में मृत हो जाते थे। यहाँ बच्चे पैदा होते थे, उन्हें बड़ा करवा पढ़ता था। आर्यों का सामना अनाथों ने अनेक बालकों से किया था कि तु अन्न में अनाथों का पराजित होता पडा।^६ अन्त में अन्न तोग बाहर में बांधे थे अतः इन बच्चों की भूमि पर अभिचार करने के लिए उन्हें युद्ध का सामान लेना पडा। योद्धा के रूप में आने वाला अर्थात् लोग तत्काल नवीन विजय का अभिलाषा करते थे, तथा अपना लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त वे धीरे धीरे पुत्रों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएँ करते थे।^७

सामंजस्य का अभाव ही सभी सभ्यता में पुरी की अवस्था उत्तम थी। तत्कालीन शिक्षा का द्वार लड़कों के समाज तक बंद था। अर्थात् भी युद्ध था।^८ विवाह के पूर्व युवती, युवक से स्वयंवर पूर्वक मिलती थी तथा प्रेमालाप करती थी। कल्पित युवतियाँ अपने सौन्दर्य से पूछी नहीं समझती थी।^९ उस समय अधिवाहित रह जाता था-या अर्थात् के लिए लक्ष्यस्वयं नहीं था। वेदों में ऐसी अधिवाहित कथाओं के अनेक उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपने पिता के घर में ही रहकर वादक्य प्राप्त किया।^{१०}

५ Women in the Vedic Age, p. 2

६ हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता, पृ० ३६

७ हिन्दू सभ्यता, पृ० ८२

८ प्राचीन भारतीय समाज पद्धति, पृ० १५५

९ हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता पृ० ५०

१० हिन्दू सभ्यता पृ० २३४

उत्तर वैदिक कालीन स्थिति

ब्राह्मण-काल में पुत्र प्राप्ति को धार्मिक महत्त्व दिया जाने लगा। ऋण मुक्ति के सिद्धान्त ने पुत्र प्राप्ति को पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए धार्मिक दृष्टि से आवश्यक बना दिया। शतपथ-ब्राह्मण में कहा गया है कि उत्पन्न होने ही मनुष्य देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा मनुष्यों का ऋणी होता है।^{११} ऐतिहासिक-साहित्य के अनुसार मनुष्य ब्रह्मचर्य, यज्ञ तथा प्रजा द्वारा क्रमशः ऋषि, देव तथा पितृ ऋणा से मुक्त होता है।^{१२}

सूत्र-साहित्य में पुत्र के धार्मिक महत्त्व को नाना रूप से वर्णित किया गया है। अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध एक श्लोक में कहा गया है कि पुरुष पुत्र से विविध लाजों की विजय करता है, पौत्र में उन लाजों का अन्त काल तक उपभोग करता है तथा पुत्र के पौत्र से आदित्य लोक को प्राप्त करता है।^{१३} इससे अतिरिक्त अथ दो धार्मिक विश्वासों का आधार पर भी पुत्र प्राप्ति पारलौकिक शान्ति के लिए आवश्यक बनलाई गई है। प्रथम कारण यह कि पुत्र, पिता को पुनः

११ ऋण इव जायत या मित । स जायमान एव दशम्य ऋषिम्य पितृभ्या मनुष्येभ्यः ।

—शत० ब्रा० १।७।२।१

१२ जायमानो व ब्राह्मणस्त्रिभिः ऋणैः जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्या यजेत दशम्य प्रजया पितृभ्य एव वा अनुणो य पुत्रा यज्वा ब्रह्मचारिणाथो ।

—शत० ब्रा० ६।३।१०।५

तुलना कीजिए—

अथ यजेत पञ्चानिच्छत । तत्र पितृभ्यः ऋण जायते ।

—शत० ब्रा० १।७।२।४

१३ पुत्रेण त्रीकाञ्जवति वीर्याणामत्यमं नृने ।

अथ पुत्रस्य वीरेण ब्रह्मस्याप्तानि विष्टाम् ॥

—बौ० ध० सू० २।९।६ व ध सू १७।५

विष्णुस्मृ १५।४६

नामन नरक से बचाना है ' तथा द्वितीय यह कि पितरों की आत्माएँ पुत्रों से पिण्ड एवं जल वा तपण पाकर सुखी एवं सन्तुष्ट रहती हैं ।''

पुत्र के उक्त धार्मिक महत्त्व से पुत्री उपेक्षा की पात्र बन गई । रामायण में पुत्रों को कष्टदायिनी बताया गया है ।'' महाभारत में तो कन्या को राष्ट्र का साधारण रूप ही कहा गया है ।'' कन्या के विषय में इस प्रकार के भाव ऐतरेय ब्राह्मण-काल में ही उत्पन्न होने लगे थे ।' कन्या को कष्टरूप मानने का प्रमुख कारण यह था कि उत्तर वैदिक-काल के अंत में कन्याओं के जीवन का एक मात्र उद्देश्य विवाहित हो जाना हो गया था । इतना ही नहीं, अपितु कन्याओं के विवाह के हेतु बड़े ही बड़े निधम भी बनाये गये थे । द्रौपदीयन धर्मसूत्र में कहा गया है कि मासिक धर्म की प्राप्त कन्या का तीन वर्ष तक विवाह न करने से कन्या के माता पिता या सरणवग भ्रूणहत्या के दोषी होते हैं ।'' पराशर के अनुसार १२ वर्ष की आयु तक कन्या का विवाह न करने से उमर पितर प्रत्येक माह में गिरनेवाले रक्त को पीते हैं । ° महाभारत में परिपक्वा वस्था का प्राप्त कन्या का विवाह न करनेवाले को ब्रह्महत्या का दोषी

१४ पुत्रान्नो नरकाद्यस्मात्पितरं प्राप्य सुत ।

सस्मात् पुत्र इति प्रीयते स्वयमव स्वयमुवा ॥ —विष्णुस्मृ० १५ । ४४

१५ एष्टया बहव पुत्रा गुणव ता बहुधुता ।

तथा व समवतानामपि कश्चिद् गुणव जन ॥ —रामा० २ । १०७ । १३

१६ कन्यापितृन् दुःखं हि सर्वेषां मानवादिशणाम् ।

न ज्ञायते च क कन्यां वर्यन्ति क यके ॥ —ब्रह्म, ७ । ९ । ६

१७ आत्मा पुत्र सखा भार्या कृच्छ्रं तु तृप्तिं किल ।—महा १ । १५६ । ११

१८ मत्वा ह आया कृपण ह दुःखिता —ए० ब्रा० ३३ । १

१९ त्रीणि वर्षाण्यन्तमपि य कन्या न प्रयच्छति ।

न सुभ्य भ्रूणहत्याय दोषमुच्छ्रयमणयम् ॥ —वी० ध० सू० ४ । १ । १३

२० प्राप्य तु त्रिंश वर्षे य कन्या न प्रयच्छति ।

मासि मासं रजस्तस्या पितृन् पितरो निगम् ॥ —१० स्मृ० ७ । ५

धत्ताया गया है।^{२१} फलम्बरूप सरदावर्ग के लिए कन्या का विवाह अत्यंत कष्टदायक समस्या बन गई थी। उक्त विवाहसम्बन्धी नियमों के कारण कन्या का विवाह करने के पूर्व सरदावर्ग को अपनी पुत्री के भविष्य की ओर ध्यान देने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता था। यही कारण था कि विवाह के अवसर पर कन्या का मातृकुल पितृकुल तथा पतिकुल तीनों ही सशयापन्न हो जाते थे।^{२२}

इस प्रकार बौद्धागमा के काल तक वैदिक-परम्परा के अनुयायियों की दृष्टि में पुत्र एवं पुत्री के बीच पर्याप्त भेद हो गया था। एक ओर यदि व्यक्ति पुत्र प्राप्ति से इहलोक तथा परलोक के प्रति निश्चिन्त हो जाता था तो दूसरी ओर वही व्यक्ति पुत्री के होने पर उसके विवाहसम्बन्धी गुल्मर उत्तरदायित्व से ग्रस्त भी हो जाता था। इसके अनिश्चित पुत्र यदि परिवार के लिए सहायक होता था तो पुत्री विवाह के अवसर पर माना पिता का धन लेकर सदा के लिए पराई हो जाती थी।^{२३} इसी से जनसाधारण में पुत्र प्राप्ति की सहज लालसा रहती थी। गमाधान, पुसवन, सीमंतोन्नयन एवं जातकम नामक संस्कारों के मूल में भी उसी लालसा के भाव निहित रहते थे।^{२४}

२१ आम्ना रूपमम्पना मन्वी सदस वरे ।

न प्रयच्छति य कन्या त विधाद् ब्रह्मपातिनम् ॥

—मन्व० १३ । २४ । ६

२२ मातु कुल पितृकुल यत्र धैव प्रदोमते ।

कुलत्रय सदा कन्या सशय स्याप्य तिष्ठति ॥

—रामा० ७ । ६ । १०

तुलना कीर्ति—मन्व०, ५ । ६७ । १६ य

२३ समवे स्वजनतु स्वकारिका सम्प्रदानश्रमयज्यकारिका ।

धौवनेऽपि ब्रह्मपाकारिका दारिका ह्यन्यकारिका पितु ॥

—ऐ० ब्रा० ३३ । १ का भाष्य

२४ अपव०, ३ । २३ । ३ व० स्मृ० १७ । १, गो० पू० सू० २ । ६ । ६-

१२ तथा २ । ७ । १५-१८

तुलना कात्रिए

The whole of the pumsavana ceremony and the

वैदिकम समुत्तमिमाय में जानव्य एत पन्ना उम ममर पुत्री के जम पर हावानी पतिव्रिया को व्यक्त करती है । पन्ना इम प्रकार है—एतार कामना प्रसेतित् भान्ना बुद्ध के पाग ताग है । उतो मम एत व्यति उो यर सदेश देता है कि राती मन्विना ने पुत्री को न म दिया है । म सभाचार प्रमेतित् के मा पा मिया कर दता है ।^{२५} किन्तु भावात् बुद्ध उमे मास्वा स्त ह्यु र्गते है कि कतिपय स्त्रिया भी बुद्धिमता, शीलवती, पतिव्रता एवं मास को सेवा म तत्पर हुआ करती हैं । इना ही तनी प्रखुन उम उरपर पुत्र दिशाआ को जीनाताला पार छाता है तथा राज्य के मुगालन म पुशाल हाता है । इसलिए हू राजू^{२६} आप का यह कतव्य है कि उसका समुचित पालन करें ।

mantras recited at the Garbhadhana ceremony reveal the keen desire of the ancient Aryans for male progeny. The implements used and the nakshatras selected for the samantounayana ceremony were to be of his male category. The object being, mainly and evidently to secure the birth of a male child. From the description of the Jatalama ceremony it is clear that it takes it for granted that a son has been born.

—Women in Manu and his Seven Commentators,
pp 11-15

२५ अथ सो अञ्जनरो पुरिषो रश्मो पगपिस्म कासलस्त उपकण्ठे आरो चसि— महिलना दव, देवी धीतर विजाता' नि । एव युते रात्रा पत्नेन कोसरा अनसमना अतीति ।
—समुत्त० १।८५

२६ इत्वी पि हि एकचिन्मा सम्पा पोरा जनाधिप ।
मेवाविनो सीडवनी, उस्सुदेश पति वता ॥
तस्मा या जायति पोषो मूरा हाति दिसम्पति ।
सादिता सुमगिवा पुत्ती रज्ज पि अगुतावती'नि ॥

उपयुक्त घटना से दो बाने स्पष्ट होनी हैं। प्रथम यह कि वैदिक-परम्परा के अनुयायियों में व्याप्त पुत्री के जन्म पर असन्तोष की भावना बुद्ध के समय तक अविच्छिन्नरूप से चली आई थी जिसके मूल में प्रमुख कारण सामरिक दृष्टिकोण था तथा द्वितीय यह कि पुत्र एवं पुत्रा में इस प्रकार की भेदभावभरी नीति का भगवान् बुद्ध ने विरोध किया था। उन्होंने बतलाया कि जिस सामरिक दृष्टि के कारण पुत्र को महत्त्व दिया जाता है उगका अस्तित्व परोक्षरूप से पुत्री में भी विद्यमान है।

आगम कालीन स्थिति

श्रमण-संस्कृति के विकास के साथ पुत्र एवं पुत्री के प्रति श्रमण स्नेह एवं घृणासूचक भाव समाप्त होने लगे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ने ही एक ओर तो पुत्र का महत्त्व प्रदान करनेवाले कारणों का भावना नहीं दी तथा दूसरी ओर क्याथा में स्वाभिमान एवं स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करने वाले सिद्धान्तों का प्रसार किया।

आगमों में पुत्र को किसी भी प्रकार का धार्मिक महत्त्व नहीं दिया गया है। उनमें ऋण सिद्धांत के अस्तित्व का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अतः स्पष्ट है कि दोनों (बौद्ध एवं जैन) ही सम्प्रदायों में, ऋण-ऋण से मुक्ति पाने के लिए पुत्र प्राप्ति आवश्यक है—इस बात की अपेक्षा की गई है। आगम साहित्य में पुत्र के महत्त्व की भावना से परिपूर्ण गर्भाधान, पुंसवन, गोमतीतयन एवं जातकम नामक संस्कारों का भी उल्लेख उपलब्ध नहीं होता है। इसी प्रकार उत (आगम) में तो पुत्र के द्वारा पिता की पुनः नामक नरक से रक्षा करने की चर्चा है और न ही पिण्ड एवं जल के तपण का ही उल्लेख है।

तथा यह है कि धार्मिक उत्कर्ष का प्राप्त करने के लिए दोनों ही सम्प्रदायों में गृहावास का छोड़कर अनगरावस्था में शुद्ध ब्रह्मचर्य के पालन पर ही जोर दिया गया है। अनगरावस्था में मैथुन ऐसा

भयकर अधार्मिक कृत्य बनाया गया है कि जिसे करके बौद्ध भिक्षु पारार्जिक तथा जैन मुनि मूल प्रायश्चित्त के योग्य दोष से दूषित हो जाता है।^{२९} अतः वे धार्मिक उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए अपनी स्त्री से पुत्र उत्पन्न कर उभयलाक सुधारने के सिद्धांत की कल्पना से भी दूर रहते थे। तात्पर्य यह कि वैदिक संस्कृति में उपलब्ध पुत्र का धार्मिक महत्त्व धम्मण संस्कृति में लुप्त हो गया।

बौद्ध तथा जैन आगमा में कन्या के विवाह के विषय में आग्रह सूचक नियमों का सर्वथा अभाव है। ऐसी कन्याओं के माता पिता जो अपनी पुत्री का विवाह करन में असमर्थ रहते थे, धार्मिक दृष्टि से भयभीत नहीं हुआ करते थे। कन्याएँ भी विवाह करने, न करने के विषय में अपने को स्वतंत्र समझने लगी थीं तथा आज्ञा अविवाहित रहने में किसी भी सामाजिक आक्षेप का अनुभव नहीं करती थीं।^{३०} फलस्वरूप विवाह के पूरे यह आवश्यक हो गया था कि पिता पुत्री से उसके विवाह की स्वीकृति ले।^{३१} कभी-कभी भार्वा पति भी कन्या में विवाहसम्बन्धी स्वीकृति लेने आता था।^{३२} पुत्री पिता या

२७ (क) यो पत्न भिक्षुं मयुन धम्म पटिसवय्य' अ तमसा तिरच्छानगताय पि पारार्जिका होत अस वासा ति । —पारा० प० २८

(ख) आउट्टिमाय पचिदियघात मेरूण म दप्पेण । —जो० क० ८३

२८ A woman no longer felt bound to marry to save her self respect and that of her family, but, on the contrary found that she could honourably remain unmarried without running the gauntlet of public scorn

—Women under Primitive Buddhism p 25

२९ उठ्ठादि पुत्तक । ि साचित्तं निद्रासि वाग्णवतिम्हि ।

राजा अनोकरत्तो अनिरुपा तस्त स्व दिग्गा ॥

—वेरो० १६।१।४६४

३० अनोकरत्तो ध आह । तुरित ।

मणिकनकभूमितद्गा कतञ्जला याचति सुमध ॥

—वो०, १६।१।४८४

अथ किसी व्यक्ति से प्राप्त विवाह के प्रस्ताव या सुझाव को स्वीकार या अस्वीकार करने में पूरा स्वतंत्र था। कभी-कभी माता पिता के अत्यधिक अनुरोध के बावजूद भी कयाए अपने विवाहसम्बन्धी प्रस्ताव को दृष्टता के साथ अस्वीकार कर प्रव्रजित हो जाया करती थी।^{३१} ऐसी कयाए प्रायः भिगुणी बन जाती थीं। उनका भिगुणी बनने का प्रमुख उद्देश्य घम एव दशन के सत्याका पान प्राप्त कर मुक्ति पाना था। यहाँ मह उल्लेखनीय है कि बौद्ध-युग में पुत्रों की अवस्था इनकी विकसित नहा हा पाई थी कि किसी कारण विनाप से आज्ञामन्त्रिवाहिन रहनेवाली कयाए का पिता के घर पारिवारिक जावन बिताने की सुविधा मिल सके।^{३२} जैन-युग तक उक्त परिस्थिति में सुधार हुआ। परिणामस्वरूप ऐसी कयाए जिनका विवाह शारीरिक सोदर्याभाव या अथ किसी कारण से नहीं हो पाता था,^{३३} उसम्मान पिता के घर रहा करती थी।^{३४} व माता-पिता की अनुमति

३१ अथ न भगवति सुपदा या उन्मिदिकाति भवपठमसाग ।

कयाए का शक्ति मरण वा म न च व वारध ॥

—व १ १६।१।४० ।

३२ (a) Now, on the day when she was to choose among her suitors Carabhuta her young Sakyan kinsman died. Then her parents made her leave the world again to her will.

—Psalms of the Sisters p. 22

(b) It would appear that Carabhuta would have been the object of her choice.

—Ibid, note 2

३३ बाला नाम शारिया हो वा बडहा बडहकुमारी जुग्गा जुग्गकुमारी पडियदुस दणी निन्दिक्खवरा वरपरिवज्जिमा वि शोत्था ।

—नाया० २।१।१५१

३४ त मा न तुम पुता । ओ, यमगतकण्या जाव शियाहि । तुम न पुता । मम महाणममि विपुल असण जाव परिमाणणा विररति ।

—व १ ११।१६।११८

पूवर नभी प्रश्रय्या लेनी थी जत्र उनका चित्त सामारिक जीवन से स्वयमेव विरक्त हो जाता था ।

पुत्र पुत्रोविषया इत परिचलित परिस्थितियों का प्रभाव उनके माना पिता तथा संरक्षकत्व के ऊपर पड़ा । परिणामस्वरूप वे गया के विवाहसम्बन्धी गुरुमर उत्तरदायित्व से निर्गन्धित रहने लगे । विवाह व त्रिपय म कया को मिनरी स्वतन्त्रता के कारण उनमें स्वायत्तम्यन एव आत्मनिष्पय की बुद्धि जागृत हुई । अत्र कयाए अपनी इच्छा के अनुरूप पति प्राप्त करने के लिए अपना मन व्यक्त करने लगीं ।^{१५} जैन-युग म तो कभी-कभी माना पिता कया के भावी जीवन के सुख को ध्यान म रखकर स्वयंके द्वारा उसे ही घर चयन का पूरा अधिकार दे देते थे ।^{१६}

इस प्रकार आगम-युग म एक ओर पुत्र प्राप्ति के धार्मिक महत्व की समाप्ति हो गई तथा दूसरी ओर पुत्री के प्रति तिभावे जानेवाले विवाह सम्बन्धी गुहार उत्तरदायित्व में उत्पन्न आतंक जाता रहा । फलत आगमा म पुत्र-पुत्री का भेदभाव अदृश्य हो गया । यद्यपि आगमों में भी सन्तान-व्यामना दृष्टिगोचर हानी है कि तु सन्तान पद से पुत्र विशेष का भाव परिलक्षित नहीं होता है ।

बौद्धागमा म 'पुत्ता' शब्द उपलब्ध होता है जिसका अभिप्राय

३५ तए ण अहं अम्ममाभा ! समारमउमिग्गा भोगा जम्ममम णाण
अच्छमि ण तु भो अन्नुप्राया ममाणी पञ्चत्तरा । अत्तापुं दराणोण ।
मा एद्विवधं वरंति ।

—ब ७ २।१।१५१

३६ Women under Primitive Buddhism p 29

३७ जसम ण जहं तुम पुत्ता ! रायस्त वा जुवगादस्त वा भारियत्ताए सयमव
अहं स्पामि तस्य ण तुम गुहिया वा दुहिया वा भवउत्ताति । तए ण मम
आव-जीसाणं िययं इह भविस्सइ । त ए अहं तव पुत्ता ! अज्जयाण
सावद विवगामि । अत्तापणं ण तुम द्वित्तं सयउरा ।

—नाया • १।१६।१२१

बिना किसी लिंगभेद के सन्नानमात्र मे है।^{३८} जैनागमा म स्त्रिया को अपन इष्ट दत्ताम्ना मे पुत्र या पुत्री की कामना करते हुए पाते हैं। इस प्रकार की कामनामा में 'दारग वा दारिय वा वास्याश प्रयुक्त हुआ है।^{३९} कहने का आशय यह कि आगम-युग म बिना किसी भेद के सतान ही मनुष्या की कामना का विषय बन गई।

बोद्धागमा मे उत्तरोत्तर कया का महत्त्व वृद्धिगत दृष्टिगोचर होता है। उत्तर-वालीन ग्रंथो म मनुष्या को कया के जन्म पर हर्षित होते पाते हैं। शेरगाथा के अनुसार उच्चिरी अपनी कया की मृत्यु पर अत्यधिक दुःखी होती है।^{४०} अट्टकथा के अनुसार उच्चिरी अत्यन्त सुदरी थी। अतः उसे कोमलराज के अतपुरभ म्यान मिला था। कुछ वर्षों म उसने एक कया ढूँई जिसकी सुन्दरता से हर्षित होकर राजा ने उच्चिरी को सम्मानित किया। कुछ दिना के बाद ही उसकी कन्या मर गई। अपनी कया की मृत्यु से विक्षिप्त उच्चिरी उस स्थल

३८ (क) नन्दति पुत्तहि पुत्तिमा ।

—समुत्त० ११७

(ख) पत्तद ररस अस्याय त्तिाय सुक्काय णति ।

—अगुत्तर० २।३१२

(ग) पुत्ता च म समानिया अरोगा ।

—सुत्तनिवाण १।२।२४

३९ (क) वह ण तुम दारग वा दारिय वा पयाएज्जासि ।

—जाया० १।२।४०

(ख) जइ ण अहं, देवानुप्पिया दारग वा दारिय वा पयामि

—विवाग० १।७।१३७

(ग) नो चच ण दारग वा दारिय वा पयायामि ।

—निरया० ३।११६

४० अचन्दी वन म सत्तल दुद्दस हण्य निस्सित ।

य मे सोकपरताय धोतुसोक व्यपानुदि ॥

—धेरो० ३।५।५२ ।

में उससे पिता के पास आनसाले विवाह प्रस्तावों का क्या शुद्धी चर्चा प्रायः पाई जाती है।^{१०}

बहने का नात्व यह कि उत्तर शीद युग एवं जैन-युग में पुत्रों का जन्म विपन्नता का विषय नहीं रह गया था प्रत्युत कुछ लोगों के लिए हीय का विषय था गया था। अपनी सुन्दर कन्या के कारण साधारण हस्तियन का ध्येय भी राजा का सम्बन्धी बन जाता था, ऋण का भुगतान कर लेता था तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी सम्पन्न ध्येयन के साथ कन्या का विवाह कर उससे अच्छी रकम भी ऐठ लेता था। इस प्रकार सामान्य परिवार के मनुष्य सुन्दर कन्या के जन्म पर गौरव का अनुभव करते थे।

धान्यायस्था

बचपन में लड़कियाँ लड़कों के साथ खेलती थीं।^{११} यौवनावस्था के चिह्न प्रकट होने के पूर्व तक लड़कों के साथ खेलने वाली लड़कियों के खेल के प्रमुख साधन कौड़ियाँ, चमड़े के घने एक प्रकार के गोल खिलौने, बस्त्र की बनी पुतलियाँ तथा गेद आदि थे।^{१२} यौवनावस्था में प्रवेश करने के पश्चात् लड़कियाँ लड़कों के साथ खेलकर अपनी सहूलियाँ के साथ खेलने लगती थीं तथा उनके

५० (क) जइ वि य ण सा सय रउज्जसुक्का ।

—नाया० १।१।७३ ७५ ७७

(ख) जइ वि सा सय रउज्जसुक्का ।

—विवाग० १।९।१७६

(ग) कि दल्लयामो भुटु च सुमालियाए ।

—नाया० १।१६।११५

५१ तए ण स दासचेहे बहूहि दारएहि म दारियाहि य डिभएहि य डिमयाहि य कुमारणि य कुमानियाहि य सद्धि अभिरममाण २ विहरइ ।

—नाया० १।१८।१३६

५२ तए ण से अणेगइयाण सुल्लए अवहरइ एव बहूए आडोलियाआ विदुसा पोत्तुल्लए साडालए ।

—वही १।१८।१३६

खेल का प्रमुख साधन गेंद रहा करता था। उस समय युवतियां पर इतना बड़ा बंधन नहीं था कि वे घर के बाहर न निकल सकें। वे राजपथ पर भा निर्भीकता पूर्वक विह्वलती थी।^३

कुलीनता एवं सदाचार

इस प्रकार स्वतंत्र वातावरण में रहनेवाली युवतियां से समाज इतनी आशा अवश्य करता था कि वे ऐसा कोई कार्य न करें जिससे उनका कुल कलंकित एवं समाज का वातावरण दूषित हो। पुत्री के जीवन में कुलीनता एवं सदाचरण का विशेष महत्त्व था। कुलीन परिवार के व्यक्ति पुत्र के लिए अपने समान कुल की ब्यांवा का बंध के रूप में लाना अधिक पसंद करते थे।^४ यही कारण है कि कुलस्त्री के तीन भेदों में एक कुलव्या भी है।^५ भले ही कोई ब्यांवा रूप, भोग, पाति एवं गर्भधारण करने का क्षमता रखती हो किंतु मान शील-हीन होने के कारण उसे पतिकुल में उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं होता था, यहाँ तक कि उसे कुल से निष्कासित भी कर दिया जाता था।^६

५३ (क) तए ण सा दवत्ता दारिया अन्नया ब्याइ ण्याया जाव विभुगिया बूहिं दुज्जां जाव परिक्खित्ता उप्पि आगामत्तम्ममि बणगतिद्वेषेण कोलमाणो विहरइ ।

—विवाग० १।६।१७४

(ख) तए ण सा सामा दारिया गयमग्गसि बणगतिद्वेषेण कोलमाणो चिट्ठइ ।

—अत्त० ३।८।४६

५४ सारिसण्णित्तो कुलेहिंता आणिएल्लियाओ भारियाओ ।

—मगवतीसूत्र, ६।३३।१६ तथा नाया० १।१।२८

५५ इत्थि कुलत्था विविग्ग पन्नत्ता तज्जहा—कुलवत्तया य कुलमाउया इ य कुलधूया इ य ।

—नाया० १।५।६०

५६ रूपवत्तेन च, भिवल्लवो मातुगामो समग्गता नेति, भागवत्तेन च प्रातिवन्नेन च पुत्तवत्तेन च, न च लीलद्वलेन नामन्तव न कुल न वाठेत्त ।

० ३।२२०

पुत्री की कुलीनता के संरक्षण का भार न केवल उसके माता पिता ही वहन करते थे अपितु उसमें परिवार का प्रत्येक सदस्य योगदान करता था। कितना ही प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह कुलक या के साथ दुर्व्यवहार करता था तो उसे समस्त समाज के कोप का भाजन बनना पड़ता था। कुलक या के साथ व्यवहार करनेवाले व्यक्ति का राजा द्वारा शिरच्छेद का दण्ड दिया जाता था।^{५७}

आगम साहित्य में तो कथा के प्रति किये गये दुर्व्यवहार का स्पष्ट उदाहरण नहीं मिलना है किन्तु घेरगाथा की अट्टकथा में एक स्थल पर कथा के प्रति किये गये दुर्व्यवहार की चर्चा है। चर्चा इस प्रकार है—एक परिवार साठिमत्तिय नामक भिक्षु पर विशेषरूप से प्रसन्न था। जब कभी भी वे भिक्षा को जाते तो परिवार की कथा उन्हें भिक्षा देती थी। एक दिन 'भार' उक्त भिक्षुका रूप धारण कर भिक्षा का गया तथा भिक्षा देने के लिए आई कुलकया का हाथ पकड़ लिया। यह देखाकर लोग अप्रसन्न हुए तथा उन्होंने भिक्षु का सत्कार सम्मान करना तब तक बंद कर दिया जब तक कि उन्हें वास्तविक स्थिति ज्ञात न हुई।^{५८} कुलकया भी गुरुजना के सामने अपराध के प्रकट हो जाने पर लज्जा से नतमस्तक हो जाती थी।^{५९}

कथा को समाज में पवित्र माना जाता था। दीपनिवाय में

५७ दिस्सति खा, गामणि इधेक्खो दह्हाय रज्जुया ण्विषण्णा नगरस्स गीस छिज्जमाना । अयं पुरिसां किं अक्खति ? अम्मा ! अयं पुरिसो कुलकयासु कुलकमारामु चारित्तं आपज्जिं तेन न राजातो गहेत्वा

—समुत्त० ३।३०३ ३०४

५८ अपेक्खिमं मारो घेरस्स रूपेण गत्वा तं दारिकं इत्थे अगह्मि । दारिकां नायं मनुस्सां ति अज्जासि इत्थं च मुञ्चापमि । तं दिस्वां परज्जो घेरे अप्पसां जनसि । पुनदिस्स घेरो तं वारणं अनवज्जं तां तं घरं अगमानिं । तत्थं मनुस्सां अनादरं अकमु ।

—परमत्थेत्थपिपा (घेर०की अट्टकथा बर्मी लिपि) पृ० ४६१

५९ तिगुजमाणो विव गुरुजणदिट्ठावरादा सुजणकुलकपपा —नाया० १।१।८५

'कुमारिपञ्च शब्द आया है'^{१०} जिसका तात्पर्य कुमारी के शरीर में देवता का अवतरण का उससे प्रश्न पूछने से है।^{११} स्पष्ट है कि देवताओं का अवतरण पवित्र स्थल पर होता है। अतः 'कुमारिपञ्च' पद से कुमारी का पवित्रतासम्बन्धी सामाजिक मायना चानित होती है। ऐसा परम्परा भारतवर्ष में आजकल भी कहीं-कहीं पचगिन है।

माता पिता एवं पुत्री

परिवार में पुत्री माता पिता के असीम स्नेह का प्राप्त करती थी। उन्हें अपनी कन्या को कभी भी कष्ट में दखना अभीष्ट नहीं था। विवाह करते समय वे इस बात का पर्याप्त ध्यान रखते थे कि उनकी पुत्री को पतिकुल में कोई कष्ट न हो। अतः माता पिता दूसरे परिवार से आनवाले कन्या के विवाहसम्बन्धी प्रस्ताव को तब तक स्वीकार नहीं करते थे जब तक कि वे इस बात से आश्वस्त नहीं हो जाते कि उस परिवार में उनकी कन्या का वैवाहिक जीवन शांति से व्यतीत होगा। अनात परिवार के सदस्यों द्वारा की गई कन्या याचना को केवल इसलिए टुकरा लिया जाता था कि वहाँ पुत्री के सुख का कोई निश्चय नहीं रहता था।^{१२} अतः अनात परिवार के व्यक्तियों को पुत्री तमी दी जाती थी जब वे किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा अपने परिवार की सस्तुति करवाते थे।^{१३} सस्तुति के आधार पर दी गई पुत्री को

६० दीप० १।१२

६१ कुमारिपञ्च इति कुमारिकाय शरीरे देवता आतारेत्वा पञ्चपुच्छन ।

—सुम० १।१७

६२ अहं स्वयं तुम्ह न जानामि—क वा इमं करुण वाति । वयं च मे एक धीतिका तिरागामा च गतव्यो नाहं दस्सामो ति ।

—पारा० पृ० ११५

६३ देहिमेत । अहं इमे जानामो' ति । सच, भक्ते धर्म्यो जानाति, दस्सामा ति

यदि पतिव्रत म गोर्द कष्ट हाता था तो पुत्री व माता पिता मस्तुनि कत्ता की तिना करत थे ।^{१५}

जैनागमा के ताल तर पुत्री वा माता पिता का अत्यधिक स्नेह प्राप्त होने लगा था । कभी-कभी पिता अपनी पुत्री का विवाह केवल ऐसे व्यक्ति में करता था जो उसके घर गुरु जामाता के रूप में जीवन भर रह सके । इसका कारण यह बताया गया है कि पिता पुत्री के दणभर के भी वियोग का सहन नहीं कर सकता था ।^{१६} जब गज सुवमाल ने सामा म विवाह न कर मुनि दीक्षा ले ली, तो सौमिल अपनी पुत्री व कष्टमय वैषम्य जीवन का स्मरण कर दुःखित हो गया

६४ एव दुग्गतो ज्ञानु अस्या उपाया, एव दुर्विपत्ता होनु अरुणो उपायो, एव मा सुग लभन्तु अरुणो उपायो मया म कुमारिका उगता दुर्विलता म सुग ल नि पायिकाय सम्मुया पापरन मसुरेन पापरन सामिक्ता' ति ।

—शही, पृ० १९७

६५ (क) एव खलु दशानुपिया ! सूमालिया दारिया एता मगत्र या इट्टा जाव किमग पुण पागणयाण । त ना खनु अह इच्छामि सूमालियाण दारियाए लणमवि विष्णज्जोग । स जणं दवाणुपिया ! सागरण दारए मम घरजामाउण भवइ ता ण अह माणदारागणम सूमालिय दल्पामि ।

—नाया० १।१६।११५

(ख) यह मरत्य ह कि एसी क्षत बहो व्यक्ति लगाते थे जिन्की बन्धा इच्छती तो स तान होती थी कि तु इस क्षत म निहित पुत्री के प्रति माता पिता क स्नेह को जन-युग की देन हो कहा जायगा । बल्कि युग में तो इच्छती बन्धा सतान से व्यक्ति केवल यहा आशा करता था कि जिस किसी प्रकार वह अपनी कथा का विवाह कर उससे उत्पन्न पुत्र (नाती) को प्राप्त कर ल जिससे उसका धार्मिक अपुण्य समाप्त हो जाय । उस समय उसका ध्यान पुत्री की अपेक्षा नाती की प्राप्ति में केन्द्रित रहता था । फलस्वरूप व्यक्ति जिस किसी प्रकार से इच्छती पुत्री का विवाह कर देना चाहता था किन्तु समाज म प्राप्त होने बन्धा के साथ विवाह करना निनाय माना जाता था ।

—श्रुत० २।१७।७ अथ० १।१७।१

धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १ पृ० २७१

तथा विद्वेषाग्निं स प्रज्वलितं हो उसने ध्यानस्थ मुनि गजमुकुमाल के सिर पर जलनी चिता के अंगारा को लाकर रख दिया। "घना सायवाह के घर चोर आक्रमण कर प्रभूत धनराशि तथा मुग्धा नामक कन्या को लेकर भाग गये। सार्धवाह ने नगर रक्षका से सहायता की प्रार्थना करते हुए कहा कि चोरों से जो धन प्राप्त होगा वह नगर रक्षकों को देकर तथा मुग्धा पुत्री को यह (सायवाह) ले लेगा नगर रक्षकों ने चोरों का पीछा किया तथा अग्रहृत धन पाकर वापिस लौट आये। किन्तु सायवाह अपने पाँच पुत्रों के साथ पुत्री की प्राण रक्षा हेतु दम्प्युराज चिलात का पीछा करते हुए धीरे-धीरे जंगल में भटकना रहा।"

उपयुक्त उदाहरणों से इसका सहज ही में अनुमान किया जा सकता है कि जैनागम-काल में माता पिता के लिए पुत्री कितनी मिय ही गई थी।

भाई-बहिन

बड़ा भाई अपनी छोटी बहिन का भरण पोषण एवं सरदाण पिता के समान ही करता था। पिता के अभाव में कन्या का भी अपने

६६ एतं न, भो, मे गयमूमाले कुमारे जण मम धूम सोम दारिय अदिदु दोमपइय कालवतिगि विपज्जहिता मण्डे जाव पव्वइए । तं मम सन्तु मम गयमूमालस्स कुमारस्स वरनिज्जायण जलतोओ विपदाओ पुत्तिय विमुयसमाण सयरज्जारे कम्मल्लण गेण्हइ, २ गयमूमालस्स अणगारस्स मय्यए पबिस्सइ ।

—अ० ३।८।१६

६७ त इच्छामि ज देवाणुप्पिया ! सुमुमाण दारियाए क्व गमित्तण । मुम्म स विपल धणकणम मम मुग्धा दारिया । तए ण ते नगरमुत्तिया त विपुल धणकणम गेण्हति २ जणध रायगिह तणेव उवागच्छति । तए ण ममे उत्सवाहे सुमुम दारिय चिलाएण अइवोमुह अवहीरमानि पासित्ताण पवहि पुत्तहि सडि चिन्नायस्स पयमगग्धिहि अणुगच्छमाण पिट्ठा अणुगच्छइ ।

—नाया० १।१८।१४२

बड़े भाई के सरक्षण में विवाहपर्यन्त जीवनयापन करने का अधिकार था।^{१८} जब कोई व्यक्ति पद्मज्या लेने को उद्यत होता था तो उससे रोजने के लिए उसके सम्मुख अनेक कारणों को प्रस्तुत किया जाता था। उनमें एक कारण छोटी बहिन के प्रति विवाहपर्यन्त उचित उत्तरदायित्व का निभाना भी रहता था अर्थात् पद्मज्या के इच्छुक व्यक्ति को स्मरण कराया जाता था कि अभी उसकी बहिन छोटी है। अतः पद्मज्या न लेकर उसके सरक्षण का भार वहन कर।^{१९} तात्पर्य यह कि सामाजिक एवं पारिवारिक दृष्टि से अग्रज को अपनी अनुजा के प्रति वैसा ही उत्तरदायित्व निभाना पड़ता था जैसा कि पिता पुत्री के प्रति निभाता था।

इसी प्रकार छोटा भाई अपनी बड़ी बहिन का वैसा ही सम्मान करता था जैसा कि पुत्र को अपनी माता के प्रति करना चाहिए। मल्लिदिन कुमार अपनी बड़ी बहिन मल्ली के साथ माता के समान ही व्यवहार करता है। एकबार वह चित्रगृह के परदे पर बने अपनी बड़ी बहिन के चित्र को साक्षात् बड़ी बहिन समझ कर लज्जा से नतमस्तक होकर वापिस लौट आया। जब धाई द्वारा यह ज्ञात हुआ कि वह बहिन नहीं अपितु बहिन का चित्र मात्र है तो मल्लिदिन ने शोधित होकर उस चित्र को बनाने वाले चित्रकार की जघा छिद्रवा कर उसे राज्य से निष्वासित कर दिया।^{२०}

६८ सचे कुमारिका भविस्वति सा पि ते ओवभागा भविस्वती'ति ।

—दीघ० २।२४६

६९ ससा ते सुट्टिडया इमा ।

—सुय० ३।२।३

७० एस ण मत्तो २ तिक्कट्ट लज्जिए धीद्विए विड्ढे सणिय २ पच्चोसक्कइ ।

तए ण अम्मधाई मल्लिदिन कुमार एव वण्णसी—नो खलु पुत्ता । एस मल्ली । एस ण मत्ताए चित्तगरएण तयाणुक्ख नि वसिए । तए ण मे मल्लिदिने तस्स चित्तगरस्स सहासणं छिद्रावेइ २ निविसय आणवइ ।

—नाया० १।८।७८

ननद भाभी

आगमा म नन (क-या) एव भाभी के पारस्परिक व्यवहार की विन्मृत धर्मा उपलक्ष्य नहीं होती है। ऋग्वेद में कुलवधू को ननद पर शासन करने का आशीर्वाद दिया गया है।^{७१} यही परंपरा आगमा म परिलक्षित होती है। माना पिता के जीवितकाल में पुत्री का सम्पत्ति के उपभोग करने में वही स्वतन्त्रता थी जो कि कुलपुत्र को हुआ करता थी। क-या अपने किसी भी कार्य के लिए दास-वर्मकरो या कौटुम्बिकपुरुषों की सख्त आज्ञा दे सकती थी। किंतु माना पिता के अभाव में क-या को अपने भाई एव भाभी के अनुरासन म रहना पड़ना था। यदि क-या को किसी कार्य के करने की इच्छा होती थी तो वह उस भाभी के सम्मुख प्रकट करती थी तथा भाभी ही अपनी ननद के कार्य को सम्पन्न करने की आना दास-वर्मकरा या कौटुम्बिकपुरुषों का देती थी। एकाद महावीर कौशाम्या पट्टसे। जयती भगवान् के पास जाना चाहती थी। अन उसने अपनी इच्छा को भाभी मृगावती के सम्मुख व्यक्त किया जिसे सुनकर मृगावती ने कौटुम्बिकपुरुषों को मन्वार के दशन को जाने के लिए रथ तैयार करने की आना दी।^{७२} इसमें स्पष्ट है कि माना पिता के अभाव म वधू परिवार की स्वामिनी बन जाती थी तथा कुलक-या को भाभी के प्रभुत्व का सम्मान करना पड़ना था।

७१ सम्राज्ञी वधुर भव सम्राज्ञी दध्या भव ।

ननादरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदवुपु ॥

—ऋग्वे० १०।२५।४६

७२ तथ ण सा जयती समणोवासिया इमोसे कहाए रुद्धटा समणो मियावति देवि कयात्री । सा मियावती कौटुम्बिकपुरिसे एव कयात्री मिय्यामेव भा । देवाणुपिया । रुद्धकरणजुत्तनोइम जाणप्यवर जुत्तामव उवट्टवइ ।

—मृगावतीसूत्र, १२।२।२

पैतृक सम्पत्ति का अधिकार :

पुत्री को अपने माना पिता की सम्पत्ति पर अधिकार था या नहीं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस विषय में निम्न उद्धरण उपयोगी प्रतीत होते हैं—

(१) पुत्रा समय म एव ब्राह्मण की दा स्त्रियां थी । एव को दम या वारह वप का एव लडका या तथा दूसरी गर्भवती थी । इतो मे वह ब्राह्मण मर गया । तव अस लडके न अपनी मां की सौत से यह कहा—जो यह धन घाय और सोता चांदी है, सभी मेरा है । तुम्हारा कुछ गहा है । यह मव मर पिता का तर्का (दाय) है । उमने ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली—तव तक ठहरो जब तक मैं प्रमत्त कर लू । यदि यह लडका हागा तो उसका भी आधा हिस्सा होगा, यदि लडकी होगी तो उसे भी तुम्हें पालना होगा ।”

(२) माना पिता पुत्र पर पाँच प्राण म अनुमत्ता करते हैं याम्य स्त्री से सम्यक् करात है, समय पावर दायज्ज निष्पादन करते हैं ।”^{७४}

(३) आयुष्मान् सुदिन्न की माना उससे बोली—तात सुदिन ! यह कुल ध्राट्य है । इसम प्रभूत स्वण एव रजत है, प्रभूत वित्तोपवरण एव धन घाय है । अत तात सुदिन, बीजक दो जिसमे हमारी अपुत्रव-सम्पत्ति को लिच्छवि लोग नहीं लें ।^{७५}

७३ यमिन्, भाति यत्र वा त मग्ह, नरिय तुग्हत्थ किञ्चि, पितु मे मोति, दायज्ज निष्पादेत्ते ति । एव वुत्ते सा ब्राह्मणा त माणवक एतदवाच—आपमेहि ताव तात याव विजायामि सचे कुमारको भविस्सति तरस पि एकत्तेसो भविस्सति; सचे कुमारिका भविस्सति सा पित आपभोगा भविस्सतीति ।

—दीप० २।२४६

७४ मातां पितरा पञ्चहं ठानहि पुत्त अनुमत्तां पतिरूपेण दारेण संयाजेत्ति, समये दायज्ज निष्पातेन्ति ।

—बही, ३।१४६

७५ तन हि, तात सुदिन बीजक पि देहि—मा ते अपुत्तव सापतम्य लिच्छवियो अतिहरामेसु ति ।

—पारा० पु० २३

उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध युग में पुत्री को माता पिता की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। उसे तो केवल भरण-पोषण करवाने मात्र का अधिकार था। पिता अपनी सम्पत्ति का उत्तराधिकार पुत्र को ही देता था। पुत्रहीन परिवार की सम्पत्ति पर अन्तना गत्वा शासक लिच्छवियों का अधिकार हो जाता था।

जैनागमों में प्राप्त एक प्रथा से भी पूर्वोक्त तथ्य की ही पुष्टि होती है। उस समय पुत्र एवं पुत्री दोनों ही स्नानादि कर पिता की चरण-वन्दना के लिए जाते थे। पिता चरण-वन्दना के लिए आए पुत्र का तो आदर करता था तथा उसे अपने आसन के आधे भाग पर बैठने के लिए आमन्त्रित करता था, किन्तु वन्दना को आई हुई पुत्री को अपनी गोद में लेकर स्नेह भर करता था।^{११} इस परम्परा में भी पुत्र को आधा आसन देने से उसके उत्तराधिकार एवं पुत्री को गोद में लेने से उसके भरण-पोषण का भाव व्यक्त होता है।

आगमा में ऐसे तो उल्लेख मिलते हैं जिनमें ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार देने की चर्चा है किन्तु ऐसा एक भी दृष्टांत नहीं मिलता है जिसमें कन्या के उत्तराधिकारी होने का संकेत हो।^{१२} थेरीगाथा में यद्यपि सुन्दरी नामक कन्या की मात्रा उससे कहती है कि तू ही सम्पत्ति

७६ (क) अमये कुमार १।१ पायवण्ण पणारेत्थ गमणाण । अत्तया मम
सणिए राया एज्जमाण पामित्ता मक्कारइ अट्टामणेण उवनिमतेइ
मत्तवमसि अग्धाइ ।

—नाया० १।१।१५

(ख) सा दावर्द्ध दुवयम्म रत्ता पायग्गहण करेइ । तए ण स दुवए राया
दावर्द्ध दारिय अके निवमेइ ।

—कनी, १।१६।१२१

७७ (क) जेट्ठे पुत्त सर्गहि २ रज्जहि ठावह ।

—वही, १।१।६६

(ख) तए ण मे आण्णे जेट्ठपुत्ते बुद्धुम्ब ठवेइ

—उपा० १।६५

की उत्तराधिकारिणी है।^{१८} किन्तु प्रसंग को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि इस कथन का मुख्य उद्देश्य पुत्री को प्रयत्न से रोचना मात्र था। वस्तुतः माता पिता की सम्पत्ति पर पुत्री के अधिकार के सम्बन्ध में कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिलता है।

कतिपय ऐसे भी उल्लेख प्राप्त होते हैं जिनके अनुसार सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए पुत्र पिता को कारागार में बंद कर देता है या उसकी हत्या कर देता है,^{१९} किन्तु ऐसा एक भी दृष्टांत प्राप्य नहीं है जिसमें उत्तराधिकार की लालसा से पुत्री ने कोई प्रयत्न किया हो। इससे भी माता पिता की सम्पत्ति पर पुत्री के अधिकार के अभाव का ही संकेत मिलता है।

इस प्रसंग में यह कह देना अनुचित न होगा कि बौद्ध एवं जैन धर्म से प्रभावित परिवारों में इस उत्तराधिकारसम्बन्धी नियम में क्षीयलता आ गई थी। यदि किसी कारणवश पुत्री विवाहित नहीं हो पाती थी या विवाहोपरांत पति-कुल से लौटा दी जाती थी, तो वह

७८ (क) सुम दायादिना कुल ।

—धरो० १३।४।३७

(ख) See also—The Position of Women in Hindu Civilization p 237

७९ (क) एव खलु अह सेणियस्त वापाएण नो सचाएमि सयमव रज्जसिदि करेमाणे विहरित्तए त सय सेणिय राम नियलवधण करत्ता अण्णाण महया २ रायामिसएण अभिसिञ्जावित्तए ।

—निरया० १।१।३५

(ख) अजातसत्तु पुत्तो त धातेत्वा उण्णामिभद्दको ।
रज्ज सोल्लवस्सामि कारसि मित्तकुम्भिको ॥
उदयमहपुत्तो त धातेत्वा अनुद्दको ।
अनुद्दस्स पुत्तो त धातेत्वा मुण्डनामको ॥

—महावघो, ४।१ २

सह्य अपने पिता के घर जीवनयापन करती थी। ऐसी अवस्था में पितृकुल वा कोई भी सदस्य पुत्री को भार स्वरूप अनुभव नहीं करता था।

धार्मिक अवस्था :

वैदिक-युग में नारियाँ को पुरुषों के समान ही धार्मिक-अधिकार प्राप्त थे। नारियाँ पत्नीरूप से पुरुषों के धार्मिक कृत्या में सहयोग प्रदान किया करती थी। अतः वैदिक-काल में पुत्री के लिए धार्मिक-शिक्षा का दिया जाना आवश्यक था।^{६०} उत्तर-वैदिक-काल में धार्मिक कृत्या की सम्पन्नता में नारी का स्थान पुरोहिता में ग्रहण कर लिया। इसका प्रभाव पुत्री को मिलनेवाली धार्मिक शिक्षा पर पड़ा। पुत्री को दी जाने वाली शिक्षा समाप्तप्राय हो गई। फलस्वरूप पुत्री का उपनयन संस्कार भी केवल रस्म मात्र रह गया। वास्तविक उपनयन संस्कार का अभाव में नारी धर्माचरण के अयोग्य हो गई। उसे गृह के समान माना जाने लगा।^{६१}

श्रमण-संस्कृति में धार्मिकदृष्टि से नारी को पुरुष के समतुल्य माना गया। नर एवं नारी दोनों को ही अनगारावस्था में साधना कर समानरूप में मुक्ति या अह्वयपद की प्राप्ति करने में समर्थ बताया गया।^{६२} नारी को धार्मिक क्षेत्र में पुरुषों के समान पुनः अधिकार प्राप्त

६० (क) हिंदू परिवार मामासा, पृ० १३२-१३३

(ख) प्राचीन भारतीय श्रमण पद्धति, पृ० १५७

६१ हिंदू परिवार मामासा, पृ० १३७

६२ (क) इष, गृह्यसूत्र, सामिको द्वौति धरिया ह्यस्स द्वौदि पाणातिपाठाप
टिविरता सोलवती कल्याणधम्मा

—अनुत्तर० २।६१-६२

(ख) अनासमा में एमो अनेक स्त्रियाँ की चर्चा आई है कि जिन पुरुषों के समान ही मुक्ति प्राप्त की है। मल्लो न ता स्त्री होकर भी तीर्थकर पत्नी प्राप्त की।

ही जाता पुत्री के जीवन के विनाश के विषय बरताने मिल्त हुआ। कारण, पुत्री-वगैरे का इस तरह धार्मिक अभिचार का सबसे अधिक उत्पादक साथ उपयोग किया।

क्याआम धार्मिक रीति का बीजागमण पारिवारिक जीवन से ही प्रारम्भ हो जाता था। इसका कारण यह था कि परिवार में पुत्री अपना माता के अनुशासन में ही रहती थी। माता पुत्री के भावों का ध्यान में रखकर उस धार्मिक आचार-विचार में प्रभावित किया करता थी। वह अपनी पुत्र का मितानी थी— तुम ऐसी उदारमनस बनना जैसा कि 'गुण्डु-नग हूँ है तथा एनी भिक्षुणी होना जैसी कि एसा एव उपासणा हूँ है।'^३

यही बात स्पष्ट कर देता था कि पारिवारिक-जीवन में माताआ द्वारा नयाआ के हृदय में धार्मिक-भावना उत्पन्न करने की प्रथा बौद्धागम में ही पाई जाती है जैसागम में नहीं। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि बौद्धागम के काल तक समाज में नारियाँ के प्रति उत्तर वैदिक ज्ञान-दृष्टिकोण विद्यमान था। अतः माताआ के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वे अपनी पुत्रियाँ का धार्मिक बानाकरण से प्रभावित कर दे जिससे विपत्ति काल में पुत्रियाँ धार्मिक जगत् का आश्रय ले विपत्ति से मुक्त हो सके। जैसागम के काल तक नारी जीवन विरहित हो चुका था तथा उनके प्रति उत्तर वैदिक-कालानुसार व्यवहार समाप्त हो गया था। अतः वे (नारियाँ) धर्म का आश्रय न लेकर भी जीवन सुख एवं शांति से बिना सकती थी।

क्याआ के हृदय में धार्मिक भावना उत्पन्न करने के लिए भिक्षुनी का सात्त्विक जीवन भी सहायक हुआ। जब भिक्षु परिवार में भिक्षा

८३ सदा भिक्षु उपासिका एक पीठर विषय मनाप एव आमाचमाता आमापथ्य 'तान्तिमा अथ्य भवाति पादिमा सु-उत्तरा च उपासिका। सचे अगारस्मा अनपारिय प वजसि तान्तिमा अथ्ये भवाति यान्तिमा एसा च भिक्षुनी उपप्लवणा वा'ति।

के हतु जाते थे तो कन्याएँ उन्हें भिक्षा देने में महत्त्वपूर्ण यागदान करती थीं। इन भिक्षुओं में सद्गुणा का देखकर पुत्री घम के प्रति श्रद्धालु हो जाती थी।^{८४}

कन्याएँ अपनी बाल्यावस्था में माताआ के उद्देश में धार्मिक आचार-विचार की जो रूपरेखा पानी थीं, अपनी युवावस्था में उसी का परिशीलन किया करती थीं। यदि उनका हृदय में घम के प्रति कोई शका जाग्रत होती थी तो उसका समाधानाथ वे धार्मिक महापुरुषों के समीप जाती थीं। बुद्धी नामक राजकुमारी एक नयनक स्पष्टीकरण के लिए पाँच सौ कुमारियाँ के साथ बुद्ध के पास गई थी।^{८५} जयन्ती ने महावीर के पाप जाकर गम्भीर तात्त्विक एवं धार्मिक चर्चा की थी।^{८६} प्रद्युम्न की कन्याआ कोमलता तथा छोटी कामन्दान भी बुद्ध के पास जाकर उनके दर्शन लिये तथा सन्तोष व्यक्त किया। इस समय इन कन्याआ ने बुद्ध के मन्मुख जा गायाएँ कही थीं वे पुत्री की धार्मिक बुद्धिक विकास के उत्तम प्रमाण हैं।^{८७}

८४ कम्मकामा अनलपा कम्मपट्टस्व कारजा ।

राग दाम पज्जति त मे समणा विवा ॥

—धरो० १ । २।२७५

८५ साह, भव भगवत पुञ्जामि—कथं रूपे हो मते सत्परि पसन्ना कायस्स भन्ना पर मरणा सुगतिं यत्र उपपज्जति, नो दुग्गतिं ?

—अगुत्तर० २।२०१

८६ भगवतोसूत्र, १२।२

८७ (क) सुनभव पुर आसि, धम्मो चक्रमुमतानुबुद्धो ।

साह दानि सक्खि जानामि मुनिनो देमपतो सुगतस्स ॥

—सयुत्त० १।२८

(ख) पाप न कयिरा वचसा मनसा
कायन वा विञ्चन स वलोड ।
कामे पहाय सतिमा सम्पजानो
दुक्खं न संवय अनत्यसहित ति ॥

—वही, १।२९

इसका प्रमुख कारण यह है कि शिल्पादि के शिक्षण का महत्त्व पुरुषों के लिए ही था, स्त्रियों के लिए नहीं। उस समय स्त्रियों के भरण पोषण को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता था।^{११} शिल्प एवं कला से विहीन व्यक्ति घर-घराना के अयोग्य समझा जाता था।^{१२} जन-माना-पिता पुत्र को उसके भावी जीवन के हित का दृष्टि से शिल्प एवं कला में विशारद बना देते थे। इसमें विपरीत कुलस्त्रियों प्रायः जीविकाप्राजन का वाय नहीं करती थी। यद्यपि जनानामा म कुच्छ ऐसी साधवाहिया (धावच्चा, भद्रा) के उल्लेख मिलते हैं^{१३} जो व्यापारादि की देख-रेख स्वतः करती थीं किन्तु इन उल्लेखों का अपवाद ही कहा जा सकता है। यतः कथाया को जीविकोपार्जन म आधारभूत शिल्पादि की शिक्षा नहीं दी जाती थी।

कुल-कथाया के भावी जीवन को सुन्दर बनाने के लिए यह आवश्यक था कि उन्हें पतिव्रत के आचार-विचार के अनुरूप आचरण करने में निपुण कर दिया जाय। अतः कथाया को पतिव्रत के योग्य सदाचरण की शिक्षा दे दी जाती थी।^{१४} स्त्रियों के लिए निर्धारित ६४ कलाओं पर दृष्टिपात करने से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है।^{१५}

११ अत्यि च म उत्तरि अवसिद्धि दारभरणाया ति । सो सता निगान लभय पामाज्ज

—श्लो० १।६२ मग्गिम० १।३३७

१२ इनरो जानामि पन किञ्चि सिप्प ति । न जानामि किञ्चि सिप्प ति । अजानतन सक्का घर आवसितु ति ?

—परमत्थदीपिनी (धेरी० की अट्ट०) प० २२१

१३ नाया० १।५।५८ अनु० ३।१७८

१४ यथाग्धि अगुसिट्ठा ।

—धेरी० १५।१।४०६

१५ (क) बोसिट्ठि महिलामुणे

—जम्बू० २।३०

(ख) तुलना कीजिये

—काम० पृ० ८३

एसी शिक्षा को, अपितु प्रभावशाली बनाने के लिए कभी-कभी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा भी शिक्षा दी जाती थी।^{१६}

बौद्धागमा में इस प्रकार की शिक्षा के विषय में स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। कथाया का यह मियाया जाता था कि व पति के पूज्य माता-पिता एवं श्रमण-ब्राह्मणा का आदर करें तथा धम्म्यागतो को धासन एवं उचक दाज सम्मानित करें।^{१७} वह पति के माता-पिता व उचन के पूव ही उठारर घर व समम्न कायों का सम्पन कराने में सन्निय सदुयोग कर। साग-भमुर का प्रणाम कर उनके चरण स्पर्श करे।^{१८} कुल व सभा सदस्या व प्रति सम्मान एव आत्मीयता प्रदर्शित करे एव पति व पाप्य एव बर्मररा व प्रति उचित व्यवहार प्रदर्शित करे। पति व आभ्य तरिज कायों म निपुणता एवं उमक द्वारा अजित धन के रण में दक्षता दिमाय। पति ने प्रत्येक काय का दासो के समान करे, आदि।^{१९}

ऐसी शिक्षा इसीलिए दी जाती थी कि न तो कथा पतिकुल लौगायो जाय, और न ही पति द्वारा दण्डित या ताड़ित का जाय।

आशय यह कि उस समय शिष्य एव कला का गान पुत्र व तथा पतिकुल के अनुरूप आचरण म दक्षता पुत्रा के भायो जीवन का सुखी बनाता था। अतः पुत्र का शिष्यादि की तथा पुत्री को पतिकुल के अनुरूप बनने का शिक्षा दी जाती थी।

१६ इमा म भत कुमारिया पतिकुलाति गमिस्सन्ति। आवन्तु अनुगामतु
ताम, भन भगवा, य तास अस्य णपरत्त हिताय गुमाया नि।

—अमृत्तर० २।३०३

१७ य स भतु मदो भविस्सति माता ति वा ते सबहरिस्सामा अग्गागत व
आसनाकन पटिपुत्रस्सामा ति।

—वही २।३०३

१८ सम्मुया सस्सुरस्स व साय पात पणाममुपगम्म। मिरसा करामि पा

—धेरी० १५।१।४०६

१९ अमृत्तर० ०।३०३-३०४, धेरी० १५।१।४०९-४१५

कुल-व मा को शास्त्रीय शिक्षा किस रूप में दी जाती थी तथा उसे कुल-व माए किस रूप में ग्रहण करती थी—इसका विस्तृत वर्णन 'शिक्षा' नामक उपविभाग में दिया गया है। अतः पुनरुक्ति के भय से यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

पुत्रीविषयक उपयुक्त समस्त विवरणों में संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि उत्तर वैदिक-काल में पुत्री के प्रति व्याप्त उपाशा एवं असन्तोषमूलक व्यवहार की बौद्धागमा में प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति एवं जैनागमा में समाप्ति पाई जाती है।



विवाह

वेदिक कालीन स्थिति
उत्तर-वेदिक-कालीन स्थिति
बौद्ध कालान स्थिति
जैन-कालीन स्थिति
गर्भव विवाह एवं वरमात्रा का अभाव
माता पिता-जा द्वारा विहित विवाह
श्रय निःश्रय विवाह
स्वयंवर विवाह
विवाह के अ्य प्रकार
अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह
विवाह का संश्र
विवाहयोग्य वय
वधू की योग्यता
वर की योग्यता
विधि विधान
पुनर्विवाह
विवाह विच्छेद
घटुपनित्व एवं वरुपत्नीत्व प्रथा
विवाह एव नारी



विवाह का मानव जीवन में विशेष महत्त्व है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के उपरान्त ही नर-नारी परिवार एवं समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करते हैं। ऐसे मानव-समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसमें विवाह का अस्तित्व ही न हो। अतः इसे समाज एवं परिवार की आधारशिला कहा जा सकता है।

यद्यपि विवाह नर एवं नारी दोनों के ही जीवन में परिवर्तन लाता है तथापि इससे नर की अपेक्षा नारी का जीवन अधिक प्रभावित होता है। विवाहापरांत नारी का जीवन के अनेक उतार-चढ़ाव दखने पड़ते हैं। अतः किसी भी समय के नारी जीवन की जानकारी के लिए तत्कालीन समाज के विवाह विषयक दृष्टिकोण का ज्ञान अपेक्षित होता है।

वैदिक-कालीन स्थिति

बौद्ध एवं जैन आगमा से पूर्व वैदिक-संस्कृति में प्रारम्भ से ही विवाह का विशिष्ट स्थान रहा है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के अध्ययन से पता होता है कि तत्कालीन समाज में विवाह का विकास हो चुका था तथा उसके लिए निश्चित पद्धति अपनाई जाने लगी थी। बधू का पाणिग्रहण करते हुए वर कहता था कि 'सौभाग्य के लिए मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ता हूँ, जिससे हम दोनों पूर्णसुख को प्राप्त कर सकें। देवताओं ने प्रसाद के रूप में तुम्हें मेरे लिए गार्हस्थ्य जीवन के लिए दिया है।' ऋग्वेद तथा अथर्ववेद दोनों में ही अग्नि से प्रजा

१ गृणामि त सोमयत्वाय इह त मया परया जरदष्टिवासा ।

मनो अयमा सविता पुरधिभह्य त्वाद्गार्हपत्याय देवा ॥

यह कि उपनिषद् काल में आश्रमों के सिद्धांत के विकसित हो जाने से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए विवाह का महत्त्व प्रदान किया गया तथा मूत्र एवं महाकाव्य-काल तक गृहस्थाश्रम अर्थात् तीन आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाने लगा ।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैदिक-संस्कृति में प्राचीन काल से ही विवाह को महत्त्व दिया गया है । वैदिक काल में यह महत्त्व बस सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से दिया जाता था किंतु कुछ समय के उपरांत धार्मिक दृष्टि से भी विवाह को महत्त्व दिया जाने लगा । उत्तर वैदिक-काल के अंत तक विवाह के विषय में धार्मिक दृष्टिकोण ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो गया । अतः धर्म प्रधान भारतीय समाज में विवाह अनिवार्य कृत्य बन गया । तात्पर्य यह कि वैदिक संस्कृति में विवाह को उत्तरात्तर अधिकाधिक धार्मिक महत्त्व प्राप्त होता गया तथा बौद्ध युग तक विवाह वैदिक संस्कृति के अनुयायियों के लिए अनिवार्य धार्मिक-कृत्य बन गया ।

बौद्ध कालीन स्थिति

बौद्ध युग में वैदिक संस्कृति में माय विवाह विषयक दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ । बौद्धागमों में विवाह के सम्बन्ध में दो शब्द मिलते हैं— आवाह तथा विवाह ।^{१३} लडके के हेतु उत्तम कुल से शुभ नक्षत्र में लडकी ले आना आवाह, तथा लडकी को किसी लडके के लिए उत्तम नक्षत्र में दे आना विवाह कहलाता था ।^{१४} आवाह-विवाहों में परिवार का प्रधान अपने लडके के लिए किसी कुल से लडकी माँग लाता

१३ (क) आवाहविवाहकाल अपरिपक्वा हाति

—दीप० ३।१४२

(ख) आवाहन विवाहन

—नी, १।१२

१४ आवाहन नाम इमस्स दारकस्स असुक्कुलता असुजनव्यत्तेन शारिक आनेया' ति । विवाहनं ति इमं दारिकं असुक्कस्स नाम दारकस्स असुजनव्यत्तेन देय एव अस्ता बुट्ठि भविस्सता' ति विवाहकरण ।

या या अपनी लडकी को किसी लडके के लिए दे आना था।^{१०} इस प्रकार बौद्ध युग में विवाहनिषेधक प्रमुख कृत्य लडकी का ले आना या दे आना मात्र था। जब लडकी लडके के लिए पत्नीरूप में मागी जाती थी तो उसे वारेय्य कहा जाता था।^{११} आवाह विवाहों में शुभ नक्षत्र का होना महत्त्वपूर्ण माना जाता था तथा इनमें जाति, गोत्र एवं मान का ध्यान रखा जाता था।^{१२} कन्या का लेने के पूर्व वर पक्ष के लोग इतना समझ लेते थे कि जिस कुल से कन्या लाई जा रही है वह उनके कुल के अनुत्प है या नहीं। इसी प्रकार कन्या का देने के पूर्व वर-पक्ष के विषय में भी समझ लिया जाता था। इस महत्त्वपूर्ण कार्य की सम्पन्नता के लिए परिवार का प्रधान अथवा लोग का भी सहयोग लिया करता था।^{१३}

किंतु विवाह के सम्प्रदाय में बौद्धागमों में न तो किसी राशि गिवाज का बंधन मिलता है और न ही किसी उत्सव विशेष का। उस समय विवाह सम्पन्न कराने के लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति (पुरोहितादि) का सहयोग नहीं लिया जाता था और न ही विवाहित दम्पति को आशीर्वाद दिया जाता था। इससे यह फलित होता है कि बौद्धों में

१५ (क) आवाहाति दारकस्स परकुलतो दारिकाय आहरण ।

—मम० भाग १ पृ० ५५१

(ख) विवाहोति अत्तनो दारिकाय परकुलपेसत ।

वही

१६ वारेय्यति न्य नो नारकस्स दारिक' ति दाचन

—मम० भाग २, पृ० ५५१

१७ यथ सो अम्बट्ट आरुक्का वा होति विवाहा वा जति आवाहविवाहा वा जेति एत्थेज कुच्चति आविवाहा वा इति वि वात्तवान्णे वा इति वि मान वादो वा इति वि

—शप० १।८६ ८०

विवाह को अनिवाय धार्मिक कृत्य नहीं माना गया अपितु उसे विरुद्ध पारिवारिक कृत्य के रूप में ही मान्यता दी गई। यही कारण है कि अशोक के शिलालेखों में प्राप्त धार्मिक कार्यों की सूची में विवाह का उल्लेख नहीं किया गया।^{१६} धार्मिक महत्त्व समाप्त हो जाने से विवाह बौद्ध धर्मावलम्बियों के लिए अनिवाय नहीं रहा। फलस्वरूप बौद्ध-परिवारों में बनिपय के माध्यम से भी विवाह न करने के निश्चय में सफलता प्राप्त की।

जैन-कालीन स्थिति :

जैन-युग में भी विवाह को पारिवारिक कृत्य के रूप में ही अपनाया गया। यद्यपि बौद्धागमा की भांति जैनागमा में विवाह के लिए आवाह एव विवाह शब्दों का प्रयोग उपलब्ध नहीं होता तथापि उनमें विवाह के उद्देश्य से कन्या को ले आने या दे आने के काफी उल्लेख मिलते हैं। जैना में भी विवाह के लिए शुभनक्षत्र को महत्त्व दिया जाता था तथा कन्या-पक्ष वर-पक्ष की कुलीनता एवं प्रतिष्ठा को प्रायमित्रता देना था। सामान्यतः समान या उच्च कुल में ही

१६ आह मातापितृभु सुसूक्ष्मविय हे मेव गत्त्व प्राणेशु द्रष्टव्यं सच वतश्चि स इम धमगुण पवतितविया

—द्वितीय लघुशिलालेख, अशोक के धमलेख पृ० ६४

सुलना कीजिए —

“There are no Buddhist ceremonies of marriage, initiation baptism or the like Marriage is regarded as a purely civil rite and the Buddhist clergy as such take no part in it This is probably the reason why Asoka, in his edicts on religion does not mention it

क्याए दी जाती थीं।^० जैना के विवाह में इनकी विवेचना थी कि उसमें निश्चय रीति रिवाज का प्रचलन ही गया था। फर्स्वरूप इनमें विवाह विशुद्ध पारिवारिक वस्तुव्यय रहकर सामाजिक कृत्य भी बन गया था। विवाह के उत्सव में परिवार के सम्पत्तियों के अनिश्चित मित्र-गण भी सम्मिलित होने लगे थे।^{३१} इतना सब होने पर भी जैना ने भी विवाह को अनिवाय धार्मिक-वस्तुव्यय के रूप में नहीं माना।

गर्भव विवाह एवं वरदान का अभाव

आगमों में वर्णित विवाह से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर लिखने के पूर्व यह स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि आगमों में गर्भव विवाह एवं वरदान के प्रचलन के सबूत नहीं मिलते हैं। आगमों के अध्ययन से जान होता है कि उनमें कहीं भी इस प्रकार के विवाह का उल्लेख नहीं मिलता जिसमें वर या कन्या के माता-पिताओं की सहमति एवं सक्रिय सहायता का अभाव हो। इसके विपरीत विवाह में वर या कन्या की अपना उनके माता-पिता का ही प्रभुत्व दृष्टिगत रहना है।^{३२} यद्यपि बौद्ध एवं जैन आगमों के आधार पर लिखे गये कुछ

२० (क) गार्हपत्य विवाहकरणवचनसूक्तम्—परिसर्गविता राजकुण्डेहिवा
आग्निलयाण रायवरकदादि

—नाया० १।१।२४ भगवतामूय ११।११।१८

(ख) तए ण कन्हाए २ अन्नया कयाइ गाण्णाम निदि तारियण्हाय
माय दुत्तना जेणइ तेयस्सिस्स पिह तणव उपायच्छइ पाट्टिक तारिय
नयल्लिपुत्तस्स मयमव तारियत्ताण ल्लयय ।

—नाया० १।१।१०१ तथा विवाग० १।१।१७७

२१ मित्तणाअपरिवुत्ते

—नाया० १।१।१०१ १।१।११५ विवाग० १।१। १७६

२२ (क) तए ण अग्गाणियरा पाणि पिण्णान्निमु ।

—नाया० १।१।२४, १।१।५८, १।८।६६

प्रथम गंधव विवाह का उल्लेख किया गया है^{२३} किन्तु उन उल्लेखा की पृष्टि के लिए प्रमाण आगम साहित्य से न लेकर टीका-साहित्य से लिए गए हैं। आगम साहित्य एवं टीका साहित्य के लेखन का समय संवधा भिन्न भिन्न है। यत्र साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब होता है, अतः यह सम्भव नहीं कि किसी भी साहित्य पर तत्कालीन समाज का प्रभाव न पड़े। अतएव आगम-साहित्य पर लिखे गये ग्रंथा में टीका साहित्य के प्रमाणा से पट्ट गंधव विवाह के उल्लेख आगम कालीन समाज की दृष्टि से प्रामाणिक नहीं कहे जा सकते।

इसी प्रकार आगमा म विवाह के हेतु घर को लान्या के घर जाने के उल्लेख नहीं मिलते हैं। इसके विपरीत उग्र आएं विवाहसम्बन्धी उल्लेखा से यही निष्कर्ष निकला है कि श्रमण मस्थिति से प्रभावित समाज म वर-यात्रा का आम रिवाज नहीं था। बौद्धागम पाराजिक मे आजीवन श्रावण करने पुत्र के लिए गणिना की पुत्री को मांगते हैं^{२४} जैनागमा म कलाद एवं दत्त साधवाह अपनी कन्याओं को वर-पक्ष के घर स्वयं देने जाते हैं^{२५} इसके अतिरिक्त एन ही दिन म अनेक कन्याओं के साथ मेघकुमार, महाबल, अणीयससेन आदि के विवाह के उल्लेख भी मिलते हैं, जो यही सिद्ध करते हैं कि वर विवाह के लिए कन्या के घर नहीं जाता था।

(ख) तए ण कलाए पाट्टिल साय दुक्कहा जेनेए तेयल्लिस्स गिहे तणेव उवागच्छइ ।

—नाया० १।१४।१०१ १।१६।११५ विवाग० १।६।१७८

२३ जन मूत्रा में विवाह क तान प्रकारा का उल्लेख मिलना है—वर और कन्या दोनों पक्षा के माता पिताओं द्वारा आयोजित विवाह स्वयंवर विवाह तथा गंधव विवाह।

—जन आगम साहित्य में भारतीय समाज पृ० २५३ तथा २६० २६१ तथा स्टुडोज इन दि मगवती सूत्र पृ० २११ २१२

२४ पारा० पृ० १९५

२५ नाया० १।१४।१०१ तथा विवाग० १।६।१७८

जैनागमा म वर को क्या के घर जाने क दो उल्लेख मिलते हैं । प्रथम उल्लेख के अनुसार विवाह के निमित्त अरिष्टनेमि ने वैभव के साथ क्या-पक्ष के घर को प्रस्थान किया था^{२१} तथा द्वितीय के अनुसार जिनदत्त का पुत्र सागर क्या सुकुमालिका के घर गया था ।^{२२} इन दोनो उल्लेखों के पूर्वापर प्रसंग पर नृष्टिपान करने से भी यही प्रतीत होता है कि विवाह के अवसर पर वर क्या के घर प्राय नहीं जाता था ।

प्रथम उल्लेख के पूर्व प्रसंग के अनुसार जब अरिष्टनेमिकुमार के लिए राजीमती को मागा गया तो राजीमती के पिता ने कहा कि यदि कुमार राजीमती को लेने मेरे घर आवे तो मैं उसके लिए अपनी पुत्री दे सकता हूँ ।^{२३} इस बचन मकुमार को क्या-पक्ष के घर आने पर ही क्या दिया जाने की शत से यही ध्वनि निकरती है कि वर के क्या के घर जाने का प्रचलन नहीं था अथवा इस प्रकार की शत का कोई प्रद्वन ही न उठता ।

इसी प्रकार द्वितीय उल्लेख के पूर्व प्रसंग से भी जिनदत्त के पुत्र सागर के सुकुमालिका से विवाह करने के लिए उसके पिता सागर दत्त के घर जाने का पृष्ठभूमि में निहित कारणविशेष का बोध होता है । जिनदत्त न सुकुमालिका की मुदरता पर मुग्ध होकर उसके पिता सागरदत्त के पास जाकर उससे सुकुमालिका को अपनी पुत्रवधू बनाने की इच्छा व्यक्त की । सागरदत्त ने पुत्री को देने में असमर्थाता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर सागर गृह-जामाता बनकर हमारे घर रहना स्वीकार कर तो सुकुमालिका का विवाह उसके साथ किया जा सकता है ।

२६ उत्तर० २२१६

२७ तए णं जिणदत्ते सागर दारम सागरदत्तस्स गिह उवणइ ।

—नाया० १।१६।११५

२८ अथाह जणञ्चो सीसं यासुण्व मण्डिडम ।

इहागच्छऊ कुमारो जा स कन्व दलामिह ॥

—उत्तर० २२१८

जिनदत्त ने घर जाकर अपने पुत्र का सम्मान घटाने से अवगत कराया। पुत्र मागर ने मौन में अपनी स्वातंत्र्य व्यक्त की।^{२९} अतः शुभ मुहूर्त में जिनदत्त मागर का लहर मागरदत्त के घर गया। यहाँ पुत्री की दे आने की भाँति पुत्र का दे आने का धाय सम्पन्न किया गया। कारण, पुत्र को गृह-जामाता वाहर समुगा म रहना था।

यद्यपि उपयुक्त दोनों उल्लेखों से पूर्व प्रमगा म घर के कन्या के घर न जान के प्रचलन की ही जानकारी होती है तथापि कुछ श्रयो में ही उल्लेखों के आधार पर इससे ठीक विपरीत निष्पत्ति निकाला गया है।^{३०}

तथ्य यह है कि उस समय पारिवारिक या सामाजिक दृष्टियों में परिवार का प्रधान ही प्रमुख भाग लेता था। उसी की सम्मति में सभी पारिवारिक एवं सामाजिक कृत्य सम्पन्न किए जाते थे। यत विवाह भी उस समय पारिवारिक तथा सामाजिक कृत्य मात्र था, अतः उसे सम्पन्न करने में प्रधान की ह्यसियत से घर या कन्या के माता पिता ही उल्लेखनीय भाग लेते थे। अतएव बौद्ध-जैन युग में ऐसे विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता था जिसमें माता पिता का सक्रिय सहयोग न रहता हो या पिता के रहते हुए घर स्वयं कन्या पक्ष से घर जाता हो।

विवाह के प्रमुख प्रकार

आगमा में उपलब्ध विवाहों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—

२९ तए ण जिणदत्त मागरदारए एव कयाभा एव खलु पुत्ता सागरदत्ते कयासी सागरदारए मम घरजामाउए भवइ ताव दल्ल्यामि । तए ण स सागरए एव वुत्ते समाण तुमिणाद ।

—नाया० १।१६।११५

३० माता पिता द्वारा आयोजित विवाह में साधारणतः घर कन्या के घर जाता था।

—जन आगम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० २५७

- (१) माता पिताप्रा द्वारा विहित विवाह (विना पैसा लिए) ।
- (२) ऋय विषय विवाह ।
- (३) स्वयंवर विवाह ।

माता पिताओं द्वारा विहित विवाह

लड़के के जावन के प्रथम विवाह को इस प्रकार में रखा जा सकता है । कारण, उस विवाह में लड़के की अपेक्षा उसके माता पिता ही प्रमुख रूप से भाग लेते थे । बाल भाव से उक्त तथा भाग करने में समय कुमार का उसने माता पिता समाज कुल से लाई गई कन्याओं के साथ विवाह कर देते थे ।^{३१} विवाह के पूर्व कुमार से विवाह के विषय में न तो कोई विचार विमर्श किया जाता था और न ही उसकी स्वाकृति ली जाती थी । कारण प्रथम विवाह के अवसर पर कुमार की बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं हो पाती थी कि वह विवाह के विषय में अपनी स्वयं प्र इच्छा या विचार रख सके । इसी पुष्टि माता पिता द्वारा विहित विवाह के कुछ ही दिनों बाद अनेक कुमारा द्वारा सासारिक जीवन का त्याग कर भिक्षु-जीवन में प्रवेश करने के उल्लेखों में होता है । य कुमार गृह त्याग के पूर्व या पश्चात् पत्नी के प्रति निभाए जाने वाले उत्तरदायित्व एवं प्रेमाचार का भावना में दूय होते थे ।^{३२}

३१ (क) तत्र ण सा थावच्चा गान्धर्वणी त दाग्ग भगममथ जाणिस्ता
बत्तोसाए अकुलवाल्याण एगन्धिसेण पाणि गण्ठावइ

—नाया० १।५।१८

(ग) तत्र ण महत्तल्ल उम्मुक्कवालभाव जाव अलभातममथ वियाणिता
पाणि गिण्ठाविमु ।

—मगवतीसूत्र ११।१।१९ १७

३२ (क) मत्तम० २।२८८ २८९ पारा० २६ आदि ।

(ख) माओ ले जाया । सरिनियाओजाव पयइस्समि । एव खल्लु अम्मवाओ
माणुस्सगा कामभोगा अमुई

—नाया० १।१।२८ १।५।१६ तथा मगवतीसूत्र, ६।३३, ११।११ आदि

यह बात दूसरी है कि विशुद्ध स्थिति की उपस्थिति में पिता अपनी पुत्र से विचार विमग्न कर विवाह के विषय में उसकी स्वीकृति ले लेते थे। जिनदत्त ने अपने पुत्र से विवाह विषय में स्वीकृति इसलिए ली थी कि विवाहोपरांत उसके पुत्र को अपनी समुराल में गृह जामाता के रूप में रहना था। अतः पिता ने विवाह के पूर्व अपने पुत्र से इतना जानना चाहा कि उसे गृह-जामाता के रूप में जीवन यापन करना स्वीकार है या नहीं।^{३३}

प्रथम चिक्रय विवाह

जिन विवाहों में शुल्क देकर कन्या प्राप्त की जाती थी या शुल्क लेकर कन्या दी जाती थी उन्हें इस प्रकार के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस प्रकार के विवाह की प्रथा का प्रचलन वैदिक काल में भी था।^{३४} मुत्तनिभान के उल्लेख से ज्ञात होता है कि बौद्ध-युग में ब्राह्मण स्त्री को खरीदते थे। आगमों में इस प्रकार के विवाह के काफी उल्लेख मिलते हैं।

बौद्ध एवम् जैन दोनों ही युगों में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी कन्या को शुक लेकर ही विवाह हेतु दिया करते थे। ऋषिदासी का दो बार विवाह किया गया तथा दोरा ही बार उसके पिता ने उसके बदले में शुल्क लिया।^{३५} मिलिन्दपञ्च में भी शुल्क देकर कन्या को लेने का उल्लेख मिलता है।^{३६} जैन युग तथा शुल्क देकर कन्या लेने की प्रथा बढ़ती हुई दृष्टिगोचर होती है। जैनागमों में वरपथ से भेजे गए अधिकांश विवाह विषयक प्रस्तावों में शुल्क की चर्चा देखी जाती है। विवाह-प्रस्ताव के साथ कन्या के शुल्क पर जिनासा करने पर

३३ दक्षिण—उद्ध० २९

३४ Vedic Index, 1 482

३५ न ब्राह्मणा अष्टममममु न पि भग्निय विणिगु त ।

—२।७।७०

३६ धेरो० १५।१।४२२

३७ माया० १।८ १४ १६ आदि, विवाग० १।६।१७७

कलाद ने कहा कि अमात्य तेनलिपुत्र ने पत्नी के निमित्त मेरे ऊपर जो वृषा की, वही मेरा शुल्क है।^१ इस प्रकार दत्त सायवाह ने भी शुल्क के विषय में कहा।^२ कलाद एवं दत्त सायवाहा के उत्तरों से यह आशय निकलता है कि उस समय कन्या के बदले में शुल्क लेने का प्रचलन था। किंतु इस प्रकार के शुल्क लेने या देने का कृत्य उस समय नहीं होता था जब कन्या लड़के के प्रथम विवाह के हेतु समान या श्रेष्ठ कुल का दी जाती थी।

इसके अतिरिक्त जब कोई अत्यधिक सुन्दर कन्या होती थी तो उसके साथ विवाह करने के लिए वैभवसम्पन्न परिवारों के पुत्र लालामित रह जाते थे। अतः विवाह का इच्छुक प्रत्येक राजपुत्र या कुलपुत्र कन्या का प्राप्त करने के लिए उसके माता पिता को कन्या शुल्क के रूप में अधिक से अधिक धन देने की इच्छा व्यक्त करता था। इस प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति का अस्तित्व बौद्ध-युग में था। कारण, गणराज्य में प्रत्येक वैभव-सम्पन्न व्यक्ति अधिकार सम्पन्न होता था। अनुपमा की अत्यधिक सुन्दरता पर मुग्ध राजपुत्रों तथा श्रेष्ठ पुत्रों को उसे प्राप्त करने की लालसा थी। फलस्वरूप उन सभी ने अनुपमा के पिता को उसके शुल्क के रूप में अधिक से अधिक धन देने की इच्छा व्यक्त की थी।^३ इसी प्रकार अम्बपाली को प्राप्त करने के लिए राजपुत्रों में बलह उत्पन्न हो गया था।^४ चूंकि अम्बपाली के माता पिता नहीं थे, अतः उसे प्रत्येक राजपुत्र शुल्क के स्थान पर शक्ति से प्राप्त

१८ एतच्च ण देवानुप्पिया । मम सुक्कं ज्ञानं तयाऽल्पुत्तं मम दारियातिमित्तणं अनुगमहं करइ ।

—जाया० १।१४।१०१

३९ विद्याग० १।६।१७७

४० देखिए—पुत्रो, उद्ध० ४७

४१ अथ न अभिरूपं त्स्वा सम्बद्धला राजकुमारा अत्तता परिगणं कातुकामा अञ्जमञ्जं कलहं अकमु ।

—परमत्पत्नीविनी (येरी० की अट्टकथा) प० २०७

करना चाहता था। कहने का आशय यह कि बौद्ध युगीन गणराज्या में अधिक सुंदर कन्या को प्राप्त करने के लिए उसके माता पिता को शुल्क दिया जाता था।

कालांतर में गणतंत्र की समाप्ति हो गई थी। फलस्वरूप बाद में अनेक गणराजाओं के स्थान पर प्रत्येक राज्य में सर्वाधिकार सम्पन्न एक व्यक्ति राजा होने लगा। वह राजा अपने अंतपुर को अधिक सम्पन्न बनाने के लिए सुंदर कन्या को शुल्क देकर ले लिया करता था। वाग्ण, सुंदरतम स्त्रियों से युक्त अंतपुर राज्यवैभव का आवश्यक चिह्न माना जाता था तथा उससे राजा अपने को गौरवाचित अनुभव करता था। अतः जब कभी वह अपने अंतपुर में स्थित स्त्रियों से अधिक सुंदर कन्या के विषय में सूचना पाता था, तभी उस कन्या को शुल्क देकर प्राप्त करने का प्रयास करता था।^{४२}

विवाह का यह प्रकार हिन्दू सभ्यता में भी उपलब्ध होता है जिसे आसुर विवाह कहा गया है।

स्वयंवर विवाह

जिन विवाहों में कन्या अपने पति का चयन करती थी उन्हें इस प्रकार में रखा गया है। यह प्रथा क्षत्रिय-युग में प्रचलित थी। इसमें क्षत्रिय कन्या या राजकुमारी चुनाव के लिए जाय पुरुषों में से किसी को भी अपना पति चुन लेती थी।^{४३} वैदिक साहित्य में इस प्रकार के

४२ त अथियाइत कस्नइ रपो वा जाव एग्मिए आगह णिठुपश्च जास्तिए ण इम मय आराह विह्वररायकन्नाण छिन्नस्स वि पायगुट्टगस्स इमे तव आराहे समयस्सइमपि कल्ल न अवइ । तए ण स जियसत्तू दूय सदाव" अइ वि य ण मा सय रज्जमुक्ता ।

—नाया० १।८।७६

४३ Self Choice the election of a husband by a princess or daughter of a Kshatriya at a public assembly of sisters

विवाहा से मिनते जुलते रीति रिवाजा का उल्लेख उपलब्ध हाना है। उस समय पुरुषा तथा स्त्रिया का अपने मन मे जीवनसाथी के वरण की स्वतंत्रता थी।^{४४} सूत्रकाल तक कयाओ की यह स्वतंत्रता समाप्त हा गई तथा उनके माता पिता ही वर का चयन करने लगे। यद्यपि रामायण तथा महाभारत म स्वयवर विवाह का विस्तृत वणन उपलब्ध हाना है^{४५} किन्तु वहां स्वयवर शब्द का म्द अथ स्वतंत्र रूप म पति का वरण नहीं है। प्राचीन भारत म स्वयवर की दो प्रणा लिया प्रचलित थीं—एक ता वह जिसम वधू एक नियत स्थान पर इट्टे हुए व्यक्तिया म से अपना रुचि के व्यक्ति का चुन लती थी। दूसरी वह जिसम पूव निर्धारित शर्ता को पूरा करनवाला हो कया व साथ विवाह करन का अधिकारी होता था। पहली प्रथा रामायण तथा महाभारत म उपलब्ध नहीं होती है। दूसरी प्रथा के विषय म अवश्य उल्लेख मिलत हैं,^{४६} किन्तु इसम कया की स्वतंत्र इच्छा का मिलकुल महत्व नहीं रहता था। जो स्वयवर म निश्चिन शत का पूरा कर लेना था, कया उसी के गले म वरमाला डालने को बाध्य होती थी।

बौद्ध आगमो में स्वयवर विवाह के अस्तित्व-सूचक उल्लेखा का अभाव है। बौद्ध-युग म एसी सुन्दर कया को जिसे चाहनवाले अनेक राजपुत्र तथा श्रेष्ठिपुत्र हान थे, भिक्षुणी या गणिका वनत दखा

४४ Vedic Index, 1 482

४५ रामा० २।११८ मत्ता० १।१८४

४६ (क) इत् प घनुह्यम्य सज्य य क्रुहत नर ।

तस्य मे दुहित्ता भार्या भविष्यति न सद्य

—रामा० २।११८।४२

(ख) इत् मय घनु कृत्वा सजरमिश्च सायक ।

अतोत्य लय या बद्धा त लघा मसुतामिति ॥

—मत्ता० १।१८५।११

गया है।^{५७} यह बात दूसरी है कि उस समय घर चुनते समय कन्या की इच्छा का महत्त्व दिया जाता था।^{५८}

जैनागम नायाधम्मवहाओ एव जानक अट्ठकया म स्वयवर विवाह के उल्लेख अवश्य मिलते हैं।^{५९} यद्यपि इन दोनों ग्रन्थों में महाभारत की पुरानी द्रौपदी पांडव से सम्बन्धित स्वयवर की घटना का तो मरोड कर पस्तुत किया गया है तथापि उन पर सूक्ष्म नृष्टिपात करने से तत्कालीन समाज में स्वयवर विवाह का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाना है।

नायाधम्मवहाओ के अनुमार राजा द्रुपद एव गन्ती कुन्तीदेवी की द्रौपदी नामक सुन्दर कन्या थी। तत्कालीन प्रथा के अनुसार एकवार जब द्रौपदी स्नान करके अपने पिता के चरण छूने आई, तो राजा ने गोद में लेकर उससे कहा कि यदि मैं किसी के लिए तुम्हें पत्नी के रूप में दूंगा तो तुम सुखी या दुःखी रहोगी, जिससे मुझे यावज्जीवन बच होगा। अब मैं स्वयवर का रचना करता हूँ। उसमें तुम जिसको चाहा, अपना पति चुन लेना।^{६०}

स्वयवर की रचना का निश्चय कर लेने के बाद राजा ने, उसमें सम्मिलित होने के लिए, अनेक राजाओं एव विशिष्ट व्यक्तियों को निमन्त्रित किया।^{६१} स्वयवर के लिए नगर के बाह्य नदी के समीप अनेक स्तम्भा वाले मण्डप का निर्माण कराया गया जिसमें क्रीडा करती

५७ (क) साह दिस्वान सम्मुट्ठ प वज्जि अवगाणि य।

—धेरो० ६।१।१२४ १२५

(ख) तम कलटवूपमपथ मग्गा कम्ममवादिना वाग्गिका सम्बेस होतु ति गणिका टान ठापेसु।

—परमत्थदापिनी (धेरो० की अट्ठकया) प० २०७

५८ देविया—पुत्री उट्ठ० १६

५९ नाया० १।१६।१२२ १२५, जा० ५।१२६

६० देविया—पुत्री उट्ठ० १७

६१ —नाया० १।१६।१२२

हई पुतलियाँ चित्रित की गईं ।^{१२} मण्डप के भूभाग को साफ कराने उसे समाजित कर लिएवाया गया । तत्पश्चात् सुगंध एवं मालाआ से उसे सुमज्जित किया गया । उसमें प्रत्येक व्यक्ति के नाम से अक्षित बौक आसन लगाय गये ।^{१३}

स्वयंवर में शामिल होने के लिए आए हुए व्यक्तियों के निवास आदि की राजकीय व्यवस्था की गई ।^{१४} स्वयंवर के लिए निर्धारित समय के एक दिन पूर्व उसकी घोषणा की गई तथा घोषणा में राजाआ से अपने नाम में अक्षित आसना पर बैठने का अनुरोध किया गया ।^{१५}

स्वयंवर के लिए निश्चित दिन तथा समय पर सभी राजाओं ने अपने अपने वैभवा के साथ मण्डप में प्रवेश किया । द्रौपदी ने भी स्नान कर जिन-पूजा की । तत्पश्चात् द्रौपदी का सर्वांगरारा से अलङ्कृत किया गया । अलङ्कृत हो जाने पर श्रीरत्न धाई के साथ अक्षरथ पर बैठकर स्वयंवर मण्डप में पहुँची । मण्डप में प्रवेश कर द्रौपदी ने सभी आगतुव राजाआ का दाना हाथ जोड़कर प्रणाम किया ।^{१६} तत्पश्चात् एक

१२ नगर बहिष्ठा गगाए मगान^{१२} अदूरमासत एग म^{१२} सयवरमडव करह
अणेगमसयसामिबिठु लीलद्विपमात्रिभजियाग

—नाथा १।१६।१२३

१३ सयवरमडव आस समज्जितावलित मरकटिभूय मचाइमचकलिय
करेह वट्टण रायम^{१३}माश पत्तेय २ नामकाइ आसणाइ २ए^{१३} ।

—नाथा० १।१६।१२३

१४ वामु^{१४}वपामावसाग पत्तेय २ आवासे वियरइ विपुठ असण
आवामयु माहरह ।

—वग

१५ कल^{१५} पाठपमायाए नाकईए सयवर भविस्सइ । त तुम्भ सयवरामडव
नामकेमु आसणेमु निसीयह

—वती

१६ करवल तति राजवरम^{१६}साण पणाम करइ ।

—वती, १।१६।१२५

सुन्दर माता को हाथा में लेकर वह गीटाघाई के पास आई। घाई में दण के सहार द्रौपदी को ममी राजाआ का परिचय किया। परिचय में माता पिता वंश मत्व गामर्ष्य, गोत्र, शानि, विक्रम, अनेक शास्त्रा का पाठुत्व शानि का वचन किया गया।^{५५}

पश्चिम पान के उपरान्त द्रौपदी ने पाँच पाण्डवा को अपना पति चुना। चुनाव के बाद दुपद राजा ने द्रौपदी एवं पाँच पाण्डवों का घर लाने का मविधि पाणिग्रहण मस्वार सपन किया, तथा विजुल प्रीनिदान दिया।^{५६}

स्वयवर के उपमुक्त सक्षिप्त वर्णा से स्पष्ट हो जाता है कि महाभाग के कथानक को पूरण दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। महाभारत में स्वयवर में कया घर को चुनने में स्वयंत्र नहीं था। फलतः वही स्वयवर का वास्तविक उपभोग करने में कया सर्वथा असमय थी, जब कि जैनागम में वर्णित स्वयवर में कया को इच्छा को प्रमुखता दी गई है। यह स्वयवर के पूर्वोक्त दो प्रकारों में से प्रथम प्रकार में आता है।

यद्यपि आगमा में वर्णित विवाहा को तीन भेदा में बाँटा गया है कि तु इमया उद्देश्य विवाहविषयक विशद जानकारी कराना मात्र है। वस्तुतः विवाह का एक ही प्रकार—वर या कया या दोनों के माता-पिताओं द्वारा विहित था किन्तु वर या कया के चयन की दृष्टि से उक्त तीन भेद विद्यमान हैं। प्रथम प्रकार के विवाह में वर या कया का चयन पूरण माता पिताओं के अधीन रहता था जबकि द्वितीय एवं तृतीय प्रकार के विवाहा में कया तथा वर के चुनाव में वर तथा

५७ अभापिउवससत्तसामरथगात्तत्रिककतिकति बहुबिदुआमममाहृणास्वजोवणगुण लावण्याकुलसोलशानिया कित्तण करइ ।

५८ तए ण दुवए राया पचश्ह पडवाण दायईण य पाणिग्गहण करावइ पीइणण दलयइ

कन्या प्रमुख भाग लेते थे। कन्या या वर के चयन के बाद शेष विवाह विधि जो कि जैनागमा में वर्णित है उनके माता पिता ही सम्पन्न किया करते थे।

विवाह के अन्य प्रकार

विवाह के पूर्वोक्त प्रकारों के अतिरिक्त, कुछ अन्य प्रकारों के भी उल्लेख मिलते हैं। एक स्थल पर रोती विलखती कन्या को दलपूवक उसका माना पिता से छान कर ले जाने की चर्चा आई है। 'यद्यपि उक्त कन्या का धनिक अधमण के घर से ले गया था किन्तु बाद में धनिक ने अपने पुत्र के साथ कन्या का विवाह कर दिया था। अन इस विवाह को आसिकरूप से हिन्दुआ द्वारा माय राक्षस विवाह के समान कहा जा सकता है। इसी प्रकार विवाह की इच्छा से चिलात दस्यु राज द्वारा सुपमा कन्या का अपहरण पेशाच विवाह की समानता रखता है।' यद्यपि इन दोनों प्रकार के विवाहों से सम्बन्धित अथ उल्लेखों का अभाव है, अतः इन्हें अपवाद ही कहा जा सकता है।

अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह :

वोद्गागमा में अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह सूचक क्षत्रियकुमार तथा ब्राह्मणकुमारी या ब्राह्मणकुमार एवं क्षत्रियकुमार के विवाहों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। 'श्रुति आगमा में क्षत्रिय-वर्ग को ब्राह्मण-वर्ग से श्रेष्ठ बनाया गया, अतः प्रथम युगल के विवाह को अनुलोम तथा द्वितीय युगल के विवाह को प्रतिलोम कह सकते हैं। जैनागमा में अनुलोम

५६ ओकडडति विलपति अचिन्त्वा कुलधरस्मा ।

—धेरी० १५।१।४४६

६० चिलाए चौरसणावई धणस्स सत्तवाहस्म गिह चाएइ सुसुम च दारिय गेहइ

—नामा० १।१८।१४१

६१ इय क्षत्रियकुमारा ब्राह्मणकञ्जाय सद्धि सवास कण्ठेय्य ब्राह्मणकुमारी क्षत्रियकञ्जाय सद्धि

—दीप० १।५४-८५

उपनयन होता है, ^{११} किंतु वह अप्राकृतिक घटनाओं से सम्बद्ध होने से महत्त्व हीन है। ^{१२}

इसके विपरीत आगम-कालीन समाज में गात्र रक्षित कन्या के साथ सुवाम करना अत्यंत घृणित माना जाता था। ^{१३} उस समय बहिन एवं पत्नी का पूणतया पयक्-मृषन् दृष्टि में देखा जाता था। जब प्रव्रजित पति अपनी पत्नी का 'भगिना' पत्र से सम्वाधित करता था, तो पत्नी के हृदय को बड़ा आघात लगता था और वह मुच्छित होकर मिर जाती थी। ^{१४}

फुफेरे ममेरे भाई-बहिना के बीच विवाह सम्बन्ध होने का भी यथेष्ट ही उल्लेख मिलने हैं। उदाहरण के लिए अजातशत्रु का जो विप्रसेनजित् का भानजा था, बजिरा (प्रसेनजित् का कन्या) के साथ विवाह हुआ था। ^{१५} ऐसी प्रथा आजकल भी दक्षिण भारत में प्रचलित है। चूनि आगमों से इस प्रकार के विवाह-सम्बन्धों की अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती अतः यह कहना उचित होगा कि आगम-कालीन समाज में इस प्रकार के विवाहों का प्रचलन अधिक नहीं था।

साधारणतया बौद्ध-युग में समान जाति एवं जैन-युग में समान कुल ही विवाह का क्षेत्र था तथा वर एवं कन्या के मार्ग में असमानता विवाह के लिए निर्णायक परिधि थी।

६६ लांगरुटे परे तम्मि सीहवाहु मराधिरा ।

रज्ज कारमि करवान महम्मि मोन्मीवलि ॥

—मत्तववा ६।३६

६७ बहा, ६।७-१०

६८ दक्षिण—उद्ध० ७८

६९ भगिनावापे नो अय्यपुत्तो रट्टपालो समदावरतो'ति ता तथेव मुच्छिता पवन्तिमु ।

—मज्झिम० २।२८६

विवाहयोग्य वय :

वैदिक काल में विवाह उस समय होते थे, जब लड़का तथा लड़की दाना ही अपने जीवन साथी को चुनने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेते थे।^{११} रामायण तथा महाभारत-काल में भी पूर्ण यौवनावस्था प्राप्त कर लेने पर ही विवाह किया जाता था।^{१२} किन्तु सूत्रकाल में सर्वप्रथम कयाओ की विवाहयोग्य वय में ह्रास हुआ।^{१३} सूत्र साहित्य में १२ वर्ष की आयु तक कयाओ का विवाह करना आवश्यक बतलाया गया।^{१४}

बौद्धागमों में एक ओर यदि छोटी उम्र में कयाओ के विवाह के उल्लेख मिलते हैं^{१५} तो दूसरी ओर पूर्ण यौवनावस्था को प्राप्त कयाओ के भी विवाह की चर्चा उपलब्ध नहीं है।^{१६} इसका प्रमुख कारण यह था कि सूत्र-काल में कयाओ के विवाह की वय में जो ह्रास हुआ था

७१ तुलना काजिए —

Marriage in the early Vedic texts appears essentially as a union of two persons of full development

—Vedic Index 1 474

७२ पतिसयामसुत्तम वया दृष्टवा तु मे पिता ।

—रामा० २।११६।२५

तुलना काजिए — हिंदू संस्कार प० २३७

७३ Vedic Index, 1 475

७४ देविए—पुत्री उद्ध० २० २१

७५ (क) या पत्न भिक्खुनी ऊल्लङ्घानसवस्स मिहिगत बुद्धापेय्य

—पाचि० पु० ४४१

(ख) पञ्चिमानि, भिक्खव आशिनवानि मानुगामो षडरो व समाना पतिकुल गच्छति

—सयुत्त० ३।२१२

(ग) देविए—पुत्रो उद्ध० ४८

७६ अथ शीलमम वस्से दिस्वा म पत्तजो-अन वञ्ज ।

ओरु-धत्तस्स पुत्तो

—धेरी० १५।१।४४७

उमरा प्रभाव बौद्ध-युगीन समाज में विद्यमान था। अतः उमरा भी १२ वर्ष की आयु कालीन ही विवाहयोग्य वय थी। इनके विपरीत बौद्ध धर्म से प्रभावित परिवारों में कालिका की विवाह-वय में वृद्धि हुई। यही कारण था कि नतिपय कालीन विवाह व प्रत्याव का उदय दिया करता था। अतः हमने बौद्ध युगीन समाज में यथा ही प्राप्त कालिका का विवाहयोग्य वय के प्रति विद्रोहात्मक प्रवृत्ति परिलक्षित होता है। जैनागमा में बाल्यभाव से उद्युक्त कुमार के साथ समाज वय की कालिका के विवाह व उत्प्रेषण मिलते हैं।^{१३} इत्यादि ही जहाँ अपितु उक्त समय बाल्यावस्था में ही यदि किसी कालिका का वरणा कर लिया जाता था तो उक्त परिदृश्य में तब तक कालिका रूप में ही रहना जाना था, जब तक कि कालिका बाल्यावस्था को प्राप्त न कर ले।^{१४} इनसे स्पष्ट हो जाता है कि जैन युग तक कालिका का विवाह-वय में पर्याप्त वृद्धि हो गई थी।

जहाँ तक वर की वय का प्रश्न है, इस बात में नहीं कहा जा सकता है। कारण, पुरुष-वय अपने जीवन में अनेक विवाह करते थे। प्रथम विवाह १ अवसर पर वर बाल्यभाव को छाहकर भोग करने की सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता था। प्रथम विवाह के अन्तर अथ विवाह पुन्यवर्ग करणा ही रहता था। अतः कालिका समाज वर की विवाहवय का निर्धारण करना सम्भव नहीं है।

बधुकी योग्यता

बौद्धागमा के अनुसार यही कालिका बधु के योग्य मानी जाती थी जो माता, पिता या दोना से रहित न हो। इनके अनिश्चित भाई, बहिन, मामा, भोजन तथा धर्म से रहित न होने वाली कालिका भी बधु के योग्य होती थी। पतिव्रत तथा गणदिष्ट (जिनके साथ सभाग दण

७३ उम्मुक्कबालभावं सरिक्कवाणं व नान पाणि गिण्हारिमु।

नीय हो) स्त्रियाँ तथा वे क-याएँ जिनकी मगनी हो जाती थी, वधू के योग्य नहीं मानी जाती थी।^{६०} वधू बनने के लिए क-या को शीलघटा होना भी आवश्यक था। शीलहीन क-या को विवाह के बाद पतिकुल से हटा दिया जाता था।^{६१}

जैनागम काल तक उक्त योग्यताओं के अतिरिक्त सु दरना भी वधू बनने के लिए आवश्यक हो गई। ऐसी क-याएँ जिनमें साँ दय का अभाव रहता था, अविवाहित ही रह जाती थी। वे क-याएँ ही, जो शोभा, वय, त्वचा, लायण्य, रूप, यौवन आदि गुणा में घर के समान हानी थी, वधू बनाई जाती थी। इसके साथ ही क-या का अविधवा होना वधू बनने के लिए आवश्यक होता था।^{६२}

घर की योग्यता

जैसा कि अ-यत्र कहा जा चुका है,^{६३} आगमवालीन समाज में शिल्प एवं कला का ज्ञान घर की प्रमुख योग्यता मानी जाती थी। कारण तत्कालीन समाज में जीविकोपार्जन करना पुरुष वर्ग का कर्तव्य था तथा उसे वही व्यक्ति कर सकता था जिसे शिल्पादि का ज्ञान होता था। शिल्पादि के ज्ञान से विहीन व्यक्ति जीविकोपार्जन करने की क्षमता में अक्षम रहता था। अतः क-या के माता पिता अपनी क-या को देने से पूर्व यह देख लिया करते थे कि जिसे क-या दी जा रही है, वह शिल्पादि का ज्ञान रखता है या नहीं।^{६४}

७६ या सा पातुरविक्षता पितुरविक्षता मातापितुरविक्षता भ्रातुरविक्षता भगिनी भगिनिरविक्षता आतिरविक्षता गातरविक्षता धम्मरविक्षता, सरसामिका सपरिच्छा अतममा माअगुल्लपरिरविक्षतमापि तथास्सामु चारित्त आप जिअता होति । एव सा गणपत्या कायन अधम्मचरियाविममचरिया हाति ।

—मज्झिम० १।३५० पारा० ५०२००-२०१

८० देखिए—पुत्रा, उद्ध० ५६

८१ सरिसियाण सरिव्वयाण सरित्तयाण अत्रिचवहूआववणमणमुजापएहि
—नाया० १।१।२४

८२ देखिए—पृ० ३२-३४

८३ देखिए—पुत्रा उद्ध० ९२

जैतागम-कान म भी गिल्प एव कला म विशारद हाना घर के लिए आवश्यक था । इसी कारण माता पिता अपने पुत्र का विवाह तभी करते थे, जब व यद् जान लेंते थे नि उनका पुत्र जात्रिसोपाजन के लिए आवश्यक कला आदि म निपुणता प्राप्त कर चुका है ।^{१५}

असके विपरान बुआरी हाना घर की सत्रमे बड़ी अयाग्यता समझी जाता था । बुआरी को कया न देने का प्रमुख कारण यह था कि उनमें पत्नी के भरण-पोषण का क्षमता नहीं रहती थी ।^{१६} फलत बुआरी को कया देन से कया म साथ-साथ बुआरी जामाता के भरण-पोषण का भार भी कया क माता पिताओं को वहन करना पटना था । इतना हा नहीं, अपितु बुआरी जामाता से यह शका रहती था कि कही वह अपनी पत्नी को जुए की बाजी पर न लगा दे ।^{१७}

गिट्टा एव कुलीनता नी घर का याग्यता माना जाती थी । गज सागर निमा स भी बिना कुछ कहे-सुने मुकुमालिका को छोडकर भाग गया तो मागरदत्त (मुकुमालिका के पिता) न जिनदत्त (सागर के पिता) से मागर के अकुलीन आचरण पर गम्भीर क्षोभ व्यक्त किया ।

८४ तप्त म मन अम्मापयग मद्द कुमार वावत्तरिकलापक्षि जात्र विवाहचारों जाय

—नाया० १११२३

८५ छ मा म गन्पति पुत, आत्मानवा जूनप्यमा टगनानुयाग आवाहविवाह कान अपरिचिता हाति—अवधधुत्तो अय परिसपुगला नाल दारभर नाया' ति ।

—दीप० ३१४१-१४२

८६ अवधधुत्ता पठमनव कतिगहन पुत पि जीवेध, गर पि जायय

—मज्जिम० ३१२४०

८७ किन्त एय जुता वा पत्त वा कुलापुम्ब वा कुलसरिस वा जण्य सागरए दारए सुमालिय दारिय विष्णजहाय इहमागए ।

—नाया० १११६११७

विधि विधान :

बौद्धागमा म विवाह की विधि का उल्लेख नहीं मिलता है । पत्नी के विषय म प्राप्त उल्लेखों के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि विवाह के निमित्त कया को माला पहनाई जाती थी।^{८९} यह कृत्य मगनी या सगाई के अग्रमर पर किया जाता था । कया को देते या लेते समय शुभ नमन का ध्यान अवश्य रखा जाता था । कारण, उस समय यह धारणा थी कि शुभ नमन म दी गई कया की वृद्धि होती है।^{९०}

जैनागमो में विवाह की विधि का विस्तृत वर्णन मिलता है । विवाह के निमित्त वर या कया-पक्ष के घर जाने के पूर्व कया या वर स्नान कर कोतुक, मगल एव प्रायश्चित्त सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करता था । तत्पश्चात् सर्वालकार से विभूषित कया या वर को शिविका म बिठाकर परिवार एव कुटुम्ब के सदस्य अपर-पक्ष के घर जाते थे । वहाँ वर एव कया को एक ही पट्ट पर बिठाकर स्वत एव पीत कटशो से उनको स्नान कराया जाता था । तत्पश्चान् अग्निहोम कर वर कया का पाणिग्रहण करता था । विवाह सम्पन्न हो जाने के बाद आगतुक व्यक्तिया को भोजन कराकर यथायोग्य सम्मान के साथ विदा किया जाता था ।^{९०} इस प्रकार जैन-आगम-कालीन विवाह-पद्धति वैदिक कालीन विवाह पद्धति से अधिकांशतः साम्य रखती थी।^{९१}

विवाह के उपरांत वर-वधू को प्रीतिदान (दहेज) भी दिया जाता

८८ मालागुच्छपरिचरित्ता ।

—पारा० २०१, मञ्जिम० १।३५०

८९ दसिए—उद्ध० १४

९० नाया० १।१४।१०१, १।१६।११५

९१ तुकना काजिए —

The bridegroom having caused the bride to mount a stone, formally grasped her hand, and led her round the household fire

था। इसमें वर-वधू की जीवनोपयोगी वस्तुओं के अतिरिक्त सुवर्ण, हिरण्य आदि भी रहता था। विश्वामित्र ने यह भी कि इस प्रकार का प्रीतिदान वर का पिता दिया करता था।^{१२}

पुनर्विवाह :

आगमनालीन समाज में नारिया के पुनर्विवाह का प्रचलन आशिक्ष रूप से था। कारण, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण-वर्गों में उक्त प्रचलन का पूर्णतया अभाव था, जबकि श्रेष्ठी एवं निम्न-वर्गों में यह पाया जाता था।

आगम-साहित्य में ऐसा एक भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्षत्रिय एवं ब्राह्मण-वर्गों की स्त्रियाँ पति से विहीन होने पर पत्नी के रूप में द्वितीय पुरुष के पास जाती थी। महागाविद ब्राह्मण ने प्रव्रज्या लेने के पूर्व अपनी चालीस पत्नियों में से प्रत्येक के लिए यह अधिकार दे दिया था कि यदि कोई पत्नी पर-पुरुष को अपना पति बनाना चाहे तो उसे (पर पुरुष को) खोज ले, किंतु एक भी पत्नी ने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया।^{१३}

इस विषय पर जैनागम अतगडदसाओ एवं धेरीगाथा की अट्टकथा के आधार पर लिखे ग्रंथ में उपलब्ध निम्नाक्त ७ उल्लेख और अधिक प्रकाश डालते हैं। प्रथम उल्लेख के अनुसार गजसुकुमाल का दीक्षा से, उसका विवाह के निमित्त लाई गई ब्राह्मण कन्या सोमा के वैवाहिक जीवन की समाप्ति हो गई। जिसका स्मरण कर सोमिल ब्राह्मण ने क्रुद्ध होकर राजा की अनुजता का ख्याल न कर गजसुकुमाल की हत्या

१२ तय ण तस्स मेहम्मं धम्मपिमरा इम एथाम्ब पीइण्ण दलयति

—नाया० १।१।२४ अन्त० ३।६।२२ भगवतीसूत्र, ११।११।१८

१३ गच्छन्तु ब्रह्म वा मत्तार परिवसन्तु । इच्छामह, माता, अगारस्मा अनया रिय पञ्चजित्तु । त्वञ्जेव ना जाति जातिकामान त्व पन मत्ता मत्तु कामान । मय पि अगारस्मा अनगारिय पञ्चजिस्मान ।

कर दी।^{१४} द्वितीय उल्लेख के अनुसार अभिषेका तथा को समकी इच्छा के विरुद्ध तत्रत स्मल्लिए प्रसन्न्या लेन क लिए विधन किया गया था कि शाक्यकुमार चरभूत, जिसके साथ उमरा विवाह हुआ था, मर गया था।

उक्त उल्लेखा से यह स्पष्ट हो जाता है कि आगम-भालीत क्षत्रिय एवं ब्राह्मण-वर्गों में केवल विवाहित स्त्रियाँ ही पुनर्विवाह निषिद्ध था। अपितु ऐसी क याआ का भी विवाह निषिद्ध था जिनकी मगनी हो जाने के उपरांत भावी पति सरार त्याग दना था। यही कारण है कि राजपुत्रों के साथ विवाह के लिए आई गई क-या-आ को अविधवा होना आवश्यक था।^{१५}

इसके विपरीत श्रेष्ठा एवं निम्न-वर्गों में स्त्रियों के पुनर्विवाह के सम्बन्ध में उल्लेख मिलते हैं। एक उल्लेख के अनुसार जब प्रसन्नित होने के पूर्व उग्र गृहपति ने महागाविद ब्राह्मण की तरह अपनी चार कुमारी पत्नियाँ के लिए अथ पति प्राप्त करने का अधिकार दिया, तो उस गृहपति की बड़ी पत्नी ने उस अधिकार का पूरा उपयोग किया।^{१६} श्रेष्ठिपुत्री ऋषिदासी को जब पतिगृह से लौटा दिया गया, तो उसे द्वितीय पुरुष के लिए पत्नी के रूप में दिया गया। द्वितीय पतिकुल से भी लौटायी जाने पर उसका विवाह एक दग्ध व्यक्ति से कर दिया गया।^{१७} इस प्रकार जब सुकुमातिना का पति उमको छोड़ कर भाग गया तो एक दूसरे व्यक्ति को उसके पति के रूप में रत लिया गया।^{१८} मिलिन्दपञ्च में प्राप्त उल्लेख से निम्न वर्गों में स्त्रियाँ

१४ देखिए—पुत्रा, उद्ध० ४३ ६६

१५ देखिए—पुत्रा उद्ध० ३२

१६ देखिए—उद्ध० ८१

१७ पति का पुरित्साधिष्यायो कस्तु को दम्मीति? एव वृत्ते जेट्टा पजापति म एतन्वाच—'इत्थनामस्स म अम्भपुत्त, पुरित्तस्स दही ति।

—अगुत्तर० ३।३।६

१८ घेरी० १५।१।६०५, ४२२ ४२४

१९ नाया० १।१६।११७

के पुनर्विवाह की जानकारी प्राप्त होती है।^{१००} यह बात दूसरी है कि क्या के प्रथम विवाह के अवसर पर जो उत्साह सम्मान एवं विधि विधान दृष्टिगोचर होते थे, व उम रूप में क्या के द्वितीय विवाह के अवसर पर नहीं पाये जाते थे।

यहां यह स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा कि श्रेष्ठी एवं निम्न-वर्ग की स्त्रियों के पुनर्विवाह तब तक होते थे जब तक कि उनको सत्तान प्राप्त न हो जाय। सत्तान प्राप्ति के अनन्तर इन वर्गों की भास्त्रिया में पुनर्विवाह की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती थी।^{१०१}

विवाह विच्छेद

दीर्घनिर्णय में 'विवदन' शब्द उपलब्ध होना है^{१०२} जिसका तात्पर्य है कि यदि अलग होना चाहते हों तो आज ही हा जाओ। आज अलग होने से फिर मिलाप नहीं होगा।^{१०३} अतः इस 'विवदन' शब्द को 'तलाक' सूचक पद कहा जा सकता है।

पुनर्विवाह की तरह विवाह विच्छेद का भी प्रचलन श्रेष्ठी तथा निम्न-वर्गों में ही दृष्टिगोचर होता था। श्रेष्ठी की पुत्री ऋषिदासी का तान वार विवाह किया गया था तथा तीना ही वार उसे तलाक दिया गया।^{१०४} इसी प्रकार सागर नामक जिनदत्त का पुत्र मुकुमालिका

१०० प्रतिष्ठा—पुत्रा उद्ध० ४८

१०१ अगुत्तर० ३।१७, धरो० १।३।३०७

१०२ भाष० १।१२

१०३ विवदनाम सूत्रं विद्युत्त्रिजुक्तामा अथ अत्रैव विद्युत्त्रय इति वो पुन सप्तयागो न भविस्मती ति एव वियोगकरण।

—मुम० १।९६

१०४ (क) त म विनुषर पटिनविमु विमना दुम्न अधिभूता।

—धरो० १।५।१।४२१

(ख) अथ सो वि म पटिच्छरयि।

वनी १।५।१।४२३

(ग) सो वि वमिवा पश्य अथ तान भगति 'दहि म पटिच्छ।

दटिन च मालिक च पुन वि निवत्त चरिस्त्रामि ॥

वनी १।५।१।४२५

को छोड़कर अपनी घर वापस आ गया था। तत्पश्चात् सुकुमालिका के पति के रूप में एक कृपण को रखा गया किन्तु वह भी सुकुमालिका को त्याग कर भाग गया।^{१०१}

तलाक देने पर गृहस्वामी अपनी पुत्रवधू को उमके पितृ-कुल में छोड़ आता था। गृहजामाता के रूप में रहने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी का छाड़ कर समुराल में चला जाता था।

जिस प्रकार पुरुष वर्ग अपनी पत्नी का तलाक दे देता था, उसी प्रकार स्त्रियाँ अपने पति से विवाह-सम्बन्ध विच्छिन्न करने में असमर्थ रहती थीं। कारण तत्कालीन समाज में पत्नी पर पति का पूर्णाधिकार छा रहा करता था। पत्नी एक प्रकार से पति की सम्पत्ति रखा करती थी। अतः सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि में पति का छोड़ना पत्नी के लिए सरल नहीं था।

किन्तु यदि कोई स्त्री अपने पति से पूणतया असंतुष्ट रहती थी तो वह पति को त्यागने के लिए भिक्षुणी भेष में प्रविष्ट हो जाती थी। कारण, एक तो पत्नी को भिक्षुणी बनने के लिए मरलता से पति की स्वीकृति प्राप्त हो जानी थी, दूसरे भिक्षुणी बन जाने के बाद स्त्री पर पति का कोई अधिकार नहीं रहता था। मुक्ता घेरी अपने कुबूटे पति से असंतुष्ट होने के कारण भिक्षुणी बनी थी।^{१०२} पाटिका पति के उपेक्षित व्यवहार से असंतुष्ट होकर प्रव्रजित हुई थी।^{१०३}

१०५ तत्र च सागरदारण गूमास्त्रिय शारिय सुपसुत्त जाणित्ता जाभव दिशि पाठ मूण नामेव दिगि पहिणए ।

—नाया० १।१६।११६

१०६ सुमुत्ता साधुमुत्तामिं तोहि सुज्जेहि मुत्तिया ।
उदुक्कपल्लम मुसल्लम, पत्तिमा सुज्जकेन च ॥

—धेरी० १।११।११

१०७ एव सत्तु ब्रह्म तयलिपुत्तस्स पुग्घि द्दट्ठा ५ आनि इयाणि अनिट्ठा ५ जाव परिभाण था । त सय खलु मम सुव्वमाण अज्जाण अतिए पचइत्तए ।

—नाया० १।१४।१०५

बहुपतित्व पथ बहुप नोत्थ प्रथा

बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन भारतीय समाज में वैदिक-काल से ही नहीं था। बौद्ध एवं जैन-आगमों के अध्ययन में भी यह ज्ञान होता है कि उस समय बहुपतित्व प्रथा का अभाव था। यद्यपि नायाधम्मसंहासो में^{१०८} द्रौपदी द्वारा पाँच पाण्डवों को पति के रूप में वरण किये जाने का उल्लेख है, किंतु इसके आधार पर आगम-कालीन समाज के विषय में कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। कारण द्रौपदी एवं पाण्डवों के बचानन का प्रमुख आधार महाभारत है।

इसके विपरीत बहुपत्नीत्व प्रथा का काफी प्रचलन था। बौद्ध-आगमों में प्राप्त उल्लेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रारम्भ में ब्राह्मण-वर्ग अधिक पत्नियों रखता था।^{१०९} कालांतर में बहुपत्नीत्व प्रथा का प्रचलन मुख्य रूप से राजा एवं वैभव-सम्पन्न श्रेष्ठिजन्म ही सामित हो गया। राजा न केवल बाध्यभाव से उक्त राजपुत्रों की अवस्था में ही अनेक कन्याओं के साथ विवाह करता था अपितु उसके बाद भी सुन्दर कन्याओं को प्राप्त करने में सदैव प्रयत्नशील रहता था। इसके विपरीत श्रेष्ठिपुत्र प्रथम बार ही अनेक कन्याओं के साथ विवाह करते थे। उसके बाद उनमें दूसरी बार विवाह नहीं किया जाता था।

विवाह पथ नारी

बौद्ध-युग में विवाह को विशुद्ध पारिवारिक-कृत्य के रूप में माना गया मिल जाने से उसका धार्मिक महत्त्व समाप्त हो गया। फलतः अनेक नव

१०८ वही, १।१६।१२५

१०९ (क) एवं सु ते षट्कनतपत्यानि नारीहि परिचारति

—दीर्घ० १।६१

(ख) इमे खो ब्राह्मणा नाम इतिवसुद्धा यदून मय मन्गोविन् ब्राह्मण इत्थोहि निक्खय्यामाति

वही, २।१८३

विवाहित कुलपुत्रो ने सासारिक जीवन त्यागकर भिक्षु जीवन में प्रवेश किया। इसका प्रमुख कारण यह था कि धर्मप्रधान वातावरण में प्रभावित कुलपुत्र पारिवारिक (वैवाहिक) जीवन का त्यागकर धार्मिक जीवन में प्रवेश को अधिक महत्त्व देते थे। अतः बौद्ध-युग में विवाह नववधुआ के लिए अभिशाप बन गया था। नववधू, पति एवं पतिकुल के वातावरण से परिचित भी नहीं हो पाती थी कि उसके पति को भिक्षु बना लिया जाता था। जत्र इस प्रकार से मगध के प्रसिद्ध कुला के पुत्रा को भिक्षु बना लिया गया तो समाज के लोगो में इस (भिक्षु बनाने की) प्रवृत्ति की निंदा की जान लगी।^{११०} यद्यपि जैन युग तक इस प्रकार भिक्षु बनाने की प्रवृत्ति का ह्रास हुआ तथापि उस समय भी नवविवाहित कुलपुत्रा एवं राजपुत्रो में सासारिक जीवन त्याग कर भिक्षु बनने की प्रवृत्ति देखी जाती थी।

सात्त्विक यह कि धार्मिक महत्त्व से विहीन विवाह से समाज में अनेक सकट जान लग थे तथा इन सकटा को मुख्य रूप से नारी-धर्म को ही सहन करना पड़ता था।

११० तत्र एतेषु पतु समयेन मनुस्मा उ-शास्यन्ति समणो गातमा वध-याय पटिपन्तो

वैवाहिक-जीवन

पुत्रवधू

वैदिक-कालीन स्थिति
उत्तर-वैदिक-कालीन स्थिति
आगम काल मे सास-समुर का नियंत्रण
समुर-शुन योग्य वर्तन
सास-समुर को याचना
बुद्धि के आधार पर व्युत्पन्न

गृहपत्नी

वैदिक-कालीन स्थिति
उत्तर-वैदिक-कालीन स्थिति
आगम-कालीन स्थिति
पति पत्नी के पारस्परिक सम्बन्ध
— के क्षेत्र

पत्नी पर पति का अधिकार
पति पर पत्नी का अधिकार
संयुक्त अधिकार

संयुक्त अधिकार
पति पर पत्नी का अधिकार
पत्नी पर पति का अधिकार

इतनी

वैदिक-कालीन स्थिति
उत्तर-वैदिक-कालीन स्थिति
आगम-कालीन स्थिति

जननी की ममता
मातृत्व की लालसा
मातृ-वध
मातृ-शोषा
माता की सम्पत्ति एवं प्रभुता
जननी तथा बौद्ध एवं जैनधर्म

विधवा

वैदिक-कालीन स्थिति
उत्तर वैदिक-कालीन स्थिति
आगम-कालीन स्थिति
सामाजिक स्थिति
सती प्रथा एवं उसका आगम में अभाव
जीवा यापन के साधन
पुनर्विवाह



पुत्रवधू

नारायण पतिकुल में प्रायः पुत्रवधू के रूप में ही पदापण करती थी। पुत्रवधू की ही श्रवण्या में वह पतिकुल में कर्त्तव्यनिष्ठा एवं मनुष्य-व्यवहार का परिचय देकर प्रतिष्ठा अर्जित करती थी, जिसके लिए परिवार के सभी सदस्या, विशेषरूप से साम एवं समुर का सम्मान करना आवश्यक जाना था। प्रतिष्ठा अर्जित कर लेने के उपरांत पुत्रवधू का पतिकुल की प्रभुनापूण सदस्यता प्राप्त हो जाती थी।

वैदिक-कालीन स्थिति

वैदिक-कालीन परिवार में पुत्रवधू को सम्मानपूण स्थान दिया जाता था। उसे विवाह के श्रवसर पर यह आशीर्वाद दिया जाता था कि वह साम, समुर, ननद एवं देवरा की स्वामिनी हो।^१ इस प्रकार उत्कालान समान में पुत्रवधू को समुराल की स्वामिनी के रूप में मायता प्राप्त थी। पुत्रवधू का समुर के लिए सहायक एवं मास के प्रति दयालु बनने का भी आशीर्वाद दिया जाता था।^२

पुत्रवधू का उक्त स्वामित्व उन परिवारों में प्राप्त होता था जिनमें वह बड़े पुत्र की पत्नी बनकर प्रथम पुत्रवधू के रूप में जाती थी तथा

१ सम्राणी स्वपुरे भव सम्राणी स्वरा भव ।
नान्धरि सम्राज्ञा भव सम्राणी अधिदेवपु ॥

—ऋग्वे० १०।८५।४६

२ सुमङ्गली प्रवरणी गृहाणा सुयेवा पत्ये स्वपुराय गमू ।
त्याना स्वध्व प्र गृहान्विशमान् ।

—अथर्व० १।८।२।२६

अविवाहित ननद देवरा के बीच में रहती थी। ऐसे परिवारों में पुत्रवधू को सम्मान मिलना स्वाभाविक ही था।^३

नितु इसका यह अर्थ नहीं कि वधू के आ जाने पर उसके साथ एव ससुर की प्रभुता में अंतर आ जाता था। यस्तुतः सास एव ससुर ही परिवार के स्वामी होते थे तथा पुत्रवधू उनके स्वामित्व की छाया में ही मह्य जीवन व्यतीत करती थी। सास एव ससुर के प्रति वधू के सम्मानपूर्ण सद्-व्यवहार एव विनय भाव के उल्लेख अनेक स्थलों पर उपलब्ध होते हैं।^४

उत्तर धार्मिक कालीन स्थिति :

कालांतर में नारी की अवस्था में उत्तरोत्तर ह्रास के साथ-साथ पुत्रवधू को मिलने वाले सम्मान का भी ह्रास होना गया। सूत्रकाल में श्रुत्यायु में ही कन्या का विवाह होने लगा।^५ उस समय जब कन्याएँ पुत्रवधू बनकर मसुराल जाती थीं नितान्त अबोध रहती थीं। फलस्वरूप ससुराल में उन पर सास एव ससुर का कठोर नियन्त्रण रखा जाने लगा।

आगम काल में सास ससुर का नियन्त्रण

बौद्ध युग में सूत्रकाल में निहित पुत्रवधुजा की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बौद्धागमों में प्राप्त उल्लेखों के आधार पर यह बात होना है कि उस समय वधू सास-ससुर के कठोर नियन्त्रण में अपना जीवनयापन करती थीं। जब कोई कुलपुत्र प्रद्वज्या लेने की

३ Vedic Index, 1 481-485

४ (क) ये सूर्यात्परिमर्षा त स्नुपेव स्वगुरादधि ।

—अथर्व० ८।६।२४

(ख) अस्य स्नुपा स्वगुरस्य प्रविष्टिम्
स्नुपा सपत्न्या स्वगुरो यमस्तु

—त० ब्रा० २।४।६।१२

५ दत्तिल—पुत्रा, उद्ध० २०

इन्का व्यक्त करता था तो उसके माना पिता उसे समझाते थे ' किन्तु परिवार में पुत्रवधू के रूप में रहने वाली उसकी पत्नी उसे जीवन के लिए प्रयास नहीं करती थी। इन्का ही नहीं, अपितु प्राप्त उल्लेखों का आधार पर यह भासात होता है कि पुत्रवधू प्रव्रज्या के लिए जाते समय पति से बात नही करती थी। इसका यह अर्थ नहीं कि पुत्रवधू को अपन पति की प्रव्रज्यासम्बन्धी इच्छा के समाचार पर दुःख नहीं होता था या वह प्रव्रज्या के इच्छुक पति से बात भी नहीं करना चाहती थी, अपितु अपने सास-ससुर के भारी नियंत्रण के कारण पुत्रवधू न तो अपना दुःख प्रकट कर पाती थी और न ही जाते हुए पति से दो बातें ही कर पाती थी। इसके अतिरिक्त यदि प्रव्रजित कुलपुत्र सयागवशा अपने पुराने घर के सामने ही निरलता था एवं कुलपत्नी किसी प्रकार उसको पहचान लेता था तो वह दासी कुलपुत्र के आगमन का समाचार कुलपुत्र की पत्नी का न देकर उसकी माता को सुनाती थी तथा माता के द्वारा वह समाचार उसके पिता के पास पहुँचता था तथा पिता कुलपुत्र के पास जा कर उसे दूसरे दिन के भाजन का निमंत्रण देता था। जब पुत्र निमंत्रण स्वीकार कर आता था तो पिता उसे मनाने का अतिप्रयत्न करता था। तत्पश्चात् कुलवधू जा कि सास के आदेशानुसार

१ (क) अथ सो मानापितरा एतदवाजु—एव सोमि तान अम्हाक एक पुत्रको कि पन मम त जीवत्त अनुजानिममम अगारम्मा अनगारिय पव्वज्याय ?

—पारा० ५० १७ तथा मन्निम० २।२८३

(ग) तए ण त अम्मापियरो एव वयामी तथो पच्छा पव्वम्ममि

—नाया० १।१।२८

७ अथ सो व्राजिदासी हत्यान च पापान च सरस्म च निमित्त आगह्मि ।
मातर एतद्वोच—यथेय्ये, जानय्यासि—अयपपनी अनुपपत्ता । अथ सो 'माता' पितर एतद्वोच—'यथे, एत्तपति कुलपुत्तो अनुपपत्ता ।
एतं हि, तात' अधिशासन्ति स्वातन्त्र्य भक्त ति ।

पति के प्रिय अलकारों से अलङ्कृत रहनी थी, ससुर के बहने पर^१ अपने पति के चरणा को पकड़, उमें मगान का अभिप्राय-मा करती थी। निर्यात्रत बधू में इतना साहस तहो था कि वह स्वतः पति से कुछ बह-सुन सके।

आय सुदिन जब अपने माता पिता एवं पत्नी के घर लौट आने के अनुरोध को ठुकरा कर चला गया, तो सुदिन की माता ने अपनी पुत्रवधू में पुष्पवती होने पर सूचना देने के लिए कहा। उचित समय पर सूचना पाकर, पुत्र के प्रिय अलकारों से अलङ्कृत बगकर पुत्रवधू को वह आय सुदिन के पास ले गई तथा आय सुदिन में उसने कुल की सम्पत्ति की रक्षा के निमित्त पत्नी को बीजक (गर्भ) देने का अनुरोध किया। बाजक प्राप्ति के उपरान्त पुत्रवधू सुदिन की माता के साथ लौट आई।^{१०}

उक्त प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध युग में बिना 'ननु', 'नच' किये अपने साथ ससुर की आज्ञा के अनुसार ही पुत्रवधू प्रत्येक काम करती थी, अर्थात् सास एव ससुर की आज्ञा पर पुत्रवधू कठपुतली की भाँति चला करती थी। उमम इनकी निर्भीकता नहीं रह गई थी कि अपने स्वाभिमान या अपनी इच्छा को किसी के सम्मुख रखा सके।

८ अथ या माता पुराणदुर्तिकामामतसि तन हि बधु, यन अलङ्कारेन अलङ्कता पुत्तस्म म सुदिनस्स पिया अहोसि मनाया तन अलङ्कारेन अलङ्कारा' ति ।
—पारा० प० २०, मज्जिम० २।२८८

९ अथ को पिता पुराणदुर्तिकामामतसि तन हि, बधु त्व पिया च मनाया च । अप्पव नाम सुम्ह पिवचन करेय्या' ति ।
—पारा० प० २० मज्जिम० २।२८८

१० तन ि, बधु यदा उतुनी अहोमि, पुष्प से उप्पन्न होति, अथ म आरसे चम्पासि पुराणदुर्तिकामा मातर एतन्थोच उतुनीम्हि अय्ये पुष्प उप्पन्न । अथ को माना पुराणदुर्तिकाम आदाय येन सुदिनो तनुपसङ्गमि ।

यद्यपि बोद्धव्यम के विराय के साथ ही नारा की स्थानीय अवस्था म पर्याप्त सुधार हुआ था किंतु उस सुधार म नियंत्रित पुत्रवधू सम्मिलित नहा हा सकी । इसका प्रमुख कारण यह था कि जिस प्रकार पुत्री, गृहपत्नी, विधवा आदि नागै-वय को धर्माचरण करने की अनुमति एव सुविधाए मिल जाती थी उस प्रकार की अनुमति एव सुविधाए बहुत कम पुत्रवधुया को उपलब्ध होती थी । अधिकांश वधुआ को बिना अनुमति के काय करन पर सास या ससुर द्वारा दिया गया कठोर दण्ड भोगना पड़ता था । यदि वधू धार्मिक भावनासे अंतप्रोत होकर आये हुए श्रमण का भी बिना सास ससुर का अनुमति के, कोई वस्तु दान म दे देती थी, तो वह भी वधू का गम्भीर अपराध माना जाता था । एक पुत्रवधू न श्रमण को अपनी इच्छा से रोगी द दी । जब यह वान साम को मालूम हुई ता उसने वधू को फटकारा कि तू अविनीत है क्योंकि श्रमण का रोगी देते समय तुझे मुझसे पूछने की इच्छा नहा हुई, आदि । तदुपरान्त उसने मूसल म वधू को ऐसा मारा कि बेचारी वधू मर गई ।^{१२} इस प्रकार एक पुत्रवधू ने आय हुए भिक्षु को इक्षु द दिया जिस पर उसकी साम ने क्रोधित होकर उसे मिट्टा के टेले से मारकर उसकी जीवनलीला समाप्त कर दी । सास के क्रोधित होने का कारण यह था कि वधू ने अपने मन स इक्षु-दान कर के उसकी प्रभुसत्ता में

११ विमा० १।३१।३०६-३१३

१२ इतिस्था मस्तु परिभामि अविनातासि त्व वधू ।

न म सम्पुच्छित्तु इच्छि, समणस्म दणामह ॥

ततो मे सम्पु कुन्तिता पहासि मुसलेन म ।

कूटच्छि अवधि म नासक्खि जावित्तु चिर ॥

—विमा० १।२९।२८२-२९३

१३ लड्डु मन्त्रा पन्तर अणामि म

सतो पुता काल कठाम्हि देवता ।

—विमा० १।४८।८१३

हस्तक्षेप किया था।^{१६} कहने का आशय यह है कि बौद्ध-युग में बधू बिना साम समुर का अनुमति के कोई भी काय नहीं कर सकती थी। यदि बधू को कोई उत्तम काय भी सम्पन्न करना हाता था, तब भी उसके लिए साम समुर की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता था। कारण, साम समुर से बिना पूछे किया गया अच्छे से अच्छा काय भा पुत्रबधू का गुरुतम अपराध माना जाता था तथा उसके दण्ड-म्बरूप बधू का अपन प्राण भा खाने पटत थे।

कुलबधू पर उसके पति की अपेक्षा समुर का अधिक अधिकार होता था। कभी कभी बधू के रूप में लाई गई नारी से दासी का काम लिया जाता था।^{१७} यद्यपि समुर द्वारा बधू का दामीरूप से उपयोग किया जाने का विरोध भी होता था किंतु वह विरोध सफल नहीं हा पाता था। यही कारण था कि बधू समुर को दंगकर भयभीत हो जाता थी।^{१८} जैनागम में आये एक उल्लेख से उक्त तथ्य पर जोर अधिक प्रकाश पडा है। उल्लेख के अनुसार एक बधू ने अयमनस्व होने से समुर की उपस्थिति में भाजन परोमते समय थाडा-सी त्रुटि कर दी थी जिसके फलस्वरूप उसपर परपृथक् में आसक्त होने की क्षा के दण्डम्बरूप उसका घर से निकाल दिया गया था।^{१९}

१४ तुम्ह विव इस्सिगिय अथा मम
इतिस्मा सस्सु परिभासते मम ।

—बन्नी

१५ अथ खा त आत्रावज्जावका त कुमारिक नेत्वा मास यव सुणिमभोगेन
भुञ्जिम् । तता अपरत्त दामिभागेन मञ्जति ।

—पारा० प० १६६

१६ माय्या इम कुमारिक दासिभोगेन भुञ्जित्व गच्छेत्त्व न भय
त जानामा ति ।

—बन्नी पृ० १६६-१६७

१७ सुणिसा समुर त्त्स्वा मरिज्जति मवग आधज्जति ।

—मज्झिम० १।२३७

१८ (क) समण वि दट्ठत्तासाण तत्थदि ताव एगे कुप्पति ।

अदुक्खा भोगेणोहि नत्थदि इत्थोदीम मक्खिणा हाति ॥

—सूय० १।४।१।१५

ससुर-कुल योग्य कर्त्तव्य :

यद्यपि आगम-कालीन समाज में ससुर का वधू के ऊपर नियंत्रण रहता था तथापि उन वधुओं पर जो ससुराल में आगारिणी एवं विनयशील होकर अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा प्रदर्शित करती थी वैसे कठोर नियंत्रण नहीं होता था। अतः पितृकुल में ही ब्याधा को पतिकुल के अनुरूप आचार विचार की शिक्षा दी जाती थी।^{११} इस प्रकार की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य सात-एक ससुर को अपने अनुकूल बनाना था। अतः पुरुषवधू को प्रातः उठकर सात ससुर को प्रणाम कर उनके चरणों की रज को मन्त्र पर धारण करना, उनके सने के अनन्तर सोना उठने के पूर्व ही उठना भृत्य के समान उनकी आनाजा का पालन करना, उनके साथ मधुर भाषण एवं आचरण करना आवश्यक था।^{१०} किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मास-ससुर को छोड़कर ससुराल के अन्य सदस्यों के प्रति वधू अपना स्वामित्व प्रदर्शित करे। वधू से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह सात-ससुर के जीवन काल में परिवार के सभी सदस्यों के प्रति स्वामित्व प्रदर्शन की भावना का पूणतया त्याग कर यथायोग्य सत्कार-सम्मान प्रदर्शित करे।^१ परिवार के छद्म से

(ख) निश्चयमेव यथा—क्याचिद्ब्रह्मा ग्राममध्यप्रार वनटप्रक्षणकवत
 वित्तया पतिवर्गार्याभोजनार्थमवविष्टोस्तण्डुला इति कृत्वा राइका
 मसृष्ट य दत्ता ततोऽथो इवपुरणात्सन्निता । तत्रपतिना क्रुद्धन ताडिता,
 अथपुष्टपतत्रित्तोत्यागङ्कप स्वयुत्प्राप्तिसन्निता ।

—सू० टी० भा० २, पृ० १२८

१६ दत्तिए—प० ३४

२० (क) दौलत—पुत्रा उद्ध० ९८

(ख) यस्मिन् वो मातापितरो भक्तनो तस्मिन् पुत्रद्वारिणियो पञ्चानिपातिनियो
 विद्धारपटिस्ताविनियो मनापचारिनियो पियवानिनिया

—अगत्तर० २।३०३

२१ या मसृष्ट स्वामिकस्म भगिनियो मातुना परिणना वा ।
 तमकवरक पि त्स्वा उच्चिग्या आसन दमि ॥

—धैरो० १५।२।४१०

छोटा काय कर्मा पुत्रवधू की कुल के प्रति कृतव्यनिष्ठा या परिचायक था। इस प्रकार के आचरण म पुत्रवधू सास-समुद्र का अमीगित स्नह सहज ही म प्राप्त कर लेती था। ऋषिगामी ग इसी प्रकार का आचरण कर समुद्र में हृत्य था। जान लिया था। अतः पुत्र के हठ के कारण ऋषिदासी का समुद्र उम उसात पितृ कुल म छाडते समय बड़ा दुखी था।^१

सात समुद्र ने अतुल आचरण करने वाली पुत्रवधू की किसी पारिवारिक दुभाग्य का मामला ज्ञान करना पड़ता था। यद्यपि पुत्रपुत्र के प्रशस्ति होने से वधू पर दुःख का पहला डूटता था किंतु उस अवस्था म भाकर ता अपने भरण पापण की विज्ञा नहीं सतानी थी। समय समुद्र के कारण म वह जिना किसी बाधा के अपना जीवन व्यतीत कर तथा थी। यही कारण है कि जैनामम म एक स्थल पर स्त्रिया के भेदो म एक भेद समुद्र-युग मे रक्षित स्त्रिया का भा है।^२

इसके अतिरिक्त पति ने साध करनेवाली पुत्रवधू का भा यह आशय नहीं रखनी थी कि सावधानता पटन पर पति उमका अनुचित उपयोग कर सता है। कारण समुद्र इस बात मे मनक रहता था कि कही किसी काय से कुल की मर्यादा भंग न हो जाय। इस बात के संकेत म मिलत हा है कि जुआगे पति अपनी पत्नी का भी गुण की बाजी पर लगा देता था^३ किंतु एका एव भी उल्लेख नहीं मिलता है जिसमें यह कहा जा सके कि समुद्र की उपस्थिति म पुत्रवधू अपनी पति द्वारा जुए के

२२ समयत्र आग्नि साधयामि समयत्र भाजन घोषणी ।

—वहा, १५।१।४१४

२३ त म पितुभर पटिनविमु विमना दुखेन अधिभूता ।
पुस्तमनुरक्षमाना जिताम्हस रूपिनि रुबिल ॥

—वही १५।१।४२१

२४ त जहा—अतो समुद्रगुरुरविलयाधो

—ओ० सू० १९७

२५ वेत्ति—विवाह उद्ध० ८६

दाव पर लगाई गई है या ताड़ित होकर घर से निकाली गई हो।
 कभी कभी ससुर पुत्र के माध्यमसे पुत्रवधुआ के लिए आवश्यक जीवनो-
 पयोगी वस्तुएं भा प्रीति-दान के रूप में लिये करनी थी।^१

सास ससुर को यातना :

पुत्रवधू द्वारा सास-ससुर को भी यातना देने के उल्लेख मिलते हैं। एतवार चार पुत्रों ने अपनी पत्नियां के कहन पर पिता को घर से निकाल दिया था।^{२७} इसी प्रकार एक स्त्री कहती है कि 'जब तब मेरे घर में थी मेरी बधू व ध्या थी, किन्तु जब उसने मुझे मार कर घर से निकाल दिया तो उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। इस समय बधू कुल की स्वामिनी बनी हुई है तथा मैं बाहर शकेला मानी-भारी फिर रही हूँ।^{२८} इस कथन का स्पष्टीकरण करते हुए टीका-साहित्य में बताया गया है कि एक स्त्री अपने पुत्र एवं पुत्रवधू के साथ रहती थी। पुत्रवधू ने अपनी साम को मारकर घर से निकाल दिया। तदुपरांत बधू के सतानो-
 लक्षित हुई। अतः बधू ने यह प्रचार करना शुरू कर लिया था कि जब तक मेरी सास घर में नहीं रहती, मैं व ध्या बनी रहती। उसका घर से निकालने के बाद मुझे सतान हुई'^{२९}। अपनी पुत्रवधू के उक्त प्रचार को सुनकर ही सास ने पूर्वकथित उद्गार व्यक्त किये थे।

२६ तए ण उम्म मेरुम्म अम्मारियरो इम एयान्ण पाइणण दलयति तए मेह कुमार एगमेणाग भाग्गिमाए परिभाणउ एवइ ।

—नाया० १।१।२

२७ इव म भा गोत्रम चत्तारो पुत्ता । त म दारणि मवुच्छ घरा निकम मत्ता ति ।

—मवुत्त० १।१७

२८ मुणिया णि मरुह वज्झा अ णि
 २९ म वधित्थान विजामि पुत्त ।
 सा दानि उ वस्स कुत्तइ इत्थरा
 अण पनमि अवधिद्धा एक्किआ ॥

—तायक ना० १७।

२६ जा० २।११७

छोटा काय करवा पुत्रवधू की कुल के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचायक था।^१ इस प्रकार के आचरण से पुत्रवधू सास मसुर का असीमित स्नेह सहज ही म प्राप्त कर लेती थी। ऋषिदासी ने इसी प्रकार का आचरण कर मसुर ने हृदय को जीत लिया था। अतः पुत्र के हठ के कारण ऋषिदासी का मसुर उसे उसके पितृ कुल म छाटते समय बड़ा दुःखी था।^३

सास मसुर के अनुकूल आचरण करने वाली पुत्रवधू को किसी पारिवारिक दुभाग्य का सामना नहीं करना पड़ता था। यद्यपि कुलपुत्र के प्रव्रजित होने से वधू पर दुःख का पहाड़ टूटता था किन्तु उस अवस्था म भी वधू को अपने भरण पोषण की चिन्ता नहीं सतानी थी। समर्थ मसुर क सरक्षण म वह बिना किसी बाधा के अपना जीवन व्यतीत कर लेती थी। यही कारण है कि जैनागम म एक स्थल पर स्त्रियो के भेदा मे एत भेद मसुर कुल से रक्षित स्त्रिया का भी है।^४

इसके अतिरिक्त पति के साथ रहनेवाली पुत्रवधू का भी यह आशंका नहीं रहती थी कि आवश्यकता पडने पर पति उसका अनुचित उपयोग कर सकता है। कारण, मसुर इस बात मे सन्नक रहता था कि कहा किसी काय से कुल की मर्यादा भंग न हो जाय। इस बात के संकेत ता मिलत ही है कि श्रुआरी पति अपनी पत्नी को भी जुए की बाजी पर लगा दता था कि तु ऐसा एक भी उल्लेख नहीं मिलता है जिससे यह कहा जा सके कि मसुर की उपस्थिति मे पुत्रवधू अपने पति द्वारा जुए के

२२ समयत्र आग्नि साधयामि मयमत्र भाजन घोषती ।

—वही, १५।१।४१४

२१ त म पितुष्वर पटिनयिमु विमना दुखन अधिभूता ।

पत्तमनुरषयमाना त्रितामहसे रुषिनि सविस ॥

—वही १५।१।४२१

२४ त जहा—अतो मसुरकुलरक्षितयाओ

—ओ० सू० १६७

२५ देविष्—विवाह उद्ध० ८६

दाव पर लगाई गई हा या तान्त्रिक होकर घर से निकाली गई थी।
 कभी कभी ससुर पुत्र के माध्यमसे पुत्रवधुआ के लिए आवश्यक जीवनों
 पयागी वस्तुएँ भी प्रोत्ति-ज्ञान के रूप में दिया करता था।^{२६}

सास ससुर को यातना

पुत्रवधू द्वारा सास-ससुर को भी यातना दान के उल्लेख मिलते
 हैं। एउरार चार पुत्रा ने अपनी पत्निया के रहने पर पिता का घर
 से निकाल दिया था।^{२७} इसी प्रकार एउ स्त्री कहती है कि जब तन में
 घर में थी मगें वधू व ध्या थी, किंतु जब उमने मुजे मार कर घर से
 निकाल दिया तो उमके पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय वधू कुल की
 स्वामिना बनी हुई है तथा म बाहर अकेली मारी मारा फिर रही है।^{२८}
 इस बचन का स्पष्टीकरण करते हुए टीका-साहित्य में बनाया गया है कि
 एउ स्त्री अपने पुत्र एवं पुत्रवधू के साथ रहती थी। पुत्रवधू ने अपनी
 सास को मारकर घर से निकाल दिया। तदुपरा व वधू के सतानो
 रति हुई। अत वधू ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया था कि जब
 तक मेरी मास घर में रही, मैं व ध्या बनी ग्ही। उसका घर से निका
 लने के बाद मुजे स नान हुई^{२९}। अपनी पुत्रवधू के उक्त प्रचार की
 मुननर ही सास न पूवकथिन उद्गार यक्त किय थे।

२६ तण ण तसस मरुम्य अम्माभियरा इम एवाळ्व पाइणण दलयनि तण ण
 महे कुमारे णमगाए भारियाण परिभाणउ दलयइ ।

—नाथा० १।१।२४

२७ इष मे भा गानम चत्तारा पुता । त म दारहि मवुच्छ परा निक्खा
 मताति ।

—सयस० १।१।७५

२८ सुणिमा णि मरुह वञ्जा अटोमि
 मा म वधित्वाण विजायि पुत्त ।
 सा दानि सउवसम कुलसस इम्मगा
 अह पनमि अपविट्ठा एक्किवा ॥

—जातिक पा१।७।५

२९ जा० २।१।७

वित्तु सास एव समुर को यातना देकर वधू परिवार में अपना स्वामित्व विगण परिस्थिति में ही स्थापित कर पाती थी। जब तक सास एव ममुर दोनों ही गृहते थे, परिवार के शासन की बागडोर उन्हीं के हाथ में रहनी थी। कारण, परिवार के आन्तरिक कार्यों पर सास एव बाह्य कार्यों पर समुर द्वारा कड़ी दृष्टि रखी जाती थी। उनमें से किसी एक के चले जाने पर दूसरे के शासन में दुबलता आ जाती थी तथा उन्हीं दुबलता के कारण कभी-कभी यातनाएँ भी भोगनी पड़नी थी। सास समुर का दी गई इस प्रकार की यातना प्रधान घटनाएँ तत्कालीन-समाज की सामान्य प्रवृत्ति नहीं थी। यही कारण है कि आगम-साहित्य में सास एव समुर द्वारा वधू को दी जाने वाली यातनाओं का ही अधिक वर्णन मिलता है।

बुद्धि के आधार पर ज्येष्ठत्व :

जब परिवार में एक में अधिक पुत्रवधुएँ हुआ करती थी तो उनके कार्यों का विभाजन ज्येष्ठत्व के आधार पर न होकर बुद्धि के आधार पर होने के भी उदाहरण मिलते हैं। रोहिणी की कथा^{३०} इस विषय पर विस्तृत प्रकाश डालती है। कथानक के अनुसार घना साथवाह के चार पुत्रवधुएँ थी। साथवाह ने वधुओं के धारविभाजन का विचार कर उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया तथा सभी पुत्रवधुओं को बुलाकर पाँच पाँच शालिकण यह कह कर दिये कि वे कण मागने पर लौटाय जाय^{३१}। सबसे बड़ी पुत्रवधू ने इस विचार से उन तथा को फेर दिया कि माँगने पर घायागार में से उठाकर दे दिये जायेंगे। दूसरी वधू ने यह सोचकर उन कणों को खा लिया कि समुर द्वारा दिये गये कणों को फेंकना अच्छा नहीं। तीसरी वधू ने उनको यह

३० नाया० १।७

३१ तुम न पुत्रा ! मम इत्याओ इमे दस शालिकवधुएँ गेण्हाहि जया जाएजा पठिनिज्जाएज्जासि ।

सोचकर मुगलिन रख दिया कि इनके पीछे अवश्य कोई रहस्य होगा। सब से छोटी बधू ने उन कणिका पितृपुर के खेत में बपन करा दिया। पाँच वर्ष बाद उन शालिकणा को मागा गया तथा यज्ञ पूजा गया कि क्या य कृती शान्तिपूर्ण हैं? ममी बधुआ ने उत्तर सुन लने के पश्चात् सब से बड़ी पुत्र बधू को कृता फेंकने आदि का दूसरा बधू को रमोई आदि का तथा तीमरी का कोपागार का काय दिया गया। सबसे छोटी बधू गेहिनी की बुद्धिमानी में प्रभावित होकर सायवाह ने उसे परिवार की प्रभुता प्रदान की।^{३२}

छान्सेप में कहा जा सकता है कि पुत्रबधू पर अनुशासन नियंत्रण और स्नेह में हाता है। नियंत्रण और स्नेह पक्ष में से एक के उदाहरण बौद्ध आगमा में और दूसरे के उदाहरण जैन आगमा में विशेषण मिलते हैं।^{३३}

गृहपत्नी

नारी गृहपत्नी के रूप में ही अपना सामाजिक-जीवन प्रारम्भ करती थी। यद्यपि पत्नी बनने के पूर्व वह कन्या के रूप में अपने माता

३२ जट्ट उचिष्ठय कुम्भरस्त छादजिणय तावड भागवत्या मद्राणसिणि टावड, रविलदयाए भडागारिणि ठवड, रोचिणीय वड्डुमु वज्जेनु पमाणभूम टावड।

—नाया० २।७।६८

३३ दलिये—उड० ३१

३४ बंदिक् बाल में पत्नी दण्ड पति के साथ नियमितरूप में यज्ञ में भाग लेना था चातक या तथा जाया दण्ड से पति के साथ सवाप मन्व ध का ही बोध होता था। बौद्ध आगमा में पत्नी के लिए भरिया द्वारा तथा गृहपतानी दण्ड का प्रयोग हुआ है। भरिया का तात्पर्य उस स्त्री से था जिसका भरण पोषण किया जाता था। इस प्रकार नवविवाहिता पत्नी को द्वारा तथा गृह-स्वामिनी को गृहपतानी कहते थे। जनागमा में केवल भरिया दण्ड का ही प्रयोग मिलता है। प्रस्तुत अध्याय में पत्नी या गृहपत्नी याद से

। दण्ड अर्थात् प्रेता है। यही पत्नी या

पिता के परिवार में रहती थी। किन्तु यहाँ वह परिवार के मुख्य के रूप में न रहकर पाल्य के रूप में ही अपना जीवनयापन करती थी। पतिव्रता में पत्नी के रूप में पवश करती है उसका ही गरी परिवार एवं समाज के प्रति अपने दायित्वा का उचित रूप से निर्वाह करना था। यद्यपि कभी-कभी वह पतिव्रता में पुत्रवधू के रूप में भा प्रवेश कर पत्नीत्व के उत्तरदायित्वा का आशिरूप से निवाह करती थी, किन्तु उस अवस्था में उस मुख्य रूप में वधू के रूप में ही पालन किया जाता था। अतः वैदिक एवं आगम-कालीन समाज में पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन का दृष्टि से पत्नी का धिगिष्ट स्थान रहता था।

वैदिक कालीन स्थिति

वैदिक-काल में पत्नी का स्थिति सम्मानजनक था। ऋग्वेद संहिता में पत्नी का भी धर बताया गया है।^{३५} वैदिक-कालीन सभ्यता में यौग्य की सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता था तथा उह सम्पन्न करने के लिए पत्नी का सहयोग अपरिहार्य रहता था। अतएव पत्नी पति के साथ अनिवायस्व में भाग लिया करती थी।^{३६} पति की अनुपस्थिति में यौग्य

गृहपति का ही भाग पारिभाषिक दृष्टि से नहीं किया गया है अपितु उन पत्नी का प्रयोग शैविक भाषा में प्रचलित होने के कारण किया गया है।

३५ (क) जायन्त मपवन्

—ऋग्वे० ३।५३।४

तुष्टता वाजिण्—

So on marriage a woman was not only given a very honourable position in the household,

—Women in the Vedic Age p 19

३६ (क) मजाताना उप मादन्भिर्गु पत्नाना ता नमस्य ममप्यन् ।

—ऋग्वेद० १।७२।५

(ख) स पत्नी पत्या सुवृत्तन गच्छताम् ।

यमस्य युक्ती धुर्वाभिभूताम् ॥

—त० ब्रा० ३।७।२।११

की पत्नी अनेके भा सम्पन्न करती था।^{३९} चूकि पत्नी के जभाव म उचित विधि विधाना द्वारा यज्ञ करना सम्भव नह्रा गृहता था, इसलिए उस समय पत्नीहीन व्यक्ति को यज्ञ का अधिकारी ही नही माना जाता था।^{३८}

उत्तर वैदिक कालान स्थिति

ब्राह्मण-काल मे पत्नी को प्राप्त पूर्वोक्त यज्ञाधिकार म हास होना प्रारम्भ हो गया था, क्याकि उस समय पत्नी के कार्यो को पुरोहित करने लगे थे।^३ वैदिक युग तक आते आते पत्नी यज्ञ या अय विमी धार्मिक-कृत्य को सम्पन्न करने के अधिकार से वंचित कर दी गई। इसका प्रधान कारण यह था कि उस समय तक क या क उपनयन-सम्कार का स्थान विवाह ने ले लिया था। जन जय नारी पतिकुल म प्रवेश करती थी, अनुपनीत ही रहती थी। अनुपनीत होने से उसे शूद्र के समान माना जाता था। नारा का किसी भी अवस्था मे वेद के म जो के उच्चारण का भी अधिकार नही रह गया था।^{४०}

यज्ञ तथा अय निसा धार्मिक कृत्य का सम्पन्न करने के अधिकार से वंचित हो जाने के कारण पत्नी का यक्तित्व एव सम्मान भी समाप्त हो गया था। इसका प्रारम्भ ब्राह्मण-काल से ही हो गया था। शापय ब्राह्मण (१।९।२।१२ एव १०।५।२।९) म पति क वाद पत्नी के भाजन करने का विधान उपलब्ध होता है।

चूकि उस समय समाज एव परिवार के सदस्या की धर्म के प्रति अदृष्ट श्रद्धा थी, अत उनमें पुरुष या नारी के व्यक्तित्व का मूल्यावन

३७ If the husband was away on a journey the wife alone performed the various sacrifices which the couple had to offer jointly

—The Position of Women in Hindu Civilization, p 198

३८ दक्षिण—विवाह उद्ध २

३९ पत्नीकर्मैव वा ऽएत म कुर्वन्ति मनुस्मान् ।

—ग० ब्रा० १।४।३।३५ १।१।४।१३

४० तुलना कीगिए—प्राचिन भारतीय गिनण-मदति, प० १६१

पति के सम्मानित व्यक्तियों का सम्मान करना, आभ्यन्तरिक कार्यों में दक्षता अर्जित करना, पारिवारिक सदस्यों का उचित ध्यान रखना तथा धन धायादि का संरक्षण करना पत्नी के कर्तव्य थे।^{११} इसके अतिरिक्त अतिचारिणी एवं जालस्यहीन होना भी उसके कर्तव्य थे।^{१२} पत्नी पति-कुल में जाकर पूरी निष्ठा के साथ इन कर्तव्यों का पालन करती थी।

पूर्वाक्त गुणों में युक्त पत्नी के प्रति पति का भी यह कर्तव्य था कि वह सम्मान से अपमान न करने के, अतिचार (परस्त्री गमन आदि) न करने से एश्वय प्रदान से तथा अलंकार प्रदान से अपनी पत्नी को संतुष्ट करे।^{१३}

पूर्वोक्त पति पत्नी के कर्तव्य पत्नी पति के अधिकार थे, अर्थात् सम्मान से पत्नी का संतुष्ट करना पति का कर्तव्य था तथा सम्मान पूर्वक पति से संतुष्ट होना पत्नी का अधिकार था। तात्पर्य यह कि पति-पत्नी दोनों में से प्रत्येक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरे से यह अपेक्षा करता था कि वह भी अपने कर्तव्यों का पालन करे।

यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि पतिपुत्र में प्राप्त सम्मान एवं व्यक्तिगत विप्लव के अवसर का पत्नियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोग किया। फलतः तत्कालीन पत्नी वर्ग के आचरण में विभिन्नता आई। अतः पत्नी के जीवन से सम्बंधित अथ पद्लुओ पर विचार करने

४१ ये तै भन्तु गहना भविस्मति ते मन्करिस्माग य अन्तरास्मता तस्य दन्या भविस्माम या अन्तरा अतापना तम जानिस्माम य धन स आश्वयन गुत्तिया सम्गास्साम ।

—जगुत्तर० २।३०३-३०४

४२ भरिया पञ्चहि ठानहि सामिक अनुकम्पति अनतिचारिणी च अनन्सा स वकिच्चेमु ।

—दीघ० ३।१४७

४३ पञ्चहि ठानहि सामिनेन भरिया पञ्चपट्टान्तया सम्माननाय अनव मानताय जननिवरियाय, इस्वरियवासम्मेन, अलङ्कारानुपपत्तनत ।

—वहा २।१४६-१४७

के पूर्व यह आवश्यक है कि तत्कालीन-समान म माय पत्नी के भेदा पर प्रकाश डाला जाय ।

पत्नी का भेद

बौद्ध-आगमो म पत्नी के भेद दो दृष्टिया से उपलब्ध होते हैं—बाह्य परिस्थितिया (जिनके आधार से पत्नी प्राप्त की जाता था) की दृष्टि से तथा स्वभाव की दृष्टि से ।

बाह्य परिस्थितिया की दृष्टि से पत्नी के दस भेद दिये गये हैं—घनवकीता, छ दवासिनी, भागवासिनी, पटवासिनी ओदपत्तकिनी आमचुम्बटा, दासी कम्पकारी घजाहटा तथा मुहुत्तिका ।^{५४}

घनवकीता—घन देकर स्वर्गीय गरी स्त्री को घनवकीता कहत थे ।^{५५} चूकि घन देकर अनेक प्रकार की स्त्रिया को खरादा जाना था जैसे दासी आदि अत सवाम के हुतु घन दकर सराणी गरी म्त्रा का हा घनवकीता भाया कहा जाता था ।^{५६} जैसा कि अयन बनाया जा चुका है कुछ व्यक्ति अपनी कथा को घन लेकर ही किसी पुण्य के लिए पत्नी रूप म दिया करते थे । इसा प्रकार जिस मनुष्य का विवाह नहीं होता था वह भी घन देकर किसी कथा को भार्या के रूप म ले जाना था ।^{५७} अत इस रीति से आदान प्रदान की यह कथाए उक्त प्रकार म जानी थी ।

छन्दवामिना—अपनी इच्छा से किसी मनुष्यके पास रहत वाली स्त्री

५४ दस भरियाया—घनवकीता मुहुत्तिका ।

—पारा० १० २००

५५ घनवकीता नाम घनत विणित्वा वामनि ।

—अगे ५० २०१

५६ यस्मा पन सा न कीतमता एव सवासत्याय पन कीतता भरिया

—सम० भाग २ ५० १५४

५७ दत्तिए—पृ० ५०-५१

की छद्मवासिनी कहते थे। त्रि तु उम भाया वनने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं था अपितु यह भी आवश्यक था कि उस स्त्री का वह पुरुष भी पत्नी के रूप में चाह जिसके पास वह अपनी इच्छा से रहती है। तात्पर्य यह कि जत्र कोई स्त्री किसी पुरुष के पास प्रेमभाव के कारण रहने लगती थी तथा वह पुरुष भी प्रेमभाव से उस स्त्री का पत्नीरूप में स्वीकार कर लेता था, तो उम स्त्री को इस प्रकार की भार्या कहा जाता था।^{१९}

भागवामिनी—भोग के कारण रहने वाली स्त्री का भागवामिनी कहा जाता था। जनपद की कोई स्त्री किसी पुरुष में जोखली मूसल आदि भागापकरणों का प्राप्त कर उनकी भार्या बन जाती थी तो उसे इस प्रकार की भार्या कहा जाता था।^{२०}

पटवामिनी—वस्त्र प्राप्त कर भार्या बन कर रहने वाली स्त्री को पटवामिनी कहते थे। इस प्रकार में वे स्त्रियाँ आती थी, जो पहले दरिद्रता से पीड़ित रहती थी तथा बाद में किसी व्यक्ति में निवास एव वस्त्र प्राप्त कर उनकी पत्नी बन जाती थी।^{२०}

५८ (ब) छद्मवासिनी नाम पिया पिय वासेति ।

—पारा० पृ० २०१

(ग) छद्म अत्तना क्विया वमता ति छद्मवासिनी । एस्मा एन सा न अत्तना छद्मस्तेनथ भरिया इति पुरिमन एन सम्पटिच्छित्तता

—सम० भाग २, पृ० ५५४

५९ (क) भोगवासिनी नाम भोग दत्त्वा वासेति ।

—पारा० पृ० २०१

(ख) उदुक्कपलमुमलादिपरूपकरण क्वित्वा भरियाभाव गच्छति तथा जन पदित्तया

—सम० भाग २ पृ० ५५४

६० (क) पटवामिनी नाम पट दत्त्वा वासेति ।

—पारा० पृ० २०१

आपत्तिका—उदरपाप के माध्यम से बनी भार्या का आपत्तकिनी कहते थे। कभी कभी स्त्री एवं पुरुष दोनों ही एक जलपात्र में हाथ डालते थे तथा यह कहकर कि जल भी नगह यह (हस्तयुगल) एक ही एक दूसरे का हस्त ग्रहण करते थे। उक्त विधि से प्राप्त पत्नी का इस प्रकार में रखा जाता था।^१ गुजरात में आज भी यह रिवाज विधवा विवाह में देखा जाता है।

आमन्त्रुम्बरा—सिर के ऊपर से गेंडुरी (कपड़े या रस्मी का बना गोताकार बह गद्दा, जो बोज या घडा आदि उठाने समय सिर पर रख लेते हैं।) ऊतरवा कर भार्या बनने वाली स्त्री को आमन्त्रुम्बरा कहते थे। जब रक्छी होन वाली किसी स्त्री के सिर पर से गेंडुरी उतार कर पुरुष उसकी भार्याके रूप में अपने घर रख लेता था ता उस स्त्री का इस प्रकार का भाया कहा जाता था।^२

दासी—जिस स्त्री में दासी तथा पत्नी दाना का काम लिया जाता

(ख) निवामनमत्त पि पापूरणमत्त वा लभित्वा भगिवाभान उपगच्छति तथा दक्षिण्णित्यया

—मम० भाग २ प० ५५४

६१ (क) आपत्तकिनी नाम आपत्त आमसित्वा वामनि ।

—पारा० प० २०१

(ख) उभिन एकिस्मा आपत्तिका इत्थ ओतारत्वा इत् उदक विग ससट्ठा अभन्ना तावा ति वत्वा परिगन्तिताय

—मम० भाग २ प० ५५४

६२ (क) आमन्त्रुम्बरा नाम चुम्बट आरोपेत्वा वासति ।

—पारा० प० २०१

(ख) कट्टारिकात्तौन अञ्जतरा दम्मा मोसता चुम्बट आरोपेत्वा घर वामनि

—मम० भाग २, प० ५५४

था, उनकी दासी भाया कहते थे।^{१३} बौद्ध युग म दासी के साथ पत्नी के समान सवास करने के यत्र-तत्र उल्लेख मिलते हैं।

कम्मकारा—मज्झिमे लेखर काम करने वाली स्त्री का जब किसी पुरुष से पत्नी जैसा सम्बन्ध स्थापित हो जाता था तो उसे कम्मकारी-भाया कहा जाता था। उसी स्त्री जिस घर म मज्झिमे जाने लगी थी, उस घर का स्वामी अपनी स्त्री के विना कारणवश अमन्तुष्ट होकर उसे रख लेता था।^{१४}

घजाहटा—जो स्त्री राजा से युक्त सेना द्वारा लोई जाती थी उसे घजाहटा कहा जाता था। बौद्ध युग म भी एक राज्य का दूसरे राज्य से युद्ध होना रहता था। युद्ध म विजयी सेना पर-पक्ष का लूट कर उनकी स्त्रियां को लेकर वापस आती थी। जब उस प्रचार युद्ध से लूट कर लोई गई स्त्री का बाइ पत्नी बताया था तो वह पत्नी इस प्रकार म आती थी।^{१५}

मुहुत्तिवा—मुहुत्तम के लिए भाया बनने वाली स्त्री का मुहुत्तिवा

६३ दासा नाम दामो चव तांति भरिया च ।

—पारा० पृ० २०१

६४ (ब) कम्मकारा नाम कम्मकारी चव हाति भरिया च ।

—पारा० पृ० २०१

(ग) गेहे भनिया कम्म करोति ताय मद्धि काचि घरावाग क्खेति वत्तना भरियाय अनरिक्का हुत्वा ।

—सम० भाग २ पृ० ५५४

६५ (क) घजाहटा नाम करमरानाता वुत्तनि ।

—पारा० पृ० २०१

(ख) उम्मिहधजाय सनाय मत्वा परमिसय विट्ठम्पित्वा आनीता त कोचि भरिय करान्ति अय घजाहटा नाम ।

—सम० भाग २ पृ० ५५५

कहा जाता था। इन प्रकार की स्त्रियां में आवश्यकता पड़ने पर पत्नी का काम ले लिया जाता था। इन तत्क्षण के लिए पत्नी को स्त्रियों को मुहुत्तिदा कहा जाता था। 'नैनागमा' में 'वृत्त्रिणा' शब्द इसी प्रकार का स्त्रियां के लिए आता है।

स्वभाव का दृष्टि में पत्नी को सात भागों में विभक्त किया गया है—वधवममा चारीममा, आयममा मानासमा भगिनीममा तथा दामीममा।

वधवममा—जो पत्नी अपने पति के वध के लिए उत्सुक रहती थी, उसे वधवममा कहा जाता था। ऐसी पत्नी दुष्ट चित्त एवं पति की अहित की इच्छा से युक्त होता था। साथ ही वह पति की उपाय कर परपुरुष से सम्पर्क स्थापित किया करती थी। इन प्रकार में वह पत्नी आती थी जो धन से खरीदा जाती थी।

चारीममा—पति के धन धान्यादि का चोरी करने वाली पत्नी चोरी-समा कहलाती थी। बौद्ध-युग में पति का पत्नी के प्रति यह कृतव्य था

६६ मुत्तिदा नाम वृत्त्रिणा वृत्ति ।

—पारा० पृ० २०१

६७ त जहा इत्त्रियवग्निगाहियानमण

—उपा० १।४४

६८ वधवममा दासासमा—इमा सत्त पुरिसव भरियाप्रा ।

—अगुनर० ३।२२३

६९ पट्टचित्ता अण्डितानुक्किमिनी

अण्णेमु रत्ता अतिमुञ्चन पति ।

धनेन कातम्म अथाय न्स्मुक्का

या एव न्वा पुरिमस भगिया ।

वथा व भरिया ति व सा पवुच्चरति ॥

—वग ३।१२४

था, उनका दासी भाषा कहते थे ।^{६३} बौद्ध युग में दासी के साथ पत्नी के समान व्यवहार करने के यत्न-तन्त्र उल्लेख मिलते हैं ।

कम्मकारा—मजदूरी लेकर काम करने वाली स्त्री का जब निम्न पुरुष से पत्नी जैसा सम्बन्ध स्थापित हो जाता था तो उसे कम्मकारी भाषा कहा जाता था । ऐसा स्त्री जिस घर में मजदूरी करने जाती थी, उस घर का स्वामी अपना स्त्री को विर्मा कारणवश अमन्तुष्ट होकर उमे रख लेता था ।^{६४}

धजाण्टा—जो स्त्री घनना से युक्त गेना द्वारा लाई जाती थी उसे धजाण्टा कहा जाता था । बौद्ध युग में भी एक राज्य पर दूसरे राज्य में युद्ध होता रहता था । युद्ध में विजयी सना पर पक्ष को लूट कर उनका स्त्रियां को लेकर तापस आती थी । जब इस प्रकार युद्ध से लूट कर लाई गई स्त्रियों को कोई पत्नी बनाना था तो वह पत्नी इस प्रकार में मानी थी ।

मुत्तिका—मुत्तभर के लिए भाषा बनाने वाली स्त्री को मुत्तिका

६३ दासा नाम दासा चर हाति भरिया च ।

—पारा० पृ० २०१

६४ (क) कम्मकारा नाम कम्मकारी चर होति भरिया च ।

—पारा० पृ० २०१

(ख) गेहे भनिया कम्म करोति तास सद्धि काचि परायाग कप्पेति असतो भरियाम् अनतिको ण्त्वा ।

—सम० भाग २ पृ० ५५५

६५ (क) धजाण्टा नाम करमरानाता घुञ्चति ।

—पारा० पृ० २०१

(ख) उस्सित्तघजाय सनाय गत्वा परविमय विलुम्पित्वा आनीता त काचि भरिय करति अय धजाण्टा नाम ।

—सम० भाग २ पृ० ५५५

मातासमा—जिस प्रकार माता, पुत्र के प्रति आत्मीयता की भावना से युक्त हाथर उसकी रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार जो पत्नी, पति की आत्मीयता पूर्वक रक्षा करती थी उसे मातासमा कहा जाता था। इस प्रकार की पत्नी सदैव अपने पति के हित की इच्छुन जानती थी तथा उसके अर्जित धन की रक्षायता से रक्षा करती थी।^{७४}

भगिनीसमा—जो पत्नी छोटी बहिन के द्वारा बड़े भाई के पति विधाय व्यवहार की भांति अपने पति से व्यवहार करती थी उसे भगिनीसमा कहा जाता था। इस प्रकार की पत्नी, पति के कारण अपने आपका गौरवावन समझती थी अर्थात् पति के ऊपर उसे गौरव रहता था। अतः वह लज्जावती बनकर पति की रक्षा के अनुरूप ही आचरण करती थी।^{७५}

सखीसमा—पति के मगसखीके समान व्यवहार करने वाला पत्नी को सखीसमा कहा जाता था। जिस प्रकार चिरकान के प्राण मित्र को देख कर उसकी सखी को प्रसन्नता होती है, ठीक उसी प्रकार की प्रसन्नता पति का देखकर इस प्रकार की पत्नी का होती थी। ऐसी पत्नी सखा का

७४ या सखीसमा ज्ञानानुष्णम्पना
माता व पुत्र अनुरवधत पति ।
ततो धन सम्पन्नमस्त रक्षति
माता च भ्रियति च सा पबुधति ॥

—अनुत्तर ३।२२४

७५ यथा हि जेह्वा भगिनी कनिष्ठिका
सगारवा हाति सक्मिह सामिक ।
हिरामना भसवमानुवर्त्तनी
भगिनी च

कि वह अपनी पत्नी का परिवार का ऐश्वर्य रक्षान करे^{१०} किन्तु इसने साथ पत्नी का पति के प्रति भी यह कृतव्य था कि वह पति द्वारा अहित घन धायादि का सञ्चार्ई क साथ मरक्षण कर ।^{११} इस प्रकार तत्का लीन परिवार म पति द्वारा अर्जित सम्पत्ति के मरक्षण का भार पत्नी के हाथ म रहता था । काँ कोइ पत्नी उम घन में से कुछ भाग पति की अनुमति के बिना अपने पास रग नही थी । ऐसी ही पत्नी को पति के प्रति चोर के समान आचरण करने क कारण चागीसमा रहा जाना था ।^{१२}

आयसमा—पति के सेवका के ऊपर जनावरगत प्रभुत्व का प्रदशन करने वाली पत्नी का जायममा कहा जाता था । यद्यपि इस प्रकार की पत्नी पति के अहित की इच्छुक नही होती थी तथापि वह आलसी एवं लालची हुआ करती थी । फण्म्वरूप वत् स्वभाव से उग्र एवं माणी से बहू होती थी । ऐसी पत्नी सदैव इस बात का प्रयास करता थी कि सेवका से ही अधिक से अधिक काय कराया जाय ।^{१३}

७० भरिया पचुपट्टाजका इमरियथात्मगे

—दीप० ३।१४७

७१ य भता आरिस्सति धन वा घञ्ज वा त

आरकणेन गुत्तिया सम्पाप्स्याम तत्थ च भविस्साम अपुत्ती

—अगुत्तर० २।३०४

७२ य इत्थिया वि दति सामिको धन

अप्य वि त्थस अपट्ठातुमिच्छति

चोरी च भरिया ति च सा पचुच्चति ।

—वही ३।२२४

७३ अकम्मजामा अलला महग्घसा

फरुया च चण्डा दुक्खवादिना ।

उट्ठायकान अभिभुय्य वत्तति

या एवहया पुरिस्स भरिया

अथ्या च भरिया ति च सा पचुच्चति ॥

—वही

मातासमा—जिस प्रकार माता, पुत्र के प्रति आत्मीयता की भावना से युक्त हाथर उसनी रक्षा करती है ठीक उसी प्रकार जो पत्नी, पति की आत्मीयता-पूर्वक रक्षा करती थी उसे मातासमा कहा जाता था। इस प्रकार की पत्नी सदैव अपने पति के लिये की इच्छुक होनी थी तथा उसके अर्जित धन का तन्मयता से रक्षा करती थी।^{७४}

भगिनासमा—जो पत्नी छोटी बहिन के द्वारा बड़े भाई के प्रति किय गये व्यवहार का भांति अपने पति में प्रवृत्त करती थी उसे भगिनीसमा कहा जाता था। इस प्रकार की पत्नी, पति के कारण अपने आपसे गौरवाचिन समझती थी अर्थात् पति के कारण उसे गौरव रहता था। अतः वह लज्जावती बनकर पति का इच्छा के अनुरूप ही आचरण करती थी।^{७५}

सखीसमा—पति के सग सखी के समान व्यवहार करने वाला पत्नी को सखीसमा कहा जाता था। जिस प्रकार चिरकाल के दान मित्र को देख कर उसकी सखी को प्रसन्नता होनी है ठीक उसी प्रकार की प्रसन्नता पति का देखकर इस प्रकार की पत्नी का होता थी। ऐसा पत्नी सखा की

७४ या सख्या हात त्तानुवर्तिना
 माता च पुत्र अनुरक्तने पति ।
 सता धन सम्पत्तमस्त रवपति
 माता च मरिया ति च सा पवुर्वाति ॥

—अगुत्तर ३।२२४

७५ यथा हि जट्टा भगिनी कनिष्ठिका
 सगारवा हाति सक्किह्मि सामिके ।
 िरोमना भत्तवसानुवर्तिनी
 भगिनी च

शांति सञ्जन हानी थी तथा शील एवं पातिव्रत घम से युक्त होती थी ।

तामासमा—पति के प्रति दामी के अनुरूप आचरण करेवाली पत्नी को दामासमा कहा जाता था , इस प्रकार की पत्नी दासी के समान श्रेष्ठ एवं दृगु स्वभाव से पूणतया विहीन होती थी तथा पति के यदुतम व्यवहार का भी शांति स सदन करती थी । जिस प्रकार दासी अपने स्वामी के द्वारा दण्डित होने के भय से कभी भी अनुचित कार्य करने का विचार नहीं करती है उसी प्रकार हम प्रकार की पत्नी के हृदय में पति के दण्ड के भय से अनुचित भावनाएं प्रविष्ट नहीं होती थी । ऐसी पत्नी अपने पति का ठीक वैसे ही महत्त्व प्रदान करती थी जैसा कि दासी अपने स्वामी को ।

पत्नी के पूर्वाक्त प्रथम प्रकार के भेदा से यह ज्ञात होता है कि सूत्रमाल में निहित नारीवग पर पुद्गपवग का प्रभुत्व बौद्ध-युग में भी विद्यमान था । यद्यपि बौद्ध भारत में नारिया को पुद्गपा के समान धार्मिक अधिकार प्राप्त हो जाने से पत्नीवग में नवीन भावना का उदय हो चला था किन्तु उनकी पुरुषा पर आश्रित रहने की अवस्था में कोई अंतर नहीं आया था ।

७६ या श्रेष्ठ त्रिम्बान पति पमोत्ति
सखी सखार व चिरससमागत ।
पालययका शीलवती पतिव्यता
सखी च

—वही ३।२२५

७७ अक्कुद्धसता यधदण्डतजिज्ञा
अनुचितता पतिना तितिवपति ।
अवनीधना भसुवसानुगामिनो
दासा च—

—वही

पत्नी के दस भेदा के सूनाधिक महत्व के विषय मकुड भी नहीं कहा गया है। अत यह कहना कठिन है कि तत्कालीन समाज में प्रथम प्रकार के दस भेदा में कौन कौन से भेद अपेक्षाकृत अधिक उत्तम माने जाते थे। तथ्य यह है कि उक्त भेद पत्नी का प्राप्त करने के तरीका को व्यक्त करते थे तथा पत्नी का उत्तमता या अधमता उसे प्राप्त करने के उपाय पर निर्भर न रहकर उसके स्वभाव पर निर्भर रहती थी। अत उन भेदा से पत्नी की अच्छाई या बुराई ज्ञान नहीं होती थी।

पत्नी के द्वितीय प्रकार के सान भेदा में से प्रथम तीन भेदा का निकृष्ट एव अथ चार भेदा को उत्कृष्ट बताया गया है। कहा गया है कि प्रथम तीन प्रकार की पत्नियाँ दुःशीलता कठोरता एव पति के प्रति अनादरभाव रखने से मरकर नरक में जाती हैं, तथा अथ चार प्रकार की पत्नियाँ सद्गुणा से युक्त होने के कारण शरीर त्यागकर स्वर्ग प्राप्त करती हैं।^{१०} यद्यपि इन भेदा में भी सर्वोत्कृष्ट या सर्वनिकृष्ट भेद के विषय में स्पष्ट संकेत प्राप्त नहीं होता है तथापि पूर्वापर प्रसंग से यह कहा जा सकता है कि 'दासीममा' नामक भेद सर्वोत्कृष्ट माना जाता था। यही कारण था कि मुजाता नामक कुलवधू ने, जिसके असमन आचरण का सुधारने की दृष्टि में उक्त भेदा को बताया गया था, दासासमा पत्नी बनकर रहने का निश्चय लिया था। अथ भेदों की विशेषताओं में यह भी स्पष्ट होता है कि इन भेदा के कथन के पीछे निम्नतम से उच्चतम पत्नी के स्वरूप को क्रम से प्रस्तुत

७८ या चीघ भरिया धधका ति बुच्चति
 चारी च अम्या ति च या पवुच्चति ।
 दुस्धाररूपा फरुषा अनापरा
 कायस्य भग्न निरय वर्जति ता ॥
 या चाध माता

सुगति वर्जति ता ॥

करने का भाव निहित था। अतः वधरूपमा ता गवतिष्टु भेद कृता जा सवता है।

पत्नी के इन मात भेदा पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म में नाग का जा सुविधाग मिली थी उसका गृहपत्नियों ने पृथक् पृथक् ढंग से उपयोग किया था। जब कभी पराधीन व्यक्ति को सुविधाएँ प्रदान कर दी जाती हैं, तो या तो वह उनका दुरुपयोग कर स्वच्छ दत्ता की आर अग्रसर होने लगता है, या फिर पहले से भी अधिक संयत बन जाता है। यही बात बौद्ध-युगानु गृहपत्नियों के ऊपर भी प्रयुक्त हुई थी। पराधीनताएँ हीनता की भावना में मुक्ति मिलने पर कर्तव्य गृहपत्नियों स्वच्छ दत्त बन गई तथा वे पति का वध करने से उत्सुक रहने लगी, अपन मर्यादा में निहित धन की चोरी करने लगी या आलसी बनकर परिजनों को अनावश्यक वस्तु देने में दक्षता दिखाने लगी। इसके विपरीत कुछ बौद्धधर्म-जय नूतन क्रांति का पूण सदुपयोग कर सही अर्थ में पति की जीवन-संगिनी बाने का प्रयास करने लगी।

जैन-युग तत्र गृहपत्नियों का स्वच्छ दत्त प्रवृत्ति समाप्ति सी हो गई। जैनागमा में पति की भावना की उपेक्षा कर स्वच्छ दत्त आचरण करनेवाली पत्नी के सम्बन्ध में बहुत कम उल्लेख मिलते हैं। उपाहरणस्वरूप रेवती भार्या ने अपने स्वाध की पूर्ति के लिए सौता की हत्या कर दी थी तथा उनकी सम्पत्ति पर अधिकार कर पति की इच्छा के विरुद्ध अधर्माचरण से परिपूर्ण जीवन प्रारम्भ कर दिया था।^{७९} इसके अतिरिक्त उसने अपन पति का धर्मसाधना में भी विघ्न उपस्थित करने का प्रयास किया था। किन्तु रेवती के दुष्ट आचरण की पृष्ठभूमि में पति के

७९ तए ण सा रवई छ सवत्ताआ सत्थपाओगण उद्वद उद्वत्ता छ सवत्ताओ विमण्णओगण उद्वेद तासि सवत्तोण हिरण्णकोडि सयमेव पडिबज्जद । महासयएण सद्धि उरालाह भोगभोगाह भुज्जमाणो

साथ मनुष्य-सम्प्रदायी विपुत्र भागा को भोगने की इच्छा मात्र थी।^{६०} अतः उसने कभी भी अपने पति को मारने या उसका अनिष्टकरण करने का प्रयास नहीं किया था। इतन पर भी रेवती के दुष्ट आचरण से प्रोद्युक्त हठार उसके पति ने उसे जब शाप दिया तो वह भयभीत हो गई।^{६१}

पूर्वोक्त रेवती भार्या को तत्कालीन गृहपत्निया का अपवाद ही कहा जा सकता है। कारण, जैनागमा में प्राप्त अधिकांश उल्लेखा से पति के प्रति पत्नी के विनम्र आचरण का ही पान होता है। सारांश यह है कि जैन-युगीन गृहपत्नी में स्वतंत्रता का साथ-साथ शालीनता भी आ गई थी, तथा वह अच्छाई तथा बुराई की मर्यादा को समझने लगी थी।

इस प्रकार प्रथम प्रकार के दस भेदा से पत्नी पर पति के प्रभुत्व एवं द्वितीय प्रकार के सान भेदा से पत्नी की स्वभावगत विभिन्नता का पान प्राप्त होता है।

पत्नी पर पति का प्रभुत्व :

आगम-कालीन समाज में पत्नी पति का निजी सम्पत्ति के रूप में माना जाती थी। पति पत्नी के प्रति किसी भी प्रकार का व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र था। इसका कारण यह था कि पत्नी को अपने पति के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार नहीं था।

पति अपनी पत्नी से यह अपेक्षा करता था कि पत्नी सदैव उसकी आनाकारिणी बनी रहे तथा समय पर उसको सतीप दे सके। एक व्यक्ति ने नेहूरम्बिन अपनी पत्नी को बुलाने के लिए सदेश भेजा

६०. हमारा मन्त्रमयया ! किष्ण तुभ्यं धर्मण वा जग्ण तुभ्यं मए सद्धि उरालां जाव भुञ्जमाणो नो विरसि ?

—उपा० ८।२४२

६१. हटठे ण मर्म मन्त्रमयया न नजइ ण अहं वणवि कुमारण मारिज्जि ससामित्ति कटट भीया जियाइ ।

—वने, ८।२५२

किन्तु किसी कारणविशेष से पत्नी न आ सकी। फलस्वरूप पति दूसरी पत्नी ले जाया। इस समाचार को सुनकर प्रथम पत्नी विलाप करने के अनिरीक्त बुद्ध न कर सकी।^{८२}

यदि पति सांसारिक-जीवन से ऊपर प्रव्रज्या लेने की इच्छा करता था तो इसकी सूचनामात्र पत्नी को देना था। पति के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह अपनी पत्नी में प्रव्रज्या की अनुमति प्राप्त करे,^{८३} जब कि पत्नी को पति की अनुमति मित्रे बिना प्रव्रज्या नहीं दी जाती थी।^{८४} यह बात दूसरी है कि प्रव्रज्या लेने के पूर्व पति कभी-कभी पत्नी के जीवनयापन की उचित व्यवस्था कर देता था। यदि पत्नी पति के सुझाव से पर पुरुष के पास जाना चाहती थी तो पति उन पुरुष के लिए अपनी पत्नी को विधि-पूर्वक उसी प्रकार दान में दे देता था जिस प्रकार व्यक्ति अपनी अथ वस्तुओं को देता था।^{८५}

पति द्वारा दुराचारिणी पत्नी को मारे जाने के भी उल्लेख मिलते हैं।^{८६} कभी-कभी तो बलात्कार किये जाने पर भी पत्नी को मार डाला जाता था।^{८७} यद्यपि ऐसी अवस्था में पत्नी का कोई दाप नहीं

८२ आगच्छन्नु काणा, इच्छामि वाणाय अथ खो वाणाय सामिकोअञ्ज पजापति आगाम। अस्साति खो काणा रादत्ता अट्टामि।

—पाचि० प० ११२-११३

८३ दोष० २।१/५ अगुत्तर० ३।२-१६

८४ या पन भिवत्तना सामिकेन वा आनुञ्जात सिक्खनान बुट्टापय्य पाचित्तिय।

—पाचि० प० ४६४-४६५

८५ अथ सा अ भत त पुरिस पवकोमापेत्वा कामेन हत्थेन पजापति गहेत्वा दक्खिणन हत्थेन मिद्धार गहेत्वा तस्म पुरिसम्म आणोजमि।

—अगुत्तर० ३।३१६

८६ मरु पजापति अनिचरत्त त घातेम्मामा ति। जाना ती वि।

—पाचि० प० ०१

८७ तत्र ण छ माट्टिल्ला पुरिसा वधुमए सदि विउल्ला भोगभागाद् भूञ्जमाण विरहां त अज्जुणा छ अत्थमत्तमे पुरिते घाएमाणे

—अत्त० ६।१०८ १०६

हाना था किन्तु दूमरे पुरुष से दूषित पत्नी रखना मनुष्य की सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए घातक था ।

पति के व्यवहार से क्रुद्ध होकर पत्नी के घर संभागने के भी उल्लेख मिलते हैं ।^{८८} यद्यपि आगमों में इस प्रकार पत्नी के घर संभागने के वारणों पर पनाश नहीं डाला गया है किन्तु निश्चय ही जब पति का अत्यधिक प्रभुत्व पत्नी की सहनशक्ति की चरम सीमा को भी लाघ जाता होगा तभी वह क्रुद्ध होकर भागने के लिए विवश होती होगी ।

पत्नी का जुए के दांव पर लगाना भा पति के प्रभुत्व का ही परिचायक था क्योंकि जुए के दांव पर लगाने के पूर्व या पश्चात् पति के विरुद्ध पत्नी या उसके माई व धु कुछ भी नहीं कर पाते थे ।

सारंश यह कि आगम-कालान-समाज में साधारणतया पत्नी अथवा भाग्य वस्तुओं की भांति ही एक प्रकार की भाग्य वस्तु मानी जानी थी ।^{८९}

पति पर पत्नी का प्रभुत्व :

आगमों में पति पर पत्नी का प्रभुत्व की भी यत्र-तत्र चर्चा की गई है । वह पत्नी जो रूप भोग, जाति, पुत्र एवं शील बल से युक्त हाना थी अरने पति पर शासन करती थी ।^{९०} अतः परिव्राजक-अवस्था को त्याग कर पति वननवाला व्यक्ति अपनी पत्नी की प्रभुता का प्राय

८८ (क) अञ्जतरा मामिकन सह भणित्वा गामना निश्चमिता
—गात्रि० पू० १७८

(ख) इत्या वा क्रुद्धगामिणा ।

—सूय० १।३।१।१६

८९ वत्थग-धमलकार इत्थीओ सुयणाणि च ।

भुञ्जन्तिमां भागाइ

—सूय० १।३।२।१७

९० पञ्चद्वि बलहि ममतागतो मानुगामो मामिक अभिभूय्य वसति ।

—सयुक्त० ३।२।१६

द्विजान्त ही जाना था। कारण वह ध्यक्विन रूप भोग आदि बली से हीन तो होता ही था, माय हो ऐश्वर्य के अभाव में भी अस्त रहता था। इसके अनिच्छित सिद्धि आदि के ज्ञान से हीन होने में पत्नी का भरण पोषण एवं उमरी इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता था। अतः पत्नी अपने परिव्राजक पति पर तरह-तरह से प्रभुता का प्रदर्शन करती थी। सुदृक्-भुत्री चापा अपने पति उपर्युक्त आजीवन को नाना प्रकार से दखानी थी। इसका मूल कारण यह था कि चापा यह भली भाँति जानती थी कि उमरु पति के पास न ता धन था, और न ही शिल्प था। अतः उस पर प्रभुता प्रदर्शित करने से चापा को कोई हानि नहीं हो सकती थी। कारण, वह चापा को छोड़कर अयत्र नहीं जा सकती थी। इसी प्रकार पत्नी की इच्छा की पूर्ति के लिए एक परिव्राजक का गोशतराज के पास तेज लेने जाता पड़ा था। चूँकि तेज वही पीने के लिए मिलता था अतः परिव्राजक ने इस आशा से अधिक पी लिया कि पत्नी के सामने उमरु दगा, कि तु अधिक तेज पीने से उसकी मूर्धु हो गई। मूयगड में भी परिव्राजक पर उनकी पत्नी की प्रभुता का विशाल धण्डा उपलब्ध होता है।

एक पत्नी भी अपने वृद्ध पति पर प्रभुत्व करती थी। राजा आस्ताक ने अपनी नव्या पत्नी के करने में प्रथम पत्नी के पुत्र-पुत्रिया को देना में विवश किया था। इसी प्रकार एक वृद्ध पति को तद्वत् पत्नी के करने में अनिच्छतापूर्वक उमरा काय करने के लिए विवश होता पाया था।

११ पृ० १३३

१२ पृ० २१६

१३ अथ तं नु भेषमावन्त मूर्धु इति विवशं काममावन्त ।
 धर्मिणो ददाते तौ पत्न्या प तुडट्ट मदि पत्न्यि ।

—१।३।२।२

१४ भूयश्च धर्मो एतन्मया कृतं त्वं नु पत्न्या पत्न्ये १५ ।

—३।५० १।५०

१५ अथमा २।१७-१८

जैनागमा म पति पर पत्नी के अनुचित प्रभुत्व के सूचक उल्लेख नहीं मिलते हैं। उनमें जहाँ कहीं भी पत्नी की प्रभुता में सम्बंधित उल्लेख उपलब्ध होते हैं वे इसी वान कर प्रकाश डालते हैं कि जैन युग में पत्नी अपनी मर्यादा एवं विनम्रता का त्याग प्रायः नहीं करती थी। वह पति के प्रति श्रद्धा ही की भावना रखती थी।

किन्तु बौद्ध तथा जैन दोनों ही आगमा में यह बात जाना है कि उस समय पति पर प्रभुत्व होना पत्नी के लिए गौरव की बात मानी जाती थी। एक स्थल पर इसे पत्नी के पूज्य ज मङ्गल पुष्य का फल बताया गया है।^{१६} अतः प्रत्यक्ष पत्नी सदैव इस बात का प्रयत्न करती थी कि उसका पति उसके अनुकूल रहे। इसके लिए पत्नी चूण, औषध आदि साधना का भी उपयोग करने के लिए तत्पर रहती थी।^{१७}

दाम्पत्य सम्बन्ध

बौद्ध युग में पति एवं पत्नी के पारस्परिक कर्तव्य एवं अधिकार के निर्धारण से दाम्पत्य सम्बन्ध में सुदृढता आने लगी थी। पत्नी पति की भोग्य वस्तु के भाय-भाय जीवन-सगिनी भी बनने लगी। पत्नी के अभाव में मनुष्य अपने को निराश्रित अनुभव करने लगता था। इसका कारण यह था कि पत्नी उसके प्रेम की आश्रयभूत रहती थी। जब मुण्डक राजा की पत्नी की मृत्यु हुई तो वह अत्यंत दुःखी हुआ तथा दुःखाभिभूत होकर उसने स्नान भोजन का भी त्याग दिया। वह अपनी पत्नी के पार्थिव

१६ (क) जा इमा इत्थिवा भवति एग एगजाया ज पासिता जिग्घाथी निजान करि
—दत्ता० पृ० ८२३

(ख) टानानि दुल्लभानि अकतपुञ्जेन मातुगामन सामिक अभिभुय्य वत्तेय्य।

—सप्त० ३।२२१

१७ त अत्थियाइ मे अजाओ! कद कर्हिच चुणजोए वा मज्जोने वा वम्मणजोए वा हिपउण्डावण गुलिया वा आसह वा इट्ठा भवज्जामि।

—नाया० १।१४।१०४

सरीर को तेज म रगवाकर उमीन सम्पुग विन्नाप करता रहता था।^{९८} एक स्त्रा ने भाई-बचु उसे उमने पनि मे छीउतर अय पुरुष का दना चान्त थे जितु पनि एव पत्नी दाना ही एव दूगर को चाहते थे। पनस्वरूप पति ने, इम आशा से कि अगते जंम म इम दाना एव साथ रहूगे अपनी पत्नी का मानकर आरम्भहत्या तर ला।^{९९}

पत्नी के द्वारा दिये गये सहयोग एवं किय गये सदाचरण से पति-यग का पूण सतोप रहता था तथा इम म तोप को पति बडे गौरव क साथ व्यक्त भा दिया करता था जो आगम कालीन पत्नी के दाम्पत्य सम्बन्ध को मधुरना को ही बताना था।

दाम्पत्यजीवन की मुटटना के लिए पति का अतिश्रमण न करना पत्नी के लिए अत्यावश्यक होता था। कारण पति मत्रसे पहले अपनी पत्नी से यही आशा करता था कि वह मरा अतिश्रमण न कर। नकुल पिता को मरण शय्या पर व्याकुल दरकर उसरी पत्नी ने समझाया कि वह मरणापरान्त भी उसका अतिश्रमण नहीं करगी।^{१००} पत्र नकुल पिता पत्नी से आश्चस्त होकर स्वम्य हो गया। धनिय गोप भी अपनी पत्नी को इसलिय मानता था कि गोप न उसका पाप नहीं सुना था।^{१०१} न दमाता ने भी इमे बडे गौरव के साथ बनाया था कि वह

९८ सो महाय देविया कालङ्कनाय नव हायति न। बालम्यात दक्षिया सरिरे अउगोमण्डिनो।

—अगुत्तर० २।३२२-२२३

९९ इम म अयपुत्त जानका त्व अण्डित्वा अञ्जम दातुकामा। अय खा सा पुरिसी त इरिय द्विधा ऐ वा अत्तान उण्णालसि—'उमो एव भविस्सामा नि।

—मज्झिम० २।३५६

१०० सिया खा पन ते गहपति, एवमस्स—'नकुलमाता गहपतानी ममञ्चवन अञ्ज घर गमिस्सती' ति। न खा पनत एव दटुञ्च।

—अगुत्तर० ३।१७

१०१ गोपी मम अस्सवा अलोला दीघरत्त सवासिया मनापा। तस्मा न सुणामि किञ्चि पाप

—मुत्तनिपात १।२।५२

वाल्यावस्था में ही पतिकुत्रम ले आई गई थी किंतु कभी भी उसने अपने पति का मन में भी अतिक्रमण नहीं किया था।^{१०२}

कभी कभी प्रीयित-पतिवाए पर-पुरुष में सम्बन्ध स्थापित कर लेना था तथा वह पर-पुरुष से गभ भी रह जाता था। व उस गभ को चारी छिप गिराकर फिरवा देती थी।^{१०३} उन्हें भय रहता था कि यदि जार के साथ उनका सम्बन्ध का समाचार पति सुन लेगा तो उसकी जीवन लीला को समाप्त हो जाएगी। आगम-कालीन समाज में यदि किसी परिवार का स्त्री अतिक्रमण करती थी तो उस कृत्य से उत्पन्न अपयग का भागी परिवार का प्रत्येक संस्य होता था। अतः अतिचरण करने वाली पत्नी का जीवन-सीता भी समाप्त कर दा जाता था।^{१०४} इसीलिए पत्नी के रूप में रखी गई गणिना ने भी यह आशा की जाता था कि वह पर-पुरुष में सम्बन्ध स्थापित न करे।^{१०५}

धुल की गृहपत्नी का अपने पति से प्रायः मधुर-सम्बन्ध ही रहता था। पति की आजा का पत्नी पूज्यता पालन करती थी तथा पत्नी को इच्छा का पति सम्मान करता था। जब कभी पत्नी अपनी इच्छा को पति के सम्मुख प्रस्तुत करता थी तो पति यह कहता था कि यही मेरी भी इच्छा है।^{१०६} आगम-साहित्य में अतिचरण की छोटकर अथ ऐसे कारण कम दृष्टिगाचर होत हैं जिनमें पति-पत्नी में मतभेद हुआ है। तस्य ता यह है कि कुलीन पति-पत्नी के कार्यो का देखकर यही

१०२ यथाह मासिकम् दन्तस्त्रय दन्ता आनाता नाभिजानामि मामक मनसा वि अतिचरिता ।

—अनुत्तर० ३।२०३

१०३ अज्जतरा इषी पवुत्थपतिका जारेन गम्भिनी ज्ञाति । सा गम्भ पानत्वा कुत्रपिव भिवर्णनि एत्तञ्चोच

—सुल्ल० ५० ३८८

१०४ पावि० ३०१

१०५ विवाग० १।६।६८

१०६ मम वि य ण एम चव मणारह

—नाया० १।२।४२

अनुमान होता था कि व क्षेत्रन गगर मे भिग गव पाग्विवाग्न आचार-
विचारा स अभिन्न थे ।

किन्तु मना यट तात्वय गी कि धार्मिक विचारा स भी पत्नी
पति स सहमत न । बौद्ध सागमा म प्राप्त उत्पत्ता म जान हाता है कि
वभी-वभा पति पत्नी म धार्मिक मनभ के कारण मनमुटाव-मा उत्पन्न
हो जाता था । उसना प्रमुग कारण यह था कि गतिक मस्टृति म प्रभा
विन परिवारा का प ना बुद्ध म प्रभावित होकर उ नमस्वार परनी थी
जो कि उनर पति को अगदर हाता था । कि तु इग प्रकार व धार्मिक
मनभेद स दाम्पत्य मम्व ध म विमो प्रसार ता विधितता नही जाती
थी । बद्ध युग धार्मिक ज्ञाति का युग था । अत उम समय धार्मिक
दृष्टि स रता पुष्ट जपन वा म्वन त्र अनुभव करत थे ।

सपत्नीवृत्त उत्पात :

जैसा कि अ यत्र लिखा जा तुता है, जागम-वालाग समाज म बहु
पत्नीत्व का प्रवा का प्रचलन था । उग समय राजा की ना अनेक
पत्निया हाता ही थी, घनाढ्य व्यक्ति भी अधिक पत्निया रखन म अपने
वीभव वा सायकता समभन थे । साधारण व्यक्ति पत्ता के वध्या हाते
पर द्वितीय पत्नी रख लेता था । फता इन सपत्निया के कारण परिवार
मे घोर अशांति का वानावर्ण रहता था ।

पति की 'प्रिय-पत्ता अपना सपत्निया के विद्वेष म निरन्तर पीडित
रहा करना थी । वे सपत्निया वभा प्रिय पत्नी का हिन नही चाहती
थी । सपत्निया का यह विद्वेष पूण रवीया उम समय अपनी पराकाष्ठा
पर पहुच जाना था जब पति पर किसी एक पत्ता का अधिक प्रभुत्व
होता था ।

सपत्निया की पारस्परिक कटुता के अनन्य कारण थे । सवप्रथम
कारण यह धारणा था कि यदि काई पत्नी प्रभुता-मम्पन हा गई तो
अन्य सपत्निया का नाना कष्ट खेलन पडेग । एक व्यक्ति की द पत्निया
थी, एक पत्नी का ८—१० वष का पुत्र था तथा द्वितीय गभवती ।

सह्या उम व्यक्ति के मर जाने पर पुत्र न अपनी मा की सपत्नी को घर से निकालना चाहता।^{१०७} यहाँ कारण था कि वर्या पत्नी प्राय अपनी गभवती सपत्नी के गभ का विनाश करने का उद्यत रहती थी।

इसके विपरीत पति का प्रिय पत्नी भी अपनी सपत्निया के विनाश का प्रयत्न करती थी। उमे यह आशय रहती था कि यदि कभी उसकी सपत्निया अपने पति का उससे विमुक्त करने में सफल हो गई तो उसकी दशा दयनीय हो जायगी। अतः वह हाथ में निम्न पति का प्रयोग कर सपत्निया को अपने माग में रखा देना चाहती थी। उदाहरणस्वरूप कनिष्क राजा की पत्नी ने अपना सपत्नी की हत्या के निमित्त उसके ऊपर अगार पेंच दिया था।^{१०८}

जैनाग्राम में भी पति क माय यथेष्ट भोग करने एवं प्रभुता प्राप्त करने की अभिजापा से पत्नी द्वारा अपना सपत्निया को मार डालने के उदाहरण हैं। रवती ने इमा भावना से अपनी १२ सपत्निया को मार डाला था।^{१०९} मिहमेन का ५०० रानियाँ थी जिनमें श्यामा उसे सबसे अधिक प्रिय था। फलतः उपेक्षित रानिया का माताआ ने अपनी प्रिय पुत्रिया का दयनीय अवस्था का दूर करने के लिए श्यामा का मार डालने की योजना बनाई थी।^{११०} किसी प्रकार श्यामा का उम योजना के

१०७ अथ सा मागवका मागुमपत्ति ए। एवान—यामि, भानि धन मय्य स मय नत्थि तुर ए किञ्चि

—म० २।२४६

१०८ सपत्ता म गभिता जामि हस्या पाव अचापि ।

साह पदुदुमवमा रररि ग भपानत ॥

—पन० १।६।३१ १।७।८२ पाग प० १०४-१०५

१०९ एना हत्या कत्तिङ्गस्य रञ्जो अगमदुमो अगस । सा इग्यापक्ता सर्पति अन्नारकटाग्न आकिरि ।

—सयुक्त० २।२१६

११० दधिण—उद० ७६ ।

१११ एव खल सामी मोहमेध राया सामाण देवीए मन्त्रि ४ अम्ह धूयाया ना आडाद । स सेव खलु अम्ह साम दधि आशियाआ ववरावित्तए ।

—विवाग० १।१।१६५

विषय में जाभास मिन गया । परिणामस्वरूप उमने अपने ऊपर आसक्त मिहृता में अथ रात्रिया की माताआ की गरया डाला ।^{११२}

एतस्य तारणा से मपत्ता का त हाना पत्ता का मौभास्य माना जात लगा था ।^{११३} सपत्निया में हीन हातर परिवार में ग्ता मित्रमा के लिए एक दु भ दान था । अत उने पूजक म म अत्रिा पुष्य का पत्र माता जाता था ।^{११४}

पत्नी पद्य परिवार :

परिवार में गृहपत्नी का सम्मानजनक स्थान था । आगमा में प्राप्त उल्लेखा में पात होता है कि बट्ट परिवार ने सभी गश्म्या की ग्यामिनी हाती थी । घर के आन्तरिक काम उगी का इच्छा के आधार पर जाने थे ।^{११५} यही कारण था कि परिवार के आन्तरिक काम के माय गृहपत्नी का प्राय अविवायम्प से सम्बन्ध होता था । आगमा में पर के ऐस जा नरिख काम का उल्लेख नहीं मिलता जिसमें गृहपत्नी का प्रभुत्व दृष्टिगाचर न होना हा ।

गृहपत्नी का न केवल प्रभुता ही प्राप्त थी अपितु उसने पाए वैशक्ति सम्पत्ति भी रहनी थी । इस प्रकार की सम्पत्ति में वह धन आता था जा पत्ना का नैहर में मिगता था । प्रप्रग्या से रट्टवाल को वापस बुलाने के लिए परिवार की सम्पन्नता बताते हुए उसके पिता ने उसने कहा कि यह तुम्हारी माता का धन है, वह तुम्हारे पिता का

११२ कए ण सीहरया आलोविवाइ कालघम्पुणा मजुत्ताइ ।

—वा १।६।१७१

११३ स जा इमा इतिवथा भवांत एवा एगजाया

—दगा० पू० ४२३

११४ पञ्चिमानानि ठागानि दुल्लमानि अकतपुञ्जेन मानुषामन असवत्ति अगार अज्जावधेम्य

—मयुत्त० ३।२२१

११५ मत्ताव० पू० २८६

घन है नाति ।^{११६} तैनागम उपागवत्शाग म भा स्थी घा की चर्वा उपलघ हाती है ।^{११७}

इस प्रकार के घन का उपयोग पत्नी अपना खुशी से करती थी । जीवक ने जब मेठ को पत्नी का स्वस्थ कर दिया तो उसे मठ का गृहपत्नी तथा पुत्रवधू ने भी अपनी आर से चार चार हजार दिये थे ।^{११८} पत्नी की मृत्यु के बाद उमका सम्पत्ति पर प्राय उसके पुत्र का अधिकार हो जाता था ।

गृहपत्नी एवं समाज

गृहपत्नी के अच्छे या बुरे कार्य की प्रतिक्रिया न केवल परिवार तक ही सीमित रहती थी अपितु समाज में भी उमकी चर्चा होती थी । वैदहिका नामक गृहपत्नी के सुन्दर व्यवहार से समाज में उसका मग फैल गया था तथा मनुष्या में उमक गुणा की चर्चा होने लगी थी ।^{११९} किंतु जब उसने अपने दुष्ट स्वभाव का प्रयोग किया तो उमका कीर्ति अपकीर्ति में बदल गई ।^{१२०} इस प्रकार जब नागश्री द्वारा स्थि गय आहार को

११६ इत् स तान गृहपाल मत्तिक घन, अत्र पत्तिक

—मज्झिम० २ २८८

११७ तस्म ष मनामयग म रवईत् भारियाण कालपरियाओ अशुश्रिणकोटाओ अवममाण दुबालमह भरियाण काघरियाणममगा हिरण्णकाहा हत्था ।

—उपा० ८।२२०

११८ अथ वा मट्टिभरिया अराणा समाना आवकस्स कामाग्भच्चस्स चत्तारि गहस्समानि पाणाणि मुणिणा—सस्सु म अरोगा णिना ति रत्ताणि सुहस्समानि पाणाणि ।

—मगव० ५० २८९

११९ वन्निजाय निक्खजे गणवतानिया एव कल्याणाकित्तिसहा अमुगती— मारता वनेत्तिजा गहम्मानी, निवाता उपम ता ।

—मज्झिम० १।१६७

१२० चण्णे वेदहिका गणपतानो

—मज्झिम० १।१६९

खाकर मुक्ति धमरुति की मृत्यु हा गई तो समाज म उगवी अपकीर्ति फैल गई।^{१११} कभी कभी तो समाज की अपकीर्ति को प्राप्त पत्नी को भारपीठक परिघार से भी नियात्र दिया जाता था।^{११२} अत आगम-कालीन समाज म पत्नी को परिवार के साथ साथ समाज का भी उचित ध्यान रखना पड़ता था।

जननी

भारतवर्ष म सदैव से जननी का सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है। इसके विषय म दा मत नहीं हा मरते हैं। कारण, माता अपने पुत्र के लिए जा त्याग करती है जा कष्ट सहन करती है वे अत्य व्यक्ति का क्षमता के बाहर हैं। माता अपना स तान का ९ मास तक गभ म रखती है, उसे अपना रक्तदान करती है। ज म लेने के अत तर सतान का सर्वाधिक सम्प्र घ माँ से ही रहना है। अत माता की स्वग मे भा श्रेष्ठ माना जाता है।

वैदिक कालीन स्थिति

वैदिक-युग म जननी का सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है। वेदा म माता के प्रति अत्यंत श्रद्धाजनक विचार पाये जाते हैं। परमात्मा को पिता के साथ-साथ माता के रूप मे भी देखा गया है।^{११३} अथर्ववेद म माता के प्रति उत्तम आचरण का विधान किया गया है।^{११४} वैदिक-काल म सतानोत्पत्ति को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता था। अत

१११ बहुजना अगमदम् एवमाइवच—धिरत्यु ण नागमिराण माहणीए जाव तीवियाआ ववराविए।

—नाया० १।१६।११३

११२ तए ण त माहणा तजिता तात्तिता मयाआ गिगाआ निच्छुभति।

—वही

११३ तजि न पिता वना त्य माता शनक्रता वमुविथ।

—ऋग्वेद० ८।१८।११

११४ मान्ना भवतु क्षमता।

—अथर्व० ३।३०।२

एसी स्त्रियाँ जा सनान की ज म द तथा थी, सामाजिक दृष्टि में उत्तम मानी जाती थी ।

उत्तर-वैदिक कालीन स्थिति

उत्तर-वैदिक काल में ऋणमुक्ति के सिद्धान्त से माता का अत्यधिक विनिष्ट स्थान प्राप्त हो गया क्योंकि जब पत्नी पुत्र को जन्म देकर मातृत्व पद की प्राप्ति करती थी तो पुरुष की भी अपूर्णता समाप्त हो जाती थी तथा वह पितृ ऋण में मुक्त हो जाता था । धर्मसूत्रों में भी माता की प्रशंसा प्राप्त होती है । गौरव की दृष्टि से माता का पिता से हजारगुना अधिक माना गया है ।^{१११} जानि में च्युत माना के भरण पापण का भी विधान किया गया है ।^{११२} उत्तर वैदिक-काल में बध्या स्त्री का जन्म निरर्थक-मा माना जाता था । पति के लिए पत्नी के बध्या होना पर द्वितीय पत्नी लाने का भी विधान उपलब्ध होता है ।^{११३}

इन सब कारणों से सूत्रकाल में भी माता का उचित सम्मान प्राप्त होता था । उस समय जब कि अथ नारीवर्गों को धार्मिक दृष्टि से महत्त्वहीन माना जाता था माना कुछ सामान्य धार्मिक-कार्यों में भाग लेती थी । उदाहरण के लिए उपनयन सम्स्कार में जो कि धार्मिकदृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण था, माता का पुत्र के श्रेष्ठ हितपी के रूप में माना

११५ उवाचशायान्नाचाय आचार्याणा क्षत पिता ।

सन्धु तु पितृ-माता गौरवणातिरिच्यते ॥

—मनुस्मृ० २।१४५

तुष्टना कीजिए—म १० १३।१०५।१५ व० घ० सू० १३।२८

११६ माता पुत्रत्वस्य भूयसि कर्माण्यारभन् तस्यां गुधूपा पतिनायामपि ।

—आ० घ० सू० १।१०।२८।६

११७ अ यत्राभाव कार्मा प्रागन्याधयान् ।

—व १ २।५।११।१३

जीवन था।^{१३०} पिता का पुत्र व प्रति उपमित ज्ञान देना गया है किन्तु माना था तही। उदाहरण के रूप में अशुक्तिमान जब मयी दुष्ट मम से विरक्त तदा हुआ तो राजा ने उसे बन्दा बनाया के लिए सेना भेजी। पिता राजा द्वारा पुत्र का पालने के लिए भेजी गई सेना के समानार से पितृकुल चिन्ता नहीं हुआ किन्तु माना अपने जीवन की चिन्ता तिये बिना ही पुत्र का रक्षा के हेतु उपाय पाए गई।^{१३६}

इसके अतिरिक्त बौद्धागमा में प्राप्त उल्लेखा से यह भी पता चला है कि पिता अपने उपजाल शिशु का छोटा-सा प्रश्रयण लो में मंभाव रही करता था,^{१३१} जब कि उम परिस्थिति में स्त्री प्रश्रयण लो का विचार भी मन में नहीं लाती थी। जब तभी अपने पुत्र का रोकर पत्नी प्रश्रयित पति के पास जाती थी तथा पति से पुत्र के पोषण का अजुरोध करती थी तो वह अजुरोध पति का उसी माधना में विरत करने में समफल रहता था। इतना ही नहीं, प्रत्युत इस प्रकार की अधिग साधना का प्रशंसा भी की जाती थी।^{१३०} एतद विपरीत यदि कोई स्त्री भिक्षुणी बनने में उपरांत, सत्ता का जन्म देती थी तो उस सध की आर से सत्तान के उचित पातन का निर्देश दिया जाता था तथा आवश्यकता होने पर उम मातृत्व का प्राप्त भिक्षुणी की सेवा में अथ भिक्षुणी को नियुक्त कर दिया जाता था।^{१३१} यहां कारण है कि माता

१३७ माता यथा निय पुत्रमायुगा एकपुत्रमनुत्सव ।

—सुद्ध० ६।७

१३८ धेर० (हि०) म० २०६-२०७ ।

१३९ सचे पुत्र सिगालान पुषट्टरान पश्रयिमि ।

न म पुत्रकले अम्म पुनरावत्तविस्सति ॥

—धेर० २३।२।३०४

१४० 'एवो ते रामण पुत्ता पाम म' ति । अथ सो आयस्सा सज्जामजि स दारक नव आलोक्खि ना पि आलपि

—उदा० २।८

१४१ "अनुजानामि भिक्खव, पामतु याव सो दारको विञ्जुत पापुणाति" ति एक भिक्खुनि सम्मत्तिवा तस्सा भिक्खुनिय पापुणाति दातु

—सुद्ध० प० ३६६-४००

को घर का मित्र कहा गया है।^{१४२} जहाँ-कहीं आदर्श प्रेम के विषय में कुछ कहा जाना था जनना के पुत्रस्नेह को उसमा के रूप में प्रस्तुत किया जाता था।^{१४३}

जैन-युग तक स तान के सरक्षण में पति-पत्नी एक-सा सहयोग देने लगे थे। जब तक पुत्र गृहकाय के मन्थन की क्षमता को प्राप्त नहीं कर लेता था, पिता दीक्षा नहीं लेता था। जहाँ तक माता का प्रश्न है वह प्रायः दाक्षा नहीं लेता थी। जैन आगमा में केवल उन्हीं नारियाँ के द्वारा दीक्षा लेने के उल्लेख मिलते हैं जो कुमारी होती थी अथवा विवाहित होने के उपरांत बध्या या पतिस्नेह से रहित होती थी। जैन युगीन माता की यह इच्छा रहती थी कि वह अपने जीवन का उपयोग पुत्र के सरक्षण में ही करे।^{१४४}

जैन-युगीन माता का हृदयस्पर्शी स्नेह प्राप्त होना है। जब कोई व्यक्ति प्रव्रज्या लेने के पूर्व अपने माता पिताओं की स्वीकृति लेने जाता था, तो माता पुत्र की इच्छा सुनते ही मूर्च्छित हो जाती थी तथा घन यावन्मया में आने पर तरह-तरह से यह प्रयास करने लगती थी कि उसके जीवनपर्यन्त पुत्र प्रव्रज्या न ले।^{१४५}

मातृत्व की लालसा

जैन-युगीन नारियो में मातृत्व प्राप्ति के हेतु किये गए प्रयत्न के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। जब किमा स्त्री का सन्तान नहीं होता था, तो

१४२ माता मित्र सख घर।

—समुत्त० १।३५

१४३ सुत्तनिपान १।८।१४६।

१४४ त भुजाहि ताव जाया। विपुले जाव ताव वय जोवामा। सखा पच्छा पत्रस्ससि।

—नाया० १।१।२८

१४५ तए णं सा धारणी देवी कोट्टिमनल्लि सव्वर्गहि पमत्ति पडिया

—व्या १।१।७

वह नाग भूत, यक्ष, इन्द्र आदि की प्रतिमाओं का सविधि पूजन कर उनसे म तान प्राप्ति की प्रार्थना करती थी।^{१४१}

मातृ वध :

प्राचीन भारत म माता के वध की घटनाएँ भी होती थी। कौपीनकि उपनिषद् म इसे अत्यन्त दारुण पाप बतलाया गया है।^{१४२} बौद्ध आगमा म भी मातृवध की चर्चा उपलब्ध होती है। अगुत्तरनिवाय म कहा गया है कि माता का वधरूप कृष्ण-कर्म करने वाला कृष्ण-फन का भागा होता है।^{१४३} अथ एक स्थल पर माता की हत्या की घोर पाप बताया गया है।^{१४४} माता के हत्यारे को भिक्षुमघ म प्रवेश करने का अधिकार नहीं था।^{१४५} मातृवध की निंदा के अनेक उल्लेख इस बात का सबूत करते हैं कि बौद्ध-युग म इस प्रकार के निवृत्त कर्म का अस्तित्व था। जैनागमा म इस प्रकार के उल्लेखों का अभाव है। अतः कहा जा सकता है कि जैन-युग में मातृवध जैसा दारुण पाप इस मात्रा म नहीं होता था कि धार्मिक पुरुषों को उसकी निंदा करने की आवश्यकता महसूस हो।

१४६ नगरस्म वप्पिया नागाणि य भूयाणि य महरिह पुष्पञ्चणिय करत्ता
दारग वा दारिग वा पयायामि तो ण अह तुम्भ अणुवड्डमि ।

—बहो १।१।४० तथा त्रिवाग० १।७।१३८

१४७ न मानुवचन न रितवसेन नास्य पाव चन षड्ढयो मुयात्तोऽप्यतोति ।

—१।३

१४८ एक्कवचन माता जाजिता वारापिता हाति इण् बुच्चति कम्म कण्हक्कट
विपाक् ।

—अगुत्तर० २।२५०

१४९ मानर पितर ह त्वा अनीया याति ब्राह्मणो ।

—धम्म० २१।२९४

१५० मातुपातका, भिक्षुवदे, अनुपसम्पत्ता न उपसम्पात्तेवो नासत वो ति ।

—महाव० पृ० ६१

सत्पुरुष बनाया गया है किन्तु प्रयोगात्मकरूप इनमें हीर भिन्न मिलना है। पुत्र-पुत्री प्रसन्न्या लेते समय इन बातों का जरा भी ध्यान नहीं रखते थे कि उनकी माता पिता की सेवा करनी चाहिये। सभी गृहपुत्र अपनी इच्छा से ही प्रसन्न्या लेते थे यह करना अनुचित होगा। उनका भिक्षु बनाने में भिक्षु-वर्ग अपने प्रभाव का उपयोग किया करगा था। भिक्षु वर्ग इस बात की चेष्टा करना था कि अधिक ग अधिक भिक्षु बनें, अथवा राहुल जैसे आठ वर्ष के बच्चे का, जो कि अपनी माँ के कटोरे से बुद्ध के पीछे दायज्र माँगा गया था, भिक्षुमण्डल का मदस्य बनाने का कोई अर्थ ही नहीं था।^{११} एसा प्रतीत होता है कि बौद्धागमों में माता पिता, भार्या आदि के प्रति जा कर्तव्य बताया गया है, व गृहस्थावस्था तक ही सीमित थे।

जैनागमों में भी यद्यपि माता पिता की इच्छा की उपेक्षा कर पुत्र पुत्रियों के प्रसन्नित होने का उल्लेख पाया जाता है किन्तु उनपर प्रसन्न्या के लिए भिक्षुमण्डल के प्रभाव का दबाव दृष्टिगोचर नहीं होता। अतः यह कहा जा सकता है कि जैन युग में माता की सेवा का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोगात्मकरूप दिया जान लगा था।

विधवा

वेधव्य जारी जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि उससे पति विहीन नारी के प्रति सामाजिक व्यवहार का ज्ञान होता है। प्राचीन भारत में विधवा की स्थिति, उसके जीवन-यापन के साधन, उसका पुनर्विवाह आदि ऐसे विषय हैं जिनके प्रति जनसाधारण की सहज जिज्ञासा रहती है। कारण, विधवा से सम्बन्धित समस्याएँ केवल तत्कालीन नारी जीवन पर ही प्रकाश डालती हैं अपितु उनसे सामाजिक वातावरण का भी बोध होता है।

१५२ तन हि रव, सारिपुत राहुल कुमार पम्बाजहा नि।

वैदिक कालीन स्थिति

वैदिक-काल में विधवा स्त्रिया की अवस्था सतापजनक नहीं थी। ऋग्वेद में जाना जाता है कि उस समय की विधवाएँ या तो दुःख में या बलात्कार के भय से कापती थी।^{१५३}

उत्तर-वैदिक कालीन स्थिति

उत्तर-वैदिक-काल में विधवा स्त्रिया की दशा पहले से भी ज्यादा शोचनीय हो गई थी। वे समाज में अमंगलसूचक समझी जान लगी थी। उन्हें किसी मंगलसूचक उत्सव या समागोह में उपस्थित होना निषिद्ध था। उनकी सम्पत्ति का अधिकार नहीं वे बराबर था। यहाँ तक कि पुत्रहीन विधवा स्त्रिया का वैधानिकरूप से पति की सम्पत्ति पर भी अधिकार नहीं था।^{१५४}

आगम कालीन स्थिति

आगम-कालीन स्थिति पर लिखने के पूर्व यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि आगमा में विधवाओं से सम्बन्धित उल्लेखा का कमी है तथा जो हैं, वे भी उनकी स्थिति पर विशद प्रकाश नहीं डालते हैं। अतः तत्कालीन विधवाओं के चित्रण के लिए अनुमान का ही विशेष सहारा लेना होगा।

तत्कालीन समाज में न केवल वे ही स्त्रियाँ विधवा कही जाती थी जिनके पति परलोकवासी हो जाते थे, अपितु ऐसी स्त्रियाँ को भी विधवा की श्रेणी में रखा जाता था जो किसी कारण से पतिहीन हो जाती थी। महावग्ग में प्रव्रजित-व्यक्तियों की पत्नियाँ को विधवा कहा गया है।^{१५५} जैनागमा में प्राप्त बाल विधवा एवं मृतपतिवा नामक भेदों से भी यही भाव प्रकट होना है।^{१५६} अतः तत्कालीन समाज में विधवा शब्द का अर्थ पतिविहीन स्त्री था।

१५३ ऋग्वेद० १।८७।३ धर्मशास्त्र का इतिहास भाग १, पृ० ३३०

१५४ वही पृ० ३३०-३३२

१५५ अथर्ववेद पटिपत्रो

सामाजिक स्थिति

बौद्ध एव जैन-युग में विधवा नारी की सामाजिक स्थिति दयनीय नहीं थी। यद्यपि विधवा होने से नारी को स्वतः अपूणता की अनुभूति होने लगती थी किंतु सामाजिक दृष्टि से उनका बुरा नहीं माना जाता था। विधवा नारियाँ भी सधवाआ की तरह ही परिवार एवं समाज के सभी अधिकारों का उपभोग करती थी। ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है जिससे यह ज्ञान हो सके कि विधवा होने के बाद नारियाँ बाला की कटवा लेनी थी, रगोन वस्त्र नहीं पहिनती थी या किसी मागलिक-न्याय में सहयोग नहीं करती थी। इससे विपरीत प्राप्त उल्लेखा से यह ज्ञान होता है कि विधवा होने के बाद भी उसमें शारीरिक वस्त्राभूषणों का उपयोग करने की पवृत्ति में कोई अन्तर नहीं आता था। यह बात दूसरी है कि कोई विधवा-नारी अपनी इच्छा से प्रसाधन में रुचि न ले। उदाहरणस्वरूप जय महाप्रजापती गौतमी बुद्ध से पहली बार कपिलवस्तु के यशोधराराम में मिली, तो उस समय उसने विधवा होते हुए भी न तो केशों का ही कटवाया था, और न ही किसी विशिष्ट प्रकार के वस्त्रों को ही धारण किया था।^{१५३} थावच्चा (स्थापत्या) ने पुत्र के विवाह जैसे मागलिक-न्याय में प्रमुख भाग लिया था।^{१५४} इसी प्रकार रट्टपाल तथा सुदिन के प्रव्रजित हो जाने पर भी उनकी पत्नियों ने अलका रादि का उपयोग किया था।^{१५५} जन आगमा से ऐसा कोई आभास नहीं मिलता कि तत्कालीन विधवा की स्थिति सामाजिक दृष्टि से दयनीय थी।

१५६ अता मयपइयाआ बालविहवाओ

—ओ० सू० प० १६७

१५७ चुल्ल० प० २७३

१५८ तए ण सा थावच्चा गाहावइणी त दारग वत्तीसाए इ मकुलवालियाहि एगद्विवसेण पाणि गेण्हावइ

—नाया० १।५।५८

१५९ एथ तुम्हे वधुया तेन अलङ्कारेण अलङ्कारोय

—मज्झिम० २।२८८, पारा० पृ० २२

जातक में एक जगह अवश्य वैधव्य जीवन के कष्टों की चर्चा की गई है। कहा गया है कि विधवा को उच्छिद्य खाना भी नहीं मिलता है तथा कोई भी उस अनिच्छुक को हाथ से पकड़कर खींचता है। बालों में पकड़कर (?) भूमि पर गिरा देते हैं और इस प्रकार बहुत दुःख देकर भी खड़े देखते रहते हैं। पाउडर लगाकर अपने आपको सुंदर माननेवाले, विधवा स्त्री की कामना करनेवाले लोग उस अनिच्छुक को कुछ भी देकर उसे वैसे ही खींचते हैं जैसे वाव उलतू का। स्वर्ण जैम समृद्ध कुल में रहकर भी विधवा को भाई और सखिया के तिरस्कार वचन सहने ही पड़ते हैं। दस भाइ होने पर भी विधवा स्त्री उसी प्रकार नगी हाना है, जिस प्रकार बिना जल की नदी तथा बिना राजा के राष्ट्र नगा होता है।^{१६०}

उक्त कथन को बौद्ध या जैन-युग की विधवा का चित्रण नहीं कहा जा सकता है। सम्भव है, यह स्थिति बौद्ध एवं जैन-युग के बीच में रही हो अथवा हिन्दू धर्म के प्रभाव का परिणाम हो।

सती प्रथा एवं उसका आगमों में अभाव

सती प्रथा १८वीं सदी तक भारतवर्ष में प्रचलित थी। उस समय तक मृत पति की चिता में जलकर भस्म हो जाना विधवाओं का धर्म माना जाता था।^{१६१} यद्यपि आज इस प्रथा को अपराध माना जाता है किन्तु प्राचीन भारत की विधवा मिथ्या के इतिहास में इसके विषय में लिखना आवश्यक है।

१६०. अस्ति हाति अणसा उच्छिद्यमणि भुञ्जतु ।

यो न हृत्थे गृह्णवान् अकाम परिकटवति ।

केमगाहणमुक्त्वा भूम्या च परिसुम्भना ।

एतवा च मोपककमति बहुदुःखं अनणक ।

नवाभिवाचय न लभे भानुजि सखिनाहि च ।

वधव्यं कटुकं शोचं गच्छञ्जेव रपेसम ॥

—मानक २२।१४७।१८३६-३९ तथा आगे

१६१. धर्मशास्त्र का इतिहास भाग १ पृ० ३४८

इस प्रथा के उद्भव के विषय में प्रामाणिकरूप में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वैदिक साहित्य में इस प्रथा के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक-साहित्य के प्रमुख ग्रन्थ रामायण, महाभारत, विष्णु-स्मृति, वेदव्यास स्मृति प्रभृति ग्रन्थों में अवश्य तारा प्रथा सम्बन्धी उल्लेख प्राप्त होते हैं।^१ किन्तु ये उल्लेख अत्यन्त कम हैं। छिटपुट हैं अतः उनका आधार पर यह कहना अत्यन्त कठिन है कि उत्तर वैदिक काल में इस प्रथा का प्रचलन जहाँ रामायण में था। किन्तु उन उल्लेखों से इस तथ्य को स्वीकार किया जा सकता है कि उस समय भी तारा प्रथा की घटनाएँ होती थीं।

आगमा में तारा प्रथा के प्रचलन का कोई भी संकेत नहीं मिलता है। अतः स्पष्ट है कि बौद्ध एवं जैन युग में तारी प्रथा का पूर्णतया अभाव था। यदि तत्कालीन-समाज में तारी प्रथा का जरा सा भी प्रचलन होता तो जीवार्थना के विरोधात् उद्धया महावीर के उपदेशों में उस क्रूर प्रथा की अवश्य निन्दा की गई होती। तारी प्रथा का पूर्ण रूपण अभाव भी तत्कालीन विषयाभा की अदमनाय स्थिति का ही द्योतक था।

जीवन यापन के साधन :

विषया-श्री निम्न तीन साधना में से किसी एक का अवलम्बन लेकर अपना जीवन यापन करती थी—

१६२ (क) तारा म जगत गता तच्छरार विनुमम ।

परिव्रज्य महाभागा प्रविष्टा ह्यवशानम् ॥

—रामा० ७।१७।१५

(ख) पतिव्रता सप्रतीप्त प्रविवर्ण हुताशाम् ।

—महा० १२।१४८।१०

(ग) मृत भस्तरि ब्रह्मचय तद्वारोहण वा ।

—विष्णुस्मृ० २५।१४

(घ) मृत भस्तरिमादाय ब्राह्मणो बलिमांशदात् ।

—श्यासम्० २।५३

- १ पति की सम्पत्ति
- २ ज्ञाति-कुल का सरक्षण
- ३ पर-मुख का ग्रहण

अतः बौद्ध-युग में प्रव्रज्या लेने के पूर्व व्यक्ति अपनी स्त्रियाँ के सम्मुख जीवन-यापन के लिए उक्त तीन साधना को प्रस्तुत कर किसी एक को चुनने का अधिकार दे देता था।^{११३}

पति का सम्पत्ति-वैभव-सम्पन्न-कुल की विधवाएँ पति की सम्पत्ति को ही अपने जीवन-यापन का साधन बनाती थीं। सुदरा के पिता ने प्रभूत धन छोड़कर प्रव्रज्या ली थी जिसका सुदरी की माँ ने जीवन-यापन का साधन बनाया।^{११४} सोणा भी पति के प्रव्रजित होने पर उनकी सम्पत्ति की स्वामिनी हो गई थी।^{११५} इसी प्रकार म्यापत्या (यावच्चा) सायदाही ने भी पति के धन को ही जीवन-यापन का साधन बनाया क्योंकि उसका व्यापार का आधार पति के द्वारा अर्जित धन ही था।^{११६} जब नवविवाहित वधू का पति प्रव्रज्या ले लता था तो वधू विधवा-अवस्था में पनिज-यसुख से अवश्य वचिन हा जाती थी, फिर भी उसके भरण-पोषण की व्यवस्था ससुर-कुल में पूववत् रहना थी। इतना अवश्य था कि विधवा स्त्री को अपूण समझा जाता था। यही कारण था कि नवयुवका का प्रव्रज्या से परेशान होकर मनुष्या ने बुद्ध की वासना

१६३ वा इच्छति सा इधम भाग ध भुञ्जन्तु पुञ्जानि च करान्तु स्र्जानि वा आतिकुलानि गच्छन्तु । हानि वा पत्तं पुरमाधिष्णाया वरुम वा दम्मा ति ?

—अगुत्तर० ३।३।१६

१६४ इत्या गवम्य मणिकुण्डल च
पातञ्जिम गह्विमथ पहाय ।
पिता पञ्चजिता तुम्ह

—धरी० १।४।३२८

१६५ धेरो अप० ३।६।२३१

१६६ तस्य ण धारवईत् यावच्चा नाम गाहावद्दो परिवमइ अड्ढा जाव अपग्ग्भूया ।

—नाया० १।५।१८

प्रारम्भ कर दिया था कि श्रमण गौतम विधवा यज्ञ के लिए आया है।^{११०}

पति की मृत्यु के आन्तर उन त्रिषदा स्त्रियाँ ता जीवन अवश्य रक्षा से परिपूषण का ज्ञान था जो रक्ष्या र्त्नी था। कारण, वध्या होने से उसकी सीत का ज्ञान धनियाम र्त्ना था तथा सुन्नानवती सीत उस वध्या का पति के घाते सतार जावन व्यतीत रही र्त्ना दी थी।^{१११}

पति कुल का संरक्षण—तभी-तभी विधवा स्त्रियाँ पति-कुल की शरण में चली जाती थी। जिन विधवाओं के पास स्वायत्त रूप में जीवन-यापन के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते थे या जो बिना संरक्षण के नहीं रह सकती थी, वे अपना ज्ञानि-कुल का संरक्षण प्राप्त करती थी। पति कुल ममाता पिता भाई र्त्नित्तु वृद्ध्या, गधर्मो एव समात्री प्रमुख्ये। इन पति कुल से संरक्षण स्त्रियाँ के साथ काममेवन निषिद्ध था।^{११२}

किन्तु ऐसी स्त्रियाँ का, जिनके पास न तो पति द्वारा उपाजित सम्पत्ति होती थी और न ही जो पति-कुल से सम्पत्ति हानी थी वैधव्य-जीवन बटुनात्म होता था। चन्दा दरिद्र व्यक्ति की पत्नी थी तथा दरिद्र व्यक्ति का हा व्याह्रा गई थी। जिस समय वह विधवा हुई, वह निम्न-मान थी। इन वैधव्य जीवन में उसे भोजन एवं यस्त्र भा उपलब्ध नहीं हात थे।^{११३} इसी प्रकार जब पत्न्याारा का पति दरिद्र अवस्था में हा मर गया तथा उसके दाना पुत्रा का जीवनलीला नदी के प्रवाह एवं गिद्ध के कारण समाप्त हो गई तो वह सीधे अपने माता पिता के घर गई। दुर्भाग्य से उसी दिन र्त्ना ही चिता में उससे माता पिता

११७ दक्षिण—विवाह उद्ध० ११०

११८ दक्षिण—वैवाहिक-जीवन उद्ध० १०७

११९ दक्षिण—विवाह उद्ध० ७६

१२० दुर्गताह पुर आसि विधवा च अनुत्तिका।

विना मित्ति आनाहि मत्तचाउत्तस नाधिग ॥

एव भाई की दाह्निकिया की जा रही थी। जिसे देखकर वह पागल हो गई। पति-पुत्र एवं ज्ञाति जनों से हीन पटावारा को अनेक बट्टों से परिपूर्ण वैभव्य जीवन बिताना पडा था।^{१७१}

तात्पर्य यह कि विधवा-जीवन को सुख बनाने के लिए पति की सम्पत्ति, पुत्र नाति-वगैर सहायक हाते थे, तथा एकाका विधवा दुःखों की पात्र हानी थी।

पर पुरुष का ग्रहण—कभी-कभी प्रव्रजित पुरुष की नव विवाहित पत्नी दूसरे पुरुष का ग्रहण कर लेती थी। चूकि पत्नी का यह कृत्य प्रथम पति का अनुमति से होता था, अतः इसे विवाह की सत्ता नहीं दी जाती थी। जब पति पत्नी को दूसरे पुरुष को ग्रहण करने का अधिकार दे देता था तो वहाँ-वहाँ पत्नी उसका उपयोग भी कर लेती थी। उदाहरणस्वरूप उग्र गृहपति द्वारा पूछे जाने पर उसकी बही पत्नी ने पर-पुरुष के पास जाने की इच्छा व्यक्त की थी।^{१७२} यह प्रथा अधिन प्रचलित नहीं थी। महा कारण था कि अपनी पत्नी को परपुरुष का दान में देकर स्वित्त न हाना आश्रयजनक घटना माना जाता था।^{१७३} सामान्यतया यदि पत्नी किसी कारणवश पति को छोड़कर अन्य-पुरुष के पास जाता था तो पति कुल कलकित हो जाता था। अतः व्यक्ति का प्रव्रज्या जैसे कार्यों से रोकने के लिए यह स्मरण कराया जाता था कि अभी उसकी पत्नी युवा है। अतः

१७१ डे पुता काण्डता, पत्रा न प ये मना कपणिकाय ।

माता पिता च भाता हरुति च एकचित्ताय ॥

सायकूलान कपण, अनुभूत ते दुक्क्य अपरिमाण ।

—श्री, १०।१।२।६-२२०

१७२ दक्षिण—उद्द० ८५

१७३ दार पश्चिञ्च नो नाभिजानामि विसस्तु अञ्जवत्त । अय खो मे मते क्तियो अञ्जरियो

उमके प्रव्रजित होने पर वही वह दूसरे पुरुष के पास न चली जाय ^{१०२} ।

इसने अनिरिक्त ब्राह्मण या शत्रिय-वर्ग की स्त्रियाँ विधाय अवस्था में भी इस माघन का सहारा नहीं लेनी थी । महागोविन्द ब्राह्मण ने अपनी ४० पत्नियाँ को दूसरा पति खोजने का अधिकार दिया था किन्तु पत्नियाँ ने यह तद्दृष्टर उस अधिकार को ठुकरा दिया था कि आप ही हमारे सम्बन्धी हैं तथा आप ही हमारे पति । अतः यदि आप प्रव्रज्या ले रहे हैं तो हम सब भी लेगी । जैसे आप रहेंगे, वैसे ही हम भी रहेंगी ।

कभी कभी विधवा स्त्रियाँ जीवन-यापन के उक्त तीनों उपायों का न अपनाकर भिक्षुणी बन जाती थी तथा भिक्षुणी सभ की वरिष्ठ भिक्षुणी के संरक्षण में अपना जीवन बिताती थी ।

पुनर्विवाह

विधवाओं का पुनर्विवाह होना था या नहीं यह प्रश्न विचारणीय है । वैदिक काल में विधवा के लिए पुनर्विवाह का अधिकार था । इसका प्रमुख कारण यह था कि उस समय सन्तानोत्पत्ति का अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया जाता था । अतः पति के मर जाने के बाद देवर या निवृत्त सम्बन्धी से विवाह कर सन्तानोत्पत्ति करना ठुरा नहीं माना जाता था । ^{१०३} नियोग प्रथा का भी यही उद्देश्य था । किन्तु बौद्ध-जैन-

१०४ भारिया त नवा ताय मा सा अ न जण गम ।

—सुय० १।३।२।५

१०५ त्वञ्जत्र न आति आतिकाम न त्व पन मत्ता भत्तुकामान । अथ या ते यदि सा नो गति भविस्सती'वी ।

—नीघ० २।१८५

१०६ The remarriage of a widow was apparently permitted the marriage of the widow to the brother or other nearest kinsman of the dead man in order to produce children

युग में ऐसी स्त्री का जिसका पति मर चुका हो पुनर्विवाह सामाजिक दृष्टि से माय नही था। यद्यपि कुटुम्बिका म नकुलमाता के उस कथन को लेकर विधवाका व पुनर्विवाह के प्रचरण या अनुमान किया गया है^{१८७} जिसम नकुलमाता ने पति के मरने के बाद भी पर-पुरुष के पास न जाने का निश्चय व्यक्त कर पति को निरपेक्ष भाव से मरने का सुझाव दिया था। जब नकुलमाता के उक्त कथन के पूवप्रसंग पर दृष्टिपात करते हैं तो ज्ञात होता है कि उमने अपने पति नकुलपिता से उक्त निश्चय इसलिए प्रकट किया था कि मृत्यु-शय्या पर पड़ा हुआ नकुलपिता इसी आशका से दु खी हो रहा था कि वही उसकी पत्नी उसके मरने के बाद पर-पुरुष के पास न चली जाय।^{१८८} अत उक्त कथन से यही व्यक्त होता है कि विधवा का विवाह तत्कालीन समाज में उत्तम नही माना जाता था। इसके अनतिरिक्त आगमा में ऐसी भी विधवा स्त्रियो की चर्चा आई है जो पर-पुरुष को चाहती थी किन्तु वे सक्रम नही होती थी। भिक्षुआ से ऐसी विधवा स्त्रिया के सम्पर्क से दूर रहने के लिए कहा जाता था।^{१८९} यदि सामाजिक-दृष्टि से विधवा-विवाह का मान्यता रहीं होती तो कामभोग की इच्छा होने पर विधवा स्त्रियां भिक्षु या अन्य पुरुष को जाल में फसान के बदले दूसरा विवाह कर लेती। तथ्य यह है कि तत्कालीन समाज में पत्नी बनने के लिए कया की अविधवा होना आवश्यक माना जाता था।^{१९०}

१७७ (a) Women Under Primitive Buddhism, p 77

(b) The Status of Women in Ancient India p 24b

१७८ सिया खो पन ते गहपति एवमस्स— नकुलमाता गहपतानी ममचयन अञ्ज घर गमिस्सती ति

—अगुत्तर० ३।१७

१७९ पञ्चहि धम्महि भिक्षु उस्सङ्कितपरिमङ्कितो हाति इय भिक्खवे, भिक्षु यत्तियागोचर वा होति विधवागाचरो वा होति

—अगुत्तर० २।३८४

१८० पसाहणट्टगत्रविहव

—नाया० १।१।२४

विधवाओं के पुनर्विवाह की प्रथा न होने का यह कारण ही समझा है कि ऐसी स्त्री जिनका पति मर चुका हो, पत्नी बनाने के लिए अशुभ मानी जाती रही हो। उम समय विवाह के लिए ऐसी ब्रह्म का चयन किया जाता था जिनके पत्नी बनने के बाद पतिव्रत की समृद्धि हो।

आगमा म नियोग प्रथा के भी उदाहरण प्राप्त नहीं होते हैं। कारण, उस समय सन्तानोत्पत्ति करना स्त्री या पुरुष के जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं रह गया था।

सागरा यह कि बौद्ध एवं जैन संस्कृति म विवाह एवं सन्तानोत्पत्ति का प्रथम न दिये जाने से न तो वैषम्य की घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और न ही सन्तान हानि विधवा के लिए सन्तान प्राप्ति के हेतु पुनर्विवाह या नियोग का आश्रय लेना विहित था।



वृत्ति-जीविनी

परिचारिका

वैदिक-वालीन स्थिति
उत्तर-वैदिक कालान स्थिति
आगम-वालीन स्थिति
दासी
दासी के भेद
दासी के काय
दासी के प्रति स्वामी का व्यवहार
दासी और धर्म
दासता से मुक्ति
दाई
मनोरजन करने वाली परिचारिकाएँ

गणिका

स्वरूप, उद्भव एवं विकास
गुण
आय
वैभव
गणिका एवं समाज
प्रभुता एवं स्वाधीनता
धार्मिक-प्रवृत्ति

धेश्या

वैदिक एवं उत्तर वैदिक-वालीन स्थिति

आगम-कालीन समाज में परिवार की स्त्रियाँ जीविकोपाजन का भार वहन नहीं करती थीं। वे वैदिक एवं उत्तर वैदिक-भारत की नारियों की भाँति यक्षपन में पिता, विवाहोपरान्त पति एवं वृद्धावस्था में पुत्रों की सरक्षण में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करती थीं। पिता, पति या पुत्र का यह अर्त्तव्य था कि वह धनोपाजन कर अपनी पुत्री, पत्नी या माता का भरण पोषण करे।^१

यद्यपि उपश्रुत कथन नारी सामान्य के प्रति सत्य था किन्तु नारी मात्र की दृष्टि से असत्य भी था। वारण, निघन एवं असहाय स्त्रियाँ की स्थिति अथ सामाजिक स्त्रियाँ से बिल्कुल भिन्न थी। उन्हें जीविकोपाजन के लिए काम करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त उस समय कुछ ऐसी भी स्त्रियाँ थी जो सामाजिक व्यवस्था के कारण किसी परिवार विनोद की सदस्यता प्राप्त करने में अममथ रहती थीं। अतः उन्हें भी अपनी जीविका का उपाजन स्वतः करना होता था। उन सभी स्त्रियों का, जो स्वयं जीविकोपाजन करती थीं प्रमुखरूप से तीन भागों में विभाजित किया जाता था—पञ्चारिका, गणिका एवं वेश्या।

परिचारिका

जब मानव-समाज के प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो पाठ होना है कि विश्व के अधिकांश भागों में दास प्रथा का प्रचलन था। दासा से न केवल काम ही लिया जाता था अपितु उन्हें पशुआ की भाँति खरीदा एवं बेचा भी जाता था। इन्हीं दासा की नारियाँ को अपने पति

१. पिता रक्षति कीमार भर्ता रक्षति यौवन ।

पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमदृति ॥

—वी० स्म० २।२।५२

२. देखिए—विवाह, उद्ध० ८५, वैवाहिक जीवन, उद्ध० ४५

के स्वामी ही परिचर्या करती पटती थी। आज की दुनियाँ में जो राष्ट्र अत्यन्त गम्य एवं उन्नत पहुँचाते हैं, उनमें विगी समय दास प्रथा का भरमार था। आज शायद ही कोई ऐसा विश्व के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला ग्रन्थ है जिसमें दास प्रथा की चर्चा एक महत्त्वपूर्ण प्रकार के रूप में न हो।^३

भारतवर्ष में भी दास प्रथा का प्रचलन अत्यन्त प्राचीन काल से ही विद्यमान है। अत आगम-कालीन पश्चिमाखिया पर लिखने के पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि वैदिक एवं उत्तर-वैदिक-काल में निहित उनकी स्थिति पर दृष्टिपान कर लिया जाए।

वैदिक-कालीन स्थिति :

वैदिक-कालीन पश्चिमाखिया में दासियाँ प्रमुख थीं। दानी शब्द दास शब्द से सम्बद्ध था। ऋग्वेद में पात होता है कि दास या दस्यु आर्यों के शत्रु थे^४ जो कि आर्यों से पराजित हो जाने के उपरान्त उनके अधीन हो गये थे।^५ इन्हीं दासों की स्त्रियाँ को दासी पद में कहा जाता था। उस समय दासी-वर्ग में वे सभी स्त्रियाँ आती थी जो आर्यों में पति के पराजित या मृत हो जाने पर उनके सम्मुख विवश होकर आत्ममर्षण कर देती थी।^६ इन दासियों पर आर्यों

३ पद्मशास्त्र का इतिहास भाग १ पृ० १७२

४ but in many passages the word refers to human foes of the Aryans

—Vedic Index, 1 356

५ पद्मशास्त्र का इतिहास भाग १ पृ० ११६

६ Aboriginal women were no doubt the usual slaves for on their husbands being slain in battle they would naturally have been taken as servants

—Vedic Index, 1 357

का पूरा अधिकार होता था। प्रायः लोग इन दामिया को आवश्यकता पड़ने पर उपहार या दान स्वरूप अथवा लोका के लिए भी दे देते थे।^७

उत्तर वैदिक-कालीन स्थिति

कालान्तर में दास-दासिया को रखना सामाजिक प्रथा-सी बन गई। तैत्तिरीय-महिता एवं विभिन्न उपनिषदा में दामिया की चर्चा पर्याप्त रूप में पाई जाती है।^८ महाभारत में भी दास-दासिया के दान के अनेक उल्लेख मिलते हैं।^९ कुट्ट सूत्र-ग्रन्थ में दास-दासिया के प्रति उचित व्यवहार करने का भी विधान किया गया है।^{१०}

उन सभी उत्तर वैदिक-कालीन ग्रन्थों को देखने से कहा जा सकता है कि उस समय दास-दासिया रखने की प्रवृत्ति समाज में बढ़ती जा रही थी तथा उच्च-वस्तुओं की भाँति वे भव-प्रदान की आवश्यक वस्तु माना जाने लगा था। उन्हें न केवल मूल्य लेकर या उपहारस्वरूप दिया जाता था अपितु उनके साथ मनमाना व्यवहार भी किया जाने लगा था। इन्हीं सब कारणों से धर्मशास्त्रों के प्रणेताओं की ओर से समाज से यह अपेक्षा की जाने लगी कि समाज के लोग दास-दासिया के प्रति उचित व्यवहार करें।

आगम-कालीन स्थिति

आगम-कालीन उन सभी स्त्रियों का परिचारिका पद से कहा गया है जो आर्थिक या सामाजिक स्थिति से विवश होकर अथवा परिवारों के सम्भारों की परिचर्या करती थी। इस काल की परिचारिकाओं में न केवल

७ दास-दासिया अति लज्जा ।

—ऋग्वेद ० ८।१६।३

८ त. ० १।२।६।३ ए. ० ३।६।८ वृद्धदा. ४।४।२३ ६।२।७ छा. ० ५।१३।२

९ मन्व. ३।१८।५।३४, ३।२३।५।३, ४।१८।२।१

१० काममातरान् भार्यां च चोपहृत्यान्न त्वं दामकमकरम् ।

—आ. ० ४. ० सू. ० २।४।१।११

दासिया ही एक मात्र पात्र थी अपितु दाईं एव मनोरजन करने वाली स्त्रियों को भी इसी विभाग में रखा जाता था। कारण, दाईं आदि के काय की पृष्ठभूमि में भी जीविनोपाजन ही प्रमुख लक्ष्य रहता था। उक्त सभी प्रकार की स्त्रियां अपने स्वामी के घर में रहकर अपनी सेवाएँ स्वामी के परिवार को अर्पित करती थीं। उन्हें स्वामी की आज्ञानुसार उचित अनुचित सभी काय काय करने पड़ते थे। अपनी सेवाओं के बदले में उसी स्त्रियाँ केवल जीवन यापन के लिए अन्न एव वस्त्र ही पाती थीं। उनका जीवन परतंत्रता की बेडिया से बसा रहता था। यद्यपि उक्त समय कुछ ऐसी भी स्त्रियाँ होती थी, जो यत्र तत्र मजदूरी लेकर काम करती थी, तथापि उनकी वह स्वतंत्रता नाममात्र की ही थी, क्योंकि व्यवहार ऐसी स्त्रियाँ के साथ भी (जिन्हें कर्मकारी कहते थे) आवश्यकता होने पर पत्नी जैसा व्यवहार करता था।^१

तत्कालीन परिचारिकाओं को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—१ शुश्रूषा करने वाली परिचारिकाएँ एवं २ मनोरजन करने वाली परिचारिकाएँ। प्रथम प्रकार की परिचारिकाओं को दो उप भागों में विभक्त किया जा सकता है—१ दासी एवं २—दाईं।

दासी

आगम-कालीन सम्पन्न परिवारों में दास-दासियाँ रखने की आगम प्रथा थी। दासी परिवार की ऐसी सेविता थी, जिसके जीवन की साधकता स्वामी की आज्ञाओं के पालन में थी। आगमों में दासों की गणना भोगों में की गई है। इससे यह ज्ञात होता है कि उस समय अथ भोग्य-वस्तुओं की भाँति दासों को भी एक प्रकार की भोग्यवस्तु माना जाता था।^{१२}

११ देविए—वैवाहिक जीवन चरम ० ६४

१२ राक्षसवत्पुं हिरण्यं च पसवो दासपोहम् ।

चत्वारि काम्य-घाणि तथैव स उक्त्वज्जई ॥

उसके शरार पर उसके स्वामी का पूरा अधिकार रहता था। स्वामी के द्वारा लिये गये किसी भी व्यवहार या आचरण के विरुद्ध दासी को आवाज उठाने का वैधानिक अधिकार नहीं था। दासी का वध तक कर देना स्वामी के अधिकारक्षेत्र में आता था। यही कारण था कि दासियाँ वध एव दण्ड में सदैव भयभीत रहना करती थी।^{१३} इतना ही नहीं, दासियों को अथ वस्तुआ की भाँति खरीदा एव बेचा भी जा सकता था।^{१४} इसके अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार उन्हें उपहार या पारिश्रमिक के रूप में भी दिया जाता था।^{१५} यद्यपि वे सम्पन्न परिवार में रहकर अपना जावन यापन करना थीं किन्तु उन्हें कभी भी परिवार का अधिकारपूर्ण सदस्यता प्राप्त नहीं होती थी। कभी-कभी दासियाँ को पत्नी बना लिया जाता था किन्तु उससे उनकी स्थिति में विशेष अन्तर नहीं पाया था। कारण, बौद्ध युग में जातिवाद एव मानवाद का घालबाला था। जातिभेद के भय में सगी बहिन के साथ किये गये विवाह का स्मरण भी बड़े गौरव के साथ किया जाता था।^{१६} अतः ऐसे समाज में पत्नी बनने के बाद भी दासी को सम्पन्न एव कुलीन परिवार की साम्प्रदायिक सदस्यता प्राप्त नहीं होनी थी। इसके अतिरिक्त दामी-पत्नी

१३ (क) अकरोसान धवान च सज्जनय च उगता ।

—विभा० १।५०।८३४

(ख) अयान दण्डभयभीता

—धरो० १२।१।२३६

(ग) वधदण्डतज्जिता

—अगुत्तर० २।२२५

१४ देखिए—उद्ध० २१

१५ (क) सेट्ठि गहपति—भरिया म अरोगा ठिता ति चत्तारि सहस्रानि पार्णसि दास च दासि च

—मग्ग० पृ० २६०

(ख) पोह्माण दलयति—अट्टहिरण्णकोठाया जाव पणकारियाया

—नाया० १।१।२४

१६ देखिए—विवाह, उद्ध० ६३

से उत्पन्न पुत्र को 'दासी-पुत्र' शब्द से कहा जाता था जो कि उस समय अपशब्द के रूप में प्रचलित था।^{१३} सारांश यह कि उस समय दासी सजीव हाते हुए भी निर्जीव भोग्यवस्तु की तरह मानी जाती थी।

दासी का भेद

दासियाँ चार प्रकार की होती थी—१ आमामदासी, २ श्रीतदासी, ३ स्वत दासत्व को प्राप्त दासी एवं ४ भयदासी।^{१४}

आमामदासी—परिवार की दासी की कुत्ति से उत्पन्न सन्तान पर भी वैधानिकरूप से दासी के स्वामी का हा अधिनार रहता था। ऐसी सन्ताने बचपन में चेट, चेटिकाआ के रूप में परिवार की सेवा करती थी। बड़ी होने पर पुरुष सन्तान एवं स्त्री-सन्तान उसी परिवार के दास एवं दासा बन जाते थे। इस प्रकार की दासी को आमामदासी, घरदासी या गेहदासी कहा जाता था।^{१५} यह प्रकार परिवार में परम्परा से चलना रहता था। अन्य प्रकारों की अपेक्षा यह प्रकार बौद्ध एवं जैन दोनों ही युगों में अधिक प्रचलित था।

१७ मा भव गोतमां अम्बट्टु अतिवाह्ह दासिपुत्तवादेन निम्मादसि ।

—दीघ० १।५१

१८ (क) आमामदासा पि भवति ह्वं,
घनन कीता पि भवति दासा ।
सयम्पि ह्वे उपपत्ति दासा,
भया पणुत्ता पि भवति दासा ॥

—जातक, २२।४४६।१४४५

(ख) सुलना कीजिए —

ग मे कीन अणए दुमिक्ख सावराहहद्धे वा ।
समणण व समणीण व ण कप्पती तारिसे दिक्खता ॥

—नि० गाथा ३६७६

१९ आमामदासी ति गेहदासिया कुच्छिस्सि जातदासी ।

—जातकट्टु० ६।११७

क्रान्दासा—जब व्यक्ति को दासी की आवश्यकता होती थी, तो वह घन से दासी खरीद लाता था। एक ब्राह्मणी अपने पति से कहती है कि वह पाना भरने के लिए नहीं जायगी।^{२०} अतः उमना पति पानी भरने के लिए दास या दासी खरीद कर ला दे। इसके साथ ही ब्राह्मणी ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि दाम या दासी न आई तो वह ब्राह्मण को छोड़ कर भाग जायगी।^{२१} जब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को अपनी आर्थिक-स्थिति बनाते हुए दास या दासी खरीद कर लाने में असमयता व्यक्त की, तो ब्राह्मणी ने राजा से दासी माग लाने का प्रस्ताव किया।^{२२}

उपयुक्त घटना से यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध-युग में न केवल दासिया का प्रय विप्रय ही होता था अपितु उन्हें दान में भी दिया जाता था।

जैनागमा में भी इस प्रकार की दासिया के उल्लेख मिलते हैं। मघकुमार की सवा-शुश्रूषा के लिए नाना देशों से दामियाँ बुलाई गई थी।^{२३}

यहाँ यह कह देना अनुपयुक्त न होगा कि इस प्रकार की दामिया का प्रचलन प्रायः वैभव-सम्पन्न कुला में ही था। चूँकि अधिक दामियाँ वैभव-सम्पन्नता की निशाना थी, अतः आवश्यकता होने पर राजा या अत्यन्त वैभव-सम्पन्न व्यक्ति अनेक दामियाँ खरीद लेते थे तथा जब

२० न त ब्राह्मण गच्छामि यदि उक्कहारिया ।

—जातक, २२/५४७/१९३०

२१ अच मे दास दासि वा नानयिस्ससि ब्राह्मण ।

एव ब्राह्मण जानाहि न ते वच्छामि सन्तिके ॥

—बही, १६३३

२२ त त्व गत्वान याचस्सु दास दासिञ्च ब्राह्मण ।

सो ते दस्सति याचिता दास दासिञ्च सत्तिथे ॥

—बही, १६३६

२३ तएण से महे कुमारे नानासोहि विदेसपरिमहियाहि

चडियाचकरवाल

—नाया० ११११२

उनका उपयोग नहीं रहता था, तो वे दासिया उपहार के रूप में दे दी जाती थीं।

स्वतः दाम्पत्य का प्राप्त दामा—कभी-कभी स्त्रियाँ प्रतिकूल परिस्थिति की उपस्थिति में विवश होकर स्वतः दासत्व को स्वीकार कर लेती थीं।^{२४} इस प्रकार की विवशताओं में अधमणता का प्रमुख स्थान था। जब कोई स्त्री धनिक के ऋण का नहीं चुका पाती थी, तो उसे धनिक की दासी बनना पड़ता था। पिण्डनियुक्ति में दो पत्नी तंत्र के कारण एक विधवा-स्त्री को विवश होकर दासी बनने की घटना का उल्लेख मिलता है। घटना इस प्रकार की—कोशल देश के एक गाँव में एक विधवा-स्त्री रहती थी। वह दैनिक मजदूरी कर अपनी जीविका कमाती थी। उसका एक भाई था जो दीक्षित हो गया था। जब वह माधु के रूप में उस गाँव में आया तो उसका विधवा बहिन ने एक वणिक् से दो पत्नी तंत्र ऋण के रूप में लेकर अपने भाई के आहारादि की व्यवस्था की। उस दिन वह स्त्री भाई से धर्मोपदेश ही सुनती रही। दूसरे दिन उसका भाई विहार कर गया, अगले दिन भर दुःखित रही। तीसरे दिन घर की अन्तरिक व्यवस्था में तंगी रही। फलतः वह तीन दिनों में वणिक् का दो पत्नी तंत्र का ऋण बढ़कर एक घट हो गया। चौथे दिन वणिक् ने उस विधवा से कहा कि एक घड़ा तेल दो या फिर मरी दासता स्वीकार करो। विधवा को विवश होकर उस वणिक् की दासी बनना पड़ा। कुछ दिनों बाद पुनः उस विधवा दासी का भाई उस गाँव में आया और अपनी बहिन से मिला। जब साधु को अपनी बहिन की दासता का इतिहास मालूम हुआ, तो वणिक् को धर्मोपदेश देकर उससे बहिन को प्रव्रजित होने की अनुमति दिलवा दी।^{२५}

२४ Slavery In Ancient India p 66

२५ गुप्त अभिगमनाय विही बहि एग जीवद् सता ते ।

पविमण पाग निवारण उच्छिद्येण तल्ल जइ दाण ॥

अपरिमिय नहुवुहो दासत्त सो य आगमा पच्छा ।

दामत्तकहण भा इय अचिरा माणमि एत्ताह ॥

थेरीगाथा के अनुसार एक घनिक न अपन ऋणी की कथा को ऋण के बन्धन में ले लिया था।^१ इस प्रकार ऋण के बदले में ली गई कथा या स्त्री के रूप में घनिक-व्यग का पूरा अधिकार हा जाता था। यह घनिक-व्यग की इच्छा पर निर्भर था कि वह उस कथा या स्त्री को दासी के रूप में रखे या पत्नी, पुत्रवधू आदि अथ किसी रूप में। उसका इच्छा को पूर्ति में विघ्न उपस्थित करने का किसी का अधिकार नहीं रहता था।

भयदाम—युद्ध में विजया प्राप्त अपर पक्ष की बहुत सी स्त्रियाँ का भा ले आता था। उनमें से सुन्दर स्त्रियाँ का पलायन लिया जाता था। ऐसी पत्नियाँ ध्वजाहृता कहलानी थी।^२ अवशिष्ट स्त्रियाँ को दासी बनकर जीवन यापन करना पड़ता था। वे स्वच्छा से नहीं, अपितु भय से दासता स्वीकार करनी थी। उन उह भयदासी कहा जाता था। इस प्रकार की दामी का कर्मरानीता^३ अर्थात् युद्ध में बंदी बनाने के लिये गई दासी भी कहा जाता था।

उक्त चार प्रकार के भेदों का आधार व बाह्य परिस्थितियाँ थी जिनके कारण नारी को दामी बनना पड़ता था। इन भेदों के अनिरीकृत दासी के कुछ अथ भेद भी आगमों में उपलब्ध होते हैं जिनमें उनकी स्थिति एवं कार्यों का बोध होता है। उन भेदों में कुन्दासी, चातिकासी, कुम्भदासी, प्रेषणकारी आदि प्रमुख थी।

कुन्दासी—यह शब्द कुलस्त्रा, कुनपुत्रा आदि अथ शब्दों के साथ मिलता है।^४ अतः यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार में वह घरदासी आती थी जो कुल के अनुरूप आचरण कर प्रतिष्ठा अर्जन कर लेती

२६ दक्षिण—पुत्री उद्ध० ४९

२७ दक्षिण—व्याहिक जावन, उद्ध० ६५

२८ परमनो परित्वा आनत्वा दामव्य उपगमितो कर्मरानीनोति ।

—सम० भाग १ पृ० ३५५

२९ व कलित्पीडि कुलधीताहि कुलकुमारीहि कुलमु०ाहि कुन्दासीहि

—पारा० पृ० २६६

थी। फलतः उसकी स्थिति अथ दासियों की भाँति अधिक दुःखद नहीं रहती थी। यही कारण था कि इस दासी के क्रियाकलाप कुल के अथ सदस्यों के समान ही होते थे।

जातिदासी—जातिजनो की दासी को जातिदासी कहा जाता था। इस प्रकार की दासी के विषय में आगमा से अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होनी है किन्तु आगमेतर साहित्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विवाह के अवसर पर दहेज में दी गई दासी को जातिदासी कहते थे। कैकेयी के विवाह के अवसर पर उसके पिता ने मथुरा दासी का दहेज में दिया था। रामायण में उसी मथुरा की जातिदासी कहा गया है।^{३०} इस प्रकार की दासी अपनी स्वामिनी के कार्य में सहायता प्रदान करती थी। इसके अतिरिक्त जातिदासी दासियाँ का गोपनीय काय के सम्पादन के लिए भी उपयोग किया जाता था। राजगृह में जीव हिंसा पर राजकीय प्रतिबन्ध लग जाने पर मास-लोलुप रेवती ने अपने नैहर के पुरुषों से गुप्तरूप से बछड़े का मांस मंगाया था।^{३१}

कुम्भदासी—बौद्ध आगमा में कुम्भदासी का यत्र तत्र उल्लेख मिलता है।^{३२} इस प्रकार की दासी का काम था—नदी या कुएँ से पानी भर कर लाना। अथ दासियाँ से इस दासी का काय कठिन होता था। कारण, इसे बड़ी ठंड में भी नदी आदि से पानी भरकर लाना होता था।^{३३} कुम्भदासी से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने कार्य में

३० जातिदासी यतो जाता क्वेय्यान्तु सन्नोपिता ।

—रामा० २।७।१

३१ तए ण कीलघरिया पुरिया रवईए कल्लाकल्लि दुव दुव गोणपायए वहेति,
वहिसा रवईए गाहावहणाए उवणेति ।

—उपा० ८।२३६

३२ धरी० १२।१।२, ६ धरी० अप० २।१।२, २।३।३०

३३ उदहारी अह मात सग उक्कमोत्तरि ।

—धेरी० १२।१।२३६

नियमित रहे। यत्र-नत्र कुम्भटामी को स्वामी के वध एव दण्ड से भयभीत होने का वणन आता है।

प्रेषणकारिका—इस प्रकार की दासी का कार्य दूती-वम था जयात् वह सदेश आदि को एक स्थल में दूसरे स्थल पर ले जाती थी।^{३४} जब वह दासी सदेश आदि लेकर दूसरी जगह जाता थी तो वहाँ दूसरे के द्वारा भेजी जाने से इसे परप्रेषिका भी कहा जाता था।^{३५}

दासी के कार्य

परिवार के आंतरिक कार्यों में अपनी स्वामिनी का सहायता करना दासी का कार्य था। यद्यपि दासी के पूर्वोक्त भेदा से उसके कुछ कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाता है तथापि घर के अंदर दासियाँ क्या-क्या काम करती थी, इसकी स्पष्ट चर्चा आगमा में प्राप्त नहीं होती है। नायाधम्मजहाओ से ज्ञात होता है कि भस्म, गोबर, कूड़ा आदि फेंकना, झाड़ना पीटना, पैर धुनाना, स्नान कराना आदि परिवार के निम्न कार्य माने जाते थे। धाय को कूटना, पीसना, छालना, खाना पकाना तथा परोसना आदि परिवार के मध्यम कार्य थे। चूँकि उज्जिता एवं भागवती पुत्रवधुआ का क्रमशः दण्ड-स्वरूप उन निम्न एवं मध्यम कार्यों का करन के लिए नियुक्त किया गया था, अतः यह कहा जा सकता है कि साधारणतया उन कार्यों का दासियाँ करती थी।^{३६}

३४ बाहिरप्रेषणकारिय च ठावइ।

—नाया० १।७।६८

३५ विमा० १।१८।१६१

३६ तए ण स धणे आसुरस्से जाव मिसिमिसमाण उज्झइय छाग्जिय च छाणुज्जिय ठावइ। एव भागवइया वि नवर तस्स कुलपरस्स वड्डितियं च कोट्टिय च ठावइ।

—नाया० १।७।६८

दासी के प्रति स्वामी का व्यवहार

दासियः र प्रति स्वामी तथा स्वामिनी प्रायः अर्द्धा ध्यानार करते थे। स्वामी यद्यपि परिवार की मध्य गयी हानि थी तथापि उमरे भक्षण योग्य वा उचित ध्यान रत्ना जाता था। दासी की उचित दयारण करना गृह्यति तर्क गृह्यत्ता र प्रमुख कर्तव्या में से एक था।^{३७} सत्कार्य समाज म स्वामी-दासियों क प्रति उचित व्यवहार करते म गृह्यस्वामिनी की नीति थीनी थी। यद्यपि दासी अपन स्वामी से दूरनी थी किन्तु उमरे रर वा प्रधान कारण यह आशय थी रि वही उमरा स्वामी र्टु हारर उम मार र डारे।

मज्झिमनिकाय मे जाना होता है रि वेदहिया ने अपनी वाली नामर दासी के प्रति दुष्ट व्यवहार किया था। वेदहिया के इन व्यवहार री अपमान ही कर सतन हैं। कारण रानी र वेदहिया री उत्तेजित करवाया काय जात भूभार किया था।^{३८} इन उचित वा छाडार अथ रिसी स्वयं पर स्वामी ने प्रति दुष्टव्यवहार निय जान का सकेन सत रहीं मिलना है।

दासी और धर्म

रूचि दासा स्त्री की सम्पत्ति या भाग्यवस्तु के रूप म समाज म रहनी था, जा उमे धमावरणपूर्वक जीवन व्यतीत करने का अधिकार रही रहता था। बौद्ध एक जैन दोनों ही धर्मों के भिक्षुणी सघ म दासी

३७ (क) इय द्राह्मण, यम स हाति पुत्ता ति वा दासा ति वा अय बुवति गह्वपनगि । तस्माय गह्वपनगि सकरका सुख परिहातम्बो ।

—अनुत्तर० ३।१८७

(ख) या मो भसु दासानि वा पसमा नि वा तम क्त च कतता जानाति सान्नीप भाजनाय वसग पक्वणन शविभजति ।

—वही, ३।३६१

को प्रवेश नहीं दिया जाता था।^१ प्रव्रज्या के पूर्व नारी से अथ प्रश्ना के साथ एक यह भी प्रश्न पूछा जाता था कि क्या वह स्वतन्त्र है?^२

दासता से मुक्ति

यद्यपि दासी को जीवनपथ व स्वतन्त्र होने का अधिकार नहीं था किन्तु कभी-कभी गृहस्वामी या गृहस्वामिनी विशेष खुश के अवसर पर उसका दासता से मुक्त कर देते थे। ऐसा अवसर तब आता था जब दासी उन्हें आशानीत रूप का समाचार सुनाती थी। उदाहरण स्वल्प जब रट्टपाल दीक्षित होकर भिक्षा के लिए परिभ्रमण करता हुआ अपने घर के सामने से निकला तो उसकी भूतपूर्व पानिदामी ने उसके वनन में सड़ी दाल आते समय सयोग से उसे पहिचान लिया तथा उसकी सूचना अपनी स्वामिनी को दी। तत्र स्वामिनी ने उससे कहा कि 'अगर तू सच कहती होगी तो तुझे दासता से मुक्त कर दिया जायगा।'^३ इससे शता ही जान नहीं जाना कि दासियाँ भी कभी-कभी दासता से मुक्त हो जाती थी अपितु उक्त घटना से यह भी व्यक्त होता है कि दासता से पूरा जीवन असह्यन्त दुःखप्रायी रहता था। दासियाँ स्वेच्छा से नहीं, अपितु सामाजिक व्यवस्था से विवश होकर दासता करती थी। यही कारण है कि स्वामी या स्वामिनी असह्यन्त खुशी का समाचार देने वाली दासी को सर्वाधिक प्रिय दासत्व मुक्ति दे देते थे।

६ (क) नाम टुटठ (य) मूड (य) अगत जुगिए इय ।

ओवड्डए य भयए सहनिष्कडिया म्य ॥

गुडिणी बालवच्छा य पत्रावउ न कणइ ।

—स्या० १५५ अ

(ख) दसिए—उड० १८

४० अनुजानामि भिववव उपमम्पात्तिया पुच्छितु भुविस्सामि ?

चुल्ल० पृ० ३६१

४१ सच जे सुच्च भणसि, अणसि त करामि

—मज्झिम० २।२८७

दासत्व में मुक्ति दते समय उसे पानी से नहला दिया जाता था।^{४१}
 म्यामी द्वारा दासा को स्नान कराया जाना उसकी दासता से मुक्ति
 का उपलक्षण था।

दाई

प्राचीन काल में राज परिवारों एवं वैभव-सम्पन्न कुला मनवजात-
 शिशु के संरक्षण एवं पालन के हेतु दाइयाँ नियुक्त की जाती थी।
 आगम-कालीन समाज में पाँच प्रकार की दाइयाँ रखने की प्रथा अधिक
 प्रचलित थी—१ दूध पिलाने वाली, २ अल्वारवस्त्रादि से विभूषित
 करने वाला ३ स्नान कराने वाली, ४ क्रीडा कराने वाली तथा
 ५ बच्चे को गोद में लेकर गिलाने वाली।^{४२}

दाइया का स्तर दासियों से कहीं ऊँचा था। जब सन्तान बड़ी
 हो जाती थी तो दाई का माता के समान सम्मान प्रदान करती थी।
 दाइयो का पुत्र या पुत्री स न केवल तब तक सम्बन्ध रहता था जब तक
 कि पुत्र या पुत्री नादान रहने से अपितु व उनका उचित भाग दर्शन
 उस समय भी करती थी जब पुत्र या पुत्री बड़े हो जाते थे।

पुत्रिया के साथ तो दाई प्राय रहती थी। यहाँ तक कि दाई
 विवाहापरांत पुत्री के साथ उसके पतिकुल में भी जाती थी। पतिकुल
 में नववधू के रूप में आने वाली कन्या को नैहर से घाई हुई दाई का
 बड़ा सहारा रहता था। रानी पञ्चावती ने अपने पुत्र को भ्रमात्य सेतलि
 पुत्र की कन्या से बदलने की इच्छा की, तो उसे 'अम्मा घाई' की पूरी
 सहायता मिली।^{४३}

४२ तए ण स सणिए ताओ अणपडिधारियाओ मत्थयघोषाओ करइ
 पडिविसज्जइ ।

—जाया० १।१।२०

४३ तए ण से मट्ट कुमारे पचघाईपरिग्गहिए त जहा—खोरघाईए मज्जणघाईए
 कोलावणघाईए मडणघाईए अकघाईए

—बही, १।१।२०

४४ तए ण सा पउमावई दवो अम्मघाइ एव कयासी—गच्छइ ण तुम अम्मो ।
 तेयल्लिपुत्त रहस्सियय चव सहावहि

—बही, १।१।१०२

मनोरजन करने वाली परिचारिकाएँ

आगम-कालीन समाज में शुरुआत करने वाली परिचारिकाओं के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी परिचारिकाएँ थी जिनका वाय अपन स्वामी का मनोरजन करना होता था। गार्हस्थ्य जीवन में मिथ्या गौतम एवं यश कृतपुत्र के मनोरजनाय इस प्रकार की अनेक परिचारिकाएँ नियुक्त थीं।^{४५} वे वाद्य द्वारा अपने स्वामी का मनोरजन किया करती थी। इन वाद्य में वीणा मृदंग आदि प्रमुख थे।^{४६}

सामान्यतया ये परिचारिकाएँ यत्तिविशेष के मनोरजन के निमित्त नियुक्त होती थीं किन्तु पारिवारिक सुखी व अक्सर पर ये जनममूह के सामने भी मनोरजक क्रिया-कलाप करती थीं।^{४७}

गणिका

नारात्मज म ग्राजीविनोपाजन करने वाला द्वितीय वर्ग गणिका का था। यद्यपि इस वर्ग से मिलते जुलते वश्यावर्ग का अस्तित्व वैदिक काल में भी था तथापि गणिकावर्ग बौद्ध युग की विशिष्ट देव है। उन तत्कालीन नारी जीवन के पथ में गणिका के विषय में विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है।

सामान्यतया यह माना जाता है कि गणिका एवं वेश्या में कोई अन्तर नहीं है। संस्कृत एवं प्राकृत के मभा वाशा में गणिका की वेश्या का ही पर्यायवाची शब्द माना गया है।^{४८} जिस वाशा में

४५ सो निष्पुत्रिस्तहि सुगियहि परिचारियमाना ।

—मातृपम० २।२०१ महाव० प० १८

४६ महाव० पृ० १८

४७ नाया० १।१।२०

४८ (क) वारस्ता गणिका वश्या एता जात्रा

—अमर० २।६।१६

(ख) गणिका लज्जिका वश्या

व्युत्पत्ति के आधार से शब्दाके अर्थ दिये गये हैं, उनमें भी गणिका का अर्थ स्त्रीचिन्तन कर वेश्या ही किया गया है।^{११} हाँ, पालि-इंग्लिश डिक्शनरी प्रभृति कुछ कोशों में उक्त गणिका एवं वेश्या शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ उपलब्ध होना है। उनमें राजकीय स्तर की सामान्य स्त्री जिसे अनेक वैभव सम्पन्न व्यक्ति भोगा करते थे, गणिका, तथा सामान्य जनों के द्वारा भागी जाने वाली स्त्री को वेश्या कहा गया है।^{१०}

उक्त कोशों में प्राप्त गणिका एवं वेश्या शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि बौद्ध युग में गणिका एवं वेश्याओं के बीच पर्याप्त अंतर विद्यमान था, किन्तु कालान्तर में परिस्थितिवश उक्त अंतर क्षीण होना गया तथा अंत में जाकर गणिका और वेश्या को एक माना जाने लगा।

स्वरूप, उद्भव एवं विकास

उत्तर वैदिक-काल के बाद महाजनपदों का युग प्रारम्भ हुआ था जिसका समय ईसा पूर्व सातवीं-आठवीं सदी था। आगमों में जिन जनपदों का उल्लेख आता है उनमें सोनह प्रमुख थे। इनमें से मल्लि एवं वज्जि नामक दो जनपदों में गणराज्य स्थापित था।^{११} गणिका का उद्भव इन्हीं गणराज्यों में हुआ था।

(ग) गणिका स्त्री (गणिका) वेश्या

—पाइ. १० पृ० २८६

वस्ता स्त्री (वेश्या) पण्यगता गणिका ।

—वही पृ० ८२३

४९ गणिका—गण सम्पत्तयण उपपत्तित्वेन अस्ति अस्या वेश्या ।

—हलायुधकोटि पृ० २६७

४० (a) Ganika Courtesan

—P E D p 241

(b) Vesi & Vesiya—a woman of low caste prostitute

—P E D p 650

४१ इतिहास प्रवेश, पृ० ४४

अम्बपाली बौद्ध युग की सबसे प्रथम गणिका थी। अन जिस परिस्थिति में वह गणिका बनी थी उसमें गणिका के स्वरूप एवं उद्भव के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अम्बपाली कुमारी माता पिता में विहीन तत्कालीन वैशाली की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी थी। उसकी सुन्दरता पर आसक्त होकर अनेक राजपुत्र उसमें साथ विवाह करना चाहते थे, जिसके कारण राजपुत्रों में बलह उत्पन्न हो गया। अन यह एक गम्भीर समस्या पैदा हो गई कि राजपुत्रों के बीच क्या बलह को कैसे शांत किया जाय तथा अम्बपाली सुन्दरी किमकी दी जाय। इसके लिए पचायत बुलाई गई जिसमें उक्त समस्या का यह समाधान निकाला गया कि अम्बपाली कुमारी समस्त गण की पत्नी बनकर रहे।

अन गणिका ऐसी स्त्री को कहते थे जो गणराज्य के सभी राजाओं की पत्नी बनकर रहती थी। उसे गणराज्य का ऐसी सम्पत्ति समझा जाता था जिसका उपभोग करने का सभी राजाओं को समान अधिकार रहता था। इसके अनतिरिक्त राज्य के सम्मानित अनिधिया के मनोरजनाथ भी गणिका का उपयोग किया जाता था।

गणिका के रूप में अम्बपाली की नियुक्ति का अर्थ राज्या पर भी प्रभाव पड़ा। व भी इसका अनुसरण करने लगे। उदाहरणार्थ राजगृह का नैगम किसी कायवश वैशाली गया और वहाँ अम्बपाली गणिका को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुआ। राजगृह लौटने पर उसने राजा विम्बिसार से वैशाली का समाचार सहकर यह अनुरोध किया कि प्रच्छा हो महाराज, हम भी गणिका रखें। नैगम की बात सुनकर राजा ने स्वीकृति देकर उसी को गणिका की नियुक्ति का भार सौंपा। तब नैगम ने सालवता नामक सुन्दर कुमारी को गणिका

५२ वैशालिय राजउद्यान अम्बकलमूले आरपातिका हुत्वा निम्बसि
अथ न अमिष्प त्त्वा सम्बहुला राजकुमारो अत्तनो परिगह कातुकामा
अञ्जमञ्ज कलह अकमु। तस कलहवूपसमत्य तस्सा कम्ममघोत्तिता बोहारिका
सच्चस हातु ति गणिका ठान दापेसु ।

—परमत्यनीविनी (चैरा० की अट्टकथा) प० २०७

कालान्तर में गणिका के गुणा का विनाश हुआ । जैनागमों में गणिका के गुणा का लम्बी सूची मिलती है जिसके अनुसार गणिका के लिए ६४ कलाआ में पारगन तथा ६४ गणिका-गुणों का मशाल म वर्णित विनाश करने के २९ गुणों एवं २१ रति-गुणों से युक्त होता आवश्यक था । इसके अनिश्चित उयके लिए ३२ प्रकार के कुरालोत्तरा एव १८ दशा की मापाआ का जान होना आवश्यक था ।^{५९} ये सभी गुण बौद्ध युगों गणिका-गुणा में अनिश्चित थे ।

माराश यह कि बौद्ध युग में मुदरगा में अनिश्चित मूल्य, गीत एवं वाद्य में दक्षता होना ही गणिका के लिए पर्याप्त था किन्तु ज्यो-ज्या समय बीतता गया तथा तथा उयम अधिनाधित गुणा की अपभ्रा की जाने लगी

आय

गणिकाआ की आय का प्रमुख साधन उनका शु र था । वे अपने पास आन वाल व्यक्ति से निर्धारित शुल्क लिया करती थी । उदाहरण स्वल्प अम्बपाला गणिका का प्रतिरात्रि ५० कार्पापण गुल्य था ।^{६०} धीरे धीरे गणिकाआ के शुल्क में वृद्धि हुई । अम्बपाली के बाद गणिका बनने वाली सालवती का शुल्क १०० कार्पापण प्रतिरात्रि हो गया ।^{६१} कालान्तर में यह शुल्क बढ़कर १००० तक पहुच गया । जैनागमा में प्राप्त प्रमुख गणिकाआ के अय विशेषणों के साथ एक विशेषण 'सहस्सलंभा

५६ चउसट्टिकत्तापड्डिया चउसट्टिगणियागुणोव्वेया अवणत्तीसविसस रथमाणो एवकधीसरेग्गुणत्ताहाणा चत्तीसपुरिसावमारकुसत्ता अट्टारसत्तधीमासाविसा रया

माया० १११।५१ विवाग० १।२।३४

६० अम्बपाली च गणिका अमिसटा अत्थिवान २ मनुस्सान पञ्जासाय च रत्ति गच्छति ।

—महाव० ५० २८६

६१ अथ यो सालवती गणिका पटिसत्तन च रत्ति गच्छति ।

—यही, ५० २८६-२८७

अर्थात् 'हजार पानेवाला' भी मिलता है।^{१२} इसी प्रकार बौद्ध आगमा की अट्ठसथाओ में जहाँ-यही भी गणिकाओं का उल्लेख आता है वहाँ उनके साथ हजार कार्पापण प्रतिरात्रि शुल्क का भा चर्चा उपलब्ध होती है।^{१३} सारास यह कि गुणाकी भाँति गणिकाओं का शुल्क भी क्रमशः बढ़ता गया तथा ईसा की ४-९ वीं सदी तक वह हजार कार्पापण प्रति रात्रि हो गया था।

यद्यपि गणिकाओं का पूर्वोक्त शुल्क राजकीय स्तर पर निर्धारित हुआ करता था तथापि गणिकाएँ उसमें कदा अधिस्त ही प्राप्त करती थीं। अतः पूर्वोक्त शुल्क से गणिकाओं का यूननम ध्राय के ही विषय में अनुमान किया जा सकता है।

वस्तुतः राजा, अमात्य एवं वैभवसम्पन्न व्यक्ति गणिका का अपनी पत्नी जैसा सम्मान देते थे। अतः उन पुरुषों में गणिका का मनचाही धनराशि प्राप्त हो जाती थी। वाराणसी का भूतपूर्व गणिका अड्डवासी भिक्षुणो वन जान के बाद अपने विषय में कहती है कि जिनकी समस्त वाशी जनपद की आय थी उतनी ही मरा भी थी।^{१४} देवदत्ता गणिका ने अपनी एक ही दिन की सेवा के बदले में सायबाहपुत्रा से जीविका के योग्य प्रभूत धनराशि प्राप्त की थी।^{१५}

यहाँ यह स्पष्ट कर देना अप्रासंगिक न होगा कि यद्यपि गणिका का शुल्क प्रतिरात्रि के हिसाब में अवश्य निर्धारित रहता था तथापि यह जरूरी नहाना था कि गणिका का उपयोग रात्रि में ही किया जाय। दिन

१२ जाव ऊसिय-ज्ञया स-स्सलभा

—नाया० १।३।५१ विवाग० १।२।३४

१३ सिरिमा नाम गणिका अत्यि दवसिक् महस्सं गणहाति

—परमत्थदापिनी (विमा० का अट्ठकथा), पृ० ६७

१४ याव वासिजनपत्ता सुद्धो म तस्यका बहु ।

—धेरी० २।४।२५

१५ देवदत्ताए गणियाए विठल जीवियारिह पीइत्ताण दलयति

—नाया० १।३।५३

म भी गणिका के साथ कामभाग करने के दृष्टान्त उपलब्ध होते हैं।^{६६} इसका प्रमुख कारण यह था कि गणिका के साथ सम्पत्क स्थापित करना घृणात्मक नहीं माना जाता था। अतः उस समय गणिका से चोरी छिप सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती थी। यह दूसरी बात है कि गणिका दिन की अपेक्षा रात में ही अधिक उपयोग में लाई जाती थी।

वैभव

गणिका सदैव वैभव सम्पन्न रहती थी। आगमो में ऐसी एक भी गणिका का उल्लेख नहीं मिलता जो आर्थिक-दृष्टि से दुःखी रही हो। गणिका के पास रहने के लिए मकान तथा विहार के लिए उद्यान आदि अचल सम्पत्ति रहती थी।^{६७} इन पर गणिका का पूरा अधिकार होता था। वह अपने घर में किसी भी व्यक्ति को आश्रय दे सकती थी। इतना ही नहीं अपितु वे अपने उद्यानादि को दान करने में भी स्वतन्त्र थीं।^{६८}

बौद्ध युग में गणिका घर से बाहर विशेषकर उत्तम एवं प्रतिष्ठानुरूप कार्यो में भाग लेने के लिए प्रायः गृह के द्वारा जाती थीं।^{६९} यद्यपि गणिका के रथों को उत्तम यान की सजा दी जाती थी तथापि प्राप्त उत्प्रेक्षो से यह बात नहीं होना कि इस प्रकार के उत्तम यान का क्या रूप था तथा उसमें किस प्रकार की विशेषता थी। जैनागमो के काल तक गणिकाएँ यत्र-तत्र आने-जाने के लिए वर्णोरथ का प्रयोग करने

६६ माया० १।३।५१

६७ अम्मोसि खा अम्बरालो गणिका— 'भगवा वेसालिय विहरति मय्ह अम्बवन

—दीप० २।७६

६८ दमाह भ त, आगम बुद्धपरमुत्तसस भिवणुत्तससस दम्मो ति ।

—वही, २।७८

६९ अथ खो अम्बरालो गणिका महेहि महेहि यानहि वेसालिया निव्यासि

—वही, २।७६

लगी थी।^{१०} यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि इस यान का रथ शब्द से अवश्य कहा जाता था किन्तु वस्तुन यह रथ नहीं होता था। इसे मनुष्य अपने कंधे पर रखकर ल जाते थे। यह वस्त्र से आच्छादित रहता था तथा इसका उपयोग प्रमुख राजकीय स्त्रिया का भेजन म हाना था अर्थात् इस पर राजा की गना या विशिष्ट स्त्री ही सवार होती थी। ग्राजकल की भाषा में इसे पालकी या उससे मिलता-जुलना यान-विशेष कह सकते हैं।^{११} गणिका के कर्णोरथ की यह विशयता हानी थी कि उसपर ध्वजा फहराया करनी था।^{१२} जो सक्ता है कि वह ध्वजा राजकीय नारिया के कर्णोरथा से गणिका के कर्णोरथ को विभक्त करने के लिए प्रयुक्त हानी रही हा।

इसके अतिरिक्त गणिका के निवास-स्थान पर भी वैभव-सूचक अनेक क्रियाकलाप दिये जाते थे। गणिका के घर अनेक दान दासीवग रहते थे।^{१३} उसके घर के मुख्यद्वार पर सदैव द्वारपाल नियुक्त रहता था।^{१४} प्रसाधन में गणिका साधारण स्त्रिया से आगे रहनी थी।^{१५}

७० अथयज्ञदा कर्णोरथव्याया

—नाया० १। १५१ त्रियाग० १।२।३४

७१ (क) कर्णो चाभो रथश्चनि दा दमात्रग रथो न वस्तुन पुण्यस्वधनीय मानरथ स्त्रोरत्नवहनायमुपरिवस्त्राच्छादितमनुष्यवाह्यादानविशेष पालकी इति भाषा

—हलानुषकाग १० २०७

(ख) कर्णोरथस्वा रघुवीरपत्ना ।

—रघु० १।४।१३

७२ देमिण—उद्ध० ७०

७३ (क) सालवती गणिका दासि

—म०।व० १० २८७

(ख) जातकट्ट० २।५६।४२५

७४ सालवती गणिका दोवारिक आणापेसि

—महाव० १० २८७

७५ धरी० १.२।१

जैन गुग म राजा की आर से गणिका को छत्र चामर भी दिये जाने लगे थे।^{७६} ये छत्र चामर गणिका की वैभव सम्पन्नता के सर्वश्रेष्ठ प्रमाण होते थे। कारण, तत्कालीन समाज म राजा से छत्र-चामर प्राप्त होना अत्यधिक वैभव-सम्पन्नता एव प्रतिष्ठा का चिह्न माना जाता था।

गणिका एव समाज

आगम-युगीन गणिकान केवल राजकीय व्यक्तियों द्वारा ही सम्मानित होती थी अपितु समाज म भी उसे पूर्ण सम्मान प्राप्त होना था। गणिका के सम्बन्ध से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती थी। अतः गणिका के साथ एक ही स्थल पर बैठकर नगर के मुख्यद्वार से गुजरने म व्यक्ति अपने को गौरवान्वित अनुभव करता था। जब जिनदत्त एव सागरदत्त नामक सायबाह-पुत्रों को देवदत्ता गणिका के साथ शोडाकर विहार करने की इच्छा हुई, तो वे उस गणिका के साथ एक ही स्थल में बैठकर चम्पानगरी के प्रधान माग से सुभूमिभाग उद्यान में गये थे।^{७७}

इसके अतिरिक्त गणिका का समाज के प्रतिष्ठित परिवारों से भी घनिष्ठ सम्बन्ध रहता था। गणिका उच्च-कुलो में न केवल आया-जाया ही करती थी, अपितु वह परिवार के सदस्यों के स्नह एव श्रद्धा की पात्र भी होती थी। अभयमाता (पद्मावती) गणिका का एक सेठ के परिवार से सम्बन्ध था। सेठ की पुत्री (अभया) गणिका को अत्यधिक चाहती थी। अतः जब अभयमाता ने प्रव्रज्या ग्रहण की, तो अभया उक्त गणिका के बिना घर में नहीं रह सकी और अतोगत्वा अभया को भी घर छोड़कर प्रव्रज्या ग्रहण करने के लिए विवश होना पड़ा।^{७८}

७६ विदिमल्लचामरबालवीर्याणया

—नाया० १।३।५१ विवाग० १।२।३४

७७ तए ण त सत्यवात्तरया देवत्ताए गणियाए सद्धि जाण दुग्घति २ जपाए नयराए मत्तम-सण सुभूमिभागे उज्जाण उवागच्छति

—नाया० १।३।५१

७८ अभयमातु सहायिका इत्था ताव प-उज्जिताय सिनहेन सयं पि प-उज्जिता

—परमत्पदीपिनी (बेरी० की अट्टकथा), पृ० ४१

गणिका की सन्तान को भी समाज घृणा की दृष्टि से नयी देवता था। एक भूतपूर्व गणिका की पुत्री को अपनी पुत्रवधू बनाने के हेतु धात्रीवक श्रावको न बहुत प्रयत्न किया था, तब वही गणिका ने अपनी पुत्री उन्हें दी थी।^{१९} इस प्रसंग में यह कह देना उचित होगा कि तत्कालीन समाज में कुल-सन्तान का सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता था। अतः गणिका की सन्तान का स्तर कुल-सन्तान की अपेक्षा निम्न होता था। यही कारण था कि गणिका की सन्तान का वैवाहिक सम्बन्ध उच्च-वृत्ता में नहीं होता था।

सामान्यतया गणिका सन्तान प्राप्ति के लिए लालायित नहीं रहती थी। गणिका अपने यश के सहारे ही अपनी जीविवा एव प्रतिष्ठा कमाने ली थी। अतः उसमें यह हार्दिक इच्छा रहती थी कि उसके यश का विनाश न हो। सन्तानवती या गर्भिणी हो जाने से स्वाभाविकरूप से गणिका के यश का ह्रास हो जाता था। कारण, कामलोलुपी पुच्छ ऐसी ही स्त्री का अधिक पसन्द करता था जो न तो सन्तानवती हो और न ही गर्भिणी। इसीलिए गर्भिणी सालवती गणिका ने अपने गम को छिपाने के लिए लोगों से मिलना जुलना तक बन्द कर दिया था,^{२०} तथा जब उसे पुत्रप्राप्ति हुई तो सालवती ने उस पुत्र को कूटे के ढेर में फिखवा दिया था।^{२१} तात्पर्य यह कि वैभव तथा प्रतिष्ठा के

७५ पारा० ५० १५६

८० इत्ये सो गर्भिनी पुत्रिस्तान् अमनाया मचे म काच जानिस्मिन्नि माञ्जना गणिका गर्भिनी ति सत्रा मे सक्कारा पग्गिहायिस्मति । यन्नुनाह गिलान् पटिव्नेय्य ।

—महाव० ५० २८७

कुलना कोत्रिए —
कोमारी सट्टा भरियाल

—मयुत्त० १।८

८१ 'ह' जे, इम दारक कत्तरमुप्पे पक्खिपित्वा नाहरित्वा सङ्कारुट्ठ छद्देही ति ।

—महाव० ५० २८७

मोहजाल में फसकर तत्कालीन गणिना कभी-कभी मातृत्व पद की प्राप्ति जैसे काम को भी ठुकरा देती थी।

प्रभुता पर स्वाधीनता

गणराज्या के काल में गणिना की प्रभुता दशनीय होती थी। उस समय सभी गण राजाओं की समान पत्नी होने के नाते गणिना को किसी एक राजा के कृप्य हो जाने पर किञ्चित् भी चिन्ता नहीं होती थी। कारण, ऐसी अवस्था में उसे अन्य गणराजाओं की सहायता की आशा रहती थी। साथ ही यदि गणिना किसी अपराधी व्यक्ति पर भी आसक्त हो जाती थी तो उसे पाने के लिए वह पूरा प्रयत्न करती थी तथा उसमें गणिना सफलता भी प्राप्त कर लेती थी। सामा गणिना ने मृत्यु दंड के लिए जाते हुए चोर पर गामक्त होकर उसे प्राप्त करने में सफलता पाई थी।^६ सुलसा नामक गणिना ने भी मृत्यु दंड के लिए जाते हुए चोर पर आसक्त होकर उसे छुटवा लिया था।^७ अनिच्छुक होने पर कोई भी राजा या नेड गणिना को कामभोग के लिए विवश नहीं कर सकता था।

धार्मिक प्रवृत्ति

धार्मिक ऋषियों में भी गणिनाएँ अपना पूर्ण उत्साह प्रदर्शित करती थी। एक बार बुद्ध वैशाली के आश्रम में ठहरे थे। जब अम्बपाली गणिना ने उक्त समाचार सुना तो तुरन्त उत्तम यान पर बैठकर बुद्ध के पास गई। बुद्ध के उपदेशों में प्रभावित अम्बपाली ने मधमहित उनको दूसरे दिन के भोजन का निमन्त्रण दिया जिसे बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। बुद्ध की स्वीकृति में गौरवान्वित होकर वापस लौटते समय उसने बुद्ध

८२ मा निशमाम (चार) दिग्वा व पटिवद्धविस्सा नगरगुत्तिक्कम्म सहस्रस पमसि सा चार पटिच्छन्नपानकं निमीदापेच्च मामाय पण्णित्वा

—जातकट्टो ३।१९-६०

के दशन के लिए जाने हुए लिच्छविकुमारा के गया में अपना रथ उतारा दिया। जब लिच्छविकुमारा ने अम्बपाली में इसका कारण पूछा तो उस गणिका ने बड़ी शानत सभगवान् को निमंत्रण करने की वार्ता कही। लिच्छवि-कुमारा ने तर्हू तरहू वं प्रलोभन देकर बुद्ध के निमंत्रण का लेने का प्रयत्न किया, किन्तु अम्बपाला ने उन सभी प्रयत्नों का दृढ़ता से ठुकरा कर बुद्ध को निमंत्रित करने का मोहाय्य मुरच्छिन रक्खा।^६

इसके अनिश्चित गणिकाजा ने बुद्ध के द्वारा सम्स्थापित भिक्षुणा सघ में प्रवेश लेने में भी अभूतपूर्व उमाह प्रदर्शित किया। बौद्ध-युग की अधिकारा गणिकाजा ने भिक्षुणी सघ में प्रवेश किया था। बुद्ध ने भी गणिका के लिए सघ में प्रविष्ट करने के हेतु विधि मुविधाए भी दी थी।^७

तात्पर्य यह है कि गणराज्या के समय गणिकाजा का समाज एव घम व काय में भाग लेते पाया जाता था साथ ही समाज में वं स्वाभिमान एव प्रतिष्ठापूण जीवन यापन करती था।

जैन युग तक आते आते गणिका की पूर्वोक्त प्रतिष्ठा एव स्वाभिमान-पूण स्थिति का क्षति हो गई। अब वह राजा या सम्राट्य की इच्छा के विरुद्ध अपने प्रिय व्यक्तियों से सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाती थी। राजा आदि को यह अधिकार रहता था कि वे कभी भी आवश्यकता पड़ने पर गणिका को पत्नी की मायना दे सकते थे।^८ फलतः

८४ श्लोक २।३६-३८

८५ इम्मोमि खो अण्डकामा गणिका—घना विर मग परिपट्टिता ति ।
भगवतो मन्तिक दूत पान्मि कथ नु स्वा मया पटिपज्जितत्थ ति ? अथ
सा भगवा अनुदानामि भिक्खवे दूनत पि उपसम्पात्तु नि ।

—बुल ० प ० २९७-३६८

८६ तए ण तस्म विज्जयमित्तस्य रता अन्नया क्वाइ विराए दवीए आणिसूल
पाउ भूए उणियत्तारय कामत्तयाए गणियाए गिहाओ निच्छुभावइ
२ कामत्तय गणिय अभिन्नरिय टावइ ।

—विवाग ० १।२।५१ तथा १।४।६६

उस अवस्था में गणिका अपने इच्छित व्यक्ति से मिलने में अममर्थ रहती थी। अतः जब कभी उक्त अवस्था में गणिका का प्रेमी उमसे मिलना चाहता था तो उसे चारा छिपे ही मिलना हाता था। यदि कभी यह भेद राजा, अमात्य आदि को पात हो जाता था तो वह आसक्त पुरुष एवं गणिका को अतः पुरक नियम तोड़ने के अपराध में दण्डित करत थे।^{८७}

इसके अनिश्चित जैन युग की गणिकाएँ न तो किमी सामाजिक काय में भाग लेती थीं और न ही अपने का धार्मिक क्रियाकलाप से ही सम्बद्ध रहती थीं। यह बहुत अधिक उचित होगा कि गणराज्य की गणिका का जैन-काल में नाम मात्र का अस्तित्व रह गया था। कारण, जैन-युग में वेश्याओं के समुदाय का नतृत्व करने वाली सबसे सुन्दरी एवं गुणवती वेश्या को ही गणिका कहा जाने लगा था।^{८८}

गणिका में सम्पत्ति धन पूर्वोक्त समस्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि गणिका का उद्भव बौद्ध-युग में राज्य के गौरव की वृद्धि के हतु हुआ था। वह सारे गण की सम्पत्ति होकर भी स्वाभिमानपूण जीवन यापन करती थी। जैन युग में यद्यपि गणिका को राज्य-वैभव का अग माना जाता था किंतु उस काल में तो गणिका में स्वाभिमान की भावना रहती थी और न ही बौद्ध युगीन स्वतंत्रता एवं प्रभुता सम्पत्तता। जैन युग में वह केवल राजा या अमात्य आदि की रखील धन गई थी। यह बात दूसरी है कि जब राजा या अमात्य के लिए उसकी आवश्यकता नहीं होती थी तब वह बौद्ध-युगीन गणिका के अनुरूप स्वाभिमान से परिपूर्ण वैभवसम्पन्न जीवन व्यतीत करने को स्वतंत्र रहती थी।

८७ तए ण स सुसण अमच्च महच देण रत्ता अभणुत्ताण समाण दारय सगढ सुत्तरिण च गणिय एएण विग्गणेण वज्ज आणवेड ।

—बही, १।४।९८

८८ वेश्याओं में जो सबसे सुन्दरी और गुणवती होती थी, उस ही गणिका को आख्या मिलती थी।

वेश्या

आगम कालीन समाज में वेश्यावृत्ति का वग भी अपनी आजीविनी का उपाजन स्वयं करता था। पूर्वोक्त परिचारिका एवं गणिका वर्गों की तुलना में वेश्यावृत्ति निम्न माना जाता था तथा सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में उसे हेय दृष्टि से देखा जाता था।

वैदिक एवं उत्तर-वैदिक कालीन स्थिति

वेश्या-वृत्ति का अस्तित्व वैदिक-युग में भी था। ऋग्वेद में वेश्या को साधारण शब्द से 'यवन' किया गया है। एक स्थल पर कहा गया है कि मरुत् गण विद्युत् से उसी प्रकार समुक्त होते हैं जिस प्रकार सागरणी (वेश्या) से पुरुष समुक्त रहते हैं।^१ यहाँ यह लिखना आवश्यक होगा कि वैदिक-काल में भी वेश्या-वृत्ति को घृणा की दृष्टि से ही देखा जाता था। यही कारण था कि गुप्त रूप से सतान को जन्म देने वाला स्त्रियाँ उसे (वेश्या को) माग के एक आर रख दिया करती थी।^२ धर्मग्रन्थों में भी वेश्या का निन्दा उपलब्ध होती है। आशय यह कि विश्व के अनेक भागों की भाँति भारत में भी वेश्या वृत्ति का प्रचलन अत्यन्त प्राचीन काल से रहा है तथा प्रारम्भ में ही उसे घृणात्मक-दृष्टि से देखा जाता रहा है।

आगम कालीन स्थिति

बौद्ध-आगमों में भी यन्न-तन्न गणिका के अतिरिक्त वेश्या वृत्ति के उल्लेख मिलते हैं जिनसे यह पता होता है कि उस समय यह वृत्ति गणिका-वर्ग से भिन्न था तथा साधारण मनुष्यों की कामपिपासा को तृप्ति का प्रमुख साधन था। इसके अतिरिक्त उन उल्लेखों से यह भी पता होता है कि बौद्ध-युग में भी सामाजिक एवं धार्मिक व्यक्तियों

८९ परा गुप्ता अयमा यस्या साधारण्यव महता मिमिषु ।

—श्रुतवे० १।१६७।४

वेश्याओं की घृणा ही दृष्टि से देखने से है। वेष्ट्या के स्वरूप एक जीवन का सार्थक वर्णन कर गणित-वर्ग म उग (वर्या) वर्ग की विभिन्नता दिखाना ही प्रस्तुत विभाग का उद्देश्य है ।

स्वरूप

बौद्ध-युग म मानव-समाज के विभाजन म जन्म ही अपनी कम की अधिार प्रभुता दो जाती थी । इन जो मेधुनाम का सेवाकर पृथक्-पृथक् कम करते थे एते पुरुष को वेश्य (वम्म) तथा स्त्री का वर्या (वेशी या वेस्ता) कहा जाता था, ^{६१} तात्पर्य यह कि बौद्ध-युग म वर्या उन स्त्रियों का कहा जाता था, जो वेश्य-वर्ग का भाति अपनी आजीविका का उभाजन करती थी । अति कम समय स्त्रियों को पुरुषों के समान व्यापार आदि काय करना समाजद्वारा सम्मन नहीं था, अतः वेष्ट्याएँ शरीर विक्रय कर धन कमाती थी । फलतः शारीरिक अनुचित कृत्य या दुराचरण को करनेवाली स्त्रियों का वेश्या कहा जाता था । सस्कृत-ग्रंथों म वर्या शब्द को व्युत्पत्ति अथ प्रचार से की गई है । उनमें ऐसी स्त्री का वेश्या कहा गया है जो वगभूषा से अपनी जीविका कमाती थी । ^{६२}

उपयुक्त दोना व्युत्पत्तियों का मूल म दृष्टि म दराने से पाता होता है कि वस्तुतः य दोना व्युत्पत्तियाँ एक ही भाव का प्रकट करती हैं

६१ म जच्चा वसलो हाति म जच्चा होति प्राहणा ।

कम्मना वसलो होति, कम्मना हाति प्राहणा ।।

—सुत्तनिपाय १।७।१३६

*२ (क) मेधुन धम्म समानाय विमुक्कम्मस्त पयाजता ति स्वा वासट्ट वेस्ता, वेस्ता' त्वेव अकनर उपनिश्वस ।

—दीप० २।७४

(ख) Vesī & Vesīya (f) [the f of Vessa]

—P L D p 650

९३ वसमहाति वरोन दाग्पत्वाचरति वरोन पण्पायोमेव जीवति वा ।

—हलायुधकोश, पृ० ६३८

हालांकि उन्हें भिन्न भिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। बोद्धागमो में शारीरिक सेवा कर जीविका कमानवाली स्त्रियाँ को वेश्या कहा जाता था तथा उस सेवा के हेतु शरीर को वेशमूपा से सजाना नितान्त आवश्यक था। अतः बौद्ध-युग में ऐसी स्त्री का वेश्या कहा जाता था जो चमकीली वेशमूपा से अपने शरीर के उपभोग के लिए पुरुष वर्ग को आकृष्ट करती थी तथा आकृष्ट पुरुष से अपनी शारीरिक सेवा के बदले में जीविका के निर्वाह के लिए कुछ धन प्राप्त कर लेती थी।

गुण

गणिकाओं से विपरीत वेश्याओं को न तो अत्यधिक सुन्दर होना आवश्यक था और न ही नृत्य, गीत, वाद्य आदि गुणात्मक निष्णात होना अपेक्षित था। वेश्याओं में केवल एक ही गुण पाया जाता था और वह था शरीर का वेशमूपा से उत्तेजक शृंगार करना। वेश्या के शरीर शृंगार की चर्चा यत्र तत्र उपलब्ध होती है। एक बार प्रसिद्ध श्रेष्ठिपुत्र की माता से अनुमति प्राप्त कर वेश्या उसे रिश्वान गर्द थी। जाते समय उस वेश्या ने अल्कारा के अतिरिक्त सुन्दर वस्त्रों से अपने शरीर को सजाया था, गले में माला पहिन ली थी तथा पैरों में लक्षारस लगा लिया था।^{१४}

वेश्याओं को शृंगार के अतिरिक्त अन्य गुणात्मक आवश्यकता इसलिए नहीं होती थी क्योंकि उनका कार्य केवल मनुष्य की काम पिपासा को उभाड़ कर अपनी शारीरिक सेवाओं द्वारा उम शान्त करना था। चूँकि उनकी सेवाओं का राजनैतिक एवं सामाजिक मायता प्राप्त नहीं थी, अतः वे नृत्य, गीत आदि गुणात्मक कुशल होने के बचन से भी मुक्त थीं।

आर्थिक स्थिति :

गणिका की तुलना में वेश्या की आर्थिक स्थिति कमजोर रहता

१४ अलङ्कृता सुवचना मातृधारा विभूषिता ।

अलङ्कृतकता पादा पादुकाद्वह वसिका ॥

थी। वह सर्वत्र घनाभाव से पीड़ित होने के कारण घन की खालची होती थी। अतः वेश्या अत्रसर पारंग उचिन-अनुचित सभी प्रकारों में घन प्राप्त करने में नहीं हिचकता थी। एक बार तीस भद्रवर्गीय मित्र अपना-अपनी भार्याओं के साथ वागण्ड में विनाद कर रहे थे। चूँकि उनमें एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी भार्या नहीं थी, इसलिए उसके लिए वेश्या बुलाई गई थी। जब वे सभी मित्र मुरापात कर नये की स्थिति में हो गये, तो वह वेश्या उस स्थिति का लाभ उठाकर उनके सामान को लेकर भाग गई।

वेश्याओं का आश्रित कमजोरी का कारण यह था कि उनका सम्पन्न राजकीय स्तर के मनुष्यों एवं धनी वर्गों से नहीं रहता था, अपितु उनका सम्बन्ध निम्न वर्ग के मनुष्यों से, जिनकी आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ नहीं होती थी, ही रहता था। चूँकि वेश्याओं के साथ संपन्न स्थापित करना प्रतिष्ठाघातक था, अतः सामान्य मनुष्य भी वेश्या संपर्क की अधिक महत्त्व नहीं देते थे। अतएव वेश्या की आय का साधन केवल वे ही मनुष्य रहते थे जो सामान्य श्रेणी के हीन हुए भी भोग विलास से युक्त जीवन व्यतीत करना चाहते थे। ऐसे लोग मूर्ख लोग प्रमुख थे।

वेश्याएँ घनाभाव के कारण वैभव सम्पन्नता से भी विहीन होती थी। बौद्ध आगमा में ऐसे उल्लेख नहीं मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि वेश्याओं के पास चल-अचल सम्पत्ति होती थी। उनके निवास-स्थान अवश्य होते थे किन्तु वहाँ भी उनकी वैभव सम्पन्नता प्रदर्शित नहीं होती थी। जिस प्रकार गणिकाएँ दास-दासियाँ एवं द्वारपाल आदि रखती थी, उस प्रकार वेश्याएँ भी रखती थी। वेश्याएँ स्वतः ही अपने घर के द्वार पर बैठकर राहगीरों को आमवाचना

६५ उन लोचन समय तिसमत्ता भद्रवर्गीया सहायका सपजापतिवा तस्मिन्नेव वनसण्ड परिवारिणि । एकस्मिन् पजापति नाहोसि तस्सत्थाय वसो धानोता भहोसि । अथ लोचो वा वसो तेषु पमत्तेषु परिचार तेषु भण्ड आदाय पलायित्थ ।

के जाल म फसाने का प्रयत्न किया करती थी।^{११} यत्र तत्र जाने के लिए रथा का भी प्रयोग नहीं करता था तथा राजा के द्वारा सम्मानित भी नहीं हानी थी। वे परिचिन अपरिचिन सभी व्यक्तिया के निमंत्रण को स्वीकार कर उनके पास स्वतः चली जाना थी। यह बात दूसरों है कि जहाँ जाने म वे अपने को असुरक्षित अनुभव करती थी, वहाँ जाने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होती थी। ऐसे स्थानों पर वे तभी जाती थी जब उन्हें किसी प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा सुरक्षा का स्पष्ट आश्वासन मिल जाता था।^{१२}

सामाजिक स्थिति

वेश्याआ का समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं था। उनका समाज में आना-जाना भी प्रायः बन्द था। वे स्नानादि काय के लिए नदी तालाब म एक साथ ही मिलकर जाती थी।^{१३} कभी-कभी काम भोगिनी स्त्रियाँ या मिथुनियाँ उन्हें अपने पास बैठाता थी।^{१४} यद्यपि स्पष्टरूप से तो यह कहा जा सकता कि इस प्रकार वेश्याआ को बैठाने का क्या उद्देश्य था तथापि अनुमान किया जा सकता है कि कामभोगिनी स्त्रियाँ कामुक वेश्याआ से कामसुख या चर्चा एवं जिनासा के हेतु ही बैठती हैं। जा कुछ भी हो किन्तु इतना कहा जा सकता है कि

११ विभ्रमत्वा इम काय सुचित्त बाल्यापन ।

अट्टासि वसिन्तरम्हि लडा पावमिवाट्टिप ॥

—पेरा० ५।२।७३

१७ तन स्वा पन ममयन अञ्जतरिस्सा वमिया सति तव दूत पाहमु—आगच्छतु उय्यान परिचारेस्सामा ति । सा एवमाह—अहं हरय्यो तुम्हं न जानामि बहिनवर च गन्तव्व । नाहं गमिस्सामो ति । सच भन्त अया जानाति अहं गमिस्सामो ति ।

—पागा० प० १६८-१६९

१८ वसिए—उद्ध० १०५

१९ वसि बुद्धुपेत्ति सम्ययापि गिहिना कामभोगिनीयो ति ।

—च ७ प० ३८७

वेश्याग अधिगमिणी थीं। वे काम-सुखा करने के लिए अपने को प्रस्तुत करने में विविध भी संशोच का अनुभव नहीं करते थीं। विमला अपने अज्ञान सुनानी है कि वह तज्जाया छाडकर कपड़े उतार कर नगा लग हो जाती थी तथा मनुष्या के पन के लिए अनेक गामाए रखती थी।^{१००} अतः समाज के अधिकांश व्यक्ति उन्हे बखतर हा रहने थे। समाज में वेश्या गमा त्याग्य था।^{१०१} वेश्या को पुत्री भी अपनी मां ता हा अनुमरण कर वेश्या बन जाती थी। विमला केवल इमीलिए वेश्या बन गई था क्योंकि उमरी माना वेश्या थी।^{१०२} इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वेश्या को समाज को भा समाज में उचित स्थान नहीं दिया जाता था। पतन उन्हे भी वेश्या-वृत्ति में हा जावन यापन करने के लिए विवश होता पता था।

धार्मिक स्थिति

वेश्याए धार्मिक वृत्त्य में भी दूर रहती जानी थी। बौद्ध धर्म में मुख्यतःपण ब्रह्मचर्य को महत्त्व दिया गया है। श्रुति वेश्याग निषिद्ध होकर काममेवत्र की प्राथना करती थी अतः वेश्याओं का समाज में ही प्रविष्ट नहीं किया जाता था, अतः उनसे भिक्षुओं को बचने के लिए भा कहा जाता था। वेश्या-गाथर हो जाने से भिक्षु के पच ध्युत हो जाने का आशंका रहती थी।^{१०३} विमला नामक वेश्या महामी

१०० विष्णुधन विष्णु का, गुम्ह पकाविव यह।

अर्थात् विविध माय उचरता ती बट्ट जन ॥

—धरी० ५।२।७४

१०१ 'न सल्लु, सम्म गुणमुष, वनियो नारिया नमनिया

—जातक २१।५३६।२६२

१०२ बसालिय अञ्जतराय रूपजविनिमा हरियया घाठा विमला।

—वग्गवदीपिनी (धेरी० की अट्टकथा), पृ० ७६

१०३ धर्मेति समनागता भिक्षु उहसिद्धतपरिसिद्धितो हाति पापभिक्षु ति वसियामोचरो वा होति

—अगुत्तर० २।३८४

द्विगयायन पर आसक्त होकर उनसे निश्चनापूर्वक काममेवन का प्रार्थना करने लगी। जब स्वधिर न उस फत्कार दिया तो विमला को वेद्या-वृत्ति से घृणा पैदा हो गई। वह अपने वेश्या रूप का त्याग कर घम की क्षरण में गई किन्तु प्रथम उसे उपासिका के रूप में ही दीक्षित किया गया। जब उसने उपासिका के रूप में रत्न धर्माचरण के प्रति अपनी पूण निष्ठा प्रदर्शित की तब वही उसे भिक्षुणी बनाया गया।^{१०४}

वेश्याआ का सम्पर्क न केवल भिक्षु वग को ही हानिप्रद रत्ना था अपितु उनके सम्पर्क में आने वाली भिक्षुणियां को भी ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना पड़ता ही जाना था। कारण वेद्याए भिक्षुणियां में काममेवन के प्रति आकर्षण पैदा करने का प्रयास करता थी। एक बार अचिरवती में भिक्षुणियां वेश्याआ के साथ एक ही घाट पर नम्र होकर स्नान कर रही थी। उसी समय वेद्याआ ने भिक्षुणियां से कहा कि तुम युवनियों को ब्रह्मचर्य का पालन करने में क्या लाभ है। पहले भोगा का उपभोग करना चाहिए। जब बुढ़ा होना तब ब्रह्मचर्य का पालन करना। ऐसा करने से इहलोक एवं परलोक दोनों का ही आनन्द प्राप्त कर सकागी।^{१०५} सारांश यह कि वेश्याए धार्मिक-वृत्त्यो में दूर रखी जाती थी क्योंकि उनके सम्पर्क से धार्मिक व्यक्तियों में असदाचरण फैलने की आशंका रहती थी।

जैन-युग में वेश्याओं एवं गणिकाओं का सम्मिश्रण हो गया तथा गणिका एवं वेश्या पद एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये।

१०४ तथा पत्र घरन आवादे दिन सा सवगजाता हिरोत्तप्य पञ्चुपट्टापत्वा सामन पटिलदसटा उपासिका कृत्वा अपरभाग भिक्षुनीसु प वजित्वा

—परमत्वदीविना (धर्मी० की अट्टकथा) पृ० ७७

१०५ इष, भत्त, भिक्षुनिया अचिरवतिषा नत्तिया वसियाणि मदि नग्गा एकत्तिये नत्तियात्त। ता भत्त, वसिया भिक्षुनिया उण्णम्मु—कि न सा नाम तुम्माक अय्य दहरान ब्रह्मचरिय चिण्णन ननु नाम कामा परिमुञ्जितत्त्वा

गणराज्य कालीन आदर्शों का पालन करने वाली गणिका वेश्याओं का नेतृत्व करने लगी थी।^{१०९} इस मिश्रण के परिणामस्वरूप वेश्याएँ भी गणिका शब्द से कही जाने लगी। यही कारण है कि जैनागमों में वेश्या शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, अपितु उसकी जगह गणिका शब्द का ही प्रयोग दृष्टिगोचर होता है कि तु उनके आवास तो वेसिया घर कहा गया है।^{११०} आशय यह कि प्रमुख गणिका के नेतृत्व में गणिका शब्द में कही जाने वाली सभी वेश्याएँ राजकीय-वैभव का अंग बन गईं।^{१११} जैनागमा में ऐसा एक भी उल्लेख नहीं मिलता जिसके आधार पर कहा जा सके कि गणिकाएँ अपनी वृत्ति को त्याग कर धार्मिक जीवन में प्रवेश करती थीं। अतः स्पष्ट है कि जैन युग तक अन्य गणिकाओं (वेश्याओं) के साथ प्रमुख गणिका भी धर्मपालन के अधिकार से वञ्चित हो गई थीं।



१०९ बहूण गणियासट्टसाण जाव विहरइ ।

—नाया० १।२।५१, विवाग० १।२।३४

१०७ विवाग० १।१।५०

१०८ देखिए—उद्ध० ५४

भिक्षुणी

बौद्ध एव जैन-युगीन भिक्षुणी-वग म साम्य एव वैषम्य
वैश्वि एव उत्तर वैदिय नागीन स्थिति
बौद्ध-कालीन स्थिति
पांच वय तव बौद्ध-भिक्षुणी-संघ वे प्रभाव का कारण
बुद्ध, धम एव नारी
बौद्ध-भिक्षु संघ एवं नारी
बौद्ध भिक्षुणी-संघ का प्रारम्भ
आठ गुरुपम
बौद्ध भिक्षुणी-संघ एवं नारी
बौद्ध भिक्षुणी एव समाज
जैन-कालीन स्थिति
जैन भिक्षुणी-संघ का प्राचीनता
जैन भिक्षु-संघ एव नारा
जैन भिक्षुणी का स्तर
जैन भिक्षुणी-संघ एवं नारी
जैन भिक्षुणी एवं समाज

•

आगमकालान नारी समाज म भिक्षुणी वग का विशिष्ट स्थान था । कारण नारा समाज के सभी वग भिक्षुणी-वग से प्रभूत या अप्रभूत रूप से प्रभावित थे । उस समय नारी-समाज म मूत्रकालान व्यवस्था के विरोध म जो शक्ति हुई था, उसका प्रमुख कारण भिक्षुणी-वग के प्रति नारी का आश्रयण एवं समादर का भाव ही था । अतः तत्कालान नारी जीवन का चित्रण करते समय भिक्षुणी वग को नहीं मुलाया जा सकता है ।

बौद्ध एवं जैन युगीन भिक्षुणी-वग में साम्य एवं वैपम्य

बौद्ध एवं जैन दोनों ही युगा में भिक्षुणिया का अस्तित्व था । दोनों ही युगा की नारिया भिक्षुणी बनकर सामाजिक दुःखा से मुक्ति पान की इच्छा करती थी । अतः आगमकालीन नारियों का भिक्षुणा सच म प्रविष्ट होने का नश्य एक ही था । दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि बौद्ध एवं जैन दोनों ही युगों का भिक्षुणिया म सांख्य का दृष्टि से साम्य था । किन्तु भिक्षुणिया के प्रति सामाजिक नारिया के दृष्टिकोण आश्रयण, व्यवहार आदि की भिन्नता के कारण उभययुगीन भिक्षुणा-वगों म वैपम्य था ।

१ (क) मात्र अब्बुल्लसल्लाह निच्छाता परिनिब्बुता ।

बुद्ध धम्म च सङ्घ च उपेमि सरणं प्रति ॥

—धर्मा० २।५।५३

(ख) उपेमि सरणं बुद्ध धम्म सङ्घं च तस्मिन् ।

समादियामि सीलानि त म अत्थायं हन्ति ॥

—धर्मा १।२।२५०

(ग) त संय मम अत्राण अति ए पञ्चदत्त ए ।

—नाया० १।१।१०१ तिरया० ३।४।११६

बौद्धागमा से पान जाना है कि उग समय नारी-समाज का प्रत्येक वग भिक्षुणो जीवन से जाहृष्ट एव प्रभावित था। समाजिक एवं पारिवारिक-जीवन स उत्पन्न या भयभीत प्रत्येक नारी भिक्षुणो-मघ की शरण लेन का प्रयास करती थी।^४ फलतः उग समय भिक्षुणिया की गत्या इतनी अधिक हो गई थी कि उतरो मघमिन् ढग मे रम्यन के लिए बुद्ध को एक पृथक् विद्यालय बनाना पडा था।^५ किन्तु फिर भी भिक्षुणियो के कारण ऋषी-वमी सघ म अल्पवस्था एवं जसतुल्य का वातावरण उत्पन्न हो जाना था जिसे व्यवस्थित एव म तुलित बनाने के लिए बुद्ध का नये-नये नियमा का सज्जन करना हाना था।^६

जैन युग म भिक्षुणो-वर्ग मघमिन् एव नियमित हो गया था। उग समय वे हा स्त्रियाँ भिक्षुणो बनती थी जिह पान प्राप्त करने की इच्छा हानो था या पारिवारिक-जीवन म रहना कठिन हो जाना था। इस युग म भिक्षुणो जीवन क प्रति सामान्य नारी का आकर्षण कम हो गया था। जब नारी क हृदय म पान प्राप्ति की लालगा जाग्रत होती थी, ता वह अपने सरलक-व्यग की गरलता से स्वीकृति प्राप्त कर भिक्षुणो बन जाती थी।^७ अथ स्त्रियाँ, जिनम गृहपत्नी की प्रधानता थी, तभी

२ (क) अहं नि पचजिस्सामि भानुसोवन अट्टिता ।

—परी० १२।४।३२६

(ग) अस्सामि मा ता इत्था—'सामिको विर म चातेनुजामा' ति ।
वरमण्ड आणय पबज्जा याधि ।

—पाधि० पू० २०१

३ At this time the need of creating new laws was most urgent, because owing to the increase of the number of inmates, there was greater probability of lapses

—Early Buddhist Jurisprudence, p 163

४ सुल्ल० पू० ३८२-३८६ तथा आगे

५ (क) इच्छामि ण देवानुप्पया पञ्चइत्तए। अहामुह तए ण सा पउमावई अज्जा एवकारस अङ्गाइ अहिज्जइ ।

—अत० ५।१।८५ ८६

(ख) भगवतोसूत्र १२।२

भिष्णुणी बनती थी जब उन्हें पारिवारिक जीवन में कोई दुःख हाता था।^१ इस प्रकार की नारियाँ प्रारम्भ में किसी भिक्षुणी ने अपने दुःख के निवारण का उपाय ही पूछती थीं किन्तु जब भिक्षुणी दुःख का उपाय न बताकर भिक्षुणी जीवन का आदर्श प्रस्तुत करती थीं तो उन्हें विवश होकर भिक्षुणी बनना पड़ना था।^२

इस प्रकार बौद्ध एवं जैन-युगीन भिक्षुणी-जीवन में साम्य होने हुए भी कुछ-कुछ वैधर्म्य था। अतः यह आवश्यक है कि ऐतिहासिक-दृष्टि से भिक्षुणी-जीवन का चित्रण करने के लिए पहले वैदिक-कालीन स्थिति का सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर बौद्ध युगीन भिक्षुणी-वर्ग का वर्णन किया जाय। उसके बाद जैन-युगीन भिक्षुणी-वर्ग के विषय में कहा जाय।

मुख्य विषय पर लिखन के पूर्व यह स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा कि सामाजिक दृष्टि से भिक्षुणी-वर्ग का वर्णन करना ही प्रस्तुत अध्याय का अभोष्ट विषय है। कारण सध का दृष्टि से भिक्षुणी-जीवन का व्यापक चित्रण अन्य ग्रन्थों में किया जा चुका है।^३ अतः पुनः सध की दृष्टि से ही भिक्षुणी-जीवन के विषय में कथन करना पुनरुक्ति मात्र होगी।

- ६ (क) अहं तयस्मिपुत्तम्म आणट्ठा । तं सयं खलु मम पश्वइत्तए ।
—नाया० १।१४।१०५
- (ख) ना चत्र ण मत्तं दारमं वा दं रियं वा पयायामि तं सयं पश्वइत्तए ।
—निरया० ३।४।११६
- ७ (क) तं अदिदयाडं भे अउत्ताओ केदं कं विं चुग्गज्जाणं वा जणादं पणत्तं विं इट्ठां ५ भवत्तं जामि ?
—नाया० १।१४।१०४
- (ख) अग्घे ण समणोआ ना खलु कण्णइ अग्घं एयणमारं तए ण सा वयासो—इच्छामि ण धम्मं निसामित्तए ।
—नाया० १।१४।१०४ १।१६।११८
- ८ (क) Women Under Primitive Buddhism pp 95-379
(ख) History of Jaina Monachism, pp 165-511

वैदिक एवं उत्तर वैदिक कालीन स्थिति :

वैदिक साहित्य में भिक्षुणी संघ या उसमें मिलनी-जुलती किसी संस्था विशेष का उल्लेख नहीं मिलता है। अतः यह कहा जा सकता है कि वैदिक-युग में भिक्षुणियाँ का अस्तित्व नहीं था। यद्यपि उस समय ब्रह्मवादिनी स्त्रियाँ का अस्तित्व था तथा अनेक विदुषा नारियाँ ने धार्मिक-क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था^१ तथापि उनसे भिक्षुणी के अस्तित्व के विषय में किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। उस समय महिलाएँ पति की सहयोगिनी के रूप में ही धार्मिक (यज्ञादि) कृत्य करती थीं। अतः उनका धार्मिक जीवन गृहस्थाश्रम तक ही सीमित था। वानप्रस्थ एवं संन्यासाश्रम में प्रवेश करने का अधिकार केवल पुरुष-वर्ग को ही था।^{१०} उत्तर वैदिक काल में नारी धार्मिक अधिकारों से वंचित कर दी गई।^{११} उसे उपवीत एवं शिक्षित करना भी अनावश्यक समझा जाने लगा। पत्र अनुपनीत एवं अशिक्षित नारी गृह का श्रेणी में आ जाने से भोग्यवस्तु के रूप में समाज में रहने लगी थी। उसे वेदा के मन्त्राच्चारण तक का भी अधिकार नहीं रह गया था। इस प्रकार बौद्ध युग के आते आते नारी का जीवन का मुख्य उद्देश्य विवाहित हान्तर जननी जैसे महत्वपूर्ण पद को प्राप्त कर पति का पितृ-संभ्रम मुक्त कर देना मात्र ही गया था। उस समाज में न तो कोई भिक्षुणी थी और न नारी को भिक्षुणी बनना संभव ही था।

बौद्ध-कालीन स्थिति

बौद्ध-आगमा से ज्ञात होता है कि तत्कालीन भारत में न केवल

६ प्राचीन भारतीय गणना पद्धति पृ० १५५-१५७

१० The Vanaprasthasrama and the Samnyasasrama do not seem to be meant for women probably because of the hardship involved in these

—Hindu Social Organization, p 283

११ हिन्दू परिवार भोगमात्र पृ० १३१

परिवार की स्त्रियों को पुरुषों के समान धर्मपालन का अधिकार था अपितु वे पुरुषों की भाँति गृहावास त्यागकर बुद्ध के द्वारा संस्थापित भिक्षुणी सघ में भी प्रवेश लेती थी। सघ में पुरुष एवं नारी, क्रमशः भिक्षु एवं भिक्षुणी के रूप में रहकर दुःखा के विनाश के लिए साधना करते थे। बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी सघ की स्थापना या नारियाँ नैदानिक स्वागत किया था तथा उसमें प्रविष्ट होने के लिए अभूतपूर्व उत्साह दिखाया था। किंतु भिक्षुसघ से भिक्षुणी सघ की स्थापना का इतिहास सदा भिन्न है। बुद्ध ने जिस समय अपने धर्म का प्रवर्तन किया था उस समय केवल भिक्षुसघ की ही स्थापना की थी तथा उसके विस्तार के लिए अथवा परिश्रम किया था किंतु उक्त भिक्षुणी सघ की स्थापना भिक्षुसघ की स्थापना के पाँच वर्ष बाद अनिच्छापूर्वक की थी। जैसा कि बौद्ध आगमों में ज्ञात होता है इस पाँच वर्ष की अवधि में नारी तथा नारियाँ नैदानिक जीवन त्याग कर प्रव्रजित होने का प्रयत्न किया था जो कि बुद्ध ने नारी को इस विषय में किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन ही दिया था।^{११}

पाँच वर्ष तक बौद्ध भिक्षुणी सघ के अभाव का कारण

यह कितना अनुचित होगा कि बौद्ध युगानुसार समाज में नारियाँ प्रव्रज्या नहीं लेती थी। कुलवर्ग से जात जाना है कि उस समय भी कुछ सम्प्रदायों (जैन आदि) में स्त्री को प्रव्रज्या देन की परम्परा थी।^{१२} भिक्षु

११ इति अनन्त जटिन्म म्म प व्रजित इमानि च अल्पवयसि परिव्राजकस ताति मञ्जेयसिनि प वाञ्छिनि । एमे च अभिञ्जाता अभिञ्जाता मागधिका समण गोतम ब्रह्मचरिय चरंतीति ।

—महाव० पृ० ४१

१३ Women Under Primitive Buddhism p 98

१४ इमं हि नाम आनं अञ्जती यथा दुरक्खानघम्मा मातुगामस्स अभिवाण्ण पचुट्ठाण अञ्जलिकम्म सामाच्चिकम्म न करिस्सति किमङ्ग पन तयागतो अनुजानिस्सति मातुगामस्स

सध की स्थापना के बाद पांच वर्ष तक भिक्षुणीसध की स्थापना न होने का यत्न कारण ही सधना है कि इस लम्बी अवधि में या ता जिसा तारो ने बुद्ध के सम्मुख प्रव्रज्या लेने की इच्छा की व्यक्त किया था साहस ही न किया था। या फिर स्त्री नारी के सध प्रवेश के अमफन प्रयत्नो को महत्त्वहीन बनाने की रष्टि ने आगम-साहित्य में उल्लिखित नहीं किया गया था। कारण जा बुद्ध भी रहा हो कि तु प्रता यह है कि बुद्ध ने पुरुष वर्ग को भिक्षु बनाने में त्रा दाना दिगार्ई, वरु नारी को भिक्षुणी बनाने में क्यों नहा दिगार्ई, अथवा नारी-वर्ग में उग धर्म में पुरुषा वर्ग ममान उत्साह एवं साहस व साथ भाग क्या नही लिया जिममें सिद्धा त रूप में नारिया का पुरुषा के समान ही दुखा के सध धर्म में समथ माना गया था ?" उक्त प्रश्ना के उत्तर के लिए यह आवश्यक होगा कि नारा के प्रति बुद्ध के रत्न क साथ साथ उनके सध के स्वरूप पर दृष्टिपान किया जाय।

बुद्ध, धर्म पत्र नारी

बुद्ध के गार्हस्थ्य-जीवन से पान हाता है कि एक दिन उद्यान विहार को जाते समय सिद्धार्थकुमार रोगी, बृद्ध, मृत एवं प्रव्रजित व्यक्तिया का दखकर वापस घर आ गये तथा अपने शयन-कक्ष में पत्र पर लेट गये। उमी समय परिचारिकाओ ने नृत्य, गीत, वाद्यादि से उनका मनोरजन करना चाहा, किन्तु भोगा से विरक्त कुमार शीघ्र ही सो गये। प्रयोजनाभाव से परिचारिकाए भी सा गई। अघरात्रि के समय कुमार की अचानक निद्रा भंग हो गई। उस समय उ होने अस्त-व्यस्त अवस्था में सोई हुई परिचारिकाओ के घृणित रूपो को देखा जिससे उन्हें भोगा के प्रति घोर ग्लानि उत्पन्न हो गई। उ होने

१५ भ-शो आन ८ मातुगामो तपागतपत्रदिने धम्मविनय अपाररमा अनगारिय पवजित्वा अरहत्तकर्म वि सच्छिहानु।

तुरन्त गृहावास छोड़ने का निश्चय किया।" घर छोड़ते समय उनके हृदय में अपने नवजात-पुत्र को दमने की इच्छा हुई और वे राहुल-माना की कोमरी व दरवाजे पर पहुँचे। कुमार देहली पर रुक गया और राहुल माता जो कि अपने हाथ को बच्चे के मस्तर पर रखकर सो रहा थी, को देखा। उनके मन में विचार आया कि यदि राहुल माता का हाथ हटाकर शिशु का उठाया गया तो राहुल माता की नींद खुल जायगी और मेरे 'महाभित्ति'क्रमण में विघ्न उपस्थित हो जायगा। अतः वे अपने शिशु को इच्छा हीन हुए भी बिना देखे लौट आये।

बुद्धत्व प्राप्ति व उपरान्त उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, तथा भिक्षु-संघ का स्थापना की। प्रारम्भ में प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा के इच्छुक चरितियों को उन्होंने यह कहकर प्रव्रजित एवं उपसम्पन्न किया कि "भिक्षु आजा धर्म अच्छी तरह से व्याख्यात है दुःखों के नाश के लिये भली भाँति प्रह्लाचय का पालन करो।"

बुद्ध के उपयुक्त गत जीवन से यह स्पष्ट पता होता है कि उन्होंने स्त्रियों के घृणित-रूपा से प्रव्रज्या की अतिम प्रेरणा पाई थी तथा प्रव्रज्या के हेतु जाते समय हम बात में सतकता अपनाई थी कि उनकी पत्नी को उनके गृहत्याग की जानकारी न हो। अतः इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बुद्ध स्त्रियों को न केवल सामाजिक दुःखा

१६ सा तास त विषकार दिस्वा भिय्याभोमताय कामसु विरत्ता भोसि
अतिव्रिय पञ्चज्जाय चित्त गमि। सो अजव मया महाभित्तिवचमन निक्खमिमु
वट्ठीनि

—जा० क० पृ० ४७

१७ सचाट् देविया हत्थ अपनत्वा मम पुत्त गणि स्तामि देवी पवुज्जिस्सति एव
म गमनत्तराया भविस्सति

—वहा, पृ० ४८

१८ एथ भिक्खवा' ति भगवा अवोच— 'स्वाक्खाता धम्मो, चरथ ब्रह्मचरिय
सम्मा दुक्खस्स अ'तकिरियाया' ति।

का मुख्य कारण ही मानते थे अपितु उक्त पुत्र विनाश में बाधक भी मानते थे। स्त्रीएँ उक्तो सम्बन्ध प्रकाश में दुर्गा का नाम करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक तथा स्त्रियों का ब्रह्मचर्य का विचार^{१९} बताया था। श्री बुद्ध संघ का विशुद्ध ब्रह्मचर्य के पालन करने का प्रमुख स्थल बनाता चाहता था और उक्त ब्रह्मचर्य के विचार (स्त्री) का दूर रखना चाहते थे। यद्यपि बुद्ध नाम तो भी पुरुष के समान समानांतर का अधिकार मानते थे किन्तु साथ ही वे यह भी चाहते थे कि स्त्रियाँ अपना ही अधिकार का प्रयोग करने में अधिक उपयुक्त रूप में हों। सातवां यह कि बुद्ध सौदागंतिक-दृष्टि से स्त्री एवं पुरुष में समानता करने का समान समानांतर स्वीकार करते थे किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से वे स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने में पक्ष में नहीं थे।

बौद्ध भिक्षु-संघ का नाम

बुद्ध का संघ सामाजिक एवं राजनीतिक हस्तक्षेपों से मुक्त मत्स्या था। यद्यपि संघ की आंतरिक-व्यवस्था तत्कालीन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था एवं भिक्षुओं का भिक्षा आदि के लिए समाज में जाने पर जिन नियमों का पालन करना होता था, वे (नियम) सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थे तथापि राज्य का कोई भी नियम संघ के किसी सदस्य पर लागू नहीं होता था तथा न विभाजन कारण संघ के सदस्यों को राज्य की ओर से दण्डित ही किया जा सकता था।^{२०} फलतः संघ को भी राज्य एवं समाज का संरक्षण प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार नहीं रह गया था।

इस प्रकार के संघ में ब्रह्मचर्य की अद्वैत साधना के हेतु पुरुष वर्ग

१९. इत्यादि मत्स्य ब्रह्मचर्यवत् एतथाय संज्ञकतं पञ्चा ।

—समुत्त० १:३६

२०. यं समणेसु सकयपुत्तियेसु पञ्चजतिं तं तं एवमा किञ्चिन्ना कालुः

—महाव० पृ० ७८

ही निभ सकना था, नारी बग नहीं। कारण शरार रचना की भिन्नता के कारण पुरुष एवं स्त्री-वर्गों की ब्रह्मचर्य पालन की क्षमता में भी भिन्नता थी। यदि पुरुष की इच्छा न हो तो उसे ब्रह्मचर्य से च्युत करना (जो कि संघ की प्रतिष्ठा के लिए खतरे की घंटा था) सम्भव नहीं था, जब कि ब्रह्मचर्य में रहने की तादृ इच्छा होन पर भी नारी को उसमें सहज ही में च्युत किया जा सकता था। इस खतरे की सम्भावना उस समय और भी अधिक बढ़ जाती थी, जब राज्य एवं समाज की छत्रच्छाया से शून्य नारी का किसी एकान्त स्थान पर बलिष्ठ एवं कामुक व्यक्ति पा जाता था। बुद्ध के संघ का जो रूप था वह नारी की सुरक्षा करने में असमर्थ था। इस कारण से भी बुद्ध नारी को संघ में प्रवेश नहीं देना चाहते थे। सारांश यह कि बुद्ध अपने धर्म को चिरम्याया बनाने के लिए संघ से नारी को दूर रखना चाहते थे।

बौद्ध भिक्षुणा संघ का प्रारम्भ

भिक्षु-संघ की स्थापना के पाँच वर्ष बाद बुद्ध की मोती महाप्रजापति गौतमी उनके पास उस समय पहुँची जब वे कपिलवस्तु के मगध-राम में विहार कर रहे थे तथा उनसे स्त्रियाँ के लिए प्रव्रज्या देने का अनुरोध किया किन्तु बुद्ध ने इस अनुरोध को स्पष्ट शब्दा में अस्वीकार कर दिया। गौतमी इस अस्वीकृति से निराश नहीं हुईं। वह कुछ दिनों के बाद पुनः बुद्ध से मिलने वैशाली गईं। इस बार उमने केशा को कटवा लिया था तथा शरीर पर कापाय वस्त्र धारण कर लिए थे। इसके अतिरिक्त अथ शाक्य स्त्रियाँ को भी साथ में ले लिया था। वह

२१ 'साधु मते लभ्य मातुगामो तथागतपुत्रवदित धम्मवितये अगारस्मा अनगारिय पब्बज्ज ति। अल, गातमि, मा ते हच्चि मातुगामस्स पब्बज्जा' ति।

कपिलवन्तु स वैशाली पैदल गई थी।^{२२} गौतमी प्रव्रज्या पाने के पूछ ही प्रव्रजित व्यक्ति जैसी प्रशंसा धारण कर पैदल इसलिए गई थी कि बुद्ध केवल नारी की शारारिक दुबलता के कारण उसे सघम प्रवेश देने के अयोग्य न समझे।

वैशाली में उनकी आनंद से भेंट हुई। आनंद ने गौतमी की इच्छा को समझकर स्वयं बुद्ध के पास जाकर स्त्रियां के लिए प्रव्रज्या देने का अनुरोध किया, किन्तु बुद्ध ने पुनः उस विषय में अपनी असहमति प्रकट की। तत्पश्चात् आनंद ने बुद्ध को उनके उस सिद्धान्त का जिसमें स्त्रियां को भी अहन पद पाने का अधिकारी बताया गया था, स्मरण कराते हुए कहा कि गौतमी आपकी अभिभाविका, पापिका, क्षीरदायिनी है। जनना के मग्ने के बाद उसने बहुत उपकार किये हैं अतः स्त्रियां को प्रव्रज्या की अनुमति दे।^{२३}

बुद्ध आनंद के तर्कों में उलझ गया तथा अनिच्छापूर्वक सघम में स्त्रियां के प्रवेश का विधान किया। स्त्रियों की प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा का विधान कर बुद्ध ने आनंद से कहा कि यदि स्त्रियां को प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा की अनुमति न दी जाती तो ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होता क्योंकि जिम धर्म एवं विनय में स्त्रियां प्रव्रज्या नहीं पाती हैं, उसमें ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होता है।^{२४}

२२ अथ या मत्तज्जापती मातमा कण छेत्तापेत्वा कामाद्यानि व यानि अच्छ दत्त्वा सम्बहूलाहि साक्षियानीहि सद्धि येन वसाली तन पक्कामि ।

—वहा, पृ० ३७३

२३ मत्ते मत्ते भग्वा मातुगामो तद्यागतत्पवदिन धम्मविनये अगारस्मा अनगारिय पव्वजित्त्वा अरहत्तफल पि सच्छिक्वातु, बहूपकारा मत्ते महा पजापती मातमो साधू, भन्ते लभय्य मातुगामो पव्वज्ज ।”

—वहा, पृ० ३७४

२४ सच आनं नालभिसस मातुगामा पव्वज्ज चिरट्टितिक आनं ब्रह्मचरिय अभविसस यमि धम्मविनय लभति मातुगामा पव्वज्ज न त ब्रह्मचरिय चिरट्टितिक हाति ।

—वही, पृ० ३७६-३७७

आठ गुरुधर्म

यद्यपि बुद्ध को नारियो के लिए सघ म प्रवेश देने का विधान करना पडा किन्तु उसके पूर्व उन्होंने आठ ऐसे नियम बना लिए जिमके कारण भिक्षुगो का स्तर भिक्षु की अपेक्षा निम्न हो गया । चुल्लवग्ग म इन्हें आठ गुरुधर्मों के नाम से कहा गया है क्यकि इनका पालन करना प्रत्येक भिक्षुगो के लिए अनिवाय था तथा इनका कोई अणवाद नहीं था ।^{२५} वे गुरुधर्म इस प्रकार हैं—^{२६}

- (१) सौ वर्ष की भी उपसम्पन्न भिक्षुणी को उमी दिन व उपसम्पन्न भिक्षु के लिए अभिवादन प्रत्युत्थान (भिक्षु को देखकर खडा हो जाना), जजलि जाडना, कुशल समाचार आदि पूछना, करना चाहिये ।
- (२) भिक्षुणी को भिक्षु हीन आवाम म वषावास नहा करना चाहिये ।
- (३) प्रति आधे मास भिक्षुणी को भिक्षु-सघ से उपोसथ की विधि एवं उपदश का समय पूछना चाहिये ।
- (४) वर्षावास कर चुम्ने पर भिक्षुणी को भिक्षु भिक्षुणी—दोना सघो के समक्ष देखे मुने एवं जान गये दोपो की प्रवार्णा करनी चाहिये अर्थात् यह पूछना चाहिये कि क्या उनके ऊपर कोई दोष दखा, सुना या जाना गया है ।
- (५) गम्भीर दोष से युक्त भिक्षुणी को दोना सघा के समक्ष पक्षमा नत्व करना चाहिये ।
- (६) दो वर्षों म ६ नियमो को सीखने वाली शिक्षमाणा को दोना सघा से उपसम्पदा ग्रहण करनी चाहिये ।

२५ सघ अन्तर् महापजापती गातमो अट्ट गुरुधम्म पटिगग्हाति सावस्सा ।
 होतु उपसम्पत्ता ।

(७) भिक्षुणी को भिक्षु से निम्न प्रकार का विद्वेष या दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिये ।

(८) भिक्षुणी को भिक्षु से अपशब्द नहीं कहना चाहिये ।

इन आठ गुरुधर्मों का निरूपण कर बुद्ध ने संघ की प्रभुमत्ता भिक्षुओं के हाथ में दे दी । इसका कारण यह था कि वे महत् भनी-भाँति जानते थे कि स्त्रियाँ जो संघ में अधिकार सम्पन्न स्थान देने से न केवल संघ की ही हानि पहुँचेगी अपितु संघ के प्रति समाज की प्रतिकूल प्रतिक्रिया भी होगी ।

बौद्ध भिक्षुणी संघ पञ्च नारी :

गौतमों के नेतृत्व में स्त्रियों को संघ में प्रवेश मिल जाने के उपरान्त नारी-वर्ग के सभी वर्गों में नवीन स्फूर्ति आ गई । इसके पूर्व पाँच वर्षों तक स्त्रियाँ एवं पुरुषों को समानाधिकार देने वाले बुद्ध के धर्म एवं विनय में पुरुष वर्ग ही छाया हुआ था । सामाजिक-स्त्रियों की अवस्था इन पाँच वर्षों में पहले से भी अधिक दयनीय हो गई थी । कारण बौद्ध धर्म के पूर्व स्त्रियों की अवस्था कितनी ही क्षात्रनीय क्या नहीं हो, कम से कम नारी को पति के संरक्षण के अन्तर्गत समाप्त हो जाने की आशंका नहीं रहती थी । माता-पिता का भी पुत्री के विवाह की चिन्ता अवश्य रहती थी, किन्तु सम्पन्न घराने में पुत्री का विवाह कर दे निश्चित हो जाते थे । बौद्ध धर्म के प्रारम्भ से भिक्षुणी-संघ की स्थापना तक माता-पिता कदा के विवाह के पहले की चिन्ताओं से ग्रस्त तो थे ही साथ ही विवाह के बाद भी वे इस आशंका से पीड़ित रहते थे कि कहीं उनका जामाता प्रव्रज्या ग्रहण न कर ले ।

भिक्षुणी-संघ की स्थापना का नारी के सभी वर्गों पर जो असर हुआ उसका वर्णन पूर्वोक्त अध्यायों में प्रसंगवश किया जा चुका है । अतः उसे पुनः लिखना अनावश्यक प्रतीत होता है ।

नारियों के प्रवेश के बाद संघ के समस्त तरह-तरह की कठिनाइयाँ आने लगी थी । अतः बुद्ध को भिक्षुणी संघ के लिए अलग से विधान

बनाना पडा। यद्यपि भिक्षुणी-संघ के लिए भिक्षु संघ के आधार पर अवश्य विधान बनाया गया था किन्तु कुछ ऐसे भी नियम बनाये गये थे जिनका सम्बन्ध केवल भिक्षुणियां से था। इनका मुख्य रूप में तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है —

(१) प्रथम भाग में उन नियमों का रखा जा सकता है जो भिक्षुणियों की शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान में रखकर बनाये गये थे। जब सभी भिक्षुणियाँ समाज में जाती थीं तो उन्हें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती थी। यदि किसी कारण उनका सीना रक्तस्राव से लिप्त होकर आदि मनुष्यों का दृष्टिगोचर हो जाना तो वह हमी उद्बान में नहीं चलते थे। अतः उनके लिए भिक्षुओं से अधिक वस्त्रों को रखने का विधान किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्हें उचित समय पर कमर बंध, लोहू-मोख सूत, उदक-पाटा आदि भाषाधारण करना आवश्यक था।^{२७} इन अतिरिक्त उपकरणों के विधान का यही उद्देश्य था कि भिक्षुणियों की समाज में अवज्ञा न हो।

(२) द्वितीय भाग में वे नियम रखे जा सकते हैं जो भिक्षुणियों के स्त्री-स्वभाव-जय एवं सङ्घ-विरुद्ध क्रियाकलापों के निषेध के लिए बनाये गये थे। चूँकि स्त्रियाँ स्वभाव से परिग्रहा होती हैं अतः वे अधिक से अधिक सञ्चय करना चाहती हैं। भिक्षुणियाँ भी ऐसा ही करती थीं। वे काम भोगिनी नारियों की भाँति शरीर का सवारने के हेतु नाना प्रवृत्तियाँ करती थीं, अतः उन सब प्रवृत्तियों का रोकना इन नियमों का मुख्य लक्ष्य था।^{२८}

(३) तृतीय भाग में उन नियमों को रखा जा सकता है जो भिक्षुणियों का काम वासना से दूर रखने के निमित्त से बनाये गये थे। कामुकता से दूर रखने के लिए भिक्षुणी पातिमोक्ष में प्राप्त नियमों की सख्या भिक्षु पातिमोक्ष में प्राप्त नियमों की सख्या से अधिक है। इसका

मुख्य कारण यह था कि सिर्या सदैव पुरुषो से अधिक् कामुक होती हैं । साथ ही उनका ब्रह्मचय से च्युत करने के लिए समाज म भी काम लोलुप पुरुषो की कमी नही होती । अत भिक्षुणियो को ब्रह्मचय में स्थलित होने से बचान के लिए ये नियम बनाये गये थ ।^{२९}

बौद्ध भिक्षुणी पंच समाज

भिक्षुणिया को अपना जीवन बडे ही सयत ढग से व्यतीत करना होता था । उन्हें सदैव इस बात का ध्यान रखना आवश्यक था कि कही उनके जीवनयापन के तरीका से सध की प्रतिष्ठा को हानि तो नही होगी, किन्तु इसके साथ ही उह यह भी ध्यान रखना होता था कि कही उनका कोई काय गृहस्थाश्रम म जीवन बिताने वाली स्त्रियो से एकदम विलक्षण तो नही है । तात्पर्य यह कि भिक्षुणी को सध एव समाज के आदर्शों का सन्तुलन रखकर जीवनयापन करना होता था । यदि भिक्षुणियाँ सामाजिक-नारिया से पूणतया भिन्न आचार विचार का पालन करती थी तो वे साधारण मनुष्या के व्यग एव उन्हास की पात्र हो गी थी, और यदि वे भिक्षुणी-जीवन के आदर्शों की उपेक्षा कर जीवनयापन करती थी तो लोकनिंदा की पात्र होती थी ।

भिक्षुणियो का उनकी विद्वत्ता के कारण समाज के कुछ व्यक्तिमो द्वारा अवश्य सम्मान मिला था कि तु कुछ लोग अवसर पाकर उनका दुरुपयोग भी करते थे । यह प्रवृत्ति उस समय और भी अधिक् पाई जाती थी, जब भिक्षुणी नवयुवती एवं सुदरी होती थी । इसका कारण यह था कि भिक्षुणो के माय अनुचित काय करने से व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दण्ड का भागी नही होता था । अत एवा-न्त मे पाकर कामुक व्यक्ति भिक्षुणिया का दूषित कर दिया करते थे ।^{३०} कभी कभी समाज

२९ पावि० ३०४ ३०६, ३१०, मुल्ल० ३८२-३८३

३० (क) अथ खो ता भिक्षुणियो नाविके एतद्वेषु— 'साधु ना आवुषो, तारेथा' ति नाय्य सब्बा उभो मवि ताग्नु' ति उत्तिण्णो उत्तिण्ण हसेसि । अनुत्तिण्णो अनुत्तिण्ण हूससि ।

के सम्पन्न-व्यक्ति भिक्षुणी में आसक्त होकर उन्हें दूषित करने की दृष्टि में आमंत्रित करते थे।^{३१} तात्पर्य यह कि भिक्षुणी संघ के उदय से समाज में आशिक्ष रूप से व्यवहार को भी प्रोत्साहन मिला था।

इसके अतिरिक्त भिक्षुणी से सामाजिक भ्रष्ट-नारिया कभी-कभी गुप्त काय भी करती थी। एक प्रोषित पतिवा स्त्री ने जार से प्राप्त गर्भ का गिरा कर वरावर घर आने वाली भिक्षुणी को पात्र में रखकर फेंकने के लिए लिया था।^{३२}

संक्षेप में कहा जा सकता है कि समाज ने जिस उत्साह के साथ भिक्षु-वग का स्वागत एवं सम्मान किया था उस उत्साह से भिक्षुणी-वग का न तो स्वागत ही किया और न ही उसके प्रति सम्मान ही प्रदर्शित किया।

जैन कालीन स्थिति

जैन-आगमा से पात हाता है कि उस समय नारिया का न बदल गार्हस्थ्य अवस्था में पुरुषों ने समान धर्माचरण करने का अधिकार था, अपितु भिक्षुणी बनने में भी उन पर संघ की ओर से किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। इतना ही नहीं अपितु जैन मान्यता के अनुसार स्त्री तीर्थकर भी बन सकती थी। मञ्जी ने स्त्री हाते हुए भी तीर्थकर

(म) मनुस्सा उ भिक्खुनि पस्सित्वा दूसासु ।

—मजी प० ३०६

३१ न बहुक्का सारतो भिगारत्ता भिक्खुतोसङ्गस्स भत्त अकासि । म सो दूषणुक्कामो ।

—वही पृ० २८४

३२ सा गम्भ पातेत्वा कुट्टुपिक भिक्खुनि एतदवोच— 'हत्थ्य, इम गम्भ पत्तेन

—धल्ल० पृ० ३८८

पदवी प्राप्त था था ।^{३३} यही यह उम्मेदनीय है कि बुद्ध के भगवानुसार स्त्रो सम्पत् सुम्बुद्ध तथा हा गता थी ।^{३४} प्रस यह कहा जा मना है कि बौद्ध-युग का अपना जन-युग म नारी के प्रति उत्तार दृष्टिकोण था । नात्पय यह कि जन-युग में स्त्रिया ता सैद्धान्तिक एवं ध्यावहारिक दोता ही दृष्टिया में धार्मिक क्षेत्र म पुरुषो के समान माना जाता था ।

जैन भिक्षुणी संघ की प्राचीनता

जैनागमा क अनुसार भिक्षुणी-संघ का अस्तित्व प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के समय म भा था । उाके भिक्षुणी संघ में सुदनी एवं द्राक्षी के नतृत्व म जान लाग भिक्षुणियां थी ।^{३५} मही के भिक्षुणी संघ म व धुमती के नतृत्व म ५५ हजार भिक्षुणियां थी ।^{३६} अरिष्टनेमि के भिक्षुणी-संघ म यणिणी के नतृत्व म ४० हजार भिक्षुणियां थी ।^{३७} पार्वनाथ एवं महावीर के भिक्षुणा-संघा म क्रमता पुष्पचूला एवं चन्दना के नेतृत्व म २८ एवं २६ हजार भिक्षुणिया का अस्तित्व था ।^{३८}

३३ (क) नाया० १।८।७० ८३

(ख) दिगम्बर जन परम्परा म म ला का मल्लिकुमार माना गया ह तथा स्त्री मुक्ति का निषेध किया गया ह ।

३४ अट्टानमेत भिवत्थे आक्कामा म द या अरह अस्य मम्मामम्बुडा ।

—अगुत्तर० १।१९

३५ उगमस्य ण अरहथा तिग्गिममज्जिजया सहस्सीओ ।

—कल्प० सू०-२१५

३६ मल्लिम ण अरहओ वधुमहपामाक्कामा णणान अजिया सहस्सीओ

—नाया० १।८।८३

३७ अरहओ ण अरिट्टनमिस्स अज्जअक्खणियामाक्कामाओ चत्तालीरा अजिजया सहस्सीओ

—कल्प० सू० १७७

चूँकि ऋषभदेव, मल्ली एव अरिष्टनेमि तत्र इतिहासगत नहीं पहुँच सके हैं अतः उनके भिक्षुणी-संघों का संख्या को दस्यते हुए उसे पौराणिक कह सकते हैं किन्तु पारवनाथ एव महावीर एतिहासिक व्यक्ति माने जा चुके हैं। अतः उनके अनुविध (मिक्षु भिक्षुणी, उपासक, उपासिका) संघ का भी इतिहासिक-तथ्य ही मानना चाहिए।^{३१}

सुन्तवग्ग म प्राप्त उल्लेख से पता होता है कि बौद्ध भिक्षुणी-संघ की स्थापना होने से पूर्व भी भिक्षुणिया का अस्तित्व था। उक्त उल्लेख के अनुसार एक बार गौतमी ने आनन्द से कहा कि अच्छा हा यदि भगवान् भिक्षुणा एव भिक्षुणिया में उपसम्पदा की वृद्धता के अनुसार अभिवादन आदि करने की अनुमति दे दे। आनन्द ने गौतमी की इच्छा को जय बुद्ध के समुख प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा कि जय अय तीर्थिक भी, जिनका घम ठीक से नहीं कहा गया है, स्त्रियाँ के अभिवादन आदि की अनुमति नहीं देते हैं, तो तथागत अपने घम में जो कि सुन्दर प्रकार से व्याख्यात है उनकी अनुमति कैम दे सकते हैं।^०

यद्यपि बुद्ध के उक्त कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि 'अय तीर्थिक' पद से उनका संकेत किन तीर्थिका से था, तथापि उक्त उल्लेख के विषय तथा जैन भिक्षुणी सङ्घ के नियमों पर प्रतिपान करने में यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है कि बुद्धकथित अय तीर्थिका में जैन तीर्थिका भी उद्दिष्ट थे।

३६ तुलना काजिए—

Even though we cast aside the existence of the nun order at the time of the first Tirthankara of the Jains who, it seems is more a legendary figure than a historical one, the antiquity of the order can go back safely to the times of Parsva

—History of Jaina Monachism p 502

जैन भिक्षु सघ पर्य नारी

यद्यपि जैन-युग म भी भिक्षुणिया क शील को रखा करना एक जटिल समस्या थी फिर भी वह उतनी भाग्य नही रह गई थी जितनी कि बौद्ध-युग में थी। कारण बौद्ध-संघ का भीति जैन-संघ का व्यवस्था गणतंत्र क गिदालना पर आधारित नरी थी, अपितु जैन युग में भिक्षु भिक्षुणी संघ का सुरक्षा एवं उचित मंचालन का भार संघ के वरिष्ठ भिक्षु (जिन आचार्य पर से कहा जाता था) पर रहता था। यह १ केवल निर्मित नियमों का आधार पर ही संघ का मंचालन एवं संरक्षण करता था अपितु यदि परिस्थितियाँ विचित्र करतीं, तो यह नियमों का निमाण भी कर सकता था। फलतः वह सघ की (विशेषतः से भिक्षुणिया की) रक्षा क विमित्त मन्त जागृक रहता था।^{५१} अतः नारी का प्रव्रज्या करने म जैन भिक्षु-संघ का आचार्य किसी प्रकार की रोक नही लगाता था और १ ही हिवनता था।

जैन भिक्षुणी का स्तर :

जैन युग म भी भिक्षुणी-वग का स्तर भिक्षु-वग की अपेक्षा निम्न था। प्राप्त उल्लेखों से पान होता है कि तीन वर्ष का उपसम्पन्न भिक्षु तीस वर्ष की उपसम्पन्न भिक्षुणी का उपाध्याय एवं पाँच वर्ष का उपसम्पन्न भिक्षु माठ वर्ष की उपसम्पन्न भिक्षुणी का आचार्य हो सकता था।^{५२} किन्तु इस युग में भिक्षुणी का स्तर उतना गिरा हुआ नही था, जितना कि बौद्ध-युग म था। भिक्षुणी सघ की

५१ निगीय एक व्ययजन पृ० ६६

५२ (क) त्रिवासपरियाए समण निग्ग थे सोसवासपरियाए समणीए निग्गपोए कप्पइ सवज्जायत्ताए उद्दिस्सिए।

—वव० ७।१६

(ख) पञ्चवासपरियाए समण निग्ग थे सट्ठिवासपरियाए समणीए निग्गपोए कप्पइ आमारियउवज्जायत्ताए उद्दिस्सिए।

—वही, ७।२०

वरिष्ठ अधिकारिणी भी मिथुसघ के निमित्त पुरुष को प्रव्रज्या दे सकती थी तथा मिथुसघ का सर्वोच्च अधिकारी मिथुसघ के निमित्त नारी का प्रव्रज्या नहीं दे सकता था।^{४३} सामान्यतया स्त्रियाँ वरिष्ठ मिथुणा (सघ की अधिकारिणी) से ही प्रव्रज्या लेती थी। यदि कभी परिस्थितिवश मिथुस्था को प्रव्रज्या देना था तो यह उमका कृतन्य था कि अनुकूल परिस्थिति के आन पर, उस प्रव्रजित नारी को यथाशीघ्र किसी मिथुणी-सघ को सौंप दे। सघ की मिथुणिया का मिथुआ से साधा सम्बन्ध नहीं रहता था। मिथुणिया का सम्बन्ध प्रव्रतिनी से होता था। यद्यपि आचार्य एवं उपाध्याय मिथुणा-सघ के वरिष्ठ अधिकारो हाते थे, ओर व मिथु होने से किन्तु उनका प्रमुख कार्य मिथुणी सघ का दिग्दर्शन एवं संरक्षण ही रहता था।^{४४} यही कारण है कि मिथुणा-सङ्घ को आचार्य एवं उपाध्याय से हीन होकर रहने का निषेध था।^{४५} व मिथुणा सङ्घ के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते थे अपितु जब प्रव्रतिनी को सङ्घ का आंतरिक व्यवस्था के प्रसंग में कोई संशय होता था, तो वे (आचार्य, उपाध्याय) उसकी सहायता करते थे।^{४६} अतः जैन-युग में मिथुणिया का सिद्धांतक दृष्टि से निम्न स्तर अवश्य था किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उमका विशेष महत्त्व नहीं था।

जैन मिथुणी सघ पंच नारी :

चूंकि जैन-युग तक मिथुणी-सङ्घ कोई नवीन संस्था नहीं रह गई

४३ (क) कण्वइ निग्गथीण निग्गथ निग्ग घाण अट्टाण पक्कावत्तण

—वज्जै, ७।६

(ख) नो कण्व निग्गथीण निग्गथि अण्णणा अट्टाण प वावत्तण

—वज्जै ७।६

४४ History of Jaina Monachism, p 468

४५ नो म कण्वइ अणापरियउवन्नाइत्तण हात्तण

—वज्जै ३।१२

थी, इसीलिए उनके प्रति सामाजिक-नारिया का आकर्षण भा मन्द हो गया था। इस युग म राजा भिक्षुणा जीवन के आकर्षण के कारण नहीं, अपितु सांगठिक जीवन से शिवा ही के कारण ही प्रवृत्त लैनी थी। कला सत्तु म अधिा भिक्षुणिया के न रहने न उनके अनुगारान की भी कठिन समस्या उने रह गई था। यही कारण है कि जैनागमा में अधिांश नियम भिक्षु एवमि भुणी दाता के लिए सामाजिक मे मिलते हैं।^{४०} दूसरे शब्दा म कहा जा सकता है कि जैन धिया मे अधिांश नियम भिक्षु भिक्षुणा—दोता के विमित मे उनाये गये थे। अतवत्ता, दूषित मतावृत्ति के मनुष्या मे रसा र विमित भिक्षुणिया के लिए कुछ विशिष्ट नियमा ता राजन किया गया था।^{४१}

जैन भिक्षुणी एव समाज

मूल जनागमा म भिक्षुणिया क ऊपर सामाजिक अक्तियो के द्वारा अनावार किय जाने क उन्हेग रही मिलते हैं। अत इससे इना निष्कर्ष ता निकाला हा ता सकता है कि बौद्ध युगीन भिक्षुणिया को संस्था का आर मे जा भय बना रहता था यह जैन-युग तक कम हा गया था। इसने दो कारण थे —

प्रथम यह कि भिक्षुणिया को संस्था जैन युग म अधिन नहीं थी। अत उनका समाज म विशिष्ट स्थान था गया था। राज्य एव समाज का सबसे बडा व्यक्ति भी भिक्षुणी या परिव्राजिका को देखकर आसन से उठकर उनका स्वागत करता था, आसन देना था तथा उचित सम्मान प्रदर्शित करता था।^{४२} यदि भिक्षुणी या परिव्राजिका का किसी के द्वारा उपहास एव अपमान किया जाता था, तो वे उस उपहास या अपमान का बदला भी लेता थी। उदाहरण स्वरूप जब चांवा मक्षी के कारण

४० History of Jaina Monachism p 473

४८ बह० भाग ३ पृ० ६५१ ६६०, ६७०

४६ तए ण से जिरमत्तु चाकत्त परिव्राज्य एउजमाण आमइ २ सीहासणाआ अमुण्डइ सवफारइ २ आमणेण उवत्तिमत

उसकी दासियों से उपहसित एवं अपमानित हुई तो उसने मल्ली के प्रति विद्वेष धारण किया तथा जिनशत्रु नामक राजा की मल्ली के साथ विवाह करने के लिए उन्साया।^{१०} इसमें यह कहा जा सकता है कि जैन-युग में भिक्षुणियाँ समाज के सदस्यों में सम्मान की अपेक्षा रखती थीं तथा अपमानित होने पर उसका प्रतीकार किया करती थीं।

द्वितीय यह कि जैन युग की भिक्षुणियाँ बौद्ध-युग की भिक्षुणियों की भाँति असारक्षित नहीं थीं। कारण जहाँ भिक्षुणियों के शील की सुरक्षा का प्रश्न होता था, वहाँ आचार्य भिक्षुओं को भिक्षुणी की शील रक्षा का स्पष्ट आदेश देते थे। भिक्षुणी की शील रक्षा के निमित्त नियुक्त भिक्षु उद्दण्ड एवं कामुक पुरुषों को मार भी डालते थे।^{११} इसके अनिश्चित आचार्य देश एवं काल की दृष्टि से भिक्षुणी की शील रक्षा हेतु नवीन नियमों का भी सज्जन कर देते थे।^{१२}

सन्तुष्ट में यह कहा जा सकता है कि बौद्ध युग में भिक्षुणी सङ्घ के आविर्भाव से उसे समाज में नाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन्तु जैन-युग में सङ्घ उन कठिनाइयों से सतर्क हो गया तथा उनके परिहारार्थ ऐसी व्यवस्था करने लगा जिससे भिक्षुणियों के कारण समाज के कामलांलुप व्यक्तियों की स्वच्छन्द प्रवृत्ति का प्रास्ताविक नहीं मिल सका।



१०. तए ण सा वाक्खा मल्लीए २ आसचडिवाहि आतुइत्ता जाव भिसिभिसमाणो मल्लीए २ पत्राममाव"अइ

सामान्य-स्थिति

शिक्षा

वैदिक-कालीन स्थिति
उत्तर वैदिक-कालीन स्थिति
आगम कालीन स्थिति
शास्त्रीय शिक्षा एवं भिक्षुणी-सघ
शिक्षा का आंगिक प्रचलन एवं उसके साधन

प्रसाधन

प्रसाधन के साधन
वस्त्राभरण
विलेपनाभरण
माल्याभरण
अलंकाराभरण

परदा प्रथा

वैदिक एवं उत्तर वैदिक-कालीन स्थिति
आगम-कालीन स्थिति
परदा प्रथा के अभाव का कारण

व्यभिचार

आगम-काल में एक भीषण अपराध
प्राग्-आगम काल में एक उपपातक
व्यभिचारिणी स्त्रिया
धार्मिक प्रवृत्ति
वैदिक-कालीन स्थिति

उत्तर-वैदिक-कालीन स्थिति
धार्मिक-अधिकारों का हनन
अनुपतीत नारी की धार्मिक श्रियाएँ
आगम-कालीन नारी की धार्मिक प्रवृत्तियाँ
धार्मिक व्यक्तियों के प्रति सम्मान
धार्मिक उत्सवों में उत्साह

•

शिक्षा

शिक्षा नर एवं नारी दोनों के ही जीवन में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण रहता है। कारण, शिक्षा से ही नर नारी एक ओर तो बौद्धिक विकास को प्राप्त कर अचिंत्य एवं अनोचित्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर वे सामाजिक एवं पारिवारिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं।

प्राचीन भारत में नारी शिक्षा का प्रश्न अद्भुतता एवं उदात्तता से परिपूर्ण है। अद्भुत इसलिए कि उत्तर-वैदिक काल की अज्ञान्य वैदिक-कालीन नारी शिक्षा अधिक उत्तम थी तथा उदात्तता से परिपूर्ण इसलिए कि कालान्तर में शिक्षा का दृष्टि से नारायणों में परम परिवर्तन होत रहने पर।

वैदिक कालीन स्थिति :

वैदिक-कालीन शिक्षा-जगत में नारी का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान था। उस समय नारियों को पुरुषों के समान पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। वे साहित्य रचना में भी उल्लेखनायक सहयोग करती थीं। उदाहरणस्वरूप विरववारा, घोषा लोभामुद्रा प्रभृति नारियाँ न ऋग्वेद के अनेक मंत्रों की रचना करी थीं। इसका प्रमाण ऋग्वेद में था कि उस समय नारी का प्रत्येक धार्मिक-कृत्य एवं कर्म-कार्यों के उच्चारण का पूर्ण अधिकार था। वह ब्रह्म-पति का यज्ञ सम्पन्न करने में अनिवार्य रूप से सहयोग प्रदान करती थी। इसी नारियों का प्रारम्भ में ही पूर्ण शिक्षा दे दी जाती थी।

उस समय शिक्षा प्राप्त करनेवाली नारियों का दो भागों में विभक्त

किया जाता था—१ सद्याग्रहू एव २ ब्रह्मनादिनी। सद्योग्रहू विवाह के पूर्व वैवाहिक-जीवन की आवश्यकतानुसार कुट्ट मन्त्रा का अध्ययन कर लेती थीं जबकि ब्रह्मनादिनी अपनी शिक्षा का पूरा करके ही विवाह करती थीं।

उत्तर वैदिक कालीन स्थिति

उत्तर वैदिक-काल में भी नारी शिक्षा का स्थिति अच्छी थी। उम समय की विदुषियां म मैत्रेया गार्गा आदि विशेषरूप में स्मरणीय हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जाक के यज्ञ के अवसर पर हुए वाशनिक् शास्त्राथ में गार्गा के ज्ञान सबसे अधिक विद्वत्तापूर्ण थे।

कालान्तर में परिस्थितियाँ बदली तथा नारी का शिक्षा के अधिकार से शनैः शनैः वंचित किया जाना लगा। उनका उपनयन संस्कार जिसके बिना नर नारी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना जाता था, बंद हो गया तथा वेद मन्त्रोच्चारण पर प्रति बंध लगा दिया गया। दूसरे शब्दों में शिक्षा की दृष्टि से उनकी स्थिति शूद्र जैसी हो गई।

नारी शिक्षा पर लगाय गये प्रतिबन्ध के काल को निर्धारित करना अत्यंत कठिन है,^१ कारण ऋग्वेद में ही नारियाँ की बौद्धिक शक्ति पर अवज्ञा का भाव प्रकट किया गया है।^२ इस प्रकार का भाव अविच्छिन्न रूप से बौद्ध युग तक विद्यमान रहा था, कारण सायुक्त निर्याय में भी एक स्थल पर उन्हीं प्रकार का अवज्ञा का भाव निहित है। उसके अनुसार मार ने सामा भिक्षुणा से कहा था कि ऋषि लोग

२ प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति, पृ० १५७

३ Indian Education in Ancient and Later Times p 74

४ Ibid p 75

५ सूत्रपृ० ८।३४।१७

जिम पद को प्राप्त करते हैं उमे दा जगुट भर प्रनाजाली स्त्रियाँ नही पा मक्ता हैं ।^६

जब उक्त प्रतिबन्ध के कारण पर दृष्टिपान करते हैं, तो जान हाता है कि ज्या-ज्या वैदिक-मन्त्रा की पवित्रता म विश्वास बढा, त्या त्या उमे अधिक सुरगिन रमन के प्रयास क्रिय गय । इन प्रयासा म एक प्रयास नारी द्वारा उनके उच्चारण पर प्रतिबन्ध लगा देना भी था । कारण नारिया का उच्चारण दूषित रहता था तथा उनके लिए विवाह के पूव वैदिक पाठ्यक्रम को पूण करना सम्भव नही था, जब कि वेदा का आशिय या अप जान व्यथ ही नही पातक माना जाता था । इसी प्रकार वैदिक मन्त्रा का अशुद्ध उच्चारण भी भयकर अपराध माना जाना था । इसके अतिरिक्त शिक्षा नारा के जीवन म अनुपयोगी हो गई थी । कारण, उमे स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन यापन करना निषिद्ध था । नारी को हर अवस्था में पराश्रित रहने का विधान था ।^७

इस प्रकार बौद्ध-युग के प्रारम्भिक काल तक नारी शिक्षा समाप्त-सी हो चुकी थी । नारा को विवाह के पूव तथा पश्चान् जेसा कि अयन कहा जा चुका है केवल कुशल गृहिणी बनने की ही शिक्षा दा जाना था ।^८ इसका प्रधान कारण यह था कि उम समय स्त्रिया का दो जाने वाली शास्त्राय शिक्षा निरर्थक सी समझा जाती थी ।

६ य त इमीहे प्तस्व ठान दुरमिमम्भव ।

न त दृष्टु पन्त्राय सक्ता पत्नानुमित्तिया ॥

—सप्त० १।१२६

७ देवित्त—वत्ति जाविना उद्ध० १, २

८ दक्षिण—पृ० ३३-४५

सुलना काजिए—

the only education a girl received was one which fitted her to fulfil her duties in the household of her husband

—Indian Education in Ancient and Later Times p 75

आगम फालीन स्थिति :

बौद्ध धर्म के अन्तर्गत ही युवा म शिक्षा का प्रधान उद्देश्य आजीवि
 कागजात बनना माना था। अतः पुत्र को शिक्षा दान के हेतु उमरे
 माना पिता मर्देव माना रहते थे। इस शिक्षाआ म प्रिय एव वरा की
 शिक्षा प्रमुग थी। कला पुत्र या उत्त शिक्षा प्राप्त करने के हेतु
 तलाचाय के पास भेजा जाता था। पुत्री के अत्र ह्य प्रकार का
 शिक्षा एगलिय आवश्यक रहा समझी जाती था क्योंकि उमे जाविरा
 वाजन करने की आवश्यकता ही नहीं रहता थी। जाविकापारत की
 छोएकर अथ किमी प्रयाजत से शिक्षा नहीं दा जानी थी। इस बात का
 पुष्टि उपासि के माना पिता के विचार से होती है। उहोने विचार कि
 यदि उपासि लेवा माने ता उपासि अगुलिमा दुम्गेगी यदि गणना सीखे
 तो जीव दुम्गा तथा यदि ह्य सागे तो घाव दुम्गा। अतः कला
 न उपासि भिक्षु वा जाव जिममे उनते मरने के बाद भी उपासि पुत्र
 सुग सं जीवा मापत कर सके।^{१०}

शास्त्रीय शिक्षा एव भिक्षुणी सघ

जहाँ तक शास्त्रीय शिक्षा का प्रश्न था, यह कवल प्रव्रजित स्त्री
 पुण्या तक ही सीमित थी। इस प्रकार की शिक्षा के प्रति नर-नारा का
 अनुरक्ति तभी दंगी जाती थी जब उह सामारिक-जीवन दुःखमय प्रतीत
 होने लगता था। अतः ऐसा शिक्षा का द्वार संसार से विरक्त पुरुष एव
 स्त्री दाना के लिए समानरूप मे खुला था। नारी भिक्षुणी-संघ मे प्रवेश
 लेकर उत्त शास्त्रीय शिक्षा को प्राप्त करती थी।

भूवि नारी की शास्त्रीय शिक्षा का प्रधान साधन भिक्षुणी सघ
 था, अतः यह कहा जाता है कि बौद्ध एव जैन-युगीन भिक्षुणी-सघ

६ देखिए—पुत्री उद्ध० ६०

१० अथ वा उपासिस्य मातापितुः एतद्व्यामि— सव उपासिस्य सिवितस्मति,
 अङ्गुत्थी दुक्का भविस्सति "

से नारी शिक्षा को प्रथम मिला था।^{११} किन्तु जब उक्त कथन को सम्भोगिता से साक्ष्य है तो ज्ञान होता है कि भिक्षुणा-सभ में साम्राज्य शिक्षा देकर केवल अनन्तर्गतव्याय म स्थित नारी को अनुशासन म रखन का उचित प्रयत्न किया जाता था। उक्त नियमित साम्राज्य शिक्षा देन का एक यह भी उद्देश्य था कि सामाजिक भोगिता को ओर आकर्षित न हो तथा सभ की मानसिकता का उल्लंघन न करें। इसका अतिरिक्त नारी-साम्राज्य म शिक्षा प्रसारक हतु भिक्षुणा सभ ने कोई विशेष कार्य नहीं किया। भिक्षुणा सभ म प्रवेश की अनिच्छुक नारी को वह नियमित साम्राज्य शिक्षा नहीं दी जाती थी।^{१२} आशय यह कि भिक्षुणी सभ म केवल उन नारियों को ही शिक्षा उपलब्ध होता था जो गुणवत्तायुक्त कर दर्शाती थी या सामाजिक-जीवन से विरक्त होती थी। इन भिक्षुणी-सभ उम समय आधुनिक अर्थ म शिक्षा सम्पान के रूप म नहीं थी।

शिक्षा का आर्थिक प्रयत्न पर उसके साधन

यद्यपि बौद्ध एवं जैन युगान सामाजिक वातावरण नारी शिक्षा के विरुद्ध था, किन्तु यद्यप्य उस वातावरण का अपवाद भी दृष्टिगोचर होते थे। अज्ञातशत्रु की माँ का वैदही केवल उदाहरण कहा जाता था कि वह विदुषा थी।^{१३} इस प्रकार न दुर्लभ न शिल्प एवं विज्ञान का शिक्षा

११ Great Women of India p 106-107

१२ It seems hardly safe, therefore to conjecture that even when Buddhism was at its zenith in India it did very much for the education of women

—Indian Education in Ancient and Later Times p 79

१३ विदितं एतन्नाम वरुणायाः एतन्महामहाम् । यन्महामहाम् इति घटनि वापमिति इति वदन्ति

प्राप्त की थी।^{१४} आधनियुक्ति से ज्ञान होता है कि एक बैठ मरने के पूर्व अपनी विद्या अपनी पुत्री को सिखा गया था।^{१५} कुमारी के लिए पण्डिता व्यक्ता मेघादिनी जैसे विरोपणा के प्रयोग से भी तत्कालीन नारी शिक्षा का स्पष्ट अनुमान किया जा सकता है।^{१६}

इस प्रकार की शिक्षा के लिए क्या साधन थे, इसका स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होता है किन्तु अनुमान किया जा सकता है कि नारियाँ अपने परिवार में सरक्षक-वर्ग में ही शिक्षा पाती थीं, क्योंकि जिस प्रकार पुत्र का वनाचाम के पास भेजने के उल्लेख मिलते हैं, उस प्रकार पुत्री का भेजने के उल्लेख उपलब्ध नहीं होते हैं। हाँ, यत्र-तत्र गुरुकुलों में शिष्य शिष्याओं के उल्लेख मिलते हैं जिनसे यह कहा जा सकता है कि बौद्ध युग में वैदिक कालीन शिक्षा-पद्धति के अवशेष भी अपवाद रूप में विद्यमान थे।^{१७}

प्रसाधन

बौद्ध एवं जैन-युगान नारी के जीवन में प्रसाधन का महत्त्वपूर्ण स्थान था। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रसाधन तत्कालीन नारी के जीवन का अविभाज्य अंग था। स्त्री अपने सरक्षक वर्ग से सदैव यह इच्छा करती थी कि उसे सरक्षक वर्ग अलंकार प्रदान करे। यही कारण था कि बुद्ध ने अलंकार प्रदान कर पत्नी को सम्मानित करना पात का वस्तुव्य बताया था।^{१८}

१४ एवञ्चान विज्जट्टानान विष्णायतनानि च उग्गहत्वा

—परमत्थदापिनो (धरा० की अट्टकथा) पृ० ८७

१५ आधनियुक्ति गाथा ६२२-६२३

१६ अमकस्स कुत्तस्स कुमाशिका रण्डिता यत्ता मेघादिनी

—धारा० प० १९५

१७ तत्प य त माणवका वा माणविजा वा भव त मोनम अभिवात्समति

—दीघ० १।६६, समुत्त० ३।१११

१८ देखिए—ब्रह्मचर्य जीवन, उद्ध० ५३

प्रसाधन के साधन

आगम-कालीन नागी-समाज के प्रसाधन में अलङ्कार का ही प्रयोग पयाग नहीं था अपितु अलङ्कारों के साथ वस्त्र, विलेपन एवं माल्य आभरणा का भी प्रयोग आवश्यक था। चू कि नारा का सम्यक् प्रकार से आवृत, सुदृढ सुगन्धित एवं गांग शरीर पुरुष वग का आकृष्ट करता था अतः नारी वस्त्र विलेपन, माल्य एवं अलङ्कार—आभरणा से अपने शरीर को प्रसाधित करता था। वस्तुतः प्रसाधन जगा था तथा उक्त चारों प्रकार के आभरण उमक चार अंग थे। इन चारों अंगों का प्रसाधन में समान महत्त्व था। यही कारण है कि आगमों में जहाँ कहीं भी नारा के प्रसाधन या प्रसाधित रूप का उल्लेख प्राप्त होता है वहाँ प्रसाधन के इन चारों अंगों की चर्चा अनिवार्य रूप में देखी जाती है।^१ इससे यह कहा जा सकता है कि तत्त्वानीन नारा के पारौरिक प्रसाधन में पूणता तभी आती थी जब वह उक्त चारों साधनों का प्रयोग करती थी। अतः बौद्ध एवं जैन दाना ही युगा का नारियाँ प्रसाधन में जिन पदार्थों का प्रयोग करती थी, उन्हें मुख्यरूप से चार भागों में विभक्त किया जा सकता है —

१ वस्त्राभरण २ विलेपनाभरण ३ माल्याभरण एवं ४ अलङ्काराभरण।

वस्त्राभरण

बौद्ध-युग में काशी के बने वस्त्र प्रसाधन के साधन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। पुरुष एवं नारी दाना ही प्रसाधन के हेतु वस्त्रों के महत्त्व को स्वीकार करते थे। जब उपर्युक्त आजावक अपनी पत्नी चापा से शष्ट होकर मयासा बनने के लिए जाने लगा, तो चापा ने

१९ (क) अलङ्कृतं सुवचना मालिना वस्त्राभिरुचिता ।

—धेर० ४।१।२६७, ७।१।४५६ धरा० ६।४।२४५, जातक ४।३४५।२७६

तिराटवृत्त की छान में बने कपड़ा को भी धारण किया जाता था। इन प्रकार के छालनिर्मित वस्त्रों का प्रयोग दिन रूप में किया जाता था, कसा सकन बौद्धागमा में प्राप्त नहीं होता है किन्तु जिनाम्मा में पाता होता है कि छान के बने वस्त्र को साड़ी के ऊपर ओढ़ने के काम में लाया जाता था।^{२९}

साड़ी के ऊपर कमरबन्ध बाँधी का भी प्रचलन था। उसे इस ढंग से बाँधा जाता था कि उसका अधिकांश भाग पाछे के रूप में भागे लटकता था।^{३०} कमरबन्धा के साथ पटका के प्रयोग का भी प्रचलन था। यह पटक मुख्य रूप में बस के रस्से या चमड़े के कपड़े के बनाए जाते थे। दुस्म (बहु तपड़ा जिसमें गृहस्थ नारी वर्गों के कुच, माड़ी आदि वस्त्र बनाए जाते थे) तथा चोल (पह कपड़ा जिसमें भिक्षुणियाँ के चीवर बनाए जाते थे)^{३१} का पट्टी का भी पटको के रूप में उपयोग किया जाता था। दुस्स एव चोल वस्त्रों को गूथ कर या बुनकर भी पटके बनाने का प्रचलन था। यदा-यदा सूत्र (धागा) को गूथ कर या बुनकर भी पटक बना लिए जाते थे।^{३२} इन पटका की आकृति सामा

२९ (क) दुगुल्लसुकुमालउत्तरिज्जाभा

—नाया० १।१।१४

(घ) दुगुल्ल वि० दुगुल्लवृत्त की छाल से बना वस्त्र आदि उत्तरिज्जा चार, दुपट्टा।

—पाइअ० पृ० ४६६-४६७ तथा १४५

३० दीघानि कायवचनानि धारति तद्व फामुका नामति

—बुल्ल० पृ० ३८६

३१ dussa as the material out of which householders cloths are made and cola as that out of which monks robes are made

—B D ५ ३६८ in ४

३२ विलोवन पट्टेन फामुका नामति चम्मपट्टेन दुस्सपट्टेन दुस्सवणिया दुस्सवट्टिया वाळपट्टेन चोळवणिला चोळवट्टिया सुत्तवणिया सुत्तवट्टिया फामुका नामति।

—बुल्ल० १०३८६

यनया झालर के समान होती थी किन्तु गूथवर बनाये गये पटो वेणी के आकार के हात थे ।

जैन आगमा म प्राप्त वस्त्राभरण के वर्णन से पता होता है कि बौद्ध-युग से जैन-युग म वस्त्रसम्बन्धी मायनाए बदल चुका थी । बौद्ध-युग म काशी के बने हुए सुकुमाल वस्त्रा का काफी प्रशंसा होती थी तथा प्रसाधन व लिये उनका प्रयोग अनिवाय था, किन्तु जैनागमा में काशी के वस्त्रो का उल्लेख तक नहीं मिलता है । इसी प्रकार बौद्ध आगमा म कर्मरघु का जा विस्तृत वर्णन मिलता है वह जैनागमा म उपलब्ध नहीं जाता है । अतः कहा जा सकता है कि जैन-युग म कर्मर-वर्घ एव पटका का भी प्रसाधन म वह महत्त्व नहीं रहा था जो बौद्ध युग म था ।

जैन-युग म चीनागुज नामक वस्त्र प्रसाधन के लिए उत्तम माना जाता था ।^{३३} चीनागुज शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं प्रथम तो यह कि कीट विशेष में तैयार किया गया वस्त्र तथा द्वितीय यह कि चीन देश से आया हुआ वस्त्र ।^{३४} चीनागुज पद के उक्त दोनों अर्थों म में कोई भी अर्थ हा सकता है । प्रथम अर्थ इसलिए सम्भव है, कारण बौद्ध-युग म भी सुकुमाल (रिशमी) वस्त्रा का प्रसाधन व लिये उपयुक्त माना जाता था तथा दूसरा अर्थ इसलिए असम्भव नहीं है क्योंकि जैनागमा के सबलन-काल तक भारतवासी चीन देश के सम्पर्क में आ चुके थे । हमका प्रबन्ध प्रमाण नायाधम्मकहाओ में आया हुआ वह पद है जिसका अर्थ है—'चीनिया के समान चिपटी नाक वाला' ।^{३५} पुनश्च ईमा की चतुय

३३ चीणमुयवत्थपरिणिया

—आचा० २।५।१ सू० ३६८ भगवतीमूत्र ६।३३

३४ चाणसुय (चीनागुज)—१ काट विशेष जिसक सन्तुआ स वस्त्र बनता ह ।

२ चान देग का वस्त्र विशेष ।

—साइअ० पृ० ३२८

३५ चीणचिमिहनामिय

—नाया० १।८।७४

सदी तक चीन का भारत के साथ व्यापारिक सम्पर्क भी स्थापित हो चुका था।^{३५} इस वस्त्र के अर्थ विरोधों से ज्ञात होता है कि यह अत्यन्त सूक्ष्म रेशमी-वस्त्र होता था।

अशुभ भी तत्कालीन नारी वर्ग के प्रमाघन के लिए उत्तम वस्त्र माना जाता था। इस वस्त्र की विनाई अत्यन्त महीन होती थी तथा सूत हल्का होता था। यही कारण था कि यह वस्त्र नासिका की हवा से भी हिल जाता था। इस वस्त्र की दूसरी विशेषता यह थी कि इस वस्त्र में अप्रच्छादनीय अंग दिग्गते थे। अतः यह वस्त्र नेत्रों को आकृष्ट कर लेता था। दूसरे शब्दों में यह चक्षुहर था।^{३७} यह उत्तम वर्ण एवं स्पष्ट बाला होता था। विसर्ग का वस्त्र अधिक उत्तम माना जाता था, यह स्पष्ट कहना तो कठिन है किन्तु जैसा कि अग्रकहा जा चुका है नील रंग वाला अशुभ अधिक श्रेष्ठ माना जाता था। स्पष्ट की कामलता की दृष्टि में इस वस्त्र की उपमा घोड़े की लार से दी जाती थी।^{३६} आकाश या स्फटिक के समान स्वच्छ इस वस्त्र की विनारी स्वच्छ स्वर्ण से बनाई जाती थी।^{३९} इस प्रकार के उत्तम वस्त्र का तत्कालीन उत्तम घरानों की स्त्रियाँ ही उपयोग करती थी जिसमें उसके अधिक मूल्य का अनुमान किया जा सकता है।

३६ सायबा १० ६८ ८७ ९७

३७ (क) नामानीगामवायवाज्ज

—नाया० १।१।१३

(ख) चक्षुहर वण्णकरिमसजुत्त

—वही

(ग) प्रच्छादनीयाङ्गनाच्चत्तरति धरति वा

—पाता० वि० पृ० २९

३८ मयलालापलवाहरम

—नाया० १।१।१३

३९ चक्षुहरवसवियतकम्म अमुय

—वही

साड़ी के ऊपर ओढ़ने के लिए चादर का भी प्रयोग किया जाता था। दुर्लभ वृक्ष की छाल में रतना था।^{४०} इस चादर भी कह सकते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रसाधन की दृष्टि में बौद्ध-युग में त्रिरोट वृक्ष की छाल का आशना बनाया जाता था जब कि जैन युग में दुर्लभ वृक्ष का छाल का आशना अधिक प्रचलित हो गया था।

सक्षेप में कहा जा सकता है कि आगम कालीन नारा-वग वस्त्र का प्रसाधन का एक अनिवाय साधन मानना था तथा प्रसाधन में नारियाँ रसमा वस्त्र या त्वक् समान चित्रने एवं मृन्म वस्त्रों का ही अधिक अपनाती थी।

विलेपनाभरण

शरीर को मुहूर्त एवं सुगन्धित बनाने के लिए नारियाँ विभिन्न द्रव्यों का लेप करती थीं। चूँकि इस प्रकार के लेपों में शरीर की आभा निखरती थी इसलिए विलेपना को भी प्रसाधन का आवश्यक अंग माना जाता था। जिस शरीर का वस्त्र माला एवं अन्तर्याम के आभरणा में सजाया जाता था उस आभरणा के प्रयाग के पूर्व सुगन्धित मुगन्धित एवं साम्य बनाना आवश्यक था। अतएव विलेपनाभरण सभी प्रकार के आभरणा का मूल था।

यद्यपि विलेपना में चन्दन का प्रमुख स्थान था तथापि प्रसाधन सम्बन्धी उल्लेखा में चन्दन से शरीर का विभिन्न एवं सुवासित करने का ही चर्चा उपलब्ध हानी है किन्तु चन्दन के लेप के पूर्व शरीर को अय लेपों से स्वच्छ एवं मुवासित किया जाता था। इनका प्रयोग स्नान के पूर्व एवं स्नान के समय किया जाता था। सर्वप्रथम नारियाँ तेल, घी, मन्थन चर्बी आदि से अपने शरीर का मालिश करती थीं। तत्पश्चात् सुगन्धित द्रव्य (लोघ्रचूण, लोत्रपुष्प आदि) से शरीर का सुवासित करती थीं।^{४१} तदनन्तर स्नान किया जाता था। स्नान के समय भी

४० दाम्प्य—उद्ध० २६

४१ (क) वरमत्त यणि दाधान वा कम्मकरान वा पात्तमञ्जन

शरीर को सुगन्धित बनाने के हेतु चूण एवं सुगन्धित मिट्टी का प्रयोग किया जाता था।^{४५} इस प्रकार स्नान समाप्त होने तक शरीर को हर सम्भव उपाय से स्वच्छ, चुस्त एवं सुगन्धित कर लिया जाता था।

स्नानोपरान्त शरीर पर चन्दन का लेप किया जाता था। चन्दना में हरि (पीत)-चन्दन, रक्त चन्दन एवं काशी चन्दन विख्यात थे।^{४६} प्रसाधन की दृष्टि से हरि चन्दन को ही उत्तम माना जाता था। कारण, इससे शरीर को सुगन्धि के साथ सुदरता भी बढ़ जाती थी। चापा न उपक आजीवन से कहा था कि हरि चन्दन से लिप्त मुझे छोड़कर किस लिए जा रहूँ हो। जैनागमा में नारी के प्रसाधन के प्रसंग में 'उत्तम चन्दन से चर्चित शरीर विशेषण उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त जैन-युग में स्नानोपरान्त शरीर को उत्तम घूप से घूपित भी किया जाता था।^{४७}

तत्कालीन नारी-वर्ग लेप के अतिरिक्त शारीरिक-सौन्दर्य की वृद्धि के हेतु अथ अनेक उपकरणों का भी प्रयोग करता था। इन सभी को विलेपनाभरण के प्रसंग में कहना इमलिए आवश्यक है क्योंकि

(व) गानावर्ष वा कम्मराज्जा वा अन्नमणस्त गाय तिल्लेण वा नवणोण्य वा घण्ण वा वसाण वा अ भगनि

—आचा० २।२।३ सू० ३१७-४१८

(ग) षोडश लोद्धकुमुम च

—सूय० १।४।२।७

४२ (क) भिवत्तुनिया चुण्णन नहायति सय्यया गिह्निना

—धुल्ल० पृ० ४०१

(ख) भिवत्तुनिया वामिनकाय मत्तिक्काय नहायति सय्ययापि गिह्निनी

—व०

४३ (क) PED p 262

(ख) देखिए—उद्ध० २०

(ग) वरचदणचच्चिवा

—दगा० ३९५

४४ कालागरुपत्ररघूवघूवियाआ

—नाया० १।१।१३

विलेपनों का भाति इन उपकरणों को भी शरीर में लगाया जाता था । चन्दनादि में शरीर को मुख्य रूप से सुगन्धित करने का क्षमता होती थी जब कि अन्य उपकरणों में शरीर के सौन्दर्य की वृद्धि करने की ।

मन्त्र एवं लेप के अन्तर चेहरा का मैन्सिल लगाकर रजित किया जाता था । आँखा पर लालिमा लान के लिए नन्दी-चूण का प्रयोग किया जाता था ।^{४५} आँखा में अञ्जन लगाने का बड़ा प्रचार था ।^{४६} अञ्जन को आँखा में इस प्रकार आवपक ढंग से लगाया जाता था कि नेत्रों के किनारे पर अञ्जन की बाराक रेखा अंकित हो जाती थी ।^{४७} अञ्जन रखने की अञ्जनी का भी अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है । चूँकि अञ्जनी अत्यधिक सुन्दर होना थी अतः उससे नाग के प्रसाधित-रूप की उपमा दी जाती थी ।^{४८} अञ्जन लगाने के लिए विशेष प्रकार की

४५ (क) मुखं आलिम्पन्ति मधु उम्महेति मधु चूर्णाति मनोसिलिकाय मधु लञ्छन्ति ।

—चुल० पृ० ३८६-३८७

(ख) मुखं चूर्णकमविवृत ।

—धेर० १६।४।७७१

(ग) नन्दी चूर्णमाद् वाहराहि

—सूय० १।४।२।१७

४६ (क) नत्ता अञ्जनमविवृता

—धेर० १६।४।७७२

(ख) अदु अञ्जनि अलकार

—सूय० १।४।२।७

४७ (क) अवद्ग करोति ।

—चुल० पृ० ३८७

(ख) made (ointment marks) at the corners of their eyes,

—B D 5 369

४८ अञ्जनोव नवा चित्ता पूतिकायो अलकता ।

—धेर० १६।४।७७३

सलाई का प्रयोग किया जाता था जिसे स्त्रियाँ अवश्य रखती थी।^{४९}

स्त्रिया कपोल पर विशेष चिह्न धारण करती थी। ऐसे चिह्न को विशपत्र कहा जाता था। इनका प्रयोग सु दरता बढाने की दृष्टि से किया जाता था। चुल्लवग म 'विसेसक करान्ति पद आया है जिसका जय अट्टकथा म इस प्रकार किया गया है—“गण्डव्वदेसे विचित्तमण्डान विमेमन्न करोन्ति अथान् कपोला पर स्त्रियाँ विशेष रचना वाला चिह्न धारण करती थी। जेनागमो से ऐसे चिह्न के विषय म और अधिक जानकारी प्राप्त होती है। जैत युग म पुरुष एव नारी दोनों ही स्नानो परान्त कोतुक्कम किया करते थे। कोतुक्क ना अर्थ है—दृष्टि दोषादि की रक्षा के लिए अर्द्धित किया गया काजल ना चिह्न विशेष। पुरुष-वग तो क्वत्त अनिप्प-परिहार के लिए कोतुक्कम करता था, जब कि स्त्रियाँ उसा उद्देश्य से करने पर भी उसे कलात्मक ढंग से लगाती थी। इस प्रकार के कृष्ण चिह्न से अश्लि गोर-मुख-मण्डल की शोभा जोर भी अधिक बढ जाती थी।^{५०}

उस समय स्त्रियाँ हथेली के ऊपरी भाग पर मयूर-पदा आदि की आकृतियाँ बनवानी थी। वे इस प्रकार की आकृतियाँ हाथ के ऊप भाग, पैर के पष्ठ भाग एव जांघ के ऊपर भी अंकित कराती थी।^{५१}

४९ तिलककरणिमज्जणसंलग्ग पिसु

—गूय० १।४।२।१०

५० (क) चुल्ल० प० ३८७ वि० अ० १२९३

(ख) कोउय, काउय

गया काजल का

तिलक, रक्षा-वर्णक

पैरा में लाला-मन्त्र का प्रयोग भी किया जाता था।^{१३} उसमें मिल्की-
बुल्की प्रया आजकल भी है। आर्यन जात में मंत्रिया पैरा में मेहदी
या माहूर लगानी हैं।

मान्याभरण

माला का भा प्रसाधन में महत्वपूर्ण योगदान था। प्रसाधन के
अथ उपकरणों से तो केवल एक ही प्रयोजन सिद्ध होता था किन्तु
माला से दो प्रयोजन पूर्ण होते थे। दूसरे शास्त्र में अथ उपकरणों में
शरीर की आन्तरिक या ऊपरी भागा बढ़नी थी किन्तु माला से एक
ओर शरीर सुवासित होता था तो दूसरी ओर सुशोभित। इन
नाग्या के जगत में प्रसाधन की दृष्टि में मान्याभरण का काफी
प्रचार था।

माला का उपयोग सिर तथा माने को विभूषित करने में किया
जाता था। माला के विभिन्न उपयोगों को प्रतान के पूर्व उसका भेदा
को बताना उचित होगा।

पाराजिक के अनुसार मालाएँ मुख्य रूप में निम्न भेदा में
विभक्त थी—

- (१) एकतावणिक — वह माला जिसमें एक ओर शृंग श्याम।^{१४}
- (२) उभतावणिक — वह माला जिसके दोनों ओर शृंग श्याम।
- (३) मन्त्रावणिक — फूला का समूह जिसमें गुलदस्ता कह सकते हैं।^{१५}
- (४) त्रिभूषिक — सिन्दूरवार के फूलों से बनाई गई माला का
विभूषित कहते थे। यह सुई या बड़ी लकड़ा के सहारे

१२ अलक्षकता पात्र।

—धेर० १६।४।७७।

१३ तत्त्व एकता वणिक वि पूषान माला।

—गम० भाग २, पृ० १२०

१४ मन्त्रावणिक वि आर्यामु पत मन्त्रसे विद्य कता पुष्पविकृतिमन्त्रावणिक वि
बुधवति।

बताई जाता थी । इसका प्रयोग गिर को विभूषित करने
में किया जाता था ।

(५) चर्मक—यह माला सलाह पर पहिनी जाती थी ।

(६) भाष्य—गारा में पहिनी जाते वाला माला ।

(७) उरच्छद—गले में पहिनाए जाने पर धारण का जाने वाला
माला को उरच्छद कहते थे ।

इस मालाआ का भेग न यह जानकारी मिल जाती है कि माल्या
रण का गिर तथा उरम्यल पर पहना जाता था । गिर में पहिनने के
लोक प्रचार थे । माला का चोरी में मा गिनाकर पहिना जाता था । इस
प्रकार का चोरी को मालामिथा बनी कहा जाता था । मालामिथा
बनी आकर भी कुछ स्त्रियाँ रखती हैं । कशाशा को भी पुण्याभरणा
में गुथा जाता था । अम्बवाली अपने अतीत के अनुभव गुणाना हुई
कहती है कि पुण्याभरणा से गुथा हुआ मेरा केशशा रहता
था । माला के धारण स्त्रियाँ को मालिनी कहा जाता था । इसमें स्पष्ट
है कि माल्याभरण ही प्रसाधन का एक ऐसा अंग था जिसे सभी वर्ग
की स्त्रियाँ अपनाया करती थीं । इसका प्रधान कारण यह था कि
माल्याभरण अन्य आभरणा को तुलना में सस्ता एवं स्त्री-सामान्य को

५५ विभूषका इत मूयवा वा मत्रावा वा मि दूवापुष्काला विजिगवा बना ।
—बही

५६ बटमका नि बलतका ।

—बही

५७ आयला नि बणिमका ।

—बही

५८ उरच्छदो ति हारमनि उर टपनपुष्कालम ।

—मम० भाग २, पृ० ६२०

५९ बनी नाम मालामिस्ता वा

—पारा० पृ० १७२

६० पुष्कुरो मम उरमङ्गजो

—वेर० १३।१।२५३

प्राप्त था। अतः यह आभरण तत्कालीन प्रसाधन में आवश्यक ही नहीं, अनिवाय सा हो गया था। शुभा को साधना से भग्न कर घर बसाने का अनुरोध करनेवाला व्यक्ति अथ प्रलोभना के माथ एक यह भी प्रलोभन देना है कि तू गृहावास में सुगन्धित पुष्पाभरणा का धारण करणी।

जैनागमा में भी प्रसाधन के साथ माल्याभरण का महारा सम्बन्ध बताया गया है। प्रत्येक प्रसाधित-नारी माल्याभरण को अवश्य धारण करती थी। इन मालाया को सिर तथा सीने पर धारण किया जाता था। देवानदा ब्राह्मणी न घामिन्-स्थल पर जान के पूर्व अथ प्रसाधन के साथ अपने सिर के बाला का माला से वेष्टित किया था।^{११} चेलना रानी ने महावीर के दशन के लिए जाते समय जो माला धारण की थी वह गले में पहिनी गयी थी तथा सीने पर लटक रही थी।^{१२} धारिणी देवी ने सभी ऋतुया में सुरन्धित फूला में बनी माला से सिर का शोभित किया था।^{१३} संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि इन माल्याभरणों का बौद्ध तथा जैन दोनों ही युगा की नारी के लिए विशेष महत्त्व था।

अलंकाराभरण

बौद्धागमा में अलंकारा के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अधिकांश स्थला पर अलङ्कृता पद ही प्रयोग में लाया गया है। वहाँ-वही सोने, मणिया एवं मोतिया के आभरणा का संकेत मिलता है।^{१४} अम्बपाली गणिका ने अपने उद्गार में कुट्ट अलंकारा के नाम पहलूर स्वर्णालंकार पद जोड़ दिया था।^{१५} अतः व्यापक-रूप से

११ भगवतोक्त १।३३

१२ अ० १० ११५

१३ सत्तोउपसुग्मितुमुपवरमत्साहिवसिराथा

१४ देखिए—उद्ध० १६-७०

१५, पेट० १२।१।२६४

बौद्ध-युगीन अलङ्कारों के विषय में नहीं कहा जाकर इतना ही कहा जा सकता है कि उस समय स्वर्णनिर्मित जलवारों का वाहुत्य था। दूसरे शब्दों में उस समय शरीर के अधोभाग से लेकर ऊपर भाग तक स्वर्णालवारों का उपयोग किया जा सकता था।

यत्र-नत्र जो अलवारों के उल्लेख मिलते हैं उनमें पात होता है कि मित्र पर केशपाशा को सजाने के लिए सीने के अलवारों (विलप आदि) का प्रयोग किया जाता था। चोगी का गूथते समय उसे सुवर्ण, हिरण्य या मोती से सजाया जाता था।^{६६} काना में कुण्डल होता था। इसके साथ मणि शब्द का प्रयोग मिलता है। अतः कहा जा सकता है कि कुण्डल में मणि भी जड़ा रहता था।^{६७} हाथों में बज्रान पहने जाते थे तथा उन्हें कलात्मक ढंग से बनाया जाता था।^{६८} अपदान में वर्णित भद्रा कुण्डलकेशी के पति ने उसके जिन गहनो को छीना था उनमें केयूर, मुक्ता तथा वेहूय आदि प्रमुख थे।^{६९} हार का उल्लेख प्रथम चार निजायो में नहीं आता है। जातक में मुक्ताहार का उल्लेख आया है। हाथों में अंगूठी कटि प्रदेश में मेखला तथा पंखों में नूपुर पहने जाते थे।^{७०}

६६ वशा नाम सुवर्णसा वा मुक्तामिम्सा वा मालामिम्सा वा द्विरञ्जमिम्सा वा सुवर्णमिम्सा वा मणिमिम्सा वा ।

—पारा० पृ० १७२

६७ इत्या गवस्म मणिकुण्डलं च

—धरा० १३।४।३२६

६८ बद्धाण व सुकत मुनिद्वित

—धरा० १३।१।२५९

६९ इत् सुवर्णकेयूर मुक्ता वळुरिया बहू ।

—जातक ८।४।१९।१८ धरीश्रप० ३।१।२७

७० (क) सग मुद्दिकमुवण्णमि उवा

—धरा० १३।१।२६४

(ख) जातरूपसुमसल

—जातक, २०।५।३।५ ४६

(ग) मण्डनूपुरसुवण्णमाण्णता

—धेरी० १।१।२६८

जैनागमा मे नारी के प्रसाधित रूप म अलनाग का पर्याप्त योग दान रहता था तथा उसका वणन अनेक स्थला पर आता है। वणन प्राय समान है।

प्राप्त-उल्लेखा के अनुसार बाना म कुण्डल तथा गदन म उत्तम हेमसूत्र धारण किया जाता था। इसके साथ एकावली तीन लडो का हार पहना जाता था। हाथ की अंगुठिया म मुदगी तथा अग्रभाग म बलय (बकण) पहने जाते थे। वटिभाग में मेखला तथा पैरा म नूपुर का प्रचलन था। मखना क आगे मणि पद आता है जिसमे कहा जा सकता है कि मेखला म लटकने वाले दाने मणिया के होते थे।

पुरुष-वग के आभूषण स्त्री क आभूषणा म भिन्न रहते थे। उदाहरण-स्वरूप पुरुष ८० या ४० लडो का हार पहिनता था। तीनसरा हार पुरुष तथा स्त्री दोना द्वारा उपयोग म लाया जाता था। एकावली केवल म्त्रिया ही धारण करती थी। वटिभाग म स्त्रिया मणिमेखना धारण करती थी तो पुरुष वटि मूत्र। म्त्रिया हाथ म बकण पहिनती थी जबकि पुरुष कटा तथा बाहु के ऊचभाग म बैयूर की भाँति स्त्रियाँ एक आभूषण पहिनती थी जा बाहुरमिका नाम मे कहा जाता था। पुरुष-वग म पालक नामक एक ऐसा आभूषण भी प्रचलित था जा माना की तरह सामने लटकता रहता था। यद्यपि आचाराग-मूत्र म गृहस्थ की पुत्री द्वारा पुरुष वग के समान ही अलकारा क प्रयोग का उल्लेख मिलता है^{७१} किन्तु अथ उल्लेखा के आधार पर हम अपवाद या प्राचीनता हा कह सकते हैं।

७१ (क) वरपायपत्तनउरमणिमन्नागररइयउवविपकणमन्वविचित्तवरवल्लयथ भियभुयाश्रा कुडलउजावशाण्णाश्रा

—नाया० १।१।१३

(ख) कडग मडडग एगावलि वटमुत्तमरगवनिसरयववल्लयडममुत्तय

—ना० पु० २६४-३९४

७२ तुलना कीजिए—नाया० १।१।१२ १३

७३ कुण्डले वा गुण वा पालवाणि वा हार वा अङ्गार वा तरुणीय वा कुमारि अङ्कियविभूतिय

—आषा० २।२।१ सू० २६३

परदा-प्रथा

आगम कालीन नारी जीवन के चित्रण के प्रसंग में परदा प्रथा पर भी लिखना आवश्यक प्रतीत होता है। कारण, आधुनिक भारतीय नारी-समाज में उक्त प्रथा के आशिक प्रचलन से जन साधारण के लिए यह जिज्ञासा होती है कि पाचीन भारत में परदा प्रथा का क्या रूप था।

परदा प्रथा का प्रारम्भ कब से हुआ—यह एक विवादास्पद विषय है। कुछ लोगो का विचार है कि भारतवर्ष में मुसलमानों के प्रभाव के साथ ही साथ परदा प्रथा का पचार बढ़ा है जब कि अन्य लोगो का कहना है कि मुसलमानों के आने के पूर्व यहाँ की नारी इस प्रथा से एकदम अपरिचित नहीं थी।^{७४} अतः यहाँ आगम से पूर्वकालीन अवस्था पर संक्षेप में विचार कर आगम-कालीन नारी-समाज में परदा-प्रथा किस अंश तक प्रचलित था—इसे प्रस्तुत किया जायगा।

वैदिक तथा उत्तर वैदिक कालीन स्थिति

वैदिक काल में परदा प्रथा के अस्तित्व के समय में उल्लेखों का अभाव है। उस समय अविवाहित युवती अपने जीवन-साथी का चयन स्वयं करती थी।^{७५} विवाह के अवसर पर उपस्थित लोग क्या-क्या देखते थे तथा उसे आशीर्वाद देते थे।^{७६} निरुक्त से जाना होता है कि स्त्रियाँ न्याय कराने के लिए न्यायालय भी जाती थी।^{७७} गृह्य

७४ The Position of Women in Hindu Civilization p 166

७५ Vedic Index, 1 474

७६ (क) सुमङ्गलीरिय वधूरिमा समेव पश्यत ।

सौभाग्यमस्यदत्त्वायाःयास्त वि परेतन ॥

—शुक्ल० १०।८५।३३

(ख) तुभ्या वोजिए—अथर्व० २।३६।१, १४।१।२१

७७ त तप यापुत्रा मापतिषा सारोहति । सा तथाभराहति मा रिष्य लभते ।

—निरुक्त, ३।५।१

तथा घमसूत्रा में भी जन-साधारण के मध्य घमने वाली नारी के परदे के विषय में कोई सूचना नहीं मिलती है।^१ अतः यह कहा जा सकता है कि वैदिक एवं उत्तर-वैदिक-कालीन नारियाँ म परदा प्रथा का प्रचलन नहीं था।

यहाँ यह उन्नेखनीय है कि पाणिनि द्वारा प्रयुक्त असूयपश्या शब्द से परदा प्रथा से मिलती जुलती किसी प्रथा का संकेत मिलता है।^२ असूयपश्या का अर्थ है -वह नारी जो सूर्य के द्वारा भी नहीं देखी जा सकती हो ग्रथान् राजा की पत्नी। इसी प्रकार रामायण एवं महाभारत दोनों ही महाकाव्याँ में ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं जिनमें जान हीना है कि उस समय जन साधारण को विशिष्ट बान्धन की नारियाँ द्वारा दर्शन देना उत्तम नहीं माना जाता था। रामायण में एक स्थल पर कहा गया है कि आज मङ्गल पर चलते हुए लोग उम सीता को देख रहे हैं जो पहले आकाशगामी जीवाँ द्वारा भी नहीं देखी गई थी।^३ इसी प्रकार उसी ग्रंथ में अयत्र एक स्थल पर कहा गया है कि विपत्ति के समय, युद्धाँ में, स्वयंवर में यत्र म तथा विवाह म स्त्रियाँ का अदर्शन दापकारक नहीं है।^४ महाभारत में कहा गया है कि हमने सुना है, प्राचीन काल में लोग विवाहित स्त्रियाँ को सभा आदि में नहीं ले जाते थे।^५

७८ घमशास्त्र का इतिहास भाग १, पृ० ३३६

७९ ३।२।३६

८० या न दत्तग पुरा दृष्टु भूतराकाण्यरपि ।

सामय सीता परवति राजमागता जना ॥

—रामा० २।३३।८

८१ व्यसनपु न दृच्छेषु न युद्धेषु स्वयंवर ।

न क्रतो न विवाह च दगत दुष्यति स्त्रिय ॥

—बहा ६।११७।२७

८२ घर्म्याँ स्त्रिय सभां पूव न नयतीति न द्युतम ।

स नष्ट क्षीरवेषेषु पूर्वो घम सनातन ॥

—महा० २।६।१६

उपयुक्त उल्लेखा से इतना निष्पन्न निकाला जा सकता है कि पाणिनि एवं महाकाव्या (रामायण तथा महाभारत) के काल की नारियाँ वैदिक कालीन नारियों की भाँति सामान्य मनुष्या के बीच कुछ विशेष अवसरों को छोड़कर विचरण नहीं करती थी तथा राज्य परिवारा की स्त्रियों का साधारण मनुष्य नहीं देख पाते थे।

आगम-कालीन स्थिति

आगमा से ज्ञात होता है कि बौद्ध एवं जैन दोनों ही युगों में परदा प्रथा का अभाव था। इसका प्रधान कारण यह था कि उस समय कुल नारी की सुन्दरता का दर्शन मात्र उसकी शील रक्षा की सम्म्या उत्पन्न नहीं करता था। इसके विपरीत पुष्प-वगैरे अपने अन्नपुर की सुन्दरता पर गौरवाचित होता था। समाज में यथा-योग्य अमर पर मनुष्य अपने अन्नपुर के सौन्दर्य का प्रदर्शन भी करता था।^{८३} उक्त परिस्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय नारी का अदर्शन सामाजिक दृष्टि से अभीष्ट नहीं था।

पुत्री के रूप में नारी किसी भी व्यक्ति में परदा नहीं करती थी। उस समय धार्मिक-व्यक्तियों को भिक्षा देना आदि कार्यों में क्याए अथवा पारिवारिक सदस्या का ही भाँति भाग लेती थी।^{८४} विवाह-योग्य पुत्री भी अपने प्रस्तावित पति के सम्मुख बिना किसी परदे के विवाह के विषय में अपना मन्त्र प्रकट कर सकती थी। कारण, उस समय पुत्री से उसके विवाह की स्वीकृति लेने का भी प्रचलन हो गया था। सुमेधा का प्रस्तावित पति 'जनिकरत्त राजा स्वयं उससे विवाह की स्वीकृति लेने गया था।'^{८५} जैनागमा से ज्ञात होता है कि उस समय विवाहयोग्य वय को प्राप्त क्याआ का भी दर्शन जन-

८३ दक्षिण—विवाह उद्ध० ४२

८४ दक्षिण—पृ० २०

८५ दक्षिण—पृ० १२

साधारण के लिए सुलभ रहता था।^{८६} किन्तु विवाहवय का प्राप्त होद्विला तथा देवदत्ता नामक कन्याग्रा द्वारा घन पर ओर यौवनावस्था को अप्राम सोमा द्वारा राजपथ पर गेद खेलने क उल्लेख^{८७} यह भी व्यक्त करते हैं कि यौवनावस्था प्राप्त करने के उपरान्त कन्याएँ घर के बाहर प्रायः कम जाती थी।

सारांश यह कि आगमवालीन समाज में जन-साधारण में पुत्री का दशन पुत्री के हित में अनुचित नहीं माना जाता था। यह उल्लेखनीय है कि यहाँ कन्या के परदे का आशय कन्या का जन साधारण की निगाह में बचाव करना मात्र है कारण कन्याओं के वास्तविक परदे की प्रथा का प्रचलन आज तक भारत में कभी भी नहीं रहा है।

पुत्रवधू के रूप में जब नारी बवाहिक जीवन में प्रवेश करती थी तब भी वह परदे का प्रयोग नहीं करती थी। कारण उस समय पुत्रवधू के जो उत्सव थे^{८८} उनका पालन परदे के भीतर रहकर नहीं हो सनता था। इसके अतिरिक्त पुत्रवधू समुर या अन्य विशिष्ट व्यक्ति के सम्मुख भी आवश्यक्तानुसार उपस्थित होती थी तथा उनमें वार्तालाप करती थी। जैसे सुजाता पुत्रवधू बुद्ध के सम्मुख उपस्थित हुई थी।^{८९} ऋषिदासी के समुर ने स्वयं उससे अपने पुत्र की विरक्ति का कारण पूछा था।^{९०} इसी प्रकार धन्ना साथवाह ने अपनी चारा पुत्र

८६ नाया० १।१।१०१, अल० २।५।४६ विवाग० १।९।१७५

८७ बहो

८८ अगुत्तर० २।२०३ धेरी० १५।२।४१०-४१४

८९ 'एव भवति सिंहा सुजाता घरसुगुणं नगवता पटिस्सु वा यन भगवा तेनुपमङ्गमि

—अगुत्तर० ३।२२३

९० तस्स वचनं सुणित्वा सस्सु समुरा व म अपिच्छु ।

किस्स तथा अपरद्धं भयं विस्सट्ठा मयामुत्तं ॥

—धेरी० १५।१।४१५

बुद्धा की समस्त मित्र एवं पाति जना की उपस्थिति में बुलाकर शालि-व्रण दिये थे। वृत्ता अवश्य था कि पुत्रबधुआ को सास ससुर की उपस्थिति में बड़े ही सयन ढंग से रहना पड़ता था।

पत्नी के रूप में नारी पुत्रबधू की अपेक्षा अधिक अधिभार सम्पन्न हो जाती थी। अतः उस अवस्था में परदा प्रथा की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती थी। चूँकि गृह-काय के संचालन का नवृत्त्व पत्नी ही करती थी, जतः उसे समय-समय पर सामाजिक व्यक्तियों के सम्पर्क में भी आना पड़ता था। पति की आत्मापूर्वक पत्नी धार्मिक-पुरुषा के दर्शन के लिए अकेली भी जाती थी।^{११} सूत्रवृत्तांग से पता होता है कि उस समय कामुत नारी साधु के पास जाकर उसे आकृष्ट करने के लिए उससे तरह-तरह से वातालाप करती थी तथा ज्ञान हावभाव प्रकट करती थी।^{१२}

जननी के रूप में नारी को यत्र-तत्र बहो भी जाने की स्वतंत्रता थी। मृगारमाला अकेला ही दावहर में बुद्ध के पास गई थी।^{१३} इसी प्रकार धारञ्चा (स्थापत्या) अपने पुत्र की दीक्षा के प्रसंग से कृष्णवासुदेव के पास गई थी।^{१४}

यद्यपि नायाधम्मज्जाओ में प्राप्त कुछ उल्लेखा से यह भ्रम हो जाता है कि जैन युग में परदा प्रथा थी किन्तु जब उन उल्लेखा को पूर्वापर प्रसंग के साथ सूक्ष्मदृष्टि से देखते हैं तो वह भ्रम दूर हो जाता है। प्रथम उल्लेख के अनुसार रानी के द्वारा देखे गये स्वप्नी के फल

६१ तए ण मित्तनदा काटुम्भियपुरिस वयासा— तिप्पामव लद्धवरण जाव पञ्जुवागइ ।

—उपा० १।१६

६२ सूय० १।४।१

६३ अथ सा वितावा मिंगारमाता दिवा त्विस्स यत्त भग्वा तनुपमद्धमि

—उद० २।६

६४ तए ण सा धारञ्चा जणव कणम्म वासुदेवस्स भवणवरपडिदुवारदेसभाए तणव उवागच्छ

—नाया० १।१।१६

की जानने के लिए स्वप्न-पाठना को बुलाया जाता था। जिस समय राज्यसभा में स्वप्न-पाठक फल उतारते थे, उस समय वहा राजा के अतिरिक्त रानी भी उपस्थित रहती थी। किंतु रानी के आसन के सामने यवनिवा लगा दी जाती थी।^{१५} इस उल्लेख में यवनिवा मात्र से परदे के प्रचलन का निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा क्योंकि उस समय रानी यवनिवा से घिरे आसन पर बैठकर राज्य सभा की मान मर्यादा एवं सामाज्य गिष्टता का पालन मात्र करती थी। चूंकि उस समय राज्यसभा में नारियाँ उपस्थित नहीं हानी थीं^{१६} अतः उसी मर्यादा का पालन करने के लिए यवनिवा लगायी जाती थी।

दूसरे उल्लेख से पता होता है कि उस समय अशुक् नामक नारी क वस्त्रा को नास का हवा से उड़ने वाला कहा जाता था।^{१७} इस प्रकार के विशेषण से घू घट का भाव निकाला जा सकता है। कारण घू घट के अस्तित्व में ही यह जाना जा सकता था कि वस्त्र नासिका की हवा से भा हिलता था या नहीं। किंतु उक्त वस्त्र के अर्थ विशेषणा के आधार पर इस विशेषण का भी वास्तविक न कहकर साहित्यिक कहना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

अतः उक्त उल्लेखा पर दृष्टिपान करने के बाद भी यही कहना उचित होगा कि आगम कालीन नारियाँ आधुनिक अर्थ में परदे का प्रयोग नहीं करती थी।

परदा प्रथा के अभाव का कारण :

यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब रामायण एवं महा-भारत कायों में प्राप्त उल्लेखा एवं पाणिनि द्वारा व्याख्यात अनूयपश्या शब्द से तत्कालीन नारी समाज में परदा प्रथा के अस्तित्व का स्पष्ट आभास मिलता है तो बौद्ध एवं जैन-युग में उक्त प्रथा सहसा कैसे समाप्त

१५ अश्विनरिय जवणिय अछ वे. धारणाए देविण भद्रामण रयाव.

—नाया० १।१।२

१६ दक्षिण—उद्ध० ८२

१७ दक्षिण—उद्ध० २७

हो गई ? यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर प्रदेश में कहा जा सकता है किन्तु हमें सताप नहीं होता । कारण जिस ग्रामा एवं परिवारा में वैदिक-संस्कृति का प्रभाव था, उन्हीं में कुछ सम्भव श्रमण-संस्कृति में भी प्रभावित होने जात थे । अब इस प्रश्न का वास्तविक समाधान के लिए बोद्ध एवं जैन भिक्षुणी जातक के ऊपर दृष्टिपात करना होगा । बीड़-युग में बुद्ध के मरण में भिक्षुणी भिक्षुओं की भाँति जिना रिगी पण्ड के एक स्थान में भूमि स्थान का जाता थी । इसी प्रकार भिक्षुणी समाज में भिक्षा के निमित्त भा जाता था तथा आयोपयता के अनुसार धार्मिक उपदेश भी देती थी ।

भिक्षुणिया का इस आचार विचार से उनके यह सम्भव नहीं था कि वे समाज का मनुष्य से परग्य करें । जब भिक्षुणी-युग में बुद्धि हुई तो समाज का स्थिति पर भी भिक्षुणी-युग का प्रभाव पड़ा तथा सामाजिक स्थिति में भी परदा प्रथा का प्रचलन समाप्त हो गया ।

गुरुत्व गिरया का धार्मिक-क्षेत्र में पुरुष-युग के समान अधिकार प्राप्त होने से भा इस प्रथा का आवश्यकता समाप्त हो गई । बुद्ध तथा महावीर न मूर्धातिरुप रूप से म्त्रा एव पुरुष में कोई भेद नहीं बनाया । उन्हीं दृष्टि में जिस प्रकार मनुष्य घमाघरण कर दुःखा को नाश करने में समर्थ था उसी प्रकार स्त्री भा दुःखा के क्षय में समर्थ थी ।^{६८} फलस्वरूप म्त्रा-युग में व्याप्त हीनता की भावना समाप्त हो गई और वह प्रत्येक दृष्टि में अपने का पुरुष युग के समकक्ष समानत लगी ।

इस प्रकार श्रमण संस्कृति के पुनरुत्थान के साथ ही सामाजिक नारिया में परदा प्रथा का ह्रास होने लगा तथा श्रमण-संस्कृति के पूर्ण विकास के बाद परदा समाप्तप्राय हो गया ।^{६९}

६८ (क) 'यस्मिन् एवास्मिन् यान्ति तावदा पुंसिस्त्वया वा ।

स वा एतन्न यानन्न तिस्रानस्मिन्व सन्तिक' ति ॥

व्यभिचार

भारतवर्ष में व्यभिचार सदैव से एक अपराध माना गया है तथा व्यभिचारी पुरुष की कठोर दंड दिया जाता रहा है। किंतु नारी के लिए यह अपराध कभी छोटे पाप के रूप में रहा है ना कभी भीषण अपराध के रूप में। कभी दूषित स्त्री का केवल निर्घाग्नि प्रायश्चित्त के वाद निर्दोष मान लिया जाता था ता कभी उस (दूषित) स्त्री की जीवन लीना हा ममात्र कर ली जाती थी।

आगम काल में एक भीषण अपराध

आगम कालीन समाज में व्यभिचार एक भीषण अपराध था। व्यभिचारी पुरुष या स्त्री को प्राणदंड दिया जाता था। बौद्धागमा संज्ञात होता है कि कुल-कन्या या कुल-स्त्री के साथ व्यभिचार करनेवाले व्यक्ति के सिर का मुण्डन कर दिया जाता था तथा दाता हाथ पीछे से बांध दिये जाते थे तत्पश्चात् नगर के मुख्य मार्गों पर फिराते हुए दक्षिण द्वार से बाहर ले जाकर उसका सिरच्छेद कर दिया जाता था।^{१००} जैनागमा से भी इसी प्रकार के भयानक दण्ड की जानबूझ होती है। कहा गया है कि पारदारिकों के हाथा तथा पैरा का काट दिया जाता था, उसे भट्टी पर चढ़ाकर तपाया जाता था तथा उसका मांस काटकर उस पर नमक छिड़का जाता था। तत्पश्चात् उसके नाक-कान काट दिये जाते थे तथा अन्त में कण्डच्छेद कर दिया जाता

believe that the Buddha tore it off when he gave his clear verdict that women also had the full right of leading independent religious life

—The Status of Women in Ancient India, p 237

१०० दक्षिण उज्जयिनी पच्छिमाह गाल्हवधन वधित्वा सुरमुण्डं दक्षिणतो नगरस्य सोम छिन्नमानी। अयं पुरिसो कुलित्थासु बुल्लकुमारसु चारित्त आपज्जि, तेन न राजानां गहं था पवरुप कम्मकारण कारेतागत।

था।^{१०१} उदयन राजा ने अपने बृहस्पतिदत्त पुरोहित के लिए व्यभिचार करने पर विविध यातनाओं पूर्वक प्राणदण्ड का आदेश दिया था।^{१०}

व्यभिचार रूप अपराध का कठोर दण्ड न केवल पुरुष-वर्ग को ही दिया जाता था अपितु व्यभिचारिणी स्त्री को भी कठिन यातना सहना पड़ती थी। अतएव इतना था कि व्यभिचारी पुरुष को राजा की ओर से दण्ड दिया जाता था जब कि व्यभिचारिणी स्त्री को उसका पति स्वयं दण्डित कर सकता था। एक लिच्छवी ने भरी सभा में अपनी अनिचारिणी स्त्री को मारने की घोषणा की थी।^{१०३} इसका प्रचान कारण यह था कि आगम-कानीन नारी पर पति का पूर्ण प्रभुत्व होता था। उसे पर पुरुष से दूषित अपनी पत्नी को मार डालने का पूर्ण अधिकार था, किंतु व्यभिचारा पुरुष का मारने का अधिकार समाज के सामान्य यक्ति को नहीं था। अतः उसे राजा की आर से दण्डित किया जाता था।^{१०४}

१०१ अथ त्वनायधेयाण अहु वा बद्धममउक्कत्त ।

अथ तयमाभिनावणाणि तच्छिय खारसिचणाइय ॥

अहु कण्णनामधेय कण्ठच्छेयण त्तिक्ख ता ।

—सूय० १।४।१।२१-२२

१०२ (क) उप्पस्सत्त पुणेहिय परिस्सहिं गिण्हावणं जाव एएण विहाणण वज्ज आणाविए ।

—विवाग० १।५।१।१२

(ग) तुउना कीजिण—अहं ण भवत्त पुस्सि त्थच्छिण्णग वा जीवियाओ ववरावणउत्ता ।

—राय० सूत्र १६८

१०२ मय्ह पत्रापत्ति अनिचरणि त थातेस्सामा' नि ।

—पाचि पृ० ३०१

१०४ इमं च ण सुमेण अमण्वे एव वयासा—एव राउ सुआमा, समडे दारए मम अनेउरमि अवकडे । तए ण मे महव दे राया सुमेण अमण्व एव वयासा—तुम धव ण दण्ड वत्तेहि ।

—विवाग० १।४।९८

प्राग् आगम काल में एक उपपातक

जब व्यभिचार के लिए निर्धारित दण्ड को दृष्टि में रखकर वाद्व-युग से पूर्वकालीन साहित्य पर दृष्टिपात करते हैं तो पता होता है कि बौद्ध युग से पूर्व व्यभिचार भीषण अपराध नहीं माना जाता था और न व्यभिचारिणी नारी का प्राणदण्ड जैसा कठोर दंड अनिवाय रूप में ही दिया जाता था। घमसूत्रों के अनुसार व्यभिचारिणी स्त्री को उसका पति पूणरूप से त्याग नहीं सकता था। उसका मुख्य कारण यह था कि तत्कालीन समाज में व्यभिचार एक उपपातक था तथा अपराधी द्वारा उचित प्रायश्चित्त करने पर वह क्षम्य था। उचित प्रायश्चित्त कर लेने के बाद व्यभिचारिणी स्त्री को समस्त अधिकार पूर्ववत् मिल जाते थे। इतना अवश्य था कि जब तक प्रायश्चित्त पूण नहीं होता था तब तक व्यभिचारिणी को गद्द वस्त्र पहनने को दिये जाते थे तथा उनका ही भोजन दिया जाता था जिनसे वह जीवित रह सके। कुछ विगैप व्यक्तियों के साथ व्यभिचार करने पर ही पत्नी को त्यागा जा सकता था। उनमें शिष्य, गुरु तथा गूढ़ प्रमुग्य थे। तात्पर्य यह कि जब पत्नी पति के शिष्य या गुरु अथवा गूढ़से व्यभिचार करती थी तभी उसे त्यागा जा सकता था।^{१००} चूँकि व्यभिचार से स्त्री को ही दूषित माना जाता था अतः घमसूत्रों में पुरुष की अपक्षा स्त्री के लिए ही विशेष रूप से व्यभिचार के दण्ड का विधान विहित है।

उक्त कथन से इतना निष्कर्ष सहज ही में निकाला जा सकता है कि आगम-कालीन-समाज में व्यभिचार पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए ही अक्षम्य अपराध था। यही कारण था कि आगम-कालीन-समाज में पति का अतिचरण न करना पत्नी का मूल गुण माना जाता था। इसी प्रकार पत्नी का अतिचरण न करना पति का भी कर्त्तव्य था। इसके अनिश्चित यह भी कहा जा सकता है कि दण्ड का भीषणता के कारण आगम-कालीन नारी में व्यभिचार जैसे दोष की कमी हो गई थी।

व्यभिचारिणी स्त्रियाँ

इतना मय होने पर भी यह रहता निजान्त अनुविता होगा कि योद्ध एवं जैन युग में व्यभिचार का अभाव हा गया था। उस समय भी समाज में एमी स्त्रियाँ थीं जा व्यभिचार किया करती थीं। उनमें कुलगा, विधवा, भिक्षुणी, अधिप उम नर प्रविवाहित रूप में समाज में रहनेवाला कुमारियाँ आदि प्रमुख थीं।^{१०१}

कुलगा स्त्रियाँ पति के अभाव में परपुरुष से सम्बन्ध स्थापित कर लेती थी तथा कभी-कभी जार से उद्गम भी रह जाता था किन्तु उद्गम मय अवश्य रहता था कि नहीं उनका पाप प्रकट न हा जाय, अतः कई बार वे भिक्षु भिक्षुणी की सहायता से गम गिराकर गुप्तरूप से फिजवा देती थीं।^{१०२}

विधवा स्था भी कभी-कभी दुराचरण करती थी। एत विधवा स्त्री उदायी भिक्षु के कहन पर मवास वं लिए बिना किसी सञ्च के तुरन्त तैयार हा गई थी।^{१०३} वेदयाए तथा अधिव उभ्र की अविवाहित कुमारियाँ भी कामनामना री वृत्ति के हेतु प्रयत्न किया करती थी। अतः उक्त सभी स्त्रियाँ को दृष्टिगाचर न करना उत्तम भिक्षु का प्रधान कर्त्तव्य था।^{१०४}

१०६ अगुत्तर० २।३८४

१०७ (क) तन रा पन समयन अञ्जतरा इस्थी पवुत्थपतिक्का जारेन गम्भिनी हाति । सा कुलुपिक्क भिक्षु उल्लथाव— इह्हुय्य गम्भातन जानाहा' ति ।

—पारा० पृ० १०४

(ख) तन रा पन समयन अञ्जतरा इस्था पवुत्थपतिक्का जारेन गम्भिनी होति । सा गम्भ पात्तत्वा कुलुपिक्क भिक्षुनि उल्लथाव— इह्हुय्ये, इम गम्भ पत्तेन मोहरा' ति ।

—कुल्ल० ३८८

१०८ एहि, मत्त ति आवरक्क पविसित्त्वा साटय निक्खिपित्त्वा मञ्जवे उत्ताना निपज्जि ।

—पारा० पृ० ११०

१०९ अगुत्तर० २।३८४

व्यभिचारिणा स्त्रियाँ प्रायः भिक्षु-वग वं साथ सम्यक् स्थापित करने का प्रयत्न करती थी। इसका प्रथम कारण तो यह था कि भिक्षु-वग के साथ सवास करने का व्यभिचारिणी स्त्रियाँ का सहज ही में अवसर प्राप्त हो जाता था तथा द्वितीय यह कि भिक्षु-वग के साथ सवास करने का उनका दूषित-वृत्त्य भिक्षुओं को समाज एवं राज्य से प्राप्त सम्मान की भाँट में छिप जाता था। अतः कामुक स्त्रियाँ भ्रमण करने वाले भिक्षु को आवास देकर उनसे कामवामना की तृप्ति का प्रयत्न करती थी।^{११} भिक्षुओं का अखण्ड ब्रह्मचर्य भी कामुक स्त्रियाँ के लिए आकर्षण का विषय था।^{१२} अतः वे भिक्षुओं के पास जाकर तरह-तरह से उन्हें आकृष्ट करने का चेष्टा करती थी।^{१३}

दूसरी ओर भिक्षुणियों के कारण भी व्यभिचार का कुछ सीमा तक प्रश्रय मिला था जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है।^{१४}

अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि दण्ड की भोषणता से आगम-कालीन समाज में व्यभिचार जैसे दुष्कृत्य का ह्रास हुआ था किंतु कुछ नाग्या उम समय भी व्यभिचार करना था तथा उस व्यभिचार की प्रवृत्ति का भिक्षु भिक्षुणी-वग द्वारा भी थोड़ा बहुत प्रश्रय मिल जाता था।

इसके अनिरीक्त आगमों में कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जो वासना का रोमांचकारी चित्र उपस्थित करते हैं—जैसे एक बार भिक्षु एवं भिक्षुणी-संघ में पुत्र तथा माता प्रविष्ट हुए। एक-दूसरे से आकृष्ट

११० अथ सा सा इत्या अनुरद्ध एतन्नोच—अस्या भक्त अमिरुता दम्ननाया वामानिका अहं चमिह अमिरुता दम्ननीया वामानिका । सावाह भक्त अय्यस्स पजापति भवय्य ति ।

—पाचि० पृ० २१

१११ ज इम भवति समणा जा य खलु एण्डि मडि भहण इम्म पग्गियारणा आउट्टाविजा पुत्त खल मा आलभिग्गा आवस्मि तयस्मि

—थाचा० २।२।१ सू० २६४

११२ सूय० १।४।१।४-८

११३ देखिए—भिक्षुणा, उट्ट० २९, २०, ३१

होने से उहाने (माना तथा पुत्र ने) आपस म मधुन धर्म का सेवन किया ।^{१८}

धेरीगाथा स नात हाना हे कि एउ वार माना एउ पुत्रो—दोना न एक दूसर की मान उतरर जीवण यापन किया था ।^{१९}

यदि उक्त दाना उल्लेखा में बोधी भी सत्याग ही तो यह कहा जा सक्ता है कि यदि एउ जग उग समय समाज म सदाचार की उत्कृष्ट प्रवृत्ति पाई जाता था तो दूसरा छोर दुराचरण का पराकाष्ठा भी ।

यहा यह उल्लेखनाय ह कि जैनागमा म भिक्षु भिक्षुणियो द्वारा सामाजिक-नारिया म व्यविचार का प्रथम देने वाली प्रवृत्तिया म कमी हो गई थी । इसका प्रमुख कारण यह था कि जैन युग तत्र न केवल भिक्षु एव भिक्षुणा मग के सुममालन के त्रिए व्यापन नियमा का सजन हो चुका था अपितु भिक्षुणा की शील रक्षा के निमित्त सघ सत्रिय मह्याग भी करने लगा था । अत इमने यह कहा जा सक्ता है कि जैन-युग म भिक्षुआ तथा भिक्षुणिया द्वारा दूषित त्रिय जान बाते सामाजिक वाना-वरण म पर्याप्त सुधार हा गया था ।

धार्मिक प्रवृत्ति

भारतवष सदा से धर्म प्रधान दश ग्हा है । यहाँ नर नारी का स्तर धार्मिक दृष्टि ने ही निर्धारित होता रहा है । यहा जिसे जितन अधिन धार्मिक अधिनार प्राप्त हाते ह तथा जो जितनी ज्यादा धार्मिक-क्रियाए करता है वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है । सब ता यह है कि इस देश म प्राचीन काल से ही धार्मिक अधिनार एव कर्तव्य

११४ तेन सा पन समयन सावस्विय उभा मानापुत्ता वस्मावास उपगमिषु—
मिक्खु च भिवजुनी च । ते वादिण्णचित्ता सिक्ख अणच्चवक्खाय दुब्बय
अनाविकत्वा मयुा घम्म पटिसविषु ।

—अगुत्तर० २।३३१

११५ उभा माता च धाता च मय आमु उपत्तिथो ।

—धरो० ११।१।२२४

राजनामिक एव सामाजिक अधिकार एव उत्तव्या ने श्रेष्ठ मान जाते रहे हैं ।

वैदिक कालीन स्थिति

वैदिक-काल में नारी का स्थान नर के समान ही श्रेष्ठ था । इसका प्रधान कारण यही था कि उसे नर के समान ही धार्मिक अधिकार प्राप्त थे । इतना ही नहीं अपितु नारी के विना नर का यज्ञाधिकार ही नहीं माना जाता था । यहाँ यह उ-के-नाय है कि यद्यपि धार्मिक धर्म का प्राप्त नारी अपवित्र मानी जाती थी ^{११६} किन्तु वह अपवित्रता ३४ दिन की होती थी । अतः इस अपवित्रता के कारण वह अग्निसंस्कार के लिए धार्मिक कृतियाँ में हीनता का अनुभव नहीं कर पाती थी । यद्यपि वैदिक-काल में नारी की धार्मिक प्रवृत्ति में किमा प्रसार का हीनता नहीं थी । उस समय वह प्रत्येक धार्मिक कार्य में पुष्ट्य का सहयोग करती थी। ^{११७}

उत्तर वैदिक कालीन स्थिति

वैदिक-काल में नारी का जो नर के समान धार्मिक-अधिकार प्राप्त थे, वे धीरे-धीरे क्षीण होत गये । धार्मिक धर्म का अपवित्रता में नारी अपवित्र मानी जाने लगी । इसमें अनिश्चित धर्म के मन्त्रा के शुद्ध उच्चारण को दिये गये महत्त्व ने भी नारी की धार्मिक अवस्था पर बुरा प्रभाव डाला । ^{११८}

धार्मिक अधिकारों का हनन

यद्यपि उत्तर वैदिक-काल में सुविधा की दृष्टि से नारी को शनै

११६ In his early history man is seen excluding woman from religious service almost every where because he regarded her as unclean mainly on account of her periodical menstruation

—The Position of Women in Hindu Civilization, p 194

११७ दासण—१० ८४-८५

११८ १० श्रौ १४१-१४२ १४३-१४४

शनै धार्मिक अधिकारों ने वञ्चित किया जाता रहा किन्तु विधानन यह तब तक इन अधिकारों को अधिकारियों तकलीफ नहीं जब तक कि उसका उपनयन सम्पन्न होता था। उपनयन सम्पन्न के समाप्त हो जाने से नारी के धार्मिक अधिकारों का संवेधानिक रूप में अन्त हो गया और अनुपनीत नारी पूजा की श्रेणी में आ गई।^{११९}

अनुपनीत नारी की धार्मिक श्रियाएँ :

जब जन साम्राज्य ने उक्त नम्य का बोध होता है, तो साधा रणतया सभी के मन में विरह्य उठने हैं कि क्या अनुपनीत एवं यत्नित-न्याय से वरित नारी कोई धार्मिक-श्रियाएँ करनी थी या नारी जीवन में धार्मिक प्रवृत्तियों का विकास अभाव हो गया था ?

उक्त प्रश्न का उत्तर तत्कालीन-साहित्य में पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण-स्वयम्भू आगम-साहित्य में ज्ञान होता है कि बौद्ध भिक्षुणा-सभ के प्रादुर्भाव के पूर्व भी नारियाँ के जीवन में अनेक प्रकार की धार्मिक प्रवृत्तियाँ विद्यमान थी। इन प्रवृत्तियों में अग्नि चन्द्रमा, सूर्य तथा अन्य अनेक देवताओं की पूजा एवं वन्दना करना नारी के घाटा पर जाकर जल में डुबती लगाना आधे सिर का मुण्डन कराना पृथ्वी पर सोना, रात्रि भोजन का त्याग आदि प्रमुख थी।^{१२०} विभी स्वजन के दिव्यत हो जाने पर गीले वस्त्र

११९ The Prohibition of Upanayana amounted to spiritual disfranchisement of women and produced a disastrous effect upon their general position in society. It reduced them to the status of Sudras.

—The Position of Women in Hindu Civilization p. 304

१२० अग्नि चन्द्र च सूर्य च देवता च नमस्सिह ।

नदीनित्यानि गरवान उदक आश्यामिह ॥

बहुवचसामागना मण्ड मीमस्य आलिङ्गि ।

समाय सय कप्येमि रति मत्त न भुञ्जह ॥

एव गाले केशा को धारण कर धार्मिक व्यक्ति के पास जाना भी स्त्रिया की धार्मिक प्रवृत्ति थी।^{१२} जनागमा से इस प्रकार का धार्मिक प्रवृत्तिया की विशद जानकारी प्राप्त होता है। जैन युग में स्त्रिया क्रिया विशेष मनोरथ का पूर्ति के हेतु धार्मिक देवी देवताओं या पूजा क्रिया करती थी। इनमें नाग भूत यक्ष इन्द्र मन्द, मद्र, शिव वैश्रमण प्रमुख थे।^{१३} घना सायबाह को पत्नी सन्तान प्राप्ति रूप मनोरथ को प्राप्त करने की दृष्टि से उक्त देवताओं के पास गई थी। इसी प्रकार अन्य भी अनेक उल्लेख मिलते हैं।^{१४} उक्त देवताओं की पूजा स्त्रियाँ विशेष विधि से करती थी। वे अपने पुष्करिणी में स्नान करती थी। तत्पश्चात् त्रिविक्रम कर्के उसी पुष्करिणी से कमल लेकर गोली साड़ी का ही पहने उमर निकरना या तथा पुष्प वस्त्र गंध माल्य आदि वस्तुओं का ग्रहण करती थी।^{१५} फिर अपने मृत देवता के पास जाकर आलोचनापूर्वक प्रणाम करता थी। तत्पश्चात् राम में बना यादू से आराध्य प्रतिमा का माजन कर उम पर जलधारा छोड़ती थी। उसके बाद उसको सुकुमाल सुगंधित वस्त्र में ढाँककर उम पर बहुमूल्य वस्त्र माल्य गंध चूर्ण आदि चढ़ाती था तथा धूपबत्ता जताती था। इन सब क्रियाओं का करने के पश्चात् घुटने टनकर एक अञ्जलि माँघकर अपने मनोरथ का प्राप्ति के हेतु प्रार्थना करती थी।

१२१ नत्ता म भन विवा मनारा काट्ठुता । तनाह अल्पत्वा अन्वेया
धूमच्छुता विवा विमत्ता ति ।

—उपा० ८८

१२२ जाइ इमाइ रायगि स्व नयरुम वांवा नागाणि य भूयाणि य
गकवाणि य ह्वाणि य ख्वाणि य रुहाण य विवाणि य वममगाणि य

—नाया० ११२।४२

१२३ विशाग० १।७।१२७ १।८।१५२

१२४ पुष्करिणि आगाह्वा १५।५।१ कवबलिवम्मा उल्लपट्टमाडिगा जाइ तत्थ
उप्यलाइ जाव म सपत्तां गिण्हइ त पत्थवत्थगधमत्तं वरु०

—नाया० १।२।४२

१२५ जणामव नागघरए आलाए पणाम करइ पडिमाओ लोमत्थेण

तथ्य यह है कि नारी नर की अपेक्षा अधिक धर्मपरायण होती थी। आगमा में भी यही तथ्य स्पष्ट होता है। नारी के उपायन एवं उसका वैदिक शिक्षा पर जत्र प्रतिबन्ध लगा, तो उसने धर्माचरण के अर्थ साधना का अपनाना प्रारम्भ कर दिया था। कारण, नारी सदैव सच्चाई प्रदत्त अशांतिमय पुरुष पर आश्रित रहती थी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि स्त्रियाँ का उपनीत होना प्रकृत रूप में मनु के समय में हुआ था किन्तु इसने कई वर्ष पूर्व में यद्यपि ईसा पूर्व ५ वीं सदी से ही कथायात्रा का उपनयन काल प्रारम्भ विवाज रह गया था। अतः यदा कदा उस भाषण विपत्तियाँ का भी सामना करना पड़ता था। ऐसी परिस्थितियों में नारा के लिए धर्म का बड़ा सहारा रहता था। इसीलिए वह सदैव निमीन किमी रूप में धर्म का पालन पबडे रहती थी।

आगम कालीन नारी की धार्मिक प्रवृत्तियों

धर्म सम्पत्ति के विकास के बाद नारी ने अपने गाय हुए धार्मिक अधिकारों को बड़े उत्साह के साथ प्राप्त किया। अतः प्रमाण यह है कि नारा ने बुद्ध की इच्छा न होत पर भी मध्यम प्रवेश पाने में सफलता प्राप्त की।

बौद्ध धर्म के प्रभाव से नारी ने अथ धार्मिक प्रवृत्तियों को भी अपनाया। उनमें चतुदशी, पूर्णिमा प्रत्यक्ष पक्ष का अष्टमी तथा प्रतिपदा पक्ष के दिन अष्टाग व्रतों का धारण करना, उपोसथ के दिन उपवास

धर्मग्रन्थ उदगधाराए व मुक्खइ धम्मसूत्रमालाए मयकासादए मायाए लूद्ध, मङ्गलह वरप्रार्थन करइ धूम डहइ जन्तुतापविद्या वजालउठा एव वयासा

—वही

करना, पत्रशाला का उत्प्रेषण नष्ट करना आदि प्रमुख थी।^{१२८} उक्त सभी प्रवृत्तियाँ नारी गृहस्थाश्रम में उपासिका के रूप में रहकर करती थी।

धार्मिक व्यक्तियों का प्रति सम्मान

आगम युग में गृहस्थाश्रम में स्थित नर का अपेक्षा नारी धर्म में जा अधिक उत्साह दिखती थी। उसका प्रबल कारण नारी का धर्म के प्रति असीम प्रेम ही था जो साथ ही समाज भी नारी से इस प्रकार की अपेक्षा करता था। पुरुष की शिक्षा में यह भी सिखाया जाता था कि नारी पति के पूज्य यक्षियों का उचित सम्मान करे। नारी उसी शिक्षा के अनुसार धार्मिक-व्यक्तियों को भिक्षा आदि देने में महत्वपूर्ण योग देती थी। सुप्रिया नामक उपासिका ने एक भिक्षु को अपना जघन का भाग काटकर दासी द्वारा भिजवाया था।^{१२९} विमान वस्तु में नारी द्वारा धार्मिक व्यक्तियों का दिया गया विभिन्न प्रकार के दानों की चर्चा उपलब्ध है।

जैनागमों में भी नारी द्वारा धार्मिक-व्यक्तियों के प्रति किया गया उदार व्यग्रहार की यत्र-तत्र चर्चा का गर्व है। यदि कोई नारी किसी धार्मिक-व्यक्ति के प्रति उचित कर्त्तव्य का पालन नहीं करती थी तो उसे उसका दण्ड भुगवाना पड़ता था। जत्र ब्राह्मण-पत्नी नागथी ने एक साधु को प्राणवानर आहार लिया तो ब्राह्मण ने नागथी का दण्ड-स्वरूप मात्पात्र कर घर से निकाल दिया।^{१३०} इसी प्रकार जय

१२८ चातुर्विंशति ब्राह्मण्ये वा च परम्परा अठुमा ।

पाटिपरिषदस्य च ऽद्वन्द्वमभागत ॥

उपासक उपवसिन्स सता सातमु सवुता ।

—विमा० १।१५।१२६-१२० धरो० २।७।३१-३२

सयुक्त० १।०६-२१०

१२९ न सा मत् पतिरूप माह पटिस्मुगित्वा न ह्यगपथ्य ति । पोःधनिक गृहत्वा ऊहम उवर्त्ति वा दामिया अगति—ह्य ज इम मस सम्पादेत्वा अमुर्त्तिम् विनार भिक्षु गिलाना तस्य द-जाहि ।

—मत्वा० १० २३४

१३० नापा० २।१६।११३

द्वैपदा ने धार्मिक-व्यक्ति गार्द या उचित सम्मान नहीं दिया तो गार्द ने उससे बदला लेने का ठान ली तथा अगुसर पालक पक्षनाम राजा का उमक अपहरण के लिए उठनाया।^{१३१} वास्तव यह कि आगम-नाम समाज स्त्रियां से यह अपराध करता था कि वे धार्मिक-व्यक्तियों के प्रति उचित आचरण करें। इसका कारण यह था कि भिक्षु का भिक्षा आदि दोष अवसर पुरुषों की अपेक्षा स्त्री को अधिक प्राप्त होते थे। स्त्रियों भी सामान्यतया समाज की इच्छा के अनुसार ही व्यवहार करती थीं। धार्मिक-व्यक्तियों द्वारा स्त्रियों के लिए प्रयुक्त भगवती धार्मिक, उपासिका, धार्मिकता एवं धर्मप्रिया सम्बोधना से स्त्रियों के धार्मिक-व्यवहार पर स्पष्ट का धनुमात्र किया जा सकता है।^{१३२}

धार्मिक उत्सवों में उत्साह

धार्मिक-अवसर पर भी स्त्रियां पूर्ण उत्साह दिखानती थीं। पुत्री से लेकर वृद्धा तक सभी स्त्रियां धार्मिक-पुरुषों के दर्शन के लिए जाती थीं। अधिक तथा, कुछ कम भी धार्मिक उत्सव थे जो सामान्यतया स्त्रियों के ही उत्सव माने जाते थे। इसका प्रमाण पचावती दशक द्वारा अपने पति से नागमहोत्सव में सम्मिलित होने के लिये किया गया अनुरोध है। अनुरोध करते हुए राना ने कहा था कि बल मेरा नाग महोत्सव है, आप मुझे उत्सव मनाने की आज्ञा प्रदान करें। साथ ही उसमें आप भी सम्मिलित हों।^{१३३} उक्त वाक्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय नाग महोत्सव स्त्रियों का धार्मिक-उत्सव माना जाता था।

१३१ अहाण दावर्द्धि णो मम ना आडाइ जाव ना पज्जुवासइ । तस्य सल्लु मम दावर्द्धि ण्धाए किल्पिय करेतए

—जनी २।१६।१२८

१३२ म भियम्बु इदिम एव यइज्जा भगवर्द्धि ति वा माविग ति वा उवासिए ति वा धम्मिए ति वा धम्मपिए ति वा

—आत्ता० २।४।१ सू० ३५७

१३३ एव सल्लु भाभा । मम कल्ल नागवप्रेण भविस्तइ । त इच्छामि ण सामा ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आगम ज्ञान म नारी का धार्मिक-उत्सवा में जा उत्साह था, उसका मूलकारण धार्मिक नारिया के प्रति सामाजिक व्यक्तिया का आनाहन था । गृहस्थ-जीवन म रहकर धर्माचरण करने की इच्छुक नारा को सामाजिक व्यक्तिया की सहानुभूति प्राप्त थी । उम समय समान ऐसे परिवारा का सम्मान की दृष्टि संदेसता था जिमका नारी-वग धार्मिक होता था । बौद्ध-युग के प्रारम्भ मे बल वृत्ता नारी क धार्मिक विश्वास एव उत्साह पर ताने मार जाते थे तथा विरोध भी प्रकट किया जाता था । उदाहरणस्वरूप मल्लिका का बुद्ध, धम एव सध में भक्ति दम्बर प्रसेनजित् न उमे ताना माग किन्तु मल्लिका पर उस ताने का कीर्ई अमर नहीं हुआ ।^{१३३} इसी प्रकार धान अजानि ब्राह्मणी की बुद्ध, धम एव सध म असीम श्रद्धा देखकर सगारव (तदण आहाण विद्वान्) ने उमे दुनकारा था किन्तु वह भा अपने धार्मिक विश्वास से िगी नहीं ।^{१३४} इस प्रकार क विरोध का मूलकारण सिद्धान्त भेद रहता था । साराश यह कि बौद्ध-युग म न केवल नारी धार्मिक प्रवृत्तिया में रुचि ही लेती थी अपितु अपने धार्मिक विश्वास एव प्रवृत्तिया पर दृढ भी रहता थी ।

जैन-युग तर गृहस्थ नारा के धार्मिक उत्साह एव विश्वास की सराहना हा प्राय देगी जाती थी ।

उक्त समस्त कथन के आधार पर कहा जा सकता है कि आगम कालान नारिया धार्मिक प्रवृत्तिया को विश्वास एव उत्साह के साथ करती थी ।



तुम्हारे अभ्युत्थाया समाया नागजत्रय समित्तण । तु म वि ण हाया ।
मम नागजत्रयनि समापरं ।

—नाया० १।८।७३

१३४ मज्जिम० २।३५४

१३५ बग २।४८२ ४८३

उपसहार

पुत्री
विवाह
पुत्रवधू
गृहपत्नी
जननी
विधवा
परिचारिका
मणिका ०० वेदया
भिक्षुणी



गन पृष्ठा में बौद्ध एवं जैन-आगमों के आधार पर नारी जीवन के लगभग एक हजार वर्षों का जो चित्र उपस्थित किया गया है वह भारतीय-संस्कृति का अभी तक उपस्थित अंग रहा है। उस प्रबंध में वर्णित नारी-जीवन का सिद्धांतलोकन करने से जान होता है कि वैदिक कालीन नारी-जीवन का विरसित रूप चिन्बाल तक नहीं रहा तथा तथा उत्तर वैदिक-काल में नारियाँ का स्थिति दयनीय हो गई थी। न केवल उह धार्मिक कृत्या (यज्ञ वेद मन्त्रोच्चारण आदि) को सम्पन्न करने के अधिकार में ही वर्चित किया गया था अपितु उन पर अन्य अनक बंधन भी लगाये गये थे जिसके कारण उनका धार्मिक सामाजिक आर्थिक एवं बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो गया था। फलतः स्त्रियाँ का अध पतन प्रारम्भ हो गया था।

बौद्ध-युग के आने आते स्त्रियाँ की अवस्था में अत्यधिक दयनीयता आ गई थी। यद्यपि बुद्ध ने नर एवं नारी के धार्मिक-समानाधिकार की चर्चा ही नहीं की अपितु नारी की उपेक्षा का यत्र-तत्र विरोध भी किया था किन्तु समाज पर इसका प्रभाव नगण्य ही रहा क्योंकि बुद्ध ने उक्त समानाधिकार का चर्चासिद्धान्त देने का अवयव स्त्रीधारकी किन्तु उस प्रयोगात्मक रूप देने में किंचित् भी उत्साह नहीं दिखाया। इस प्रकार का धातावरण बुद्ध द्वारा भिक्षु-संघ की स्थापना के लगभग ५ वर्ष बाद तक बना रहा। अतः में सिद्धान्त प्राप्त धार्मिक-समानाधिकार के प्रयोगात्मक-रूप की प्राप्ति के उद्देश्य से महाप्रजापती गान्धी ने अथ नारियाँ के साथ श्रान्तिकारा कदम उठाया। यद्यपि गौतमी की इस कृत्य में पहले दो बार निरास होना पडा था कि तु धात में आनंद के सहयोग से नमने बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना करवाले थे

सफलता प्राप्त कर ली। भिक्षुणी सघ की स्थापना के बाद उससे नारी समाज का प्रत्येक वर्ग प्रभावित हो उठा।

पुत्री :

वैदिक युग में पुत्री की अवस्था अत्यन्त उन्नत थी। यह ठीक है कि उस समय पुत्र्य मन्थन की ही कामना की जाती थी किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि पुत्री को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। पुत्र प्राप्ति का कारण नत्तालान सामरिज वातावरण ही था। कालान्तर में परिस्थितियाँ बदली और पुत्र प्राप्ति के साथ धार्मिक दृष्टिगण भी सम्बद्ध हो गया। पुत्र का पितृ ऋण से मुक्तिदाता एवं पुत्रामर नरक का शाना कहा जाने लगा तथा कुछ समय बाद पुत्र प्राप्ति ही पारलौकिक सुख एवं शान्ति के लिए मूठ कारण माना जाने लगा। इस प्रकार पुत्र प्राप्ति की उत्तरात्तर अधिनाधिन धार्मिक महत्त्व दिया गया जो कि पुत्री के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ। पुत्री उत्तरोत्तर उपेक्षा की अधिकाधिक पात्र बनती गई तथा कठिन से कठिन विवाहसम्बन्धी धार्मिक नियमों से बंधना गई। फलस्वरूप बौद्ध युग के प्रारम्भिक काल तक पुत्री का जन्म वष्टुदायक माना जाने लगा क्योंकि उस समय समाज में पुत्र के प्रति अनुराग एवं पुत्री के प्रति विराग का भाव अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया था।

बुद्ध ने उक्त भावना को नाश की पाठने का प्रयत्न किया। उन्होंने न तो पुत्र प्राप्ति का धार्मिक महत्त्व प्रदान किया और न ही बन्धु के अत्यायु विवाह को अनिवाय धार्मिक कर्तव्य बताया। परिणामतः समाज में पुत्र-पुत्री के प्रति अनुराग विराग की भावना समाप्त होने लगी। जैन युग तक उक्त भावना की पूर्ण समाप्ति हो गई। अत्र समय ने पलंग खाया और कथा का जन्म खेद की अपेक्षा हृष का विषय बन गया।

यद्यपि आगम-काल में कथा का पिता की सम्पत्ति पर वैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त नहीं था किन्तु परिवार के सभी सदस्यों के

अपरिमित स्नान के कारण उन्हें इस अपिशारहीनता का अनुभव ही नहीं हो पाता था। उनका बाल्यकाल स्वतंत्रस्वभाव रूप से व्यतीत होता था। सामाजिक दृष्टि में क्या भी पवित्र माना जाता था। उन तक साथ अनैतिक आचरण करने वाले व्यक्ति को प्राण-दण्ड तक दिया जाता था।

विवाह

आगम काल में विवाह के दृष्टिकोण में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। पुत्र प्राप्ति की भाँति वदिव-संस्कृति में विवाह को भी उत्तरात्तर अधिकाधिक धार्मिक महत्त्व दिया गया था। किन्तु बुद्ध ने धार्मिक उत्थान की प्राप्ति के लिए विवाह का त्याग्य बतलाया। कारण, उनका धर्म शुद्ध ब्रह्मचर्य के ऊपर आधारित था। फलतः विवाह उनके अनुयायियों में अनिवाद्य धार्मिक कृत्य न रहकर ऐच्छिक-पारिवारिक-कृत्य बन गया। इसके अतिरिक्त बुद्ध ने क्या के अल्पायु विवाह को उसका दुर्भाग्य बतलाया। परिणामस्वरूप कन्या के अल्पायु विवाह का प्रचलन समाप्त हो गया तथा जैन युग तक भोग करने में समय क्या का ही विवाह किया जान लगा।

विवाह के इस परिवर्तित दृष्टिकोण से कन्याओं में भ्याभिमान की भावना का उत्पन्न हुआ। अतः उनके लिए यह परिवर्तन निःसन्देह वरदान सिद्ध हुआ किन्तु नववधू के रूप में स्थित नारी-समाज के लिए विवाह का उक्त परिवर्तित दृष्टिकोण एक अभिशाप बन गया। कारण, अब विवाह एवं विवाह विच्छेद धार्मिक-कृत्य एवं धार्मिक अपराध न रह जाने के कारण, पुरुष-वर्ग जत्र ओरजिम परिस्थिति में चान्ता था अपना नववधू को छोड़कर उसे मरण के लिए धमकाय बनावर प्रव्रज्या ल लेता था।

ऐच्छिक-पारिवारिक-कृत्य ही जान से विवाहसम्बन्धी कमराण्ड की भाँति परिसमाप्ति हो गई। अब व्यक्ति अपने पुत्र के विवाह के हेतु उपयुक्त क्या को ले आता था अथवा लड़की का पिता उसे उपयुक्त

भी उत्प्रेक्ष्य मितता है किन्तु ऐसी परिस्थिति उस समय आती थी जब सास तथा ससुर में कोई एक होता था ।

गृहपत्नी

आगम-युगीन गृहपत्नी की अवस्था अधिक उन्नत हो गई थी । कारण, एक ओर तो वह पति के समान गृहस्थाश्रम में रहकर भी धर्माचरण का अधिकार प्राप्त हो गया था, तथा दूसरी ओर पत्नी को उचित सम्मान एवं प्रभुत्व देना पति का आवश्यक कर्तव्य निर्धारित किया जा चुका था । इस नवीन प्रभुतापूर्ण सदस्यता का उत्तम नारियाँ ने सदुपयोग किया और वे पति के साथ अपना भी सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने लगीं किन्तु कुछ स्त्रियाँ न इस स्वतन्त्रता एवं प्रभुता का दुरुपयोग किया । उन्होंने पति का अतिचरण करना घन चुगना आदि अनुचित कार्य प्रारम्भ कर दिये । फलतः बौद्ध-युगीन गृहपत्नी वगैरे उत्तम एवं अधम प्रकार में बंट गया । जैन युगीन पत्नी वगैरे इस प्रकार की विभिन्नता समाप्त-भी हो गई थी और सामान्यतया पत्नी पति के साथ मधुर दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगी थी । बौद्ध युगीन पत्नी-वगैरे की उक्त अस्तव्यस्तता का प्रमुख कारण पराधीनता से अचानक मिली स्वाधीनता ही थी, जो कि जन-युग तब ज मसिद्ध अधिकार का रूप ले चुकी थी ।

पत्नी के अपराधों में पति का अतिचरण सबसे अधिक भयकर अपराध माना जाता था और उसके दण्ड-स्वरूप पत्नी की हत्या तक कर दी जाती थी । जैन युग में भी अतिचरण अपराध को भयकर ही माना जाता था और विभिन्न प्रकार की यातनाओं के साथ मृत्यु ही उसका दण्ड था । किन्तु यह कहना अनुचित न होगा कि जैन युगीन पत्नी वगैरे में बौद्ध युगीन पत्नी-वगैरे की अपेक्षा अधिक शालीनता एवं स्थिरता आ गई थी ।

आगमकालीन समाज में सामान्यतया पति का ही पत्नी पर प्रभुत्व रहता था किन्तु ऐसे पुरुषों को, जो शिल्प एवं कला से विहीन

हाने के कारण जीविकोपाजन करने में समर्थ नहीं होने थे या अतिवृद्ध होते थे, अपनी पत्नी का प्रभुत्व स्थापित करना पड़ता था।

चूँकि आगम-जालीन समाज में बहुपत्नीत्व प्रथा अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी, अतः पत्नी वगैरे में सपत्नी-वृत्त उत्पाना का बाहुल्य था। पत्नी प्रायः अपनी मौता का हित चाहते की जगह उनके विनाश का ही प्रयास करती थी। इस प्रकार के उत्पाना का मूल कारण यह था कि पति का पिय पत्नी इस आशका में ग्रन्थ रहता थी कि कहीं उसकी सौत उस नाम पति प्रेम की एकाधिकारिणी न बन जाय जिससे उसके ऊपर अकारण ही दुःखा का पहाड़ टूट पड़े। इसके अनिश्चित पत्नी यह भी नहीं चाहती थी कि उसकी सौत मन्तानवनी हो। कारण पति की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति पर बध्या की अपेक्षा मन्तानवनी विधवा के पुत्र या ही वैधानिक अधिकार होता था। अतः पत्नी अपनी गभवनी-सौत के गभ के विनाश का भी प्रयास किया करता थी।

पत्नी के अच्छे तथा बुरे कार्यों से उसका यश एवं अपयश परिवार के साथ-साथ समाज में भी फैलता था। अतः पत्नी का प्रत्येक कार्य करते समय परिवार एवं समाज के प्रति सतर्क रहना पड़ता था।

जननी :

भारतीय-संस्कृति में प्रारम्भ से ही जननी का विशेष सम्मान दिया जाता रहा है। वैदिक-काल में तो उसे परमात्मा के रूप में देखा ही जाता था, नूत्रकाल में भी जब कि नारी को गूढ़ के समकक्ष माना जाने लगा था, जननी को उचित सम्मान दिया जाता था।

बौद्ध-युग में भी जननी के प्रति अत्यधिक सम्मान प्रदर्शित करने पर जोर दिया जाता था। यहाँ तक कि बुद्ध स्वयं जननी के निम्नाय प्रेम की सगहना करते थे। जैन युग में भी जननी पूज्य एवं सर्वाधिक आदरणीय-नारी थी। वह अपने पुत्र के संरक्षण में ही जीवन बिताना चाहती थी जब कि बौद्ध-युग में जननी को यदा कदा प्रद्वय्या लेने देखा जाता था। पुत्र के प्रद्वय्यासम्बन्धी समाचार से जननी ही सर्वाधिक

दुखी जानती थी तथा पद्मज्या जैसे भोगलिन-नार्यों म यह अनिवार्य रूप से उपस्थित रहती थी ।

मानृत्व पद की प्राप्ति को सामाजिक-नृष्टि मे अत्यधिक महत्त्व दिया जाता था । अन तागियों सानान के अभाव मे उसे प्राप्त करने के लिए नाना प्रयास करनी थी ।

बौद्धागमा मे यह आशाम हाता है कि उम समय समाज में माता के वध जैसे भयकर पाप का अस्तित्व था । कारण, उम मातृ वध की वाग्द्वार निंदा की गई है । जैन युग तक इम भयकर पाप म सुधार सा हो गया था ।

यद्यपि बुद्ध ने सैद्धांतिक रूप से जननी का सेवा को अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया था किंतु उसका प्रयोगात्मक रूप उमम ठीक भिन्न था । ऐसा प्रतीत होता है कि जननी की सेवा एव सम्मान करने के विषय म बुद्ध ने जो कुछ भी कहा, उसका सम्प्र ध गृहस्थाश्रम तक ही सीमित था, अथवा बुद्ध या उनके अनुयायी भिक्षु कभी भी निसा कुल-पुत्र को उसकी माता को दुखित करने वाली पद्मज्या के लिए उत्साहित न करते । जैन युग तक जननी को सेवा को अधिक प्रयोगात्मक रूप प्रदान किया जाने लगा था ।

विधवा :

विधवा हो जाने के उपरान्त भी नारी की अवस्था मे सामान्यतया कोई अंतर नहीं आता था । उम समय धान कटवाना, रगान वस्त्र न पहनना भागलिन नार्यों म उपस्थित न रहना आदि हीनावस्था-सूचक काय विधवा स्त्रिया के आवश्यक कृत्य रही थे और न ही सती हान की दारुण प्रथा का ही अस्तित्व था ।

विधवा स्त्री के लिए विद्युक्त पति की सम्पत्ति, शान्ति-गुरपा का सरक्षण या परपुरुष का ग्रहण जीवन यापन के प्रमुख साधन थे । कभी कभी उक्त ताना सावनो के अभाव म ही त्रय भिक्षुगी मध का ही अपने जीवनयापन का साधन बनाना था ।

विधवाका का पुनर्विवाह समाज से मान्य नहीं था, तथा ऐसी विधवा स्त्रिया का जिनका पति मर जाता था, पुनर्विवाह नहीं होता था। आगम शास्त्र में नियोग जैसा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। वस्तुतः बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्मों में विवाह एवं सन्तान पति को प्रथम न मिलने से उस समय न तो विधवा सामाजिक धृष्टता की पात्र हाना थी और न ही मन्तान प्राप्ति के हेतु पुनर्विवाह का नियोग प्रथा का अयनाना उत्तम माना जाता था।

यहाँ तब जिन स्त्रिया के विषय में कहा गया है वे पूर्णतया सामाजिक-नारियाँ थी, उनको प्रत्यक्ष काय करते समय समाज का उचित ध्यान रखना होता था। चूँकि श्रिया द्वारा जाविशोपाजन करना हेतु समझा जाता था, अतः उक्त सभा नारियाँ प्रायः स्वयं जीविशोपाजन का काय नहीं करती थी। यः पिता पति या पुत्र के आश्रित रहकर ही जीवनयापन करती थी। किन्तु उस समय कुछ ऐसी भी श्रियाँ थी जो जीविशोपाजन का काय स्वयं करती थी। इनमें कुछ तो निधनता से पीड़ित होने से ऐसा करता थी और कुछ तत्कालीन सामाजिक-व्यवस्था के कारण किसी सम्पन्न परिवार की सन्म्यता प्राप्त करने के अधिकार से वंचित होने से ऐसा करती थी। चूँकि ऐसी स्त्रियाँ कुछ अंश में सामाजिक नारियाँ के प्रतिफल भावण करती थी, अतः इन्हें अर्ध-सामाजिक नारियाँ कहना अधिक उपयुक्त होगा। इनमें परिचारिका गणिका एवं वेश्याव्रत प्रमुख थे।

परिचारिका

परिचारिकाओं में दामिया का आधिक्य था। ये प्रायः प्रत्यक्ष सम्पन्न परिवार में रखा जाती थी। उन पर उनका स्वामी-व्यय का पूर्ण अधिकार होता था और जब वे स्वामी से दामना से मुक्ति प्राप्त करती थी तब मुक्त समझी जाती थी। स्त्रिया चार प्रकार में दामियाँ बन जाती थी—दासा की कुश्रि में जन्म लेने से किसी से खरीनी जाने पर, प्रतिफल परिस्थिति से स्वयं दासत्व का स्वाकार करने पर तथा युद्धक्षेत्र में बंदी हो जाने पर।

दासियों का कार्य गृहपत्नी की आत्मानुसार उमरे प्रत्येक कार्य में सहयोग करना था किन्तु कभी कभी कायविनाय के लिए भी दासी रखी जाती थी। ऐसी दासियाँ या विशिष्ट सेवा दी जाती थी जैसे कुम्भदासी प्रेषणकारिका आदि।

वैदिक-काल में दासियों से निम्न से निम्न कार्य प्राप्त जाते थे। यद्यपि आगम युग में भी दासी से अधिव से अधिर कार्य कराने की प्रवृत्ति देखी जाती थी तथाकि उमकी स्थिति सामान्यतया उन्नत न गई थी। दासा के प्रति उचित व्यवहार करना प्रत्येक नर-नारी का कर्तव्य ही था। किन्तु दासा अपने स्वामी से सदैव डरती थी। चूंकि दासी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति होता थी अतः उसे तत्र तत्र भिक्षुणी नहीं बनाया जाता था जब तक यह दासता से मुक्त न हो जाय। दासता से मुक्ति विशेष रूप के अवसर पर ही दी जाती थी तथा मुक्ति दते समय स्वामी उसे स्नान कराना था।

शिशु के पालन के हेतु दासियाँ रखी जाती थीं। इनकी स्थिति दासी की अपेक्षा उन्नत होती थी। कुट्ट परिचारिकाएँ स्वामी के मनोरंजन का कार्य करती थीं।

गणिका पत्र वेश्या

आजकल सामान्यतया यह माना जाता है कि गणिना एक वेश्या में कोई अन्तर नहीं है तथा व दोना शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। किन्तु आगमा से ज्ञात होता है कि बौद्ध युग में न केवल गणिना तथा वेश्या पथक् पथक् ही थीं अपितु उनमें उल्लेखनीय भेद भी था। गणिका गणराज्या की देन थी। गणराज्य की सामान्य सम्पत्ति होने में उसका गणिका कहा जाता था। उस सम्पत्ति का उपभोग प्रत्येक धनी-मानी व्यक्ति कर सकता था जब कि वेश्या शब्द ऐसी स्त्री का द्योतक था जो अपने शरीर के माध्यम से अपनी आज्ञाविका चलाती थी।

गणिका की नियुक्ति राजा की अनुमतिपूर्वक होनी थी तथा उसे

राजकीय स्तर की मंत्री माना जाता था। उनका सभी गणराजा के साथ पत्ता जैसा सम्पर्क रहता था। अतः उसके पास अपरिमित वैभव होना स्वाभाविक था। सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में उसे यथेष्ट सम्मान दिया जाता था। उसके साथ सम्पर्क स्थापित करना मनुष्य के लिए गौरव का बात माना जाता थी। वह अत्यधिक कामुक या निर्दलित न होने से जिस किसी व्यक्ति पर अपना जाल नहीं फैलाती थी। अतः बुद्ध ने उस भिक्षुणी बनाने में सदैव उत्साह दिखाया।

गणिकाओं से विपरीत वेश्याओं का सम्पर्क जनसाधारण से होता था तथा वे अपेक्षाकृत निर्दलित एवं कामुक होती थीं। अतः वे अवसर पाकर उचित-अनुचित सभी तराफों से धन कमाने का प्रयत्न करती थीं। इसके अतिरिक्त अपने पारिवारिक प्रसाधन से जनसाधारण को अपने ऊपर आश्रय करने का सतत प्रयत्न करती थीं। इनसे कामुक वानावरण को प्रश्रय मिलता था। अतः प्रत्येक ब्रह्मचारी के लिए वेश्याओं का दृष्टिगोचर न होना आवश्यक था। इन्हें सरलता से भिक्षुणी नहीं बनाया जाता था। यदि किसी वेश्या का भिक्षुणी बनने की उत्कण्ठ इच्छा रहती थी तो उसे भिक्षुणी बनने के पूर्व उपासिका के रूप में रहकर अपने उत्तम आचरण को प्रमाणित करना होता था।

इस प्रकार बौद्ध युग में गणिकाएँ एवं वेश्याएँ पूजनयोग्य पृथक्-पृथक् थीं। किन्तु जैन-युग में गणराज्या की समाप्ति के साथ ही साथ गणिकापद का आश्रय भी समाप्त हो गया और गणिकाएँ राजाओं की रक्षक के रूप में रहने लगीं। उनका स्वतन्त्रता एवं प्रभुता का पूजनयाह्वान हो गया। अब गणिकाएँ एवं वेश्याओं का सम्मिश्रण-सा हुआ गया। प्राचीन गणिका के आदर्श का इतना अवशेष रहा कि जैन युगीन गणिका राजकीय-स्तर की मंत्री मानी जाती थी तथा वह अथवा गणिकाओं (वेश्याओं) का नेतृत्व करती थी।

भिक्षुणी

बौद्ध-युग में हुई नारी-जगत् की नयी श्रान्ति का प्रबल कारण

भिक्षुणी मघ की स्थापना था। प्रारम्भ में बुद्ध नारियाँ तो मघ में प्रवेश देने में पक्ष में नहीं थे। इनका प्रधान कारण यह था कि वे मघ का ब्रह्मचर्य पालना करने का ग्यान बनाना चाहते थे तथा स्त्रियों का ब्रह्मचर्य के लिए घागर मानते थे। इसके साथ ही सब उस समय समाज एवं राज्य का व्यवस्था में ही भा था। अतः नारी को प्रवेश देने पर संघ उनकी शील-रक्षा का कठिन उद्देश्य मानता था। किन्तु नारियाँ न बुद्ध का इस नाति का अधिक विचार करने लगीं। पाँच वर्ष बाद नारियाँ ने आनन्द की सहायता से मघ में प्रवेश पाने का उपक्रम किया। आनन्द ने नारियाँ के मघ में प्रवेश देने का प्रस्ताव रखा। बुद्ध ने आनन्द के तर्कों में उत्तमवत् अनिच्छा पूर्वक नारियाँ को मघ में प्रवेश की अनुमति दी। किन्तु प्रवेश देने के पूर्व उन्होंने नारियाँ को अनिवार्य रूप से पालन करने योग्य बुद्ध जैसे नियम बनाये जिनमें उनका स्तर मघ में भी भिक्षु-वर्ग की तुलना में सदा के लिए निम्न हो गया। दूसरे शब्दों में इन नियमों का सज्जन कर बुद्ध ने भिक्षुणी-मघ की प्रभुसत्ता हमेशा के लिए भिक्षु-मघ को दे दी।

भिक्षुणी मघ का स्थापना का निर्णय नारा समाज के प्रत्येक वर्ग में अभूतपूर्व उत्साह में स्वागत हुआ और भिक्षुणियों की संख्या बढ़ी किन्तु समाज में बुद्ध मतस्या का नारी का यह रूप नहीं सुहाया। उन्होंने भिक्षुणियों का हसी उड़ायी तथा एतन्त में अनेकी पात्र उह रूप में भी किया। यद्यपि बुद्ध ने एसी घटनाओं को रोकने के लिए अनेक नियम बनाये किन्तु नियम निर्माण के उपरान्त ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हुई ही, ऐसा कहना कठिन है। हाँ, जैन युगीन भिक्षुणियों को इस प्रकार के अत्याचारों एवं उपहासपूर्ण व्यवहारों की बौद्धों का सामना कम करना पड़ता था। इसका विशेष कारण यह था कि जैन युग में मघ का ओर से ही भिक्षुणी के शील रक्षा का उचित प्रबंध किया जाने लगा था। अतः जैन-युग में भिक्षुणी-वर्ग एक दम निर्गन्धित नहीं रह गया था और न ही उन पर आसक्त होने वाले पुरुषों को ही आसानी से अवसर प्राप्त होता था। आचार्य, जो

कि भिक्षुणिया का मर्यादक होना था, उनका शील रक्षा के लिए उचित प्रबंध करना था। वह आवश्यकता हान पर नये नियमों का सज्जन भी करना था। भिक्षुणिया भी समाज की इनाई के रूप में हटा गई थी तथा उनका यथेष्ट सम्मान करना समाज के सदस्यों का सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक हो गया था।

इस प्रकार भिक्षुणी-संघ ने आगम-युगीन समाज का नारियाँ के मनास्य को उन्नत करने में पर्याप्त सहयोग दिया किन्तु जहाँ तक नारा शिष्या का प्रश्न है, भिक्षुणी-संघ की स्थापना से विपरीत वानावरण पैदा हो गया। यद्यपि यह कहा जाता है कि भिक्षुणी-संघ से नारा शिष्या का प्रथम मिला किन्तु ध्यानपूर्वक देखने से इसमें ठीक विपरीत निष्कर्ष पर ही पहुँचते हैं। अत्र कहा स्त्रियाँ साम्प्रदायिक शिक्षा की अधिकारिणी माना जाने लगी जो समाज से विरक्त रहती थी। फलतः समाज में रहकर जीवन-न्यायन करने की इच्छुक नारी स्वतः अपने को शास्त्रीय शिक्षा के अयोग्य समझने लगी। वह उक्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए भिक्षुणी-संघ को ही योग्य समझती थी। समाज भी इन दृष्टिकोण से कि साम्प्रदायिक शिक्षा भिक्षुणियाँ के लिए होना इष्ट है, सामाजिक-नारियाँ के लिए उसकी कोई व्यवस्था हो नहीं करनी थी।

किन्तु शिक्षा के अभाव में नारियाँ का जीवन नीरस नहीं था। वे प्रसाधन से अपने जीवन का मरस बनाया करती थी। प्रसाधन के लिए वस्त्र विलेपन माल्य एवं अलंकार मुख्य साधन थे। बौद्ध-युग में बासी के बने तथा जैन-युग में चीन के बने वस्त्र प्रसाधन को श्रद्धा से अधिक उपयुक्त माने जाते थे। आनन्दमोक्ष के लिए विलेपन का उपयोग किया जाता था। माल्याभरण सामाजिक-नारी धारण करती थी जब कि अलंकाराभरण का प्रयोग केवल धनी-वर्ग की स्त्रियाँ ही करती थी। प्रसाधन क वर्णना में जाना जाता है कि उस समय नारियाँ बलात्मकता का अधिक महत्त्व देती थी।

परदा प्रथा का अभाव था किन्तु नारी की शील रक्षा की ओर समाज सतक रहता था। स्त्री को क्षुण्य करने वाले पुरुष को कुठोर

यातनाप्रापूर्वक मृत्युदण्ड दिया जाता था। इस प्रकार के दण्ड से भिक्षु भिक्षुणिया मुक्त थीं। अतः प्रारम्भ में कामुन-नारियाँ भिक्षु का एक कामुन पुरुष भिक्षुणिया को अपना कामवासना की तृप्ति का साधन बनाने का प्रयास करते थे।

सामान्यतया नारी जावन उत्तरोत्तर अधिक गहन बनता गया। धमणा के घम के साथ ही नारियाँ जय धार्मिक कृत्यों में भी उत्साहपूर्वक भाग लेती थीं जिससे यह बात होता है कि भारतीय-नारी का धार्मिक-अधिकारो से वंचित किय जान पर भी वह अपने जीवन में किमान किसी धार्मिक कृत्य का सदैव अपाया करती थी। तथ्य यह है कि भारतीय नारी सदैव धार्मिक विश्वास के विषय में पुरुष वर्ग से जागे रही है।

सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बौद्ध युग में भिक्षुणी संघ की स्थापना के अनन्तर समाज में उत्तर-वैदिक कालीन धार्मिक-ग्रन्थों में निहित नारा को पराधीनता में जकड़ने वाले नियमों के प्रति विद्रोह हुआ। अतः बौद्ध युगीन नारियाँ में अस्त-व्यस्तता पाई जाती थी किन्तु जैन युग तक उन्हें नारियाँ से सम्बन्धित धार्मिक नियमों के प्रभाव में मदता आ जाने से उनमें स्थिरता आ गई थी।

आधार-ग्रन्थ-सूची

(क) बौद्ध-ग्रन्थ

- १ अङ्गुत्तर निकाय (चार भाग) — नालन्दा देवनागरी-पालि ग्रन्थमाला विहार १९६०
- २ अपदान (सुद्धक निकाय भाग ६-७) — नालन्दा देवनागरी पालि-ग्रन्थमाला विहार १९५६
- ३ उद्दान (सुद्धक निकाय, भाग १) — नालन्दा देवनागरी-पालि-ग्रन्थमाला, विहार, १८५९
- ४ सुद्धक पाठ (सुद्धक निकाय, भाग १) — नालन्दा देवनागरी पालि ग्रन्थमाला विहार १९५६
- ५ सुल्लवग्ग — नालन्दा देवनागरी-पालि ग्रन्थमाला विहार १९५६
- ६ जालक (दो भाग) — नालन्दा देवनागरी-पालि-ग्रन्थमाला विहार, १९५६
- ७ जालक अट्टकथायुक्त (६ भाग, रामम लिपि) — लन्दन, १८७७ १८७७
- ८ पातकट्टकथा (प्रथम भाग) — भारतीय पानपाठ काशी १९५१
- ९ धरगाथा (सुद्धक निकाय, भाग २) — नालन्दा देवनागरी पालि-ग्रन्थमाला विहार १९५६
- १० धरगाथा (हिन्दी) — महाबोधि मठ मारनाथ बनारस १९५५
- ११ धरगाथा (सुद्धक निकाय भाग २) — नालन्दा देवनागरी पालि ग्रन्थमाला, विहार १९५६
- १२ दाप निकाय (ज्ञान भाग) — नालन्दा देवनागरी-पालि ग्रन्थमाला विहार १९५८
- १३ धम्मपद (सुद्धक निकाय भाग २) — नालन्दा देवनागरी पालि-ग्रन्थमाला विहार १९५६
- १४ परमथदापिना (धरगाथा का अट्टकथा) — Pali Text Society, London 1940
- १५ परमथदापिनी (धरगाथा का अट्टकथा) — Pali Text Society London 1893
- १६ पाचित्थिय — नालन्दा देवनागरी-पालि-ग्रन्थमाला विहार १९५८
- १७ पाराजिक — नालन्दा देवनागरी पालि ग्रन्थमाला, विहार, १९५८

२५२ बौद्ध और जन आगमा म नारी जीवन

- १८ पंचशु (सुद्ध निकाय, भाग २) नाळ ण देवनागरी पालि प्रथमाला, विहार १९५९
- १९ मज्झिम निकाय (तान भाग)—नाळ दा देवनागरी पालि प्रथमाला, विहार १९५८
- २० महाप्रसंग—Bombay University Publication Bombay 1959
- २१ महावग्ग—नाळ दा देवनागरी पालि प्रथमाला विहार १९५६
- २२ मित्रि-द्वय्या—Bombay University Publication, Bombay, 1960
- २३ विनयट्टकथा नाम सम-तपामादिका (दा भाग)—नाळ दा महाविहार, नाळ दा पत्ता, १९६४ १९६५
- २४ विमानवग्गु (सुद्ध निकाय, भाग २)—नाळ ण देवनागरी पालि प्रथमाला, विहार, १९५९
- २५ सयुत निकाय (घार भाग)—नाळ दा देवनागरी पालि प्रथमाला, विहार, १९५६
- २६ सुत्तनिपात (सुद्ध निकाय, भाग १)—नाळ ण देवनागरी पालि प्रथमाला, विहार १९५६
- २७ सम-तपामादिका (रामन लिपि)—Pali Text Society, London
- २८ सुमंगलविलासिना दाघ निकाय का अट्टकथा (तान भाग)—Pali Text Society London 1886 1932
- २९ Buddhist Discipline (5 Vols)—Sacred Books of the Buddhists London 1949 52
- ३० Psalms of the Sisters—Pali Text Society, London 1948

(स) जैन-ग्रन्थ •

- १ अणुत्तरावधान्यदमाभा—स० डा० पी० एल० घट्ट पूना १९३२
- २ अ तगन्दमाभा—स० डा० पी० एल० घट्ट पूना १९३२
- ३ आचारानुसूत्र (दा भाग)—श्री मिहककसाहित्यप्रचारकमिति, बम्बई १९३५
- ४ उत्तराध्ययन सूत्र—वाडेकर एव घट्ट, पूना १९५४
- ५ उपासकदशाग सूत्र—आचार्य श्री वारभारामजनप्रकाशकमिति, दुधियाना, १९९४

- ६ भाषनियुक्ति—आगमार्थ मिति मन्माना बम्बई १६१९
- ७ औपपत्तिक सूत्र—पत्ति भगवान् वागीदान सूत्र वि० म० १६६४
- ८ कर्मसूत्र—शिवरत्न मन्माना उज्ज्या वि० म० १६६६
- ९ अम्बूदाप प्रणप्ति—जन पुस्तकाद्वार कर्म बम्बई १९२०
- १० पाताधमकथाङ्ग (विचरण)—श्री मित्रवङ्गर्मा यत्रवारकमिति बम्बई-२ १९५१
- ११ दुग्धाधुतस्कन्ध सूत्र—जन प्रथमात्ता गौरी १८ ६
- १२ नायाधम्मकहाओ—म० म० वा० वय पुन १६४०
- १३ निरयावल्याशा—म० डा० पा० म० वय पा १६ २
- १४ निशाधसूत्र (४ खण्डा म)—म मति पानपोठ आगग १९५७-१६६०
- १५ विष्णुनियुक्ति—जन पुस्तकाद्वार भण्णमार कम्पा प्रवरोत्रजार बम्बई १६१८
- १६ वृत्तकल्प (भाष्यसहित—६ खण्डों में)—श्री मान् जन सभा भाव नगर १६३३ १९३८
- १७ भगवता सूत्र (४ खण्डों में)—
 प्रथम दो खण्ड—जिनागम प्रकाशक मन्ना बम्बई वि० म० १६७४ १६७७
 नृत्तय खण्ड—गजराज विद्यापाठ अमन्वावा वि० म० १८८५
 चतुर्थ खण्ड—जन माण्डिय प्रकाशन ट्रस्ट अमन्वावा वि० म० १६८८
- १८ मूलाकार (दो भाग)—मा० वि० जन प्रथमात्ता बम्बई, वि० म० १६७७ १९८०
- १९ रायपमण्ड्यसुत्र—गूजर प्रथ रत्न-कार्यालय अमन्वावा वि० म० १६६४
- २० चन्द्रहारसुत्र—मा० आचाराज घेलाभाई शाशा अमन्वावा १६२५
- २१ त्रिवागसुत्र—म० डा० पा० म० वय पुन १६३५
- २२ सूयगाड—म० डा० पा० म० वय पुन १६२८
 गीलावावाकृत टीका (४ खण्डा में) श्री म गौरी जन पानोप्य सोमा ह्य राजका वि० म० १९९ १६६७
- २३ स्थानांगसूत्र—शेठ माणिक्याल पुनीया अमन्वावा १६५७

(ग) वैदिक-ग्रन्थ

- १ अथर्ववेद महिता—स्वाध्याय मण्डल पाण्डो १६५७
- २ आपस्तम्बधर्मसूत्र—वाम्ब गवनेमट मेटल बुक डिपो वाम्ब १८८२
- ३ ऋग्वेद-महिता—स्वाध्याय मण्डल कीर्ष १९४०

२५८ बौद्ध और जन आगमा में नारा जीवन

- ४ पतरय ब्राह्मण—आनन्दाश्रम संस्कृत प्रयावलि पूना, १९३१
- ५ कौषातक्युपनिषद् संस्करण—अष्टादश उपनिषद् (भाग १), बंदि क संगीतन मंडल पूना, १९५८
- ६ गोभिल गृह्यसूत्र—शास्त्र प्रकाश भवन, मधुरापुर, मुजफ्फरपुर, १९३८
- ७ छान्दास्य उपनिषद्—निणयसागर संस्करण, बम्बई, १९३०
- ८ जावातयुपनिषद्—आनन्दाश्रम संस्कृत प्रयावलि, पूना
- ९ तैत्तिरीय ब्राह्मण (२ भागों में)—आनन्दाश्रम संस्कृत प्रयावलि, पूना १९३४ १९३८
- १० तैत्तिरीय संहिता—स्वाध्याय मण्डल पाण्डो, १९५७
- ११ निरुक्त—खमराज शोकृष्णराम श्रेष्ठी बम्बई, १९२५
- १२ पराशर गृह्यसूत्र—गृह्यसूत्राणि Leipzig, 1876
- १३ पराशर स्मृति—स्मृति सप्तम (भाग २) ५ बलाइव रा, कलकत्ता, १९५२
- १४ बृहदारण्यक उपनिषद्—निणय सागर संस्करण बम्बई १९०
- १५ बौधायन धर्मसूत्र—चौलम्बा संस्कृत सीरीज आफ, बनारसमिटी, १९३४
- १६ बौधायन स्मृति—स्मृतीना समुच्चय, आनन्दाश्रम संस्कृत प्रयावलि, पूना, १९२९
- १७ मनुस्मृति—निणय सागर प्रेम, बम्बई, १८८७
- १८ महाभारत (६ भागा म)—विशशांग प्रेस पूना, १९२९-१९३३
- १९ रामायण (चाटमाकित्त)—मद्रास ला जनल प्रेस मद्रास, १९३३
- २० यणिष्ट धर्मसूत्रम् संस्करण—श्री बंदिष्टधर्मशास्त्रम बम्बई संस्कृत गण प्राकृत साराज बम्बई १९१६
- २१ यणिष्ट स्मृति संस्करण—स्मृति सप्तम (भाग ३) ५ बलाइव रा, कलकत्ता १९५२
- २२ बंदुव्यास स्मृति संस्करण—स्मृतीना समुच्चय, आनन्दाश्रम संस्कृत प्रयावलि पूना
- २३ विष्णु स्मृति—विष्णुयात्रिका सामाहता, कलकत्ता, १८८१
- २४ शतपथ ब्राह्मण (दो भागों म)—अच्युत प्रबमाला कार्यालय, कागा, वि० सं० १९९४

(घ) सामान्य ग्रन्थ

(अ)

- १ अमरकाथ—निणय सागर प्रेम मुम्बई १९१८
- २ अशाक क धर्मलक्ष—जगन्नाथ भट्ट पानमण्डल कार्यालय, कागा, ग० १९८०

- ३ भागम-युग का चैन दान—ममति पानपीठ आगरा १९६६
- ४ निहास प्रवश (ल० नयचन्द्र विद्यालकार)—परस्वती प्रकाशन मन्त्रि,
इलाहाबाद, १९४१
- ५ कामसूत्रम् (वारस्थायनप्रणाल)—चोखम्बा संस्कृत सोरीज आफिस
वाराणसी १९६४
- ६ जैन भागम साहित्य में भारताय समाज—डा० जगन्नीलकण्ठ जन चोखम्बा
विद्याभवन वाराणसी १९६५
- ७ धम्मपाम्त्र का इतिहास—ले० पी० बी० काण्ठ मन्त्रि समिति सूचना
विभाग उत्तरप्रदेश लखनऊ, १९६५
- ८ नाममाला—जन साहित्य प्रचारक कायात्प बम्बई और निर्वाण सं० २४६३
- ९ निशाथ (एक अप्ययन)—प० दाम्मुख मालवणिया, स मति पानपीठ
आगरा, १९५६
- १० पाइअ मन् महण्णथी—प्राकृत ग्रंथ परिपद्, वाराणसी, १९६२
- ११ प्राधान भारत क कठामक विनाद—मि० दी-ग्रंथ रत्नाकर-कार्यालय
बम्बई १९५२
- १२ प्राधान भारताय शिक्षण पद्धति—डा० अनन्त सदाशिव अलतकर, मन्त्रिगोर
एण्ड ब्राम-वनारम १९५५
- १३ रघुवश—चोखम्बा संस्कृत सोरीज आफिस बनारससिटी १९२८
- १४ सायनाह—विहार राष्ट्रभाषा परिपद् पन्ना १९५३
- १५ हलायुध कोश—स० जयगकर जोगी, प्रकाशन ब्यूरो सूचना विभाग
उत्तर प्रन्ग त्रि० सं० २०१४
- १६ हिन्दुस्तान का पुराना सभ्यता—ल० धनीप्रसाद मि० तुस्तान एक्डमी,
समुषनप्रात, प्रयाग १९३१
- १७ हिन्दू परिवार मामासा—हरिदत्त शास्त्री बंगाल हिन्दी मन्त्र कल्कत्ता
त्रि० सं० २०११
- १८ हिन्दू मन्कार—ड० डा० रात्रवली पाण्डव चोखम्बा विद्याभवन वाराणसी
१९५७

(य)

- 1 Buddhist India—by T W Rhys Davids Susil
Gupta (India) Private Ltd Calcutta, 1959
- 2 Early Buddhist Jurisprudence—by Durga Bhagvat
Oriental Book Agency, Poona, 1939

- 3 Encyclopaedia of Religion and Ethics (11 Vols)
New York, 1908-1931
- 4 Great Women of India—Advaita Ashrama, Mayavati,
Almora Himalayas 1953
- 5 Hindu Social Organization—by P N Prabhu, Popular
Book Depot, Bombay 1954
- 6 History of Jaina Monachism—S B Deo Poona 1956
- 7 Indian Education in Ancient and Later Times—by F E
Key Oxford University Press 1942
- 8 Pali-English Dictionary—P T S, London, 1959
- 9 Position of Women In Hindu Law—by Dwarka Nath,
University of Calcutta 1913
- 10 The Position of Women in Hindu Civilization (3rd
Edition)—Motilal Banarasidass Varanasi 1962
- 11 Sanskrit-English Dictionary—Monier Williams,
Oxford 1956
- 12 Slavery In Ancient India—by Dev Raj Chanana
People's Publishing House New Delhi 1957
- 13 The Status of Women in Ancient India—by Indra,
Lahore 1940
- 14 Studies in the Bhagawati Sutra—by J C Sikdar,
Muzaffarpur 1964
- 15 Vedic Index of Names and Subjects (Two Vols)—
by Macdonell and Keith—Motilal Banarasidass
Varanasi, 1958
- 16 Women in Manu and His Seven Commentators—
by R M Das—Kanchana Publications, Varanasi, 1962
- 17 Women in the Sacred Laws—by Shakuntla Rao Shastri,
Bhartiya Vidya Bhavan Bombay, 1953
- 18 Women in the Vedic Age—by Shakuntla Rao Sha tri,
Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1952
- 19 Women Under Primitive Buddhism—by Horner,
London 1930

अनुक्रमणिका

अ

अगुत्तर निकाय	११६
अगुलिमाल	११४
अगुठा	२१२
अगुक	२०८, २१९
अग्नि	२९, २२८
अग्निहोम	६४
अग्रज	२४
अविरवती	१६५
अत्रातगनु	५९, १६७
अञ्जन	२०७
अञ्जनी	२०७
अटुकपा	१५, १५१
अट्टकामी	१५१
अणोयससेन	४६
अथववद	५, ३६, ११०
अनगरावस्था	११, २९
अनाय	६
अनिकरस्त	२१६
अनुजा	२४
अनुपमा	१७, ५१
अनुलाम	५७
अतपहस्ता	६५
अन्त पुर	२१६
अयतीथक	१८५
अपान	२१२
अपराध	२२१
अपुत्रक	२६

अमयमाता	१५४
अमया	१५४
अमिर्या	६६
अम्बपाली	५१, १४७, १४६, १५०, १५६, २१०, २११
अम्माघाई	१४४
अरिट्टनमि	४७, १८४, १८५
अहत	१७८
अहत पत्	२९
अलकार	१६८, १६९
अलकाराभरण	१६६, २११
अविधवा	६२
अविवाहित	२२४
अरोक	४४
अरवरथ	५५
अष्टाग-श्रत	२३०
असूयपदया	२१५, २१९

आ

आगम	११
आगम-युग	१४, १५
आगम माहित्य	११, ४६, ६५
आचारांग-भूष	२१३
आचाय	१८६
आजीवक	४६, १५५, १६६
आजाविकोपाजन	१६६
आनन्द	१७८, १८५
आभरण	१६६
आमायन्ती	१३६

२५८ बौद्ध और जन आगमा में नारी-जीवन

आय	६ १३३	उपासिका	३०,८६,१८५,२३१
आयसमा	६३,६४		२३२
आवाह	४२,४४	उपोसथ	१७९ २३०
आवेला	२१०	उप्पलवण्णा	३०
आश्रम	४२	उच्चिरी	१५
आश्रम व्यवस्था	४१	उभतोवण्टिक	२०६
आसुर विवाह	५२	उरच्छद	२१०
	इ		शु
इक्षु-दान	७७	शुक्लवेद	२५ २९,५८ ८४ ११६
इक्षु-दान	५८		१३२,१५६,१६३,१६४
इक्षु-दान	६३	शुण	१३९
इक्षु	११६,२२६	शुण मुक्ति	७ ८६,१११
	उ	शुण सिद्धा त	११
उग्र	६६ १२५	शुणमदं व	१८४ १८५
उज्जिता	१४१	शुणि	७
उत्तर वैदिक काल	८ २९ ३६	शुणिदासी	१७ ५० ६६ ६७,
उत्तराधिकार	२७ २८		८०,२१७
उत्तराधिकारिणी	२८		
उत्सव	३२		
उदक-गाठी	१८१	एकतोवण्टिक	२०६
उदयन	२२२	एकावला	२१३
उदायी	२२४		
उपक	१९९	एतरेय ब्राह्मण	८
उपनयन	२६ ८५ १११ २२८		
उपनिषद्	४१ १३३	ओक्काक	५८ १०२
उपपातक	२२३	ओषनिपुषित	१६८
उपवास	२३०	घात्पत्तिकिनी	८६ ६१
उपसम्पदा	१७९	ओभटचुम्बटा	८६,६१
उपाध्याय	१८६		
उपालि	१९६	ककण	२१३
उपासक	८६,१८५	कचुक	२०१,२०२
उपासक-दंग	१०६	कङ्कन	२१२
		कटिमूत्र	२१३

कथा	२१३	कुगलोपचार	१५०
कष्टच्छेद	२२१	कृष्ण	२१८
कथा	५ ३१, ४३ ४६ ६४, ७४ २१४	केयूर	२१२ २१३
कथा-शुभक	१८	केशवांग	२१०
कपिलवस्तु	१२०, १७७	कक्षेयो	१४०
कमरवध	१८१ २०२ २०३	काकनदा	३१
कम्मकारी	८६ ६२	कोणलग्ग	१३८
कमरानोता	१३९	कोणलराज	१५ १०२
कर्णारथ	१५२	कोनुक	६४ २०८
कला	३३ ३५ १५० १६६	कोनुककम	२०८
कला	४६ ५१	कोपोतिक उपनिषद्	११६
कलाधाय	३३ १९८	कोशाम्बो	२५
कालिग	१०७	कोठन घाई	५५
कान्ति	५६	क्रीत-नामो	१३६ १३७
कामगात्र	१५०	दात्रिय	६५ १२६
कार्याण	१५०	दात्रियकुमार	५७
काशी	१४२	दात्रियकुमारा	५७
काशी	१५१, १६६ २०३	दात्रिय वग	५२
काशी चान्न	२०६		
काष्ठ फलक	३	ख	
कुण्डल	२१२, २१३	क्षुजुसरा	३०
कुण्डलकणी	२१२	खेमा	३०
कुम्भनामो	१३९ १४०	खेल	१८
कुमारिपञ्च	२१	ग	
कुमारी	११५ १६८ २२४	गजसुतमाल	२२, ६५
कुल कथा	१६ ३३ ३४ २२१	गणतन्त्र	५२ १४६, १८६
कुलटा	२२४	गणना	१६६
कुल दासी	७५ १३९	गण राय	१४६
कुल-पुत्र	७४	गणिका	४६ ५३, १३१ १४५ १६५ २४६
कुल-स्त्री	१६ २२१	गणिका गुण	१५०
कुलानता	१६, ६३	गणिका-वृत्ति	१४८
		गण	२२६
		गणव विवाह	४५

गभ	७६ १५५ २२४	घर्षी	२०५
गर्भाधान	६ ११	चातुर्मासिक स्नान	३३
गार्गी	१९४	चादर	२०५
गोत	१४९	घापा	१०२, १६६
गरु	२२३	चिलात	२३ ५७
गुरुधम	१७६	घोन	२०३
गृहजायाता	२२, ४७	घीनागुक	२०३
गृहपति	८७	घोवर	१८१
गृहपत्नी	७७ ८३ १०६, २४२	चुनी	३१
ग स्वाधम	४९, १७२	चुलनी दवी	५४
गृहिणी	१६५	चुल्लवग्ग	१७३ १७६ १८५ २०८
गद	१६ २१७	घुण	२०६
गेहनासी	१३६	चेलना	२११
गात्र	४३ ५६	चापा	१८८
गोत्र रक्षित	५६	चोरीसमा	६३
गोप	१०४	चोल	२०२
गौनम	१२४ १४५		
गौनमी	१२० १७७ १८५	छ	
	घ	छत्र चामर	१५४
घरदानी	१३६ १३६	छात्रागिनी	८६
घा	२०५		
घुषट	२१९	ज	
घोषा	१६३	जननी	११०, २१८, २४३
	घ	जगपद	१४६
वक्षुहर	२०४	जयती	२५ ३१
वग्विध मघ	१८५	जल	८ ११
वदन	२०५ २०६	जातक	१२१ २१२
वन्ना	१८४	जातक-अटुकया	५४
वन्ना	१२४	जातकम	९, ११
वन्ना	२२८	जाति	४३
वन्नागरी	१५४	जावाल्लि-उपनिषद्	४१
वरभूत	६६	जामाता	१७, १८०
		जार	१०५, १८३, २२४

चित्तदान	१८६	धरगाथा	२०
चिन्मत्त	४७, ६३, ६७ १५४	घेरीगाथा	१५ २७ ६५ १३९ २२६
चिन-पूजा	५५		
चावक	१०६	द	
जीवन-यागन	१२२	दत्त	१६ ५१
जाविकावाजन	१३१	दस्य	१३२
जशरी	६३	दस्यपुराज	२३ ५७
जन	१७३ १८५	दहज	६४
जैग मायता	१८३	दाई	१३४ १४४
जन मनि	१२	दाभ्यत्य जीवन	१०३ १०४
जन-सुग	१३ ४४, ५० ७० ११३	दायज	२६ ११८
	१६५ १७० १८४, १८६ १८८,	दाम	१३२
	२०३ २०५ २१८ २२९ २३३	दामता	३४३
जन विनय	१८८	दाम प्रथा	१३१
जन सध	१८६	दासा ७८ ८९, ९१, १३२ १३४	
जनागम	१६, २७ ३४ ३६ ५०, ६४	दासी-वतनी	१३५
	७८ ८३ १३७ १६६	दासा-पुत्र	१३६
जनागम काल	६३	दामी भार्या	६२
जाति लसी	१३६ २४०	दासीसमा	९३ ९६
ज्यष्टव	८२	दोध निकाय	२० ५८ ६७
	ट	दुकूलवृष	२०५
टीका मान्दित्य	४६	दुराचारिणी	१००
	त	दुस्य	२०२
तपण	८	दूनी कम	१४१
तलाक	६७	दंब	७
तिरोट वृष	२०५	दंबता	२२६
तीथकर	१८३	दंबदत्ता	१६ १५१ १५४ २१७
ततलिपुत्र	१६, ५१ १४४	देवर	७३
तल	२०५	देवानदा	२११
तत्तिरीय-सहिता	७, १३३	हुपद	५४
	थ	द्रौपणी	५४ २३२
मावच्चा	३५	द्रौपणी पाण्धव	

पति-कुल	६, ३५, ७९	पुत्र वधू	७३ २१७ २४१
पति हीन	११६	पुत्रस्नेह	११५
पत्नी	४० ४१ ५६ ६५ ७६ ८०	पुत्रा	१४
	८४, ८७ ८६ ९६ १०१, २१८	पुत्री	५ २१, २९ ३७ १८० १८८,
पत्नीगीत	४०		२१६ २२६ २३८
पद्मनाभ	२३२	पुत्र	७ ११
पद्मावती	१४४, १५४, २३२	पुनर्विवाह	१२६
परत्ना प्रथा	२१४	पुरुष	२६ ४१ १७६ १८७ २२१
परपुरुष	६५ १०० १२५, २२४	पुरुष वग	२२०
परप्रेयिका	१४१	पुरुष सन्तान	५
पररागर	८	पुरोहित	२६
परिचारिका	१३१, २४५	पुष्करिणी	२२६
परिवार	१०८	पुष्प	२२६
परिव्राजक	१०२	पुष्पबुला	१८४
परिव्राजिका	१८८	पुष्पवती	७६
पाणिग्रहण	५६ ६४	पुष्पाभरण	२१०
पाणिनि	२१५ २१६	पुष्पनन्दी	१६, ११७
पाराजिक	१५ ४६	पूजा	२२८ २२६
पाशवनाथ	१८४, १८५	पूजन	११६
पालक	२१३	पतुक सम्पत्ति	२६
पालकी	१५३	पैशाच विवाह	५७
पारदारिक	२२१	पोट्टिला	१६ ६८ २१७
पिढ	८, ११	पोष्य	८४
पिण्डनिधुषित	१३८	पोष	७
पितर	८	प्रजा	७ ३९
पिता	७ २७ ५६	प्रतिमा	२२९
पित ऋण	७, ११ ४० ४१ १११	प्रसुम्न	३१
	१७२	प्रतिलोम	५७
विनु-कुल	६ ७९	प्रवर्तिनी	१८७
पुसत्र	६ ११	प्रवारणा	१७६
पुत्र ६ ७ २७, ५० ११२ १९८, २२५		प्रत्र-या	१४, २४ १७३, १८७
पुत्र प्राप्ति	११	प्रसाधन	१९८

२६६ शोध और दान भागमें में नारी-जीवन

मुन्दक	१०३	रघुनाथ	१०८,१२०,१४३
मुगलमान	२१४	रवि गुण	१५०
मुद्रातिका	८९, ६२	रघु	१५२
मुन्ड	१२	राजग विचार	५७
मुगारमाता	२१८	राजगुरु	१४०,१४७
मुगावशा	२५	राजगुरु	१४८
मुगारतिका	११९	राजा	१०६, ७१६ २२२
मेहो	२०६	राजोमया	४७
ममला	७१२ २१३	राजि भोजन	२२८
मपहुमार	४६, १३७	राजी	२१०
मथाविनी	१९८	राजायन / ४१, ५३ ६० १२२, १४०	२१५, २१६ २१६
मीत्रनी	१६४	राहुल	११८
मैथुन	११	राहुन-याग	१७५
मनसिल	२०७	रु	२२०
	य	रु	१९६
पन	११६, २२०	रेवती	६८, १०७, १४०
पन	७ ४० ६१, ८५ २१५	रामा-राम	२०५
यजाधिकार	४०	रा, नी	८२
यजाधिकारी	२२७		ल
यम यमी	५८	लडवा	१८
यत्रनिवा	२१६	लडवा	१८
यग	१४५	लगा रत	२०९
युद्ध	२१५	लिच्छविभुमार	१५७
यवक	६	लिच्छवी	२६ २२२
युवनी	६, २१४	लुम्बक-मुना	१०२
यौवनावस्था	१८, ६१	लगा	१६६
	र	लेप	२०७
रग	२००	लोघ-युग	२०५
रत्न भन्दन	२०६	लोघ-मुष	२०५
रत्नछाव	१८१	लागामुर्ता	१९३
रत्नल	१५८	लाहू-मीन	१८१

घ		विलास	१५०
घण्ट	५६	विलेपन	१६६ २०५
घन-साहित्य	५८	विद्येपनाभरण	१६६ २०५
वज्रिण	५६	विषयन	६७
वज्रिज	१४६	विवागसुय	११७
वटसक	२१०	विवाह	८ ६ १२, ३६, ४२ ८५
वधकसमा	६३		१८०, १९५, २१५ २३९
वधु	३९, ६१, ७४	विवाह-वय	६१
वन्दना	२२८	विवाह-विच्छेद	६७
वध्या	१०६, १११, ११५ १२४	विशेषक	२०८
वर	३९ ४६, ६२, ६४	विश्ववारा	१६३
वर पत्र	४३ ५०	विष्णु-स्मृति	१२२
वर-माला	५३	वृत्ति-जीविनी	१३१
वर-यात्रा	४५	वृहस्पति-स्त	२२२
वपगाठ	३२	वेङ्कय	२१२
वपवास	१७६	वेद	८५
वलय	२१३	वदव्यासस्मृति	१२२
वस्त्र	१६ ६२२६	वेदया	१३१ १४५ १५९, १६०
वस्त्राभरण	१६६, २०३		२२४, २४६
वाद्य	१४९	वक्ष्या गमन	१६४
वानप्रस्थ	१७२	वेदया-वृत्ति	१६४
वाराणसी	१५१	वसिष्ठा घर	१६६
वारव्य	४३	वेत्तो	१६०
वासुदेव	२१८	वस्त	१६०
विक्रम	५६	वेत्तो	१६०
विधान	१६७	वदिक-काल	५ २६ ४२ ५० ५८ ८४
विधवा	७७ ११८ २२४ २४४	वदिक-युग	२६ ११०
विधि-विधान	६४	वदिक संहृति	३६ ४२ २२०
विधुत्तिक	२०६	वदिक-माद्रिय	५२, १७२
विपत्ति	२१५	वनेहिका	१०६ १४२
विमला	१६४	वन्ही	१६७
विमानवरधु	२३१	वैद्य	१६८

प्रवेनत्रिगु	१० ५९ २३३	बौद्धागम	३६ ४२, ८३ ५३ ६४,
प्रारम्भिक	६४ २२३		८३, १५६
प्रियवराणा	११९	बोधायन समसूत्र	८
प्रानिमान	५० ६४	ब्रह्मवय	७ ११, १६५, १७६, १७७
प्रियवरातिवा	१४१		१०८, २२५
प्रयत्नाकारी	१३६	ब्रह्मवर्षाधम	४१
प्रोदिनगतिवा	१०५, १०३	ब्रह्मवादिनी	१७२, १६४
	य	ब्रह्महत्या	८
ब पुमती	१८४	बाह्यग	५० ६५ १२६
बलि बग	७२६	बाह्यग-नाल	७ ४० ४१ ८५
बन्ध	३	बाह्यगकुमार	५७
बहुवर्ण्य	६६	बाह्यगकुमारी	५७
बभ्रुवतीरव	१६, १०६	बाह्यग-वय	६६
बाल-विषया	११६	बाह्यग-गारिष्य	४०, ४१
बायावस्था	१८, ६१	बाह्या	१८४
बाहुरािका	२१३		म
बिम्बिगार	१४७	भगवता	२३२
बाजक	७६	भगिनी	५९
मुट्ट	१०, ११ ३१ ८६, १०६	भगिनीमता	६३, ६५
	१२०, १२२ १२३ १५६, १७०	महा	३४
	१७३, १७४ १७६, १७७,	भग	२१२
	१८४, १८५ १६८, २१७	भयगो	१३५, १३९
	२१८, २२०, २३०, २३३	भरण-भोषण	२७
मुट्टग	१७५	भार्द	२३
बौद्ध धम	७७	भार्द-वर्ति	२३, ५८
बौद्ध मित्र	१२	भाभी	२५
बौद्ध-युग	१३, २७ ४२ ५०, ५३, ७०,	भाषा	१५०
	७४, ८५ ११३ १७२ १८४	भिक्षुना पातिमावत्त	१८२
	१८६, २०३, २०५, २२०	भिक्षु-पातिमावत्त	१८१
	२२३, २३३,	भिक्षा	३०
बौद्ध-नाथ	१८६	भिक्षु	३०, १७६ २२४
		भिक्षुणी	१३, ३०, ५३, ६८

अनुक्रमणिका २६४

१२६ १६६, २२०, २२४	महाप्रजापती	१२० १७७
२२५ २४७	महाबल	४६
भिक्षुणी-स्रग्	६८ १६६	महाभारत ८ ८१ ५३ ६० १२२,
भिक्षु-स्रग्	२२५	१३३, २१५ २१६, २१६
भिक्षु-स्रग्	१७५	महानिनिष्क्रमण
भूत	११६, २२९	१७५
भोगवती	१४१	महामौद्गल्यायन
भोगवामिनी	८९ ९०	१६४, १६५
भोजन	८५	महावस
भ्रूण हत्या	८	महावस
		११६
		महावीर ११, २५ ३१, १२२,
		१८४ १८५, २११, २२०
म		माता ५६, ११०, २२५ २२६
मगनी	६२ ६४	माता पिता २१, ४६ ६३ ६५
मगल	६४	मातृ-कुल
मवखन	२०५	६
मगध	७०	मानुष
मज्झिम निकाय	१४२	मातृ-स्रग्
मञ्जरीक	२०६	११६
मणि	२१२	मातृ-सवा
मणिमखला	२१३	११७
मन्त्रोच्चारण	१७२	मान
मथरा	१४०	४३
मनोरजन	१३४, १४५	मार
ममता	११३	२०, १६४
मयूर-स्रग्	२०८	माला
मदन	२०७	५६, २०६
महिलका	१०, २३३	मालामिथ्या-वैणी
मल्लिदिम्न	२४	२१०
माली	२४ १४६ १८३	मालिनी
	१८४, १८५, १८८	२१०
		मालिन्ध
		२०५
		मान्य
		१९९ २२९
		माल्याभरण
		१९९ २०६
		मासिक धम
		८, २२७
		माहुर
		२०७
		मिथ्री
		२०६
		मिलि-दषण्ड
		१७, ५०, ६६
		मुंदरी
		२१३

बघ	५६	विलास	१५०
बदा साहित्य	५८	विलेपन	१६६ २०५
बत्रिरा	५९	विलेपनाभरण	१६६ २०५
बत्रि	१४६	विवदन	६७
बटसक	२१०	विवागमुप	११७
बघकसमा	६३	विवाह	८ ६ १२, ३६, ४२, ८५ १८० १९५ २१५ २३९
बधू	३९ ६१, ७४	विवाह-वय	६१
बदना	२२८	विवाह-विच्छेद	६७
बध्या	१०६, १११, ११५ १२४	विशेषक	२०८
बर	३९ ४६, ६२, ६४	विश्ववारा	१६३
बर पत्र	४३ ५०	विष्णु-स्मृति	१२२
बर-माला	५३	वृत्ति-श्रीविनी	१३१
बर-यात्रा	४५	वृहस्पतिदत्त	२२२
बघगाठ	३२	बडूप	२१२
बघवास	१७९	बन	८५
बलम	२१३	बन्ध्यासस्मृति	१२२
बसत्र	१६ ६२२६	बेद्या	१३१ १४५ १५९, १६० २२४, २४६
बस्त्राभरण	१६६ २०३	बेद्या-गमन	१६४
बाद्य	१४९	बेद्या-वृत्ति	१६४
बानप्रस्थ	१७२	बेसिया घर	१६६
बाराणसी	१५१	बेसी	१६०
बारह्य	४३	बस्स	१६०
बासुदेव	२१८	बस्सो	१६०
बेहम	५६	बत्रिक-बाल ५	२६ ४२, ५० ५८ ८४
बेज्ञान	१६७	बदिक-मुग	२६ ११०
बेधवा	७७ ११८ २२४ २४४	बदिक सस्कृति	३६ ४२ २२०
बेधिन-विधान	६४	बेदिक-साहित्य	५२, १७२
बेधुतिक	२०६	बेदेहिका	१०६, १४२
बेधति	२१५	बेदेही	१६७
बेमला	१६४	बघ	१६८
मानवत्यु	२३१		

२६८ बौद्ध और जैन आगमों में गारी-जीवन

वैषम्य	११८	भारिवा	८१ २३२
वैभव	१५२	बौद्ध-जग	६६
वीणाली	१५७, १५९, १७७	ब्रेह्मो	६६
वैभव	१६०		
वैषम्य	१६ २२६	स	
व्यवसाय	१९८	गंगाएव	२३३
व्यभिचार	२०, २२१	मद	२३३
व्यभिचारिणी	२२३, २२४, २२६	मनुष्य विद्या	१०, १९४
	दा	मन्त्र	५८
वाच्य	५८	मन्त्रोत्पत्ति	६५
वाच्य-व्याख्यान	५, ५५	मन्त्र प्रथा	१२१
वाच्यक	११७	मन्त्र	५६
वाच्य	१७७	मन्त्राचार	१६
वाच्यकुमार	६६	मन्त्रोत्पत्ति	१६४
वाचिक	८२	मन्त्रान	१११ ११५
वाचिक-विद्या	१६९	मन्त्रान-व्याख्या	१४
वाचिकाना	१७९	मन्त्रान प्राप्ति	६७
वाचिक	६, ३३, ३६, १०७	मन्त्रासाधन	१७२
वाचिकत्व	२२१	मन्त्रानो	१०६
वाचिक	३३ ३५, ६२, १६६ १९७	मन्त्रविष्णु	६१
वाचिक	२२६	मन्त्रा	१०६, १८२
वाचिकी	६४	मन्त्राति	२६, २७
वाचिकी	६३	मन्त्र-मन्त्रु	१८४
वाचिक	१६८, २२३	मन्त्रार्थ	२०८
वाचिकी	१६८	मन्त्र	७३ ७६, ८१
वाचिक-रथा	१८९ २१६	मन्त्राल	७३ ७६
वाचिक	१७ ५० १५०, १५१	मन्त्रवाक	११७
वाचिकी	१३४	मन्त्रमलमा	१५०
वाचिक	२६, ८५, १७२, १६४ २२३	वाचिक	५७ ६३ ६७
वाचिकी	१०७	वाचिकदत्त	५७, ६३ १५४
वाचिक-मन्त्रुति	११, २६ २२०, २३०	वाचिकमन्त्रुति	२०
वाचिक	८६	वाचिकी	२००, २०२
		वाचिकारणी	१५९

सामग्र्य	५६		
सामा	१५६		८६,१११
सालवती	१४७ १४६,१५० १५५	सूत्रकृतांग	२१८
साध	७३,७९ ८१	सूत्र साहित्य	७
साध-समुद्र	३५ ७७७८,७६८० ८१	सूयगढ	१०२
सिंहबाहु	५८	सूय	२२०
सिंहसीवली	५८	सेवा	११३
सिंहसेन	१०७	सोणा	१२३
सिद्धान्तभेद	२३३	सोमा	१६,२२ ६५,१९४
सिद्धाय	१४५	सोमिल	२२,६५
सीता	२१५	सौदय	६२
सोमन्तोन्नयन	६११	स्वन्द	२२६
सुकुमालिका	४७ ६३,६६ ६७	स्त्री	५०,१७३,१७६ १८३ २०२
सुजाता	२१७	स्त्री धन	१०९
सुत्तनिपात	५०	स्त्री-वग	२२०
सुदिन्	२६ ७६ १२०	स्नान	६४ २०५
सुन्दरता	६२	स्नेह	८३
सुन्दरी	२७ १२३ १८४	स्वप्न-पाठक	२१६
सुप्रिया	२३१	स्वयवर	१४,४६ २१५
सुभूमिभाग	१५४	स्वयवर-विवाह	५२
सुमधा	२१६	स्वर्णालंकार	२११
सुलभा	१५६		
सुवर्ण	६५		
सुपमा	२३,५७	हरि-वदन	२०६
सूत	१८१	हार	२१२
सूत्र-काल	४३,५३,६० ७४	हिरण्य	६५
		हेमसूत्र	२१३

उद्देश्य

- १ जैन धागम, ळागन पुरातत्व तथा अय विषयों व सम्भोर विद्वानू एव लेखक तयार करना ।
- २ जैन सस्कृतिसम्दघो प्रामाणिक साहित्य का निर्माण एव प्रकागन करना ।
- ३ योम्य विद्वानों को श्रमण-सस्कृति का सन्दगवाहक बनाकर देश तथा विदेश में भोजना ।
- ५ भारतीय तथा विन्ेगी विद्वाना का ध्यान जन सस्कृति की ओर शोचना ।
- ५ श्रमण-सस्कृति की प्रकाग में लाने के लिए प्रोत्साहन देना ।